लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 30 Oct. 2007

(खण्ड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)

अंक 17, गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2006/23 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
अरमेनिया के लिए संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्नों संख्या 323, 326, 327 और 329	6-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 322, 324, 325, 328 और 330 से 341	32-61
अतारांकित प्रश्न संख्या 3155 से 3384	61-257
सभा पटल पर रखे गए पत्र	258-272
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	272, 434
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
14वां प्रतिवेदन	272
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
45वें से 50वां प्रतिवेदन	272-273
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
162वें से 169वां प्रतिवेदन	273-274
सदस्यों द्वारा निवेदन	
सरकार की कथित श्रमिक–विरोधी नीतियों के विरुद्ध 14 दिसम्बर, 2006 को श्रमिकों द्वारा की गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल	275-285
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	286-317
(एक) जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों से कश्मीरी पंडितों पर किए जा रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	286-302
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	286, 288-294
श्री शिवराज वि. पाटील	288-288, 299-302
प्रो. रासा सिंह रावत	295
श्री हरिन पाठक	295-296

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

श्री मदन लाल शर्मा 296-298

श्री रघुनाथ झा 299

(दो) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमों के मानव विकास प्रतिवेदन में उल्लिखित ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित भारतीय जलवायु के कारण उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम 302-317

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया 302, 305-309

श्री ए. राजा 302-305, 314-317

श्री खारवेल स्वाईं 309

श्री आलोक कुमार मेहता 310

श्री रवि प्रकाश वर्मा 310-311

श्री अधीर चौधरी 311-312

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 312-313

श्री किरेन रिजीजू 313

प्रो. चन्द्र कुमार 314

श्री लक्ष्मण सिंह 317-318

कार्य मंत्रणा समिति के 32वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 318-328

नियम 377 के अधीन मामले 318-328

(एक) प्रजापति/कुम्हार समुदाय को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन कुमार 318-319

(दो) ब्रह्मपुत्र नदी को प्रदूषणमुक्त करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य 319

(तीन) गुजरात के नवसारी जिले के चिखली में रसोई गैस एजेंसी खोले जाने की आवश्यकता

डा. तुषार ए. चौधरी 319-320

(चार) बालक अधिकारों के संरक्षण हेतु पुलिस बल में एक पृथक विभाग का सृजन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रिया दत्त 320-321

(पांच) थल सेना में हिमाचल रेजीमेंट बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह 321

(छह) बरेली बाईपास के कार्य को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 के चरण–तीन क में शामिल किए जाने तथा इस पर तत्काल कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार 321

(सात) मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों की सुविधा के लिए भीमद और बड़ी सादरी के बीच रेल संपर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 321-322

(आठ) राजस्थान के जिन किसानों की भूमि भारत–पाकिस्तान सीमा पर थल सेना द्वारा अधिगृहीत कर ली गई है उनको मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चंद 322

(नौ) मध्य प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता पटैरिया 322-323

(दस) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकरण की सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 323

(ग्यारह) केरल में पलक्कड़ में आई.आई.टी. स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एन. कृष्णदास 323-324

(बारह) अनुसूचित जनजातियों की सूची में मराठी समुदाय को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन 324

(तेरह) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 324

(चौदह) बिहार में बिहटा गुमटी के समीप ऊपरि पुल का निर्माण कार्य पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 324-325

(पन्द्रह) पंजाब में सरहिन्द में कुछ रेलगाड़ियों के ठहराव का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा 325

(सोलह) पटना और इसलामपुर के बीच प्रातःकाल एक सवारी गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री रामस्वरूप प्रसाद 325-326

(सत्रह) अनाज मिल कारोबार के वित्त पोषण के लिए विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता

डा. आर. सेनथिल 326

(अठारह) आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम के कोण्डाक्का गांव में परमाणु ऊर्जा कारखाने की प्रस्तावित स्थापना रोके जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु 327

(उन्नीस) सहकारी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ पर आयकर लगाए जाने पर पुनर्विचार तथा बैंककारी विनियम अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 327

(बीस) रेल सुरक्षा बल के अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की यूनियन का 'अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. रेल सुरक्षा बल कल्याण संघ' के रूप में पंजीकरण करने की मांग को पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम 327-328

केन्द्रीय शैक्षिणक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 328-434

विचार करने के लिए

श्री अर्जुन सिंह 328-329, 423-427

प्रो. रासा सिंह रावत 329-337

श्री के. वी. तंगबालु 337-345

श्री रवि प्रकाश वर्मा 345-348

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 348-354

श्री ए. कृष्णास्वामी 355-357

श्री मो. ताहिर 357

श्री अर्जुन सेठी 357-360

श्री प्रबोध पांडा 360-362

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 362-364

डा. सुजान चक्रवर्ती 365-367

डा. करण सिंह यादव 367-370

श्री धर्मेन्द्र प्रधान 371-372

प्रो. एम. रामदास 372-377

श्री एल. गणेशन 377-380

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा 380-384

श्री ए. साईं प्रताप 384-386

श्री वरकला राधाकृष्णन 386-389

श्री असादूद्दीन ओवेसी 389-391

श्री धांवरचन्द गहलोत 391-393

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश 393-395

श्री किन्जरपु येरननायडु 395-396

श्री राम कृपाल यादव 396-399

श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 399-401

श्री एस.के. खारवेनथन 401-403

श्री संतोष गंगवार 403-406

प्रो. चन्द्र कुमार 406-408

श्री राम दास आठवले 408-410

श्री तथागत सत्पथी 410-413

श्री पी. मोहन 413-414

प्रो. महादेवराव शिवनकर 414-416

श्री वीरचन्द्र पासवान 416-417

श्री तापिर गाव 419-421

श्री रामचन्द्र पासवान 422-423

श्री मनोरंजन भक्त 423

खंड 2 से 7 और 1 423-433

पारित करने के लिए प्रस्ताव 433-434

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 447

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 448-454

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 455-456

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 455-456

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरूवार, 14 दिसम्बर, 2006/23 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने–अपने स्थानों पर बैठिए। अब इस सभा की एक नई माननीय सदस्या शपथ ग्रहण करेंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे शोर करना अच्छा नहीं लगता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में एक नयी माननीय सदस्या आ रही हैं। कृपया उन्हें पहले ही दिन हतोत्साहित न करें। महासचिव महोदय माननीय सदस्या का नाम पुकारेंगे।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। हमारे यहां अतिथि आए हुए हैं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

अरमेनिया से आए संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे माननीय अतिथियों, महामहिम श्री टिगरॉन टोरोशियान, प्रेसीडेंट ऑफ द नेशनल असेम्बली ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अरमेनिया तथा वहां के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं।

यह शिष्टमंडल बुधवार, 13 दिसम्बर, 2006 को भारत पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद होगा। हम उनके माध्यम से प्रेसीडेंट, संसद, सरकार तथा अरमेनिया की मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं जिनके साथ हमारे संबंध दो शताब्दियों से भी अधिक समय से हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, हमने प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए सूचना दी है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने प्रश्नकाल के स्थगन के लिए एक सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप सभी आज बहुत अशान्त हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने प्रश्न काल स्थगित करने के लिए सूचना दी है। आज देश भर में लाखों कामगार हड़ताल पर हैं . *..(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दूंगा। मैं आपको प्रश्नकाल के उपरांत बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भूमि हड़पने वाले बन गये हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : पूरे देश में आज मजदूरों और कामगारों की हड़ताल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, देश भर में कामगार हड़ताल पर हैं। ...*(व्यवधान)* अतः हम चाहते हैं कि यह महत्त्वपूर्ण मुद्दा इस सभा में उठाया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के उपरांत अर्थात् दोपहर 12.00 बजे यह मामला उठाया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसके बारे में नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या करना चाहते हैं? कृपया बारी–बारी से बोलिए। कृपया मुझे इसका पता तो चलने दें कि क्या मुद्दा उठाया जा रहा है। कृपया एक बार में एक ही सदस्य बोले।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए कहा है। जब मैं प्रश्नकाल के उपरांत मध्याह्न 12.00 बजे इस मामले को उठाने की अनुमति दे रहा हूं तो आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है परन्तु मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने प्रश्नकाल के स्थगन की सूचना दी है। लाखों कामगार अभी हड़ताल पर हैं। ...*(व्यवधान)* उड़ीसा में एक आदमी मारा गया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसके बारे में नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के उपरांत आपका मुद्दा उठाया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हमने प्रश्नकाल के स्थगन के लिए सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमने नोटिस दिया है। आज पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि आपमें से कोई भी इस विषय पर कुछ कहना चाहता है। आप यह भी बताना नहीं चाहते कि मुद्दा क्या है? यदि इस मुद्दे को 12.00 बजे उठाया जायेगा तो भी आसमान नहीं गिर पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल स्थगित नहीं कर रहा हूं। प्रश्नकाल के स्थगन का कोई कारण नहीं दिया गया है। मैं आपको प्रश्नकाल के उपरांत बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मजदूरों की देशभर में हड़ताल चल रही है। ...*(व्यवधान)* यह तात्कालिक महत्त्व का विषय है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मैं प्रश्नकाल के उपरांत आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। आप केवल शोर मचा रहे हैं कोई भी कुछ नहीं कह रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आप 12.00 बजे 'शून्यकाल' में इस मुद्दे को उठाने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, वह तो मैं पहले ही कह चुका हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी एक भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। आप क्यों बोल रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न काल के उपरांत आयें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी तरह नहीं हूं बल्कि मैं एक जिम्मेदार सदस्य हूं। अपने स्थान पर जाइए। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। अभी मैं कोई मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा. जगन्नाथ, कृपया पेपर मत दिखाइये। यह विशेषाधिकार का हनन है। मैं आपके विरुद्ध नोटिस जारी करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री येरननायडु, आप तो मंत्री पद पर रह चुके हैं परन्तु आप अपनी जिम्मेदारी भूल गये हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : कृपया मुझे 'शून्यकाल' में बोलने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी के लिए रिकार्ड करना होगा; अंडरटेकिंग देनी होगी।

[अनुवाद]

'प्रश्नकाल' बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, करोड़ों मजदूरों का सवाल है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आवठले, कृपया अपने स्थान पर जाइये अन्यथा बाहर चले जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : आपने मुझे मजदूरों के विषय पर बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मैं सदन से वॉक आउट करता हूं।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामदास आठवले सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर जाइए।

[अनुवाद]

सहयोग के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद !

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : ये यू.पी.ए. सरकार की कांस्टीट्यूएंट पार्टियां हैं। ये स्वयं ही हंगामा कर रहे हैं। और क्वेश्चन ऑवर के सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है पर आपको तो इसमें मजा आ रहा है न? आप ऐसा कह सकते हैं।

[हिन्दी]

आप बाद में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 322 – **श्री अजय चक्रवर्ती** – उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 323 – श्री बालासोवरी वल्लभनेनी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विमानपत्तनों पर धुंधरोधी प्रणालियां

+

***323. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
डा. सिबैस्टियन पाल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमानपत्तनों पर धुंधरोधी प्रणालियों की स्थापना करने पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) क्या अधिकांश एयरलाइनें इन नई प्रणालियों के लिए विमानों को उन्नत करने तथा पायलटों को प्रशिक्षित करने पर धनराशि खर्च करने की इच्छुक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन एयरलाइनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कोहरे के कारण उत्पन्न होने वाली कम दृश्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्ट्रूमैण्ट लैंडिंग प्रणाली (आई एल एस) उपलब्ध व संस्थापित करता है। आई जी आई हवाई अड्डे को छोड़कर सभी पर आई एल एस कैट–I हैं। और प्रत्येक कैट–I की संस्थापना पर होने वाला व्यय (लगभग) 2 करोड़ रुपये हुआ। दिल्ली हवाई अड्डे पर कैट–III बी आई एल एस के प्रावधान पर किया गया व्यय 55 करोड़ रुपये हुआ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित एयरलाइनों ने स्वयं को कम दृश्यता में प्रचालन के लिए पहले ही तैयार कर लिया है : (i) इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया को कैट–II/III प्रचालनों के लिए प्राधिकार प्रदान किया है, (ii) जैट एयरवेज तथा सहारा एयरलाइंस को कैट–II प्रचालनों के लिए प्राधिकार प्रदान किया गया है, (iii) किंगफिशर, स्पाइसजेट तथा एयर डक्कन, इंडीगो को कैट–II प्रचालनों के लिए प्रारम्भिक प्राधिकार प्रदान किया गया है।

(घ) एयरलाइनों को सदैव कम दृश्यता स्थितियों में प्रचालनों के लिए अपने विमानों का स्तरोन्नयन करने और अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उड़ान समय सारणियों को कम दृश्यता वाले प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित पायलटों की संख्या और ऐसे प्रचालनों के लिए विमानों की उपयुक्तता के आधार पर अनुमोदित किया जाता है। यदि एयरलाइनें कम दृश्यता में उड़ान की अपनी क्षमता के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं कराती हैं, तो उसे सामान्य कोहरे के समय अपनी उड़ानों को अनुसूचीबद्ध (उड़ाने की) करने की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विमानपत्तन में दो धावन पथ हैं लेकिन एक धावन पथ में कैट–III बी प्रणाली लगाई गई है। इसके परिणामस्वरूप जिस धावन पथ में कैट–III बी प्रणाली नहीं लगाई गई है, उसका उपयोग घने कोहरे में नहीं किया जा सकता है। क्या यह सच है।

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि एयरलाइनों को कम दृश्यता स्थितियों में विमान प्रचालन के लिए अपने विमानों का उन्नयन करने और पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया जाता है। तथापि, मेरी जानकारी में यह बात लाई गई है कि कैट–III बी प्रणाली के संचालन के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने प्रशिक्षणार्थियों सहित 683 पायलटों में से केवल 146 पायलटों अर्थात् 21.37 प्रतिशत को स्वीकृति प्रदान की है। क्या यह सत्य है?

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, किसी भी नागर विमानन मंत्री के लिए कोहरा प्रसन्नता की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं...

अध्यक्ष महोदय : यात्रियों के लिए नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, यात्रियों के लिए भी है।

अध्यक्ष महोदय : यात्रियों के लिए अधिक है।

श्री प्रफुल पटेल : मैं सहमत हूं। मैं उस बात पर भी आ रहा हूं।

प्रश्न का पहला भाग कि क्या एक धावन पथ पर कैट–III बी प्रणाली स्थापित है और दूसरे पर नहीं तो इसका उत्तर 'हां' है। एक तो अनुवर्ती है और दूसरी नहीं इसका कारण यह है कि दिल्ली का नया मास्टर प्लान जो सरकार के विचाराधीन है, उसके आने के बाद ही धावन पथ में तालमेल बिठाने का निर्णय लिया जायेगा।

आखिरकार, यह एक महंगा उपकरण है, तथापि, यदि एक धावन पथ पर कैट–II बी प्रणाली स्थापित की गई है, तो हम देख सकते हैं। कि उनमें कुछ अंतर है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें हुए सुधार से यात्री और सरकार संतुष्ट हैं लेकिन पिछले दो वर्षों में सुधार हुआ है।

पायलटों को प्रशिक्षण देने के संबंध में सरकार यह सुनिश्चित करने के भरसक प्रयत्न कर रही है कि अधिकाधिक पायलटों को कैट –II और कैट–III प्रणाली में प्रशिक्षित किया जा सके। सभी पायलटों को क्यों

नहीं? मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत में सभी विमानपत्तनों पर कैट–II और कैट–III प्रणाली में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिकांश विमानपत्तनों में कैट–I अथवा सामान्य दृश्यता स्थितियों में उड़ान भरी जाती है। तथापि, यह हमारी सरकार का प्रयास है और हम इसे जारी रखेंगे।

श्री बालासोबरी वल्लभनेनी : क्या कम दृश्यता स्थिति के दौरान विमान प्रचालन के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं?

कोहरे ने दिल्ली में विमान आगमन और प्रस्थान में बाधा डालना शुरु कर दिया है। मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2006 को अंतर्राष्ट्रीय विमान और इंडियन एयरलाइन्स के दो विमान उड़ान भर सके। हमारे नागर विमानन की यह स्थिति है। प्रत्येक वर्ष इस समय मंत्रालय यह वक्तव्य देता है कि वह कम दृश्यता स्थितियों और घने कोहरे में विमान प्रचालन के लिए आधुनिक प्रणाली स्थापित करेंगे। लेकिन प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है। मंत्री महोदय प्रत्येक वर्ष होने वाली इस समस्या का किस प्रकार समाधान करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय का विशेषाधिकार है।

श्री प्रफुल पटेल : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य तथा सभी सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार का यह प्रयास रहा है कि वह सर्वोत्तम उपकरण की नहीं अपितु उच्च सुरक्षा मानक भी सुनिश्चित करे। आखिरकार, जैसाकि आपने ठीक कहा है कि यात्रियों को असुविधा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मामला है लेकिन इसके साथ ही हमारे सामने सुरक्षा सर्वोपरि है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह बात समझेंगे कि विनियामक प्राधिकारी, मंत्रालय इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि विमान उड़ान सभी मौसमों न केवल अधिक सुविधाजनक, सुगम हो अपितु उतनी ही सुरक्षित भी हो। अतः, कैट–III और कैट–II जैसी अन्य श्रेणियों में कमांडरों के प्रशिक्षण के लिए कतिपय अनिवार्य घंटों, अनुभव की आवश्यकता होती है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि जिस कमान्डर को 2,500 घंटे उड़ान भरने और एक विशेष प्रकार के विमान पर कम से कम 500 घंटे उड़ान भरने का अनुभव होता है, उसे ही कैट–II अथवा कैट–III जैसी श्रेणियों के लिए योग्य माना जाता है। इसमें विभिन्न तकनीकी मुद्दे भी शामिल हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को अपील करता हूं कि यह प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के सभी विमानपत्तनों में कोहरा नहीं होता है। केवल दिल्ली और कुछ पूर्वोत्तर विमानपत्तनों में कोहरा होता है। इसलिए सभी पायलटों को रातोंरात अथवा थोड़े से समय में प्रशिक्षण देना कठिन कार्य है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने इसे अनिवार्य बनाया है। डी.जी.सी.ए. नए मार्गनिर्देश ला रही है और कैट–III में पायलटों को प्रशिक्षण देने के संबंध में हमारे मार्गनिर्देश विश्व में किसी भी स्थान में मार्गनिर्देशों के बराबर हैं। अच्छे विमानपत्तनों में भी कोहरे के कारण उड़ानें प्रभावित होती हैं। थोड़ी सी समझदारी की आवश्यकता है। यह अत्यधिक तकनीकी विषय है। अतः, मैं जनसाधारण की भाषा में स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं इसके तकनीकी पहलू के बारे में बोलूंगा तो शायद इससे सभा को कोई फायदा नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि धुंधरोधी प्रणाली के बारे में बड़े–बड़े वायदे और दावे किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद जैसा अभी माननीय सदस्यों को पता है कि आज न्यूजपेपर्स के मुखपृष्ठ पर और दैनिक भास्कर में छपा है कि सारी प्रणालियां ध्वस्त हो गई हैं, यात्रियों के बीच में बड़ी अफरा–तफरी मची हुई है और बहुत सारी उड़ानें रद्द हो गई हैं तथा लेट भी हुई हैं, जिसके कारण यात्रियों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमानपत्तनों पर धुंधरोधी प्रणालियों की स्थापना किन निजी संस्थाओं के द्वारा कराई गई थी और वर्तमान में इस प्रणाली का पालन कितनी एयरलाइन्स के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रणालियां असफल हो गई हैं? यदि हां तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसमें कितनी राशि बर्बाद हुई है तथा धुंधरोधी प्रणाली के बारे में कौन सी नई तकनीक अपनाई जा रही है, कृपया मंत्री जी जानकारी दें।

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि जो भी इक्विपमेंट लगाया जाता है, वह बर्बादी नहीं है। आखिरकार, यह किसी भी आधुनिक विमान के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। उसके लिए कोशिश की जा रही है। मैं माननीय सदस्या की भावनाओं से सहमत हूं लेकिन उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वह यह न समझें कि सारी चीजें ध्वस्त हो गई हैं। हमने एयरलाइन्स को हिदायतें दी हैं कि हमने कैटेगरी 3 बी का जो सिस्टम लगाया है, वे उसके अनुरूप ट्रेनिंग को बढ़ायें। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले साल से लेकर से इस साल तक कैट–2 कंडीशन्स सिस्टम में 133 पायलट्स की संख्या में वृद्धि हुई है और कैट–3 सिस्टम कंडीशन्स के लिए 136 पायलटों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस दिशा में हमने निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ाया है। जैसा मैंने कहा कि 2500 घंटे की पायलटर ऑन कमांड होने के बाद और 500 घंटे प्रति एयरक्राफ्ट टाईप रेटिंग के बाद ही उन्हें कैट–2 और कैट–3 में परमीशन दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इक्विपमेंट का सवाल है, कैट–3 के ठीक होने पर जब

[अनुवाद]

दृश्यता 60 मीटर से कम हो जाती है तो समस्या पैदा होती है। यदि उस समय सभी उपकरण लगे हों तो भी हम उड़ान नहीं भर सकते हैं।

अंत में, मैं कुछ सदस्यों की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि शायद कल हम बेहतर स्थिति में थे लेकिन दुर्भाग्य से 'रनवे वीज़्वल रेंज' जो मौसम विभाग का उपकरण है – यदि वह विफल हो गया और इसके परिणामस्वरूप उड़ानें प्रभावित हुईं, तो आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। कई बार यात्री शिकायत करते हैं कि उन्हें पहले जानकारी नहीं दी गई। अब अचानक प्रातः 6.30 बजे कोहरा छा जाता है तो कौन सी एयरलाइन, विमानपत्तन प्राधिकरण अथवा मौसम विभाग इसकी भविष्यवाणी कर सकता है। ऐसी कुछ छोटी–छोटी बातें हैं और सामान्यतः प्रत्येक की समझ में नहीं आती हैं। मैं सभा से थोड़ी समझ और धैर्य की अपील करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बात केवल यह है कि आप अधिकाधिक उड़ानों की अनुमति दे रहे हैं और इसके कारण अधिक गड़बड़ी हो रही है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पिछले तीन दिनों से फॉग चालू हुआ है। मेरा सिम्पल क्वेश्चन यह है कि आप प्रणाली की प्रभाविकता की निगरानी किस प्रकार करते हैं? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में ग्रेडवाईज, कम्पनीवाइज डिले स्टैटेस्टिक्स क्या हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : मैं आंकड़े एकत्रित करके माननीय सदस्य को दे दूंगा क्योंकि विलम्ब से उड़ने वाले प्रत्येक विमान के आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे और वह भी पिछले तीन दिनों के। मैं आंकड़े एकत्रित करके सदस्य को निश्चित रूप से दे दूंगा।

महोदय, मैं आपके द्वारा की गई टिप्पणी कि अधिक उड़ानें और अधिक गड़बड़ी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक बात निश्चित है कि हमारे देश के बुनियादी ढांचे में सुधार विकास की गति के साथ नहीं हुआ है। यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आग्रह करता रहा हूं और मैंने हर प्रयास किया है कि एयरलाइन्स अब दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता के पारम्परिक मुख्य केन्द्रों से बाहर जाएं – मैं उन्हें कोलकाता से बाहर जाने के लिए नहीं कहता लेकिन द्वितीय और तृतीय स्तरीय शहरों में जाएं। इस देश में व्यापक संभावनाएं हैं। दुर्भाग्य से इन वर्षों में भारत में विमानन के लिए मुम्बई और दिल्ली अनुकूल रहे हैं। लगभग 70–75 प्रतिशत उड़ानें मुम्बई और दिल्ली से भरी जाती थी। अब यह आंकड़ा धीरे–धीरे कम हो रहा है और 60 प्रतिशत से कम आ गया है। जिस समय नए शहर, नए स्थान महत्त्वपूर्ण विमानन केन्द्र हो जायेंगे, तो दिल्ली और मुम्बई में हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं वही समस्याएं पूरे देश में उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए मुम्बई और दिल्ली में ही नहीं अपितु देश के सभी विमानपत्तनों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन करके इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। मंत्रालय, विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सभी संबंधित इस बारे में सजग प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अधिक विकल्प यात्रियों को बेहतर सेवा, बेहतर किराया और अनेक अन्य सुविधाएं दे सकते हैं और महोदय, मुझे आशा है कि आप इस बात को समझेंगे कि जो लोग विमान में बैठने की बात सोच भी नहीं सकते थे वो आज कम से कम विमान सेवा ले सकते हैं। मेरे विचार से थोड़ी सी असुविधा के चलते भी यह देश के विमानन, आर्थिक विकास और पर्यटन के विकास के हित में है और इस प्रकार मैंने आपकी थोड़ी सी टिप्पणी का उत्तर दे दिया है। मुझे आशा है कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह टिप्पणी इसलिए की थी क्योंकि अनेक एयरलाइंस आ रही हैं जिनके पास उचित रूप से प्रशिक्षित पायलट नहीं हैं। उन्हें कार्य और विमान प्रचालन की अनुमति है लेकिन उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। मेरे कहने का यह मतलब था।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मैं यह बात ध्यान में रखूंगा।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, इस देश में 13 द्वीप संघ राज्य क्षेत्र हैं और इनमें विमान उतरने और उड़ान भरने की कुछ अंतर्निहित समस्याएं हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इन समस्याओं की पहचान की है और क्या विशेष प्रशिक्षण तथा अन्य चीजें देकर इनके समाधान के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, ताकि सुरक्षा उपाय किए जा सकें। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय एक सक्षम मंत्री हैं और वह यह कार्य विशेषरूप से द्वीप संघ राज्य क्षेत्र का काम देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह इस मामले में सकारात्मक कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या पोर्ट ब्लेयर में कोहरा होता है?

श्री प्रफुल पटेल : काफी वर्षा होती है लेकिन फिर भी हम इन समस्याओं को समझते हैं और हम उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इन समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र मंत्री जी ने बहुत वेग टाइप जवाब दिया है। वे मंत्री हैं और उन्होंने बात को बड़ी सफाई से रखने का प्रयास किया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कैट–3 का प्रशिक्षण दिया जाना हमारे समय में लागू किया गया था और उसके बाद एक समय–सीमा निर्धारित की गई थी कि उसके अन्दर–अन्दर सभी एयरलाइनें अपने कमांडरों को इसका प्रशिक्षण दे दें। अतः मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कई एयर लाइनों ने इस निर्धारित समय–सीमा की अवधि का उल्लंघन किया है?

महोदय, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के लोगों के लिए कैट–3 के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन क्या वजह है कि जो प्राइवेट एयर लाइनें हैं, उनके लिए कैट–3 का प्रशिक्षण दिए जाने का जिक्र मंत्री जी ने अपने उत्तर में नहीं किया है। अतः मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके लिए भी कैट–3 का प्रशिक्षण एक समय–सीमा के अंदर दिया जाना निर्धारित करेंगे और जो एयरलाइन उसे न करें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे?

श्री प्रफुल्ल पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि एयर लाइनों को पिछले साल हमने हिदायत दी थी कि वे अपने कमांडर्स के लिए ट्रेनिंग की संख्या बढ़ाएं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, उसमें टैक्नीकल इश्यू भी थे। यदि हम एकाएक यह मैंडेट कर देते, तो एयर लाइन्स को दिक्कत आती और उन्हें तथा पैसेंजर्स को न केवल पांच दिन की कठिनाई होती, बल्कि बारहमासी कठिनाई होती। अतः इसे लागू करने में टैक्नीकल इश्यूज थे।

[अनुवाद]

मुझे पूरी आशा है और विश्वास है कि मेरे पूर्ववर्ती मंत्री महोदय ने इन सभी ब्यौरों को स्वयं देखा होगा। लेकिन जैसाकि मैंने अभी कहा है कि इस समय भारत में केवल एक ही विमानपत्तन अर्थात् नई दिल्ली में कैट–2बी के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। भविष्य में सरकार को उत्तर भारत में उच्च श्रेणी रेटिंग के आधार पर चार–पांच विमानपत्तन बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने अमृतसर, लेखनऊ और जयपुर विशेषरूप से उत्तर भारत के इन तीन विमानपत्तनों का चयन किया है जहां कम से कम कैट–2 प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे एयरलाइनों को इस तरह के प्रशिक्षण पर निवेश करने के लिए अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

सरकार कैट–2 को अनिवार्य बनाने के लिए नागर विमानन अपेक्षाओं (सी.ए.आर.) में संशोधन कर रही है। हम इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षण को निदेश द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि उड़ान दिवसों की संख्या या एक वर्ष अथवा छह माह पर निर्भर करने के बजाए घंटों पर निर्भर करती है यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कितने घंटे उड़ान भरी गई और किस श्रेणी के विमान से उड़ान भरी गई। हम नागर विमान अपेक्षाओं (सी.ए.आर.) में संशोधन करके कम से कम कैट–2 प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना चाहते हैं ताकि यह सुविधा लगभग पूरे देश में उपलब्ध हो। कैट–2 का कैट–3 में उन्नयन करने में कम समय लगेगा और ऐसा करना आसान है। इसलिए हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि मेरे मित्र, श्री शाहनवाज़ हुसैन इस बात को समझेंगे कि कुछ काम करना तो आसान है लेकिन कुछ काम बिल्कुल तकनीकी प्रकृति के होते हैं। जहां संरक्षा और सुरक्षा का प्रश्न है सरकार इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें भी यही कारक शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 324 श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर – उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 325 – श्री बाडिगा रामकृष्णा – उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 326 – श्री संतोष गंगवार

[हिन्दी]

सेना को खाद्य सामग्री की आपूर्ति

+

***326. श्री संतोष गंगवार :**

श्री रघुनाथ झा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सेना के लिए खाद्य सामग्री की खरीद में कोई अनियमितता होने की बात सामने आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सेना को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने में हुई अनियमितताओं को रोकने हेतु ठोस योजना तैयार की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सेना के लिए सूखे राशन की कुछ मदों और जमें हुए मांस की अधिप्राप्ति/खरीद में अनियमितताओं के कुछ मामले सामने आए हैं।

सूखे राशन की कुछ मदों की खरीद में अनियमितताओं की जांच–पड़ताल जांच अदालत ने की थी। जांच के दौरान मसूर साबुत, काबली चने, पिसे जौ और पिसे हुए चने की व्यवस्था करने और सप्लाई के संबंध में विभिन्न पदाधिकारियों की कार्य प्रणाली और कर्त्तव्यों के निर्वाह में कतिपय त्रुटियां/चूकें सामने आई हैं। जांच अदालत की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी ने तत्कालीन महानिदेशक, पूर्ति और परिवहन, पांच अफसरों और एक जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर के विरुद्ध सैन्य कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई शुरू करने के निदेश दिए हैं। अभ्यारोपित अफसरों में से एक अफसर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में, जांच अदालत की वैधता को चुनौती दी है। इस समय यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

जमे हुए मांस की सप्लाई में अनियमितताओं के मामले में जांच अदालत की कार्रवाई पूरी हो गई है और इसकी सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के लिए प्रस्तुत कर दी गई हैं। इस बीच, जिन अफसरों के विरुद्ध जांच अदालत बिठाई गई थी उनमें से एक अफसर जांच अदालत की कार्यवाहियां रद्द किए जाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में चला गया है।

राशन की अधिप्राप्ति के संबंध में मौजूदा नीति और प्रक्रियायें व्यापक हैं। रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2006 में पर्याप्त सुरक्षोपाय अन्तर्निहित हैं। तथापि, सरकार सतत् प्रक्रिया के रूप में अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार जांच करके उनमें आवश्यक फेरबदल करती रहती है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्सर समाचार–पत्रों में और सभी तरीकों से समझ में आता है कि सेना के अंदर कई स्थानों पर इस प्रकार की अनियमितताएं प्रकाश में आती हैं और उनका बहुत असर होता है। आपको अखबार के माध्यम से संज्ञान में आया होगा कि कई हजारों टन दाल खरीदने पर, जो नेफेड से खरीदी गई थी, उसका एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आया था। उसके कारण माननीय मंत्री जी ने या अधिकारियों ने कुछ बड़े उच्चाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की और वह कार्यवाही अभी भी चल रही है। आपने अपने उत्तर में लिखा है कि एक अधिकारी कोर्ट चले गए और मामला सब–ज्यूडिस हो गया, इसके बाद भी एक अन्य मामले में कोर्ट में चले गए और मामला सब–ज्यूडिस हो गया। कोई व्यक्ति गलत काम करे और फिर कोर्ट में चला जाए, पूरे चार के चार ट्रक लीकर पंजाब में जाकर अनधिकृत रूप से बिक जाए और उसके हिसाब से आप कार्यवाही करें तो फिर इसका क्या अर्थ निकलता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसे इसमें लिखा है – "राशन खरीद की वर्तमान नीति और प्रक्रिया व्यापक है। रक्षा खरीद नियम पुस्तक में पर्याप्त रूप से सुरक्षोपाय विद्यमान हैं।"

[हिन्दी]

इस सब के बाद भी अनिगमितताएं और छोटे पैमाने पर नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर सामने आती हैं। इसमें एक तथ्य सामने आता है कि टैंडर का न दिया जाना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई पारदर्शी व्यवस्था है, जिससे कि लोगों को समझ में आए? सूचना के अधिकार के तहत यह व्यवस्था करनी चाहिए कि कैसे पारदर्शी व्यवस्था रहे, जो सब के संज्ञान में रहे और ऐसी बड़ी घटना न हो पाए।

[अनुवाद]

श्री ए.के. एंटनी : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की सशस्त्र बलों को राशन सप्लाई से संबंधित चिंता को समझता हूं। सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि सशस्त्र बलों को सर्वोत्तम गुणवत्ता के राशन की सप्लाई हो इसी में ही संरक्षण है। जब भी हम अपनी रक्षा खरीद नियम पुस्तक में कोई कमी महसूस करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा कि कभी–कभी इसके बारे में हमें शिकायतें मिलती हैं। जब भी हमें इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। हम उन पर कड़ी कार्रवाई करते हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि दो मामलों को खारिज कर दिया गया है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उन मामलों को खारिज नहीं किया गया है। ये मामले न्यायाल में लंबित हैं। हम उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा शीघ्र निपटाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : अध्यक्ष महोदय, इसमें खरीददारी के मामले में इतनी अधिक शिकायतें और अनियमितताएं हैं, इतना सब–स्टैंडर्ड सामान मिलता है और जो टैंडरिंग प्रोसेस है, उसके तहत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी कभी भी, किसी भी सीएसडी कैंटीन में जाकर

इन चीजों को अगर देखते हैं तो उनकी क्वालिटी उनकी समझ में आती है कि किस क्वालिटी को हम जो सैन्य अधिकारी और जवान हैं, उनके परिवारों को दे रहे हैं। क्वालिटी के स्टैंडर्ड का कोई वैरीफिकेशन नहीं है और यह नित्य आता है कि सेना का सामान बाजार में बिक रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे पहले प्रोजन मांस के बारे में कहा गया था। यह भी समझ में आ रहा है कि सन् 2006 में आपने प्रक्रिया बनाई है, परन्तु उसके बाद भी अनियमितताएं हो रही हैं। अगर ये अनियमितताएं हो रही हैं तो इन्हें कैसे कम किया जाए? मैंने यह नहीं कहा कि मुकद्दमें खत्म हो गए हैं, मैंने यह कहा है कि अगर न्यायालय में एक बार मुकद्दमा चला जाए तो आपकी प्रक्रिया इससे लम्बित हो जाती है और फिर पैंडिंग रहती है। यह सेना का इतना बड़ा कार्यक्षेत्र है, इसमें अगर हमने क्वालिटी को दुरुस्त नहीं किया, क्वालिटी के साथ समझौता कर लिया तो हमारा जो लक्ष्य है, उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : हम चाहते हैं कि आपकी मॉनिटरिंग कमेटी, जो सीएसडी कैंटीन सामान की सप्लाई के लिए है, वह इस ढंग से काम करे, जिससे कि समय-समय पर इसे चैक कर सके, अध्ययन कर सके और समय-समय पर आपको इसकी जानकारी दे सके।

[अनुवाद]

श्री ए. के. एंटनी : मुझे माननीय सदस्य का प्रस्ताव स्वीकार करने में प्रसन्नता है। मैं अगले महीने अथवा संसद सत्र समाप्त होने के बाद कभी भी कैंटीनों का दौरा करूंगा। हम कैंटीन समिति के कार्यकरण के बारे में और अधिक गहन निगरानी करने के लिए भी प्रबंध करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सेना के अन्दर मीटर, दाल, शराब आदि की सप्लाई में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है और इसमें बड़े-बड़े अधिकारी लगे हुए हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि इन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उसमें उन्हें दोषी करार दिया। हम दो बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, एक बात -- इन्होंने दोनों प्रश्नों के बारे में कहा कि वे ज्यूडिशियल कोर्ट में चले गए और इस कारण से कार्रवाई उस पर रुकी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया है कि सीधे केस किया गया है? अगर स्टे ऑर्डर दिया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी की बात से संतुष्ट हूं, लेकिन अगर कोर्ट से स्टे नहीं हुआ है तो मंत्री जी को कार्रवाई करने में क्या कठिनाई है? दूसरे कोई पारदर्शी व्यवस्था देश में हो, जिस पर देश नाज़ करता है, वहां इस तरह की व्यवस्था हो कि उनको खाने में घटिया दाल दे दें, घटिया किस्म की शराब दे दें और सड़ा हुआ मीट दे दें तो दाल में जो काला हो रहा है, उसको सुधारने के लिए मंत्री जी कोई पारदर्शी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं या नहीं, यही मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे कैन्टीनों का दौरा करेंगे।

श्री ए. के. एंटनी : वस्तुतः, सेना को मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाती है। नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के माध्यम से चावल, गेहूं और चीनी की सप्लाई की जा रही है। जहां तक दालों, चाय और खाद्य तेल का संबंध है, सेना को इनकी सप्लाई केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से की जा रही है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि इन सभी मामलों में भ्रष्टाचार होता है। इसलिए हम समय-समय पर कठोर प्रावधान बनाने की कोशिश करते हैं। माननीय सदस्य ने दो मामलों का उल्लेख किया है। एक मामले में यद्यपि लिखित रूप में स्थगन आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन न्यायालय ने इस मामले में प्रतीक्षा करने का मौखिक निर्णय दिया है और यह मामला लगभग निपटने वाला ही है। इसमें सुनवाई समाप्त हो गई है और किसी भी समय फैसला आ सकता है। दूसरे मामले के संबंध में हम प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : महोदय, यह तो आज तक हमने नहीं सुना है कि कोई वर्बल ऑर्डर दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गई, वह मौका चला गया।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, कुछ वर्ष पूर्व सेना को सप्लाई जाने वाले मांस की जांच की गई थी। हरियाणा में दस आपूर्तिकर्ताओं की नियमानुसार जांच की गई और यह पाया गया कि वे गंभीर रूप से बीमार भेड़ और बकरी के मांस की आपूर्ति करते थे। उन जानवरों को निमोनिया और अनेक अन्य बीमारियां थीं। उनमें से अधिकांश जानवरों को बूचड़खानों में भी बीमार जानवर कहकर नामंजूर कर दिया। उस

समय मैंने शिकायत में कहा था कि इन बूचड़खानों के मालिकों की जांच की जाए। लेकिन यह कार्य निजी फर्मों द्वारा किया जा रहा था और ये सभी 15 या 20 वर्षों से मांस आपूर्ति करने वाले ठेकेदार रहे हैं।

मुझे संसद में आश्वासन दिया गया कि उन सभी ठेकेदारों को काली सूची में डाल दिया गया है। लेकिन मुझे यह असत्य लगा। उनमें से एक भी ठेकेदार को काली सूची में नहीं डाला गया है और किसी की भी जांच नहीं की गई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या अब आप उस आश्वासन को पूरा करेंगे क्योंकि सेना को आपूर्ति किया जाने वाला मांस हानिकारक है।

श्री ए. के. एंटनी : हमें कभी-कभार प्रशीतन मांस आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं। जब कभी हमें शिकायत मिलती है, हम कार्यवाही करते हैं। लेकिन मेरे पूर्ववर्ती मंत्री द्वारा इस संबंध में दिए गए विशेष आश्वासन के संबंध में माननीय सदस्या मुझे पत्र भेज सकती हैं और मैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेफेड एक सहकारी संस्था है। इसके यहां न ही किसी चीज का उत्पादन होता है और न यह किसी चीज का होल सेल विक्रेता है। इसके बावजूद सेना को या अन्य कई जगह मेफेड के माध्यम से किसी चीज की आपूर्ति की जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बिचौलिए को बीच में पैसा खाने और मिलीभगत करने का लाइसेंस प्रदान करती है?

[अनुवाद]

श्री ए. के. एंटनी : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, अभी जिन वस्तुओं की आपूर्ति करा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मेफेड न तो उत्पादन करता है और न होल सेल विक्रेता है, लेकिन उसको माध्यम से अगर आप आपूर्ति कराते हैं, तो क्या बीच में बिचौलिए को आप माल कमाने का लाइसेंस दे रहे हैं? हम आपसे यह जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए. के. एंटनी : ये सभी सरकारी उपक्रम अथवा सहकारी समितियां हैं। हम मुख्यतः इस आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सहमारी समितियों से सामान खरीद रहे हैं कि वे हमें बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं सप्लाई करेंगे लेकिन फिर भी इस प्रकार के कदाचार हैं। हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और सहकारी समितियां यह सुनिश्चित करें कि वे केवल बढ़िया गुणवत्ता वाली वस्तुएं ही खरीदें। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी संस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं ही खरीदें।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : महोदय, जिस प्रकार से सेनाओं के विविध अंगों की खरीद की एक निश्चित प्रणाली है, चाहे वह शस्त्रों की खरीद हो या खाद्यान्न की खरीद हो, रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की थी कि जो खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं होती है, जैसी कि आवश्यक होती है। यद्यपि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हम राज्य सरकारों के द्वारा, केन्द्र सरकार की जो एजेंसियां होती हैं, उनसे हम खरीदते हैं। इसके बावजूद भी क्वालिटी ठीक नहीं होती है और समिति ने इसके ऊपर चिंता व्यक्त की थी और यह कहा था कि उस प्रणाली को और सशक्त और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। क्या आपने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है?

[अनुवाद]

श्री ए. के. एंटनी : चूंकि हमें काफी शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए हम समय-समय पर प्रक्रियाओं को कड़ा बनाते हैं। रक्षा नियम पुस्तक, 2006 में भी प्रक्रियाओं को कठोर बनाने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : महोदय, जो खाद्यान्न सावुत मसूर, काबुली चने हैं, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि जब अपने देश में इतने अच्छे चने हैं, तो काबुल से चने मंगाने की क्या आवश्यकता है? काबुल के चने लाने से इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है। मेरा कहना है कि खाद्यान्नों के संबंध में भी सेना में करप्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए सेनाओं को अच्छी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। दिल्ली के उच्चतम न्यायालय में एक केस है। मेरा प्रश्न है कि क्या इस तरह के करप्शन के केस के लिए आर्मी को न्यायालय जाने का अधिकार है?

अध्यक्ष महोदय : मामले के खिलाफ सप्लायर गया है। यहां मिलिट्री नहीं गया है, सप्लायर गया है।

[अनुवाद]

श्री ए. के. एंटनी : विभिन्न न्यायालयों में अनेक मामले लंबित हैं। भारत के विभिन्न न्यायालयों में 8,000 मामले लंबित हैं। सेवा मामलों,

आदि के बारे में सेना को भी न्यायालय जाने की अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार अभिकरण विधेयक पुनःस्थापित करने पर विचार कर रही है। मुझे आशा है कि इससे ऐसे मामलों की संख्या में कमी आयेगी। मुझे अगले सत्र में आपकी सहायता से इस विधेयक के पारित होने की आशा है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि बड़े पैमाने पर जो रक्षा के जवानों और अधिकारियों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी जो आप के पास सिस्टम है, क्या खाद्य सप्लाई करने वाले, जिनकी गुणवत्ता खराब आ रही है, उनकी जांच के लिए कोई व्यवस्था आपके पास है?

[अनुवाद]

श्री ए. के. एंटनी : मैंने यह नहीं कहा कि बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। निःसंदेह अनियमितताएं हुई हैं। जब कभी हमें अनियमितताओं का पता चलता है, हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, किसी भी हस्तक्षेप का उत्तर मत दीजिए।

श्री ए. के. एंटनी : जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि मुख्य कठिनाई यह है कि अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त करने की आशा से हम अधिकांश वस्तुएं या तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या सहकारी समितियों से प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वहां से भी हमें सदैव गुणवत्ता वाली वस्तुएं नहीं मिलती हैं। अनेक शिकायतें मिलने के बाद वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में हमने निर्णय लिया है कि खाद्य निरीक्षक नियमित रूप से गुणवत्ता की जांच करेंगे, इसके अलावा हम अन्य उपाय भी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

विदेशों में पर्यटन कार्यालय

*327. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री वी. के. दुग्गर :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय विदेशों में चल रहे पर्यटन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों की उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) क्या इन पर्यटन कार्यालयों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में ऐसे ही कुछ और नये कार्यालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विदेश में 13 भारत पर्यटन कार्यालय हैं, जो न्यूयार्क, लॉस एंजिलस, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, मिलान, एम्सटरडम, लंदन, दुबई, जोहान्सबर्ग, टोक्यो, सिडनी और सिंगापुर में स्थित हैं। विदेश स्थित कार्यालय, विदेश के महत्वपूर्ण एवं उभरते बाजारों में, एक पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के उद्देश्य से, अनेकों संवर्धनात्मक कार्यकलाप कर रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटक आगमनों और विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसका ब्यौरा, नीचे दिया गया है।

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	प्रतिशत वृद्धि	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रु. में)	प्रतिशत वृद्धि
2004	3.46 मिलियन	+26.6%	21603	+21.5%
2005	3.92 मिलियन	+13.2%	25172	+16.5%
2006 (नवम्बर तक)	3.88 मिलियन	+12.9%	25934	+16.9%

(ख) और (ग) इन विदेश कार्यालयों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना और मॉनीटरिंग करना निरंतर एवं सतत् प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) विदेशों में भारत पर्यटन की प्रभावी मार्केटिंग सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्यटन मंत्रालय, उभरते और संभावित बाजारों में लक्ष्यों और बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार विदेशों में नए भारत पर्यटन कार्यालय खोलने की आवश्यकता की निरंतर समीक्षा करता है।

श्री एम. अंजनकुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय विदेशों में चल

रहे पर्यटन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों की क्या उपलब्धि रही है? क्या इन पर्यटन कार्यालयों की पर्फॉर्मेंस की समीक्षा की गई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कार्यनिष्पादन की समीक्षा कर रहे हैं। आप पहले ही यह कह चुके हैं।

श्रीमती अम्बिका सोनी : जी हां, महोदय, आज की स्थिति के अनुसार विदेशों में भारत के 13 पर्यटन कार्यालय हैं। मेरे पास उन 13 कार्यालयों के नाम हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप पहले ही उनका उल्लेख कर चुकी हैं।

श्रीमती अम्बिका सोनी : आज विदेशों में 13 पर्यटन कार्यालय हैं। पहले 18 कार्यालय थे। वर्ष 2002 में उनमें से पांच कार्यालयों को बंद कर दिया गया। हमने 6 और कार्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा है। हमने एक सर्वेक्षण भी कराया था। हमें तीन और कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। हमने विभिन्न क्षेत्रों, जहां हम पर्यटन कार्यालय खोलना चाहते हैं, की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण भी कराया है। हाल के वर्षों में विशेषकर से पिछले तीन वर्षों में पर्यटन कई गुना बढ़ा है। जैसाकि मैंने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि नवम्बर तक भारत में लगभग 40 लाख विदेशी पर्यटक आए। इस तरह ये पर्यटन कार्यालय इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देते हैं और संवर्धनात्मक अभियान चलाते हैं। वे 'अतुल्य भारत' जैसे रोड शो भी आयोजित करते हैं। वे टूर ऑपरेटरों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखते हैं। हम विश्व के विभिन्न भागों में आयोजित प्रदर्शनियों और यात्रा मेले में भाग लेते हैं। इसके बावजूद उनके पास सीमित संसाधन हैं। एक निश्चित राशि के बाद उन्हें अपनी परियोजनाएं पूरी करने के लिए मुख्यालय से अनुमति लेनी होती है। उन्हें प्रत्येक माह मंत्रालय को पास एक रिपोर्ट भेजनी होती है और तत्पश्चात् किए गए विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजनी होती है। कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए हमने अध्ययन और सर्वेक्षण कराए हैं। विदेशों में कार्यरत 13 भारतीय पर्यटन कार्यालयों से सकारात्मक जानकारी मिलने के बाद ही सरकार ने तीन अन्य और कार्यालय खोलने की हमें अनुमति दी है। हमारी चीन, रूस और लेटिन अमेरिका क्षेत्र में एक और देश जैसे संभाव्य बाजारों पर नजर है।

[हिन्दी]

श्री एम. अंजनकुमार यादव : इन कार्यालयों को खोलने का क्या परिणाम निकलेगा? क्या सरकार कुछ नये कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

श्रीमती अम्बिका सोनी : हमें तीन और कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। हाल के वर्षों में हमने अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। हाल ही में, हमने लंदन में डब्ल्यू टी एम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी आयोजित की है। हमें सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन करने के लिए तथा ग्रामीण पर्यटन के लिए चार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हम मार्च 2007 में बर्लिन में भागीदार देश बनने जा रहे हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2008 में पाटा सम्मेलन का आंध्र प्रदेश में आयोजन किया जायेगा।

श्रीमती एम. एस. के. भवानी राजेन्द्रीरन : महोदय, मुझे अनुमति देने के लिए धन्यवाद। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि भारत के कितने देशों में पर्यटन कार्यालय हैं। विदेशों में हमारे कार्यालय हैं। इसी प्रकार, भारत में कितने देशों के पर्यटन कार्यालय हैं?

वे किस प्रकार कार्य करते हैं? मैं यह भी बताना चाहूंगी कि क्या वे संघ सरकार को कोई वार्षिक रिपोर्ट भी देते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विदेश में हमारे पर्यटन कार्यालयों के बारे में है।

मंत्री महोदया, अगर आप इसका उत्तर दे सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, संपूर्ण ब्यौरा लिखित विवरण के रूप में माननीय सदस्य को दिया जा सकता है, लेकिन इस समय मेरे पास कुछ ब्यौरे हैं। हमारे देश में मलेशिया के तीन, थाईलैण्ड का एक, सिंगापुर के तीन तथा मकाओ के तीन कार्यालय काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में फिलिपींस, कोरिया, नेपाल, दुबई तथा तुर्की के पर्यटन कार्यालय हैं। हाल ही में, जब चीन के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की, उन्होंने यहां एक कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। इसके अलावा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाईटेड किंगडम, आयरलैंड तथा स्विटजरलैंड के भी पर्यटन कार्यालय भारत में स्थित हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में कई देशों के कार्यालय हैं।

श्री विनोद खन्ना : अध्यक्ष महोदय, भारत एक विशाल देश है तथा सौभाग्यवश जब 'अतुलनीय भारत' अभियान आरम्भ किया गया था तो मैं भी इसका एक हिस्सा था। देश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने में इसका क्या योगदान रहा है।

महोदय, जहां तक पर्यटन का संबंध है, प्रत्येक देश की अपनी एक विशेषता है। विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालय कितनी सूक्ष्मता से हमारे देश में राज्य पर्यटन कार्यालयों के साथ कार्य करते हैं? क्या वे उन्हें एक समानता के आधार पर बढ़ावा देते हैं अथवा क्या कतिपय राज्यों को अधिक वरियता देते हैं तथ क्या मानदण्ड हैं जिनसे आप यह परिकलित करते हैं कि कितने विदेशी पर्यटन देश में आए तथा किस राज्य में आए?

अध्यक्ष महोदय : आपने कई प्रश्न पूछ लिये हैं।

मंत्री महोदय, आप विदेशों में हमारे पर्यटन कार्यालयों से संबंधित प्रश्न का उत्तर दें।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, माननीय सदस्य मुझसे पहले इस पद पर आसीन रह चुके हैं। यह सच है कि 'अतुलनीय भारत' अभियान कुछ वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था। समय के साथ यह अभियान काफी तेज हो गया। प्रोत्साहन अभियान को अधिक बल दिया गया। 'अतुलनीय भारत' का 'लोगो' अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब लोगों के मस्तिष्क में घर बना चुका है जबकि जब यह आरम्भ किया गया था तो ऐसा नहीं था। परन्तु कोई भी व्यक्ति इस पहल का सेहरा अपने सिर नहीं बांध रहा है चूंकि यह भारत सरकार की नीति है। इसे सफलतापूर्वक आरंभ किया गया था तथा इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

महोदय, हमारे पास दूरस्थ लेखांकन प्रणाली है जिनके माध्यम से हम आने वाले पर्यटकों का ब्यौरा प्राप्त करने, उनके द्वारा किए गए व्यय, उनमें से कितने अलग–अलग देशों से आए का ब्यौरा प्राप्त करने में सक्षम हैं। हमारे देश में सांस्कृतिक रुचि के स्थान भी हैं जहां वे दौरा करते हैं तथा टिकट की बिक्री से हम यह निर्णय लेने में सक्षम हैं कि उनके द्वारा कितने शहरों अथवा क्षेत्रों का अधिक दौरा किया गया।

स्वभाविक रूप से, विदेशों में हमारे कार्यालय लगातार हमारे राज्यों के साथ संपर्क में रहते हैं। हमारे राज्यों के पर्यटक विभाग भी विदेशों में हमारे पर्यटक कार्यालयों के संपर्क में रहते हैं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ राज्य इस मामले में अग्रणी हैं चूंकि उन्होंने विशेष पर्यटन रुचि की चीजों का विकास किया है जैसे केरल, गोवा तथा अनेक अन्य राज्य। उत्तरपूर्वी क्षेत्र साहसिक पर्यटन तथा हिमालयी पर्यटन की पेशकश कर रहे हैं। मौसम के आधार पर, वर्ष के समय के आधार पर, हम वर्ष के 365 दिन के आधार पर भारत में पर्यटन की पेशकश कर रहे हैं। इसलिए, भारत के कुछ राज्यों अथवा कुछ क्षेत्रों में भारत हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। परन्तु मैं अपने माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि विदेशों में हमारे पर्यटन कार्यालय पर्यटन के उन उत्पादों जिन्हें विकसित किया गया है तथा जो क्षेत्र में अत्यंत मांग में हैं उन्हें उधार पर देकर पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जवाब में कहा कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम हैं। वैसे हमारे देश में टूरिज्म के लिए काफी पोटैंशियल है। आज जब दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग इंडस्ट्री यदि कोई है तो वह टूरिज्म इंडस्ट्री है। हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए यदि सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर कहीं हैं तो वह टूरिज्म में हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आने वाले बजट में टूरिज्म के लिए अधिक धन का प्रावधान किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इसमें एराइज नहीं करता।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि रिसोर्सेज की कमी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विदेश में पर्यटन कार्यालयों के संबंध में है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मंत्री जी कह रहे हैं कि हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप प्रश्न पूछिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते : इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल उचित है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उचित है,

[अनुवाद]

न कि इस प्रश्न के अंतर्गत।

श्रीमती अम्बिका सोनी : यह इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है, परन्तु आपने हमेशा से ही भारत दर्शन को प्रोत्साहन दिया है। जब भी पर्यटन मंत्रालय के पास प्रश्न आता है, आप सभा को भारत दर्शन यात्रा पर ले जाते हैं। निःसंदेह,

[हिन्दी]

हमारा प्रयास बराबर रहता है कि हर बजट में पर्यटन मंत्रालय को कुछ अधिक साधन उपलब्ध करवाये जायें। लेकिन हमारा मानना है कि टूरिज्म एक इकोनॉमिक ड्राइवर होने के कारण मैक्सिमम इम्प्लायमेंट जनरेट करने, रिर्सोसेज मोबलाइज करने का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसको मदेनजर रखते हुए हमारी सरकार ने प्रयास किये हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा होटल इंडस्ट्री हों, कल्चरल हैरीटेज की साइड्स हों, इन सबको हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत प्राइवेट कैपीटल के साथ, कोरपोरेट हाउसेस की मदद के साथ डेवलप करें, तो ज्यादा उचित है क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में आज पर्यटन मंत्रालय उस तरह से आगे नहीं आता। हम खुद प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कर सकें, संख्या बढ़ा सकें ताकि इस मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को टूरिज्म के जरिये डायरेक्ट और इन–डायरेक्ट इम्प्लायमेंट मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 328 :

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे – उपस्थित नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी – उपस्थित नहीं।

डा. वल्लभभाई कथीरिया – उपस्थित नहीं।

श्री हरिन पाठक।

गैस की दुलाई

+

***329. श्री हरिन पाठक :**

डा. वल्लभभाई कथीरिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न क्षेत्रों में गैस की दुलाई के लिए दुलाई प्रभार निर्धारित करने के लिए क्या मापदंड/मानदंड हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने मौजूदा नीति में परिवर्तन की मांग की है और कम दूरी पर गैस की दुलाई में कम लागत को देखते हुए कुछ लाभ देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दुलाई प्रभार की गणना पूरी संविदा अवधि के लिए की जाती है और निवेश और पाइपलाइन/गैस स्रोत की आर्थिक जीवन के विशिष्ट होती है। इसकी गणना अनुमानित पूंजी लागत, ओ एंड एम व्यय, अनुमानित जनशक्ति लागत, संविदा की अवधि, युक्तियुक्त दर आदि की प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

तथापि ट्रंक लाइनों नामतः हजीरा–विजयवाड़ा–जगदीशपुर (एचवीजे) पाइपलाइन और दाहेज–विजयपुर पाइपलाइन (डीवीपीएल) के मामले में मूल्य वृद्धि फार्मूले सहित 831 रुपये/एमएससीएम का संयुक्त एकल शुल्क 1.6.2006 से अपनाया जा रहा है। तथापि गुजरात के ग्राहकों को फायदा देने के लिए गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल) की डीवीपीएल के साथ कनेक्टिविटी के लिए प्रशुल्क 280 रुपये/एमएससीएम रखा गया है।

(ख) और (ग) गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसीएल) ने अनुरोध किया है कि पूर्ण डिवीपीएल पारेषण प्रभार गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल) से गेल पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से प्रवाहित होने वाली गैस के लिए जीएसपीएल पाइपलाइन नेटवर्क में प्रवेश होने से पहले प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए, तथापि गुजरात सरकार की ओर से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

ट्रांसमिशन कार्पोशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (एपीटीआरएएन एससीओ) ने अनुरोध किया कि केजी बेसिन नेटवर्क में विद्युत परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रशुल्क कम किया जाना चाहिए, ऐसा आंध्र प्रदेश से प्राप्त अनुरोध के बाद किया गया।

(घ) गुजरात के ग्राहकों को फायदे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1.6.2006 से निर्णय लिया है कि डीवीपीएल के प्रयोग के लिए 831 रुपये/एमएससीएम के सुयंक्त एकल प्रशुल्क का भुगतान जीएसपीएल के ग्राहकों द्वारा किए जाने की जरूरत नहीं है और डीवीपीएल को जीएसपीएल के कनेक्टीविटी प्रभार केवल 280 रुपये/एमएससीएम रखे गए।

सरकार ने केजी बेसिन गैस आपूर्ति नेटवर्क के ढुलाई प्रशुल्क में इन नेटवर्कों पर सभी ग्राहकों के लिए निम्नानुसार संशोधन किया है:

तातीपाका–काकीनाड़ा–कोवूर नेटवर्क – 413 रुपये/एमएससीएम

तातीपाका–कोंडापल्ली नेटवर्क – 1,056 रुपये/एमएससीएम

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मंत्री जी गुजरात के हैं और पड़ोस में जो मंत्री जी बैठे हैं, वे भी ओरिजनली गुजरात के हैं। लेकिन दोनों जगह से गुजरात को जितना न्याय मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं?

श्री हरिन पाठक : प्रश्न पूछने के लिए जरूरी है कि मैं पहले यह बात रखूं।

अध्यक्ष महोदय : इतना समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : आज वैसे भी बहुत से माननीय सदस्य नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रश्न पूछिये।

श्री हरिन पाठक : मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हजीरा–विजयवाड़ा–जगदीशपुर पूरी पाइप लाइन गुजरात से लेकर सुल्तानपुर, यू.पी. तक बिछी हुई है। यह जो गैस पाइप लाइन बिछी हुई है, उसमें से गुजरात को जो गैस दी जाती है। मैं ज्यादा विवरण नहीं दूंगा, लेकिन कहना चाहूंगा कि दो बड़ी रिफाइनरीज हैं – एक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की बड़ोदरा में और दूसरी रिलायंस की जामनगर में है। इमपैरिटी है कि पूरी पाइप लाइन इन प्रदेशों के साथ–साथ गुजरात से भी गुजरती है। लेकिन फिर भी हमें वही चार्ज देना पड़ता है जो सुल्तानपुर, दिल्ली या मध्य प्रदेश को देना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि वह जो इमपैरिटी है, मैं इस बात को कोयले के साथ जोड़ना चाहता हूं। यह अन्याय इसलिए है कि जब बिहार, झारखंड से कोयला आता है, तो हमें डिस्टैंस के आधार पर उसका फ्रेट देना पड़ता है, जबकि गैस पाइप लाइन में हमें डिस्टैंस के आधार पर वह पैसा नहीं देना पड़ता। इसलिए हमें वह फायदा नहीं मिलता। वह गैसपाइप लाइन हमारे आंगन से जाती है फिर भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की वही प्राइज देनी पड़ती है, जो बाकी के राज्यों को देनी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप अंतर को देखते हुए गुजरात को फ्रेट इक्विलाइजेशन के आधार पर पाइप लाइन के जरिये गैस देने के बारे में विचार करेंगे?

श्री दिनशा पटेल : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें एक बात सही है कि दो टाइप की पाइपलाइन होती है, एक तो ट्रंकलाइन होती है और दूसरी जो ट्रंकलाइन से जुड़ी हुई नहीं होती है, वह पाइपलाइन होती है। गुजरात के बारे में आपने यह जो प्रश्न उठाया है कि जीएसपीसीएल को गैस कम रेट पर क्यों नहीं दी जाती है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए टैरिफ कमीशन के आधार पर रेट तय किए जाते हैं। टैरिफ कमीशन जो रेट तय करता है, उसमें कैपिटल कॉस्ट भी तय की जाती है, ऑपरेशन मेंटीनेंस की कॉस्ट तय की जाती है, मैनपावर को भी गिना जाता है, पाइपलाइन कितने लम्बे समय तक चलेगी, उसको भी देखा जाता है, उसका रिटर्न कितना होगा वह भी तय किया जाता है और 12 प्रतिशत रिटर्न मिले उसके लिए भी तय किया जाता है। इसके लिए टैरिफ कमीशन ने जो फार्मूला बनाया है उसमें गैस प्राइस, फार्मूला चार्ज, इन्फ्लेशन और वाल्यूम, इन सभी के लिए यह प्राइस बनाई जाती है। इसके बारे में यह भी बताना चाहिए कि गुजरात सरकार ने इसके लिए लिखा है या नहीं। गुजरात सरकार ने इसके बारे में अभी तक नहीं लिखा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, रिप्लाई में भी लिखा है कि गुजरात सरकार की ओर से ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री दिनशा पटेल : महोदय, सरकार ने इसके लिए लिखा नहीं है। गुजरात पेट्रोलियम कारपोरेशन ने यह रिप्रजेण्ट किया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि टैरिफ कमीशन ने जो 831 रुपये रेट तय किया है, उससे भी कम रेट पर, 280 रुपये की दर पर पेट्रोलियम कारपोरेशन को दिया जा रहा है।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा कहना है कि आप जीएसपीसीएल को तो 280 रुपये की दर से देते हैं, लेकिन आईओसी और जामनगर को तो वही भाव देना पड़ता है जो गुजरात में पाइपलाइन होते हुए भी यू.पी. को देना पड़ता है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे प्रश्न को समझ चुके हैं और गुजरात को न्याय मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। अब मैं अपने दूसरे प्रश्न पर आता हूं। उन्होंने अपने उत्तर के खण्ड बी और सी में कहा है:

[अनुवाद]

"गुजरात राज्य पेट्रोलियम कारपोरेशन (जीएसपीसीएल) ने यह अनुरोध किया है कि जीएसपीएल पाइपलाइन नेटवर्क में प्रवेश होने से पूर्व तथा गेल पाइपलाइन से प्राप्त होने वाली गैस के लिए गुजरात राज्य पेट्रोनेट लि. (जीएसपीएल) से संपूर्ण डीबीपीएल पारेषण प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

लेकिन जब यह जीएसपीसीएल में आती है, उससे पहले भी चार्ज लिया जाता है। मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। जीएसपीसीएल सरकार का ही एक उपक्रम है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो क्या आप गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की इस मांग को स्वीकार करेंगे?

श्री दिनशा पटेल : महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया और 831 रुपये के बदले में 280 रुपये के रेट से दिया जा रहा है, इसलिए अब जीएसपीसीएल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसीलिए यह बताया है कि जीएसपीसीएल का कॉरपोरेशन है। कारपोरेशन की बात अलग है और सरकार की बात अलग है, जैसा कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी लिखा है और कारपोरेशन ने भी रिक्वेस्ट दी है।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मेरा सवाल केवल इतना ही है कि क्या आप हमें डिस्टेंस के आधार पर कम टैरिफ पर गैस देंगे क्योंकि कोयले मे डिस्टेंस के आधार पर ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ ज्यादा देनी पड़ती है जिससे हमें नुकसान होता है। क्या आप गैस भी उसी तरह डिस्टेंस के आधार पर कम टैरिफ पर देंगे?

श्री पी. एस. गढ़वी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और जैसा कि माननीय सदस्य श्री हरिन पाठक जी ने भी कहा है कि डिस्टेंस के आधार पर जिस तरह कोयले में राहत दी जाती है, क्या उसी प्रकार गैस के बारे में हमें टैरिफ में राहत दी जायेगी?

श्री दिनशा पटेल : महोदय, टैरिफ कमीशन के द्वारा यह रेट तय किया जाता है। रेगुलेटरी बोर्ड का बिल इस सदन और राज्यसभा से पास हो गया है, उसका ऐक्ट भी बन गया है। दो–तीन महीनों में रेगुलेटरी बोर्ड काम करने लगेगा, तब उसके बारे में सोचेंगे और जो कुछ करने की आवश्यकता होगी, किया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अंतिम अनुपूरक प्रश्न

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार की मांग यह थी कि उनकी गैस पर रायल्टी देने के बजाय, एक कोटा है जिसे गुजरात सरकार को आबंटित किया जाना चाहिए, तथा यह गुजरात सरकार के लिए 25 प्रतिशत से कम कोटे की मांग नहीं कर रहा था।

महोदय, रायल्टी देने की बजाय, उन्हें गैस का कोटा दिया जाना चाहिए, जो कि 25 प्रतिशत है तथा फिर इसे गुजरात सरकार बेच सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दिया जा चुका है। आप केवल हां या नहीं में कह दें।

श्री दिनशा पटेल : यह बात सोचेंगे और फिर बतायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

लाइसेंस फीस में वृद्धि

***322. श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर अनुसूचित जाति वर्ग के छोटे 'टी स्टाल' ठेकेदारों की लाइसेंस फीस में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में लाइसेंस जारी करने के पहले ठेके की व्यवहार्यता से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में लाइसेंस शुल्क आरक्षित कोटे की खानपान/वैंडिंग इकाइयों सहित सभी कोटियों के लिए एक समान है। खानपान/वैंडिंग इकाइयों के लाइसेंस शुल्क के प्रतिशत को समय–समय पर युक्तिसंगत बनाया जाता है। लाइसेंस शुल्क को पिछली बार वर्ष 1999 में युक्तिसंगत बनाया गया था और यह वार्षिक कुल बिक्री का 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। यह राजधानी/शताब्दी गाड़ियों को छोड़कर जिनके लिए लाइसेंस शुल्क वार्षिक कुल बिक्री का 15 प्रतिशत है, खानपान इकाइयों एवं लाइसेंसधारियों की सभी कोटियों के लिए एक समान है।

(ग) और (घ) नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय रेलें और आईआरसीटीसी आबंटन और नवीकरण करते समय वास्तविक बिक्री मूल्यांकन पर आधारित लाइसेंस शुल्क निर्धारित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि वह लाइसेंस शुल्क न्यूनतम लाइसेंस शुल्क से कम न हो, जिसका मूल्यांकन युक्तिसंगत कारकों जैसे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), खरीददारी शक्ति, भूमि मूल्य, ग्राहकों की किस्म, यात्रियों की संख्या, इकाई की अवस्थिति, पिछली कुल बिक्री आदि के आधार पर किया जाना है। कुल बिक्री का 12 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क निर्धारित करते समय ऐसे कारोबार के लिए उपलब्ध मुनाफा गुंजाइश सहित, ऐसे ठेकों की अर्थक्षमता हेतु प्रासंगिक कारकों पर विधिवत विचार किया गया था।

स्मारकों को देखने हेतु प्रवेश-शुल्क

***324. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्मारकों को देखने हेतु लगाए गए प्रवेश–शुल्क से प्राप्त राजस्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) को नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है जिससे स्मारकों को देखने हेतु लगाए गए प्रवेश–शुल्क से प्राप्त राजस्व में से उचित हिस्सा ए.एस.आई. को प्राप्त हो; और

(घ) और अधिक स्मारकों को केन्द्रीय संरक्षण के अंतर्गत लाने और प्रवेश शुल्क वाले स्मारकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के टिकट लगे (टिकटेड) समारकों पर प्रवेश शुल्क से एकत्र राजस्व को भारत की समेकित निधि में सरकारी खाते में जमा कराया जाता है। यह केन्द्रीय सरकार खाता (प्राप्ति तथा भुगतान) नियम के अनुसार है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए एक अव्यपगत (नॉन–लैप्सेबल) निधि के रूप में इस राजस्व को अपने पास रखने हेतु प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है और इस मामले पर निर्णय की प्रतीक्षा है।

केन्द्रीय संरक्षण के अधीन और अधिक स्मारकों को लाने हेतु प्रस्तावों की प्रत्येक मामले के गुणावगुण (मैरिट) के अनुसार और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार जांच की जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने और अधिक स्मारकों पर प्रवेश शुल्क लगाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्ताव मांगे हैं और क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस मामले पर निर्णय लिया जायेगा।

वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति

***325. श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति (एन.पी.ओ.पी.) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) देश में वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु उक्त नीति के अंतर्गत क्या विशेष योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त नीति को लागू करने हेतु और क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के अनुसार 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्ध माना गया है। यह नीति, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और उपयुक्त रियायत प्रदान करने के अतिरिक्त वृद्धजनों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करती है तथा इन्हें सुदृढ़ करती है। इन रियायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अंशदान को 1 अप्रैल, 2006 से 75 रुपये बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्य सरकारों से कम से कम इस राशि के बराबर अंशदान करने का अनुरोध किया गया है ताकि कम से कम पेंशन राशि 400 रुपये प्रतिमाह की जा सके।

विवरण

वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं/लाभ

(1) **वित्त मंत्रालय**

(क) 65 वर्ष की आयु प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.85 लाख रु. प्रतिवर्ष की आय तक आयकर में छूट की अनुमति दी जाती है।

(ख) वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर ज्यादा ब्याज दर।

(ग) भारत सरकार द्वारा देश में बचत बैंक कार्य करने वाले डाकघरों के माध्यम से डाकघरों में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज दर वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की शुरूआत की गई है।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(क) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की बसों की आगे की पंक्ति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो सीटों का आरक्षण।

(ख) कुछ राज्य सरकारें राज्य सड़क परिवहन उपक्रम की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देती है तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाजनक बस मॉडलों की शुरूआत की जा रही है।

(3) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(क) अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए पंजीकरण और क्लीनिकल जांच हेतु अलग लाइन।

(4) दूरसंचार विभाग

(क) वरिष्ठ नागरिकों के दूरभाष की खराबी/शिकायत को वरिष्ठ नागरिक, श्रेणी जो एक वरीयता श्रेणी है, के अंतर्गत वीआईपी फ्लैग के साथ दर्ज करके वरीयता दी जाती है।

(ख) वरिष्ठ नागरिकों को एन–ओवाईटी विशेष श्रेणी, जो एक वरीयता श्रेणी है, के अंतर्गत दूरभाष कनेक्शन के लिए पंजीकृत करने की अनुमति है।

(5) रेल मंत्रालय

(क) भारतीय रेलवे 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी रेलों सहित सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।

(ख) भारतीय रेलवे में टिकटों की खरीद/बुकिंग/रद्द कराने के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु अलग लाइनों की व्यवस्था है।

(ग) सभी जंक्शन, जिला मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जरूरतमंद और वृद्धजनों के उपयोग के लिए व्हील चेयर उपलब्ध हैं।

(घ) महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्रवेश द्वारों पर व्हील चेयर मूवमेंट के लिए रैंप उपलब्ध हैं।

(ङ) विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर, हैंड रेल और विशेष रूप से तैयार किए गए शौचालय के लिए स्थान प्रावधान वाले विशेषरूप से बनाए गए कोच की शुरूआत की गई है।

(6) नागर विमानन मंत्रालय

(क) इंडियन एयरलाइन ऐसे भारतीय वरिष्ठ पुरुष व महिला नागरिकों, जिन्होंने क्रमशः 65 वर्ष व 63 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, को कतिपय शर्त पूरी करने पर, सभी घरेलू उड़ानों के लिए सामान्य किफायती श्रेणी भाड़े में 50 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक छूट प्रदान कर रहा है।

(ख) एयर इंडिया 60 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप की उड़ानों पर छूट दे रहा है। एयर इंडिया ने अपनी घरेलू उड़ानों पर छूट हेतु 60 वर्ष से अधिक की आयु सीमा को तत्काल प्रभाव से कम करने का निर्णय लिया है।

(7) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(क) अंत्योदय योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, जिसमें वृद्ध व्यक्ति भी शामिल हैं, को 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। चावल 3 रु. प्रति कि. ग्रा. और गेहूं 2 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी वाले 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को, पहचान में वरीयता दी जाती है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कवर न किए गए वरिष्ठ नागरिकों को 10 कि. ग्रा. खाद्यान्न प्रति लाभार्थी प्रतिमाह निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

(ग) उचित मूल्य की दुकानों में राशन देने के लिए 60 वर्ष या इससे अधिक के राशन कार्ड धारियों को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

संग्रहालयों का विकास

*328. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :**
श्री श्रीचन्द कृपलानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संग्रहालयों को बढ़ावा देने संबंधी योजना के अंतर्गत संग्रहालयों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक इस संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मंजूर की गई और जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लम्बित आवेदनों को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां। "क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण" स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) इस स्कीम के तहत प्रस्ताव पर विचार करते समय संबंधित संगठन के स्वरूप, संग्रहालयों की विशेषताओं, तथा इसके अस्तित्व की अवधि और उद्देश्य, जिसके लिए सहायता प्रार्थित है, को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अभी तक प्राप्त आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1.	2004–2005	259
2.	2005–2006	92
3.	2006–2007	91

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान मंजूर तथा जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की संख्या	मंजूर की गई राशि	जारी की गई राशि
1.	2004–2005	36	421.01	315.76
2.	2005–2006	30	586.52	379.91
3.	2006–2007	8	162.22	121.67

(ङ) इस स्कीम के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने 24.11.2006 को आयोजित अपनी अंतिम बैठक की तारीख तक प्राप्त सभी पात्र आवेदनों पर विचार किया है और निर्णय ले लिया है।

[अनुवाद]

निजी कंपनियों को अनुमति

*330. **श्री पुन्नूलाल मोहले :**
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए जिन निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अनुमति प्रदान की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें से प्रत्येक कंपनी द्वारा कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ङ) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि निजी कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अपने दिनांक 8 मार्च, 2002 के संकल्प के द्वारा निजी क्षेत्र सहित नए प्रवेशकों को परिवहन ईंधनों नामतः मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) का विपणन करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने चार निजी कंपनियों नामतः मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), मैसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड (ईओएल), मैसर्स शैल इंडिया मार्किटिंग प्रा. लिमिटेड (एसआईएमपीएल) और मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) को परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए प्राधिकार प्रदान किया है। अब तक इन निजी कंपनियों द्वारा स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या निम्नवत् है:

कंपनी का नाम	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
आरआईएल	1320
ईओएल	1001
एसआईएमपीएल	20
आरपीएल	0

(ङ) ओर (च) सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि निजी कंपनियां आरओज को खोलने के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही हैं। तथापि प्राधिकार प्रदान करते समय दूरदराज के क्षेत्रों और निम्न सेवा क्षेत्रों में आरओज स्थापित करने की बाध्यता और यह कि पात्र कंपनी मौजूदा विपणन कंपनियों के खुदरा नेटवर्क पर अतिक्रमण नहीं करेगी सहित जनहित में समुचित शर्तें लगाई गई हैं।

रेलवे पुलों का पुनर्निर्माण

*331. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, रेलवे पुलों के पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए कोई योजना आरंभ अथवा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(घ) क्या यह आबंटन अपेक्षित मांग के अनुरूप किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) जी, हां। भारतीय रेल पर पुलों का पुनर्स्थापन/मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है। रेलवे उनकी वास्तविक दशा के आधार पर, जैसाकि फील्ड में किए गए नियमित निरीक्षणों के दौरान निर्धारित किया जाता है, पुलों की मरम्मत, पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण करती है। पुलों की इस प्रकार पहचान के आधार पर, आवश्यकता के अनुसार कार्यों का विधिवत् प्राथमिकता–निर्धारण करते हुए उनकी मरम्मत, पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए निधियों का वार्षिक आबंटन किया जाता है। 2001–02 में, भारतीय रेल पर इस प्रकार चिह्नित पुलों के बदलाव के बकाया को समाप्त करने के लिए, विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 1530 करोड़ रुपये (शुद्ध) की लागत पर मरम्मत/पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए 2370 पुलों का कार्य स्वीकृत किया गया था। विशेषिनि के अलावा रेलवे बजट में भी मुख्यतः आरक्षित निधि (मूआनि) के अंतर्गत पुल संबंधी कार्यों की नई उत्पन्न खराबियों की मरम्मत/पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु वार्षिक रूप से अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

पुलों की मरम्मत, पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के आंकड़े क्षेत्रीय रेलवार रखे जाते हैं और राज्यवार नहीं। 01.04.2006 की स्थिति के अनुसार, सभी 16 क्षेत्रीय रेलों पर 3940 पुल मरम्मत/पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए चिह्नित एवं स्वीकृत हैं। इसमें आंध्र प्रदेश राज्य को सेवित करने वाली चार क्षेत्रीय रेलों अर्थात् पूर्व तट रेलवे (पूतरे), दक्षिण मध्य रेलवे (दमरे), दक्षिण रेलवे (दरे) और दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) में 797 अदद पुल भी शामिल हैं।

2006–07 के बजट अनुमान में सभी सोलह क्षेत्रीय रेलों पर पुल संबंधी कार्यों के लिए कुल लगभग 594.0 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं। पुल संबंधी कार्यों के लिए निधियां विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के बीच, उनकी वार्षिक आवश्यकता और वर्ष के दौरान उनके द्वारा पूरा किये जाने के लिए लक्ष्यबद्ध पुल संबंधी कार्यों की संख्या के आधार पर वितरित की जाती है।

आंध्र प्रदेश राज्य को सेवित करने वाली राज्य क्षेत्रीय रेलों पर पुल संबंधी कार्यों के लिए 2006–07 के बजट आबंटन सहित 797 स्वीकृत पुलों का जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	रेलवे	01.04.2006 को चिह्नित एवं स्वीकृत पुलों की संख्या	2006–07 में बजट आबंटन (करोड़ रुपयों में)
1.	पूतरे	124	14.55
2.	दमरे	308	60.82
3.	दरे	303	16.88
4.	दपरे	62	2.65
	जोड़	797	94.90

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आधुनिक संकेत प्रणाली (सिग्नलिंग सिस्टम)

*332. **श्री राकेश सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जोनवार कितने रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक संकेत प्रणाली (सिग्नलिंग सिस्टम) स्थापित की गई है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान आधुनिक संकेत प्रणाली की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) पुरानी संकेत प्रणाली के स्थान पर आधुनिक संकेत प्रणाली की स्थापना का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ऐसे स्टेशनों की संख्या, जहां आधुनिक सिग्नल प्रणाली, यथा रिले आधारित पैनल, इलैक्ट्रॉनिक एवं बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों सहित लट रिले अंतर्पाशन की व्यवस्था की गई है, नीचे लिखे अनुसार हैं:

रेलवे	तीन वर्ष की प्रगति (स्टेशनों की संख्या)	पिछले तीन वर्ष के दौरान व्यय (करोड़ रुपयों में)
मध्य	86	130.48
पूर्व	79	142.64
पूर्व मध्य	71	153.50
पूर्व तट	47	184.03
उत्तर	110	180.88
पूर्वोत्तर	32	48.00
पूर्वोत्तर सीमा	70	154.51
उत्तर मध्य	40	104.00
उत्तर पश्चिम	50	75.69
दक्षिण मध्य	122	82.78
दक्षिण	95	169.34
दक्षिण पूर्व मध्य	41	113.81
दक्षिण पश्चिम	52	27.65
दक्षिण पूर्व	46	80.50
पश्चिम	83	50.88
पश्चिम मध्य	62	137.38
जोड़	1086	1836.05

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान आधुनिक सिग्नल प्रणाली संस्थापना के लिए 594 स्टेशनों का बढ़ा हुआ लक्ष्य निर्धारित किया गया है और नवम्बर, 2006 तक 230 स्टेशनों का कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ग) मार्च, 2001 तक बदलाव की अपेक्षा रखने वाली पुरानी सिग्नल प्रणाली को 31.10.2006 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। पुरानी सिग्नल प्रणाली के बदलाव के अनुवर्ती प्रोद्भवन का नियमित रूप से निर्माण कार्यक्रम में प्रस्ताव किया जाता है जो स्वीकृत किए जाते हैं उन्हें पूरा करने की योजना इस प्रकार से बनाई जाती है कि बकाया कम से कम रहे।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार के रुग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

*333. **श्री सुशील खां** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के ऐसे कितने रुग्ण उपक्रम हैं, जिनमें संशोधित वेतनमान क्रियान्वित नहीं किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों में वेतनमानों को सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के समान बनाये रखने के लिए रुग्ण और औद्योगिकी और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपी गई कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान लागू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार के सभी उपक्रमों और सरकारी कर्मचारियों के बीच वेतनमानों में समानता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न के अंतर्गत 1987 के वेतनमानों में 14 केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं और आईडीए पैटर्न के अंतर्गत 1992 के वेतनमानों के अंतर्गत 30 केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं।

(ख) से (घ) बीआईएफआर को सौंपे गए रुग्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) में कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु नीति के संदर्भ में आईडीए पैटर्न के अंतर्गत उनके वेतनमानों का संशोधन

कठोरता से बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित अथवा अनुमोदित किए जाने वाले पुनर्स्थापन पैकेजों के अनुसार तथा इन पैकेजों में वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय का प्रावधान करने के बाद होगा। जो केन्द्रीय सरकारी उद्यम इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वे अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू करने की स्थिति में नहीं होते हैं। जहां तक वेतनमानों के केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पैटर्न के अंतर्गत कर्मचारियों का संबंध है, अधिकतर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतनमानों को संशोधित कर दिया है।

(ङ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कार्यपालकों के आइडीए पैटर्न के वेतनमानों के साथ-साथ उनकी भर्ती का तरीका, सेवा की शर्तें व नियम केन्द्रीय सरकार के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के इन पहलुओं की तुलना में पूरी तरह भिन्न होते हैं। इसलिए, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वेतनमानों की सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के साथ कोई समानता नहीं है।

[हिन्दी]

संरक्षित स्मारकों का रखरखाव

*334. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री मोहन जोना :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे संरक्षित स्मारकों/पुरातात्विक स्थलों का ब्यौरा क्या है जिनका रखरखाव इस समय सरकारी-निजी भागीदारी द्वारा किया जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इन संरक्षित स्मारकों/पुरातात्विक स्थलों का रखरखाव/अनुरक्षण करने में संसाधनों की कमी से जूझ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देश में संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए और अधिक कारपोरेट भागीदारी की संभावनाओं का पता लगा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारकों तथा प्राचीन स्थलों की संख्या 3667 है। संरक्षित स्मारकों/स्थलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

किसी भी संरक्षित स्मारक का रखरखाव सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से नहीं किया जाता है। संरक्षण/पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए नौ परियोजनाओं की पहचान की गई है। ऐसे तीन स्मारकों पर कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण तथा परिरक्षण कार्य की अधिकता को देखते हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अधिक निधियों की आवश्यकता होती है। सरकार संरक्षित स्मारकों के संरक्षण/परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के निकायों से निधियां प्राप्त करने की संभावना का पता लगा रही है। राष्ट्रीय संस्कृति निधि की शासी परिषद की बैठक में कारपोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर चर्चा की गई थी तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

संस्कृति मंत्रालय ने भी प्रस्ताव किया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संरक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टिकटों की बिक्री के जरिए प्राप्त राजस्व को अपने पास रखने के लिए अनुमति दी जाए। इस मामले पर अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है। इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 11वीं योजना में आवंटनों को और बढ़ाने की मांग करेगा तथा इस संबंध में विस्तृत प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राज्य-वार केन्द्रीय संरक्षित स्मारक तथा स्थल

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्मारकों/स्थलों की संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	137
2	अरुणाचल प्रदेश	5
3	असम	53
4	बिहार	70
5	छत्तीसगढ़	47

1	2	3
6	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	12
7	गोवा	21
8	गुजरात	202
9	हरियाणा	90
10	हिमाचल प्रदेश	40
11	जम्मू और कश्मीर	69
12	झारखण्ड	12
13	कर्नाटक	507
14	केरल	26
15	मध्य प्रदेश	286
16	महाराष्ट्र	286
17	मणिपुर	1
18	मेघालय	8
19	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	175
20	नागालैंड	4
21	उड़ीसा	78
22	पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	7
23	पंजाब	31
24	राजस्थान	162
25	सिक्किम	3
26	तमिलनाडु	413
27	त्रिपुरा	5
28	उत्तर प्रदेश	742
29	उत्तरांचल	42
30	पश्चिम बंगाल	133
	कुल	3667

विवरण-II

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कस्टडी के अन्तर्गत स्मारकों संबंधी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – राष्ट्रीय संस्कृति निधि परियोजनाएं

क्र.सं.	स्मारक का नाम	प्रायोजक एजेंसी का नाम	राज्य	परियोजना के लिए निर्धारित राशि	टिप्पणी
1.	ताजमहल, आगरा	इण्डियन होटल्स कम्पनी लि. (टाटा ग्रुप)	उत्तर प्रदेश	1.87 करोड़	प्रगति पर
2.	जन्तर मन्तर	ऐपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल्स लिमिटेड	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	10 लाख	प्रगति पर
3.	लोधी गार्डन स्थित स्मारक	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	1.00 करोड़	
4.	जैसलमेर किला, जैसलमेर	विश्व स्मारक निधि	राजस्थान	अमरीकी डॉलर 439000 तथा भा.पु.स. द्वारा 4 करोड़	प्रगति पर
5.	सूर्य मन्दिर, कोणार्क	इण्डियन ऑयल फाउंडेशन	उड़ीसा	25 करोड़	
6.	कन्हेरी गुफाएं, मुम्बई		महाराष्ट्र		
7.	मंदिर समूह, खजुराहो		मध्य प्रदेश		
8.	स्मारक समूह, हम्पी		कर्नाटक		
9.	वारंगल किला, वारंगल		आंध्र प्रदेश		

रेलवे वर्कशाप

*335. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में चल रही रेलवे वर्कशापों का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में रेलवे वर्कशापों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई है;

(ग) क्या कुछ रेलवे वर्कशाप बंद होने के कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इनके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलवे कारखानों की सूची (यांत्रिकी विभाग)

क्र.सं.	रेलवे	कारखाने का नाम
1	2	3
1.	मध्य	कुर्डवाडि
2.		माटुंगा
3.		परेल
4.	पूर्व	जमालपुर
5.		कांचरापाडा
6.		लिलुआ
7.	पूर्व मध्य	समस्तीपुर
8.	पूर्व तट	मांधेश्वर
9.	उत्तर	आलमबाग
10.		अमृतसर
11.		चारबाग
12.		जगाधरी
13.		कालका
14.	उत्तर-मध्य	झांसी
15.		रेल स्प्रिंग कारखाना/एसटीएलआई
16.	पूर्वोत्तर	गोरखपुर
17.		इज्जतनगर
18.	पूर्वोत्तर सीमा	डिब्रूगढ़
19.		लमडिंग
20.		न्यू बोंगाईगांव
21.		तीनधरिया
22.	उत्तर पश्चिम	अजमेर (सवारी डिब्बा)
23.		अजमेर (इंजन)
24.		बीकानेर
25.		जोधपुर
26.	दक्षिण	गोल्डन रॉक
27.		पेरम्बूर (सी एंड डब्ल्यू)
28.		पेरम्बूर (इंजन)
29.	दक्षिण मध्य	लालागुडा
30.		तिरुपति
31.		गुंतपल्ली
32.	दक्षिण पूर्व	खड़गपुर
33.	दक्षिण पूर्व मध्य	रायपुर
34.		नागपुर
35.	दक्षिण पश्चिम	हुबली
36.		मैसूर
37.	पश्चिम	भावनगर
38.		वाडोद

1	2	3
39.		जूनागढ़
40.		परेल
41.		महालक्ष्मी
42.		प्रतापनगर
43.	पश्चिम मध्य	भोपाल
44.		कोटा
	रेलवे कारखानों की सूची (सिग्नल विभाग)	
45.	मध्य	बाइकुला
46.	पूर्व	हावड़ा
47.	उत्तर	गाजियाबाद
48.	पूर्वोत्तर	गोरखपुर
49.	उत्तर–पश्चिम	अजमेर
50.	पूर्वोत्तर सीमा	पांडु
51.	दक्षिण	पोदनूर
52.	दक्षिण मध्य	मेट्टुगुडा
53.	दक्षिण पूर्व	खड़गपुर
54.	पश्चिम	साबरमती
	रेलवे कारखानों की सूची (इंजीनियरी विभाग)	
55.	मध्य	मनमाड़
56.	पूर्व मध्य	मुगलसराय
57.	उत्तर	जालंधर
58.	उत्तर	लखनऊ
59.	पूर्वोत्तर	गोरखपुर
60.	पूर्वोत्तर सीमा	बोंगाईगांव
61.	दक्षिण	अरक्कोणम
62.	दक्षिण मध्य	लालगुडा
63.	दक्षिण पूर्व	सिनी
64.	पश्चिम	साबरमती
	रेलवे कारखानों की सूची (बिजली विभाग)	
65.	मध्य	भुसावल
66.	मध्य	नासिक रोड

(ख)	वर्ष	आबंटित निधियां	खर्ची गई निधियां
	2003–04	44.15	30.01
	2004–05	59.87	29.26
	2005–06	74.29	40.27
	2006–07	84.41	11.47*

() आंकड़े करोड़ रुपये में।
* 2006–07 के आंकड़ें लगभग सितम्बर, 06 तक बुक की गई निधियों के अनंतिम आंकड़ें हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओ.बी.सी. की वर्तमान सूची को दो भागों में बांटना

***336. श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) ने ओ.बी.सी. में से अति पिछड़ा वर्ग को अलग करने और उन्हें अलग से आरक्षण देने हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सूची को दो भागों में बांटने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे में उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां

***337. श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में उत्पादन/विनिर्माण इकाइयों का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक इकाई में वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक इकाई की लाभ/हानि की स्थिति क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार इन इकाइयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल मंत्रालय के अंतर्गत छह उत्पादन इकाइयां हैं, उनके नाम एवं स्थल नीचे लिखे अनुसार हैं:

1. चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना, (चिरेका) चित्तरंजन
2. डीजल रेलइंजन कारखाना, (डीरेका) वाराणसी
3. सवारी डिब्बा कारखाना, (सडिका) चेन्नै
4. रेल डिब्बा कारखाना, (रेडिका) कपूरथला
5. रेल पहिया कारखाना, (रेपका) बैंगलूरु
6. डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, (डीआका) पटियाला

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक इकाई के उत्पादन की वर्षवार मात्रा नीचे लिखे अनुसार है:-

	2003-04	2004-05	2005-06
चिरेका बिजली इंजन	86	90	129
डीरेका डीजल इंजन	116	121	148
सडिका डिब्बे	1070	1119	1175
रेडिका डिब्बे	1201	1201	1263
रेपिका पहिये	110407	95125	117425
धुरा	50513	49502	50569
डीआका (इंजन पुनर्निर्माण)	73	74	73

(ग) रेल मंत्रालय के अंतर्गत छह उत्पादन कारखाने आंतरिक उत्पादन संगठन हैं, जो "शून्य-लाभ - शून्य हानि" के आधार पर कार्य करते हैं। उत्पादन की पूरी लागत विनिर्मित विभिन्न मदों के लिए उपयुक्त नियत अंतरण मूल्य के द्वारा उपभोक्ता इकाई (अर्थात् उपयोगकर्ता रेलवे) को अंतरित कर दी जाती है। बहरहाल, गैर-रेलवे ग्राहकों को चल स्टॉक और/या पुर्जों की बिक्री से सृजित लाभ नीचे दिये अनुसार हैं:-

	2003-04	2004-05	2005-06
चिरेका	शून्य	शून्य	शून्य
डीरेका	336 लाख	394 लाख	1305 लाख
रेडिका	शून्य	64 लाख	350 लाख
सडिका	शून्य	11 लाख	0.05 लाख
रेपका	73.38 लाख	173.69 लाख	1074.90 लाख
डीआका	2 लाख	11 लाख	4.5 लाख

(घ) और (ङ) जी, हां। उत्पादन इकाइयों को अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, निवेश संबंधी निर्णय लेने, अधिक प्रतियोगी मूल्यनिर्धारण नीति अपनाने की आजादी एवं घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में विपणन की शक्तियों हेतु उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को कतिपय संशोधित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

ये इस प्रकार हैं:-

1. गैर-रेलवे ग्राहकों (एनआरसी) और निर्यात के लिए मूल्य निर्धारण के संबंध में, महाप्रबंधकों को लाभ को शून्य तक कम करने और ऊपरी खर्चों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।
2. मशीन एवं संयंत्र का बदलाव प्रति मद 30 लाख रुपये तक बशर्ते कि बजट उपलब्ध हो।
3. निर्यातों के पुष्ट क्रयादेशों के अंतर्गत आपूर्ति हेतु प्रत्येक मामले मे 22 करोड़ रुपये के पुर्जों की खरीद।
4. गैर-रेल ग्राहकों (एनआरसी) के सत्कार हेतु निर्दिष्ट सीमाओं तक व्यय।
5. निर्यात क्रयादेशों के संबंध में बाह्य निकायों से उत्पादन कारखानों के लिए परामर्श सेवा नियुक्त/प्राप्त करने में व्यय, प्रत्येक मामले

में 50 लाख रुपये तक या एक वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक, जिसे बाजार विकास निधि द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

6. वर्ष के दौरान एनआरसी को बिक्री और निर्यात से उपचित लाभ में से एनआरसी को बिक्री और निर्यात के लिए नई मदों के विकास, उत्पाद विविधीकरण, विपणन प्रयास और परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए 5 करोड़ रुपये (प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रुपये) देने की शक्तियां।

7. भंडार का आयात करने की शक्तियां, प्रत्येक मामले में मौजूदा 4 करोड़ रुपये से प्रत्येक मामले में 15 करोड़ रुपये, जैसा कि स्वदेशी खरीद के लिए लागू है।

[अनुवाद]

कम वजन के रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति

***338. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :**
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न रसोई गैस डीलरों द्वारा कम वजन के गैस सिलेंडरों की आपूर्ति किये जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसे मामलों में संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) चूककर्ता डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है;

(ङ) क्या तेल विपणन कंपनियों का विचार इस कदाचार से निपटने के लिए कुछ नए उपाय करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन उपायों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने पिछले तीन वर्षों 2003–04, 2004–05 और 2005–06 तथा अप्रैल–अक्टूबर, 2006 के दौरान अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा उपभोक्ताओं को कम वजन के सिलेंडरों की आपूर्ति के 193 मामलों के बारे में सूचित किया है। तेल विपणन कंपनियों ने सभी दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों को विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

जब कभी भी तेल विपणन कंपनियों को कम वजन के सिलेंडरों की आपूर्ति के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब इनकी जांच पड़ताल की जाती है और अगर शिकायत साबित हो जाती है, तो एलपीजी विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अनुसार संबंधित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध उपर्युक्त कार्रवाई की जाती है। एमडीजी में डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई का प्रावधान है।

पहले अपराध के लिए 20,000 रुपये जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।

दूसरे अपराध के लिए, 50,000 रुपये जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य, और

तीसरे अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के तोल और माप विभाग उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ करते हैं जो अपराधी माने जाते हैं।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। तथापि, तेल विपणन कंपनियों ने यह सूचित किया है कि उनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को ग्राहकों के परिसरों पर सुपुर्दगी से पहले अपने गोदाम में सिलेंडरों का 100 प्रतिशत वजन सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं। ग्राहक के संतुष्टि स्तरों में वृद्धि करने के लिए चुनिंदा बाजारों में डिस्ट्रीब्यूटरों को तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्प्रिंग वाला तराजू प्रदान करने का निदेश दिया गया है, जिससे ग्राहक सिलेंडर में एलपीजी के वजन के सही होने का सत्यापन में समर्थ हो सकें। तेल विपणन कंपनियों ने देश के प्रमुख बाजारों में यह योजना आरंभ की है।

तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल और मार्ग में यादृच्छिक जांचें करते हैं कि कोई चोरी न हो। तेल विपणन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों को यह कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे सुपुर्दगी से पहले अपने गोदामों में सिलेंडरों के सही वजन की जांच करें और ग्राहकों को केवल सही वजन वाले सिलेंडरों की सुपुर्दगी करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया गया है कि सीलों का सत्यापन किया जाए और सुपुर्दगी के समय ग्राहकों को उन्हें दिखाया जाये। अगर, ग्राहक कोई कम वजन का सिलेंडर प्राप्त करता है, तो तेल विपणन

कंपनियां ऐसे सिलेंडर बिना किसी प्रभार के एक नए रिफिल सिलेंडर से बदल देती है।

वर्तमान में तेल विपणन कंपनियां उपभोक्ताओं को एलपीजी के सही वजन की आपूर्ति करने के लिए एलपीजी सिलेंडरों हेतु छेड़छाड़ रोधक सीलिंग प्रणाली के रूप में ताप से सिकुड़ने वाली पोलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सीलों जिसको एलपीजी उपकरण अनुसंधान केन्द्र (एलईआरसी) ने विकसित किया है और उनकी सिफारिश की है, का उपयोग कर रही हैं। पीवीसी की डुप्लीकेट सीलें बनाना कठिन होता है, ये उच्च ताप पर सिकुड जाती हैं और इनके निर्माण के लिए विशेष तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और अप्रैल–अक्तूबर, 2006 के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिकायतों की संख्या			
	2003–2004	2004–2005	2005–2006	अप्रैल–अक्तूबर 2006
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
असम	–	–	–	–
बिहार	2	–	1	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–
दिल्ली	7	17	11	–
गोवा	–	–	–	–
गुजरात	11	5	3	–
हरियाणा	1	1	2	–
हिमाचल प्रदेश	–	1	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
झारखण्ड	–	–	1	–
कर्नाटक	1	–	–	–
केरल	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	4	–	1	–
महाराष्ट्र	–	–	1	–
मणिपुर	–	–	–	–
मेघालय	–	–	–	–
मिजोरम	–	–	–	–
नागालैंड	–	–	–	–
उड़ीसा	–	–	–	–
पंजाब	1	8	8	7
राजस्थान	5	7	4	–
सिक्किम	–	–	–	–

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	–	–	–	–
त्रिपुरा	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	20	25	21	1
उत्तरांचल	2	2	1	–
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–
अंडमान और निकोबार	–	–	–	–
चंडीगढ़	4	1	4	–
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–
पाण्डिचेरी	–	–	–	–
योग	60	67	58	8

विनिर्माण इकाइयां

***339. श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा स्थापित विभिन्न विनिर्माण इकाइयों में क्षेत्रीय असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में ऐसी इकाइयों को स्थापित करते समय स्थानों के चयन हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा ऐसे असंतुलन को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयां देश के विभिन्न भागों में स्थित है।

(ख) किसी भी उत्पादन कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव दीर्घकालिक मांग के अनुमानों पर आधारित होता है, और परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर स्थलों का निर्णय लिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य देशों के साथ पर्यटन सहयोग संधियां

***340. श्री महेश कनोडीया :**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों विशेषकर आस्ट्रेलिया, तुर्की, अफगानिस्तान और पोलैण्ड के साथ, किसी पर्यटन सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त संधियों से भारत कितना लाभान्वित होगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए आस्ट्रेलिया, तुर्की और अफगानिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन/करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। पोलैण्ड के साथ भी पर्यटन के क्षेत्र सहयोग हेतु मिशन करार पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया है। करार पहले ही हस्ताक्षर हेतु वारसा में भारतीय मिशन को भेज दिया गया है। उन देशों की सूची, जिनके साथ आज की तारीख तक, पर्यटन सहयोग पर भारत का द्विपक्षीय करार है, का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) विदेशों के साथ हस्ताक्षर की गई द्विपक्षीय पर्यटन सहयोग संधियां, भाग लेने वाले देशों के बीच पर्यटन की मार्केटिंग और संवर्धन के लिए, साधन के रूप में कार्य करती हैं। ये करार, मार्केटिंग कार्यकलापों को शुरू करने, यात्रा व्यवसाय प्रतिनिधियों के आदान–प्रदान, निवेश को सुगम बनाने, मानव संसाधन विकास और पारस्परिक लाभ के लिए विशेष संवर्धनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने को सरल बनाते हैं। ये करार दो तरफा पर्यटन की वृद्धि पर बल देते हैं।

विवरण

देशों की सूची, जिनके साथ आज की तारीख तक पर्यटन सहयोग पर द्विपक्षीय करार हैं

क्र.सं.	देश का नाम	हस्ताक्षर की तारीख
1	2	3
1.	ईराक (प्रोतोकाल)	25.10.1986
2.	पुर्तगाल	29.07.1991
3.	सीरिया	08.10.1991
4.	हंगरी	16.10.1992
5.	बेलारूस	14.05.1993
6.	इज़रायल	18.05.1993
7.	उजबेकिस्तान	29.07.1993
8.	कोरिया गणराज्य (दक्षिण)	10.09.1993
9.	सिंगापुर	24.01.1994
10.	बुलगारिया	26.05.1994
11.	रोमानिया	02.06.1994
12.	रूस	30.06.1994
13.	तुर्की	31.01.1995
14.	ईरान (एमओयू)	18.04.1995
15.	किर्गीस्तान	22.09.1995
16.	मैक्सिको	28.03.1996
17.	सेशल्स	03.10.1996
18.	साइप्रस	07.11.1996
19.	पेरू	26.05.1997
20.	दक्षिण अफ्रीका	07.10.1997
21.	मिस्र	11.10.1997
22.	ग्रीस	13.01.1998
23.	मंगोलिया	01.12.1998
24.	मोरक्को	13.02.1999
25.	इंडोनेशिया (एमओयू)	08.02.2000
26.	कम्बोडिया (एमओयू)	18.02.2000
27.	इटली	26.06.2000
28.	तुनिसिया	08.12.2000
29.	वियतनाम	08.01.2001
30.	चीन	14.01.2002
31.	आस्ट्रेलिया (एमओयू)	22.4.2002
32.	कजाकिस्तान	03.06.2002
33.	यूक्रेन	12.08.2003
34.	थाईलैंड	09.10.2003
35.	ताजिकिस्तान	14.11.2003
36.	श्रीलंका (एमओयू)	23.1.2004
37.	ब्राजील	25.1.2004
38.	सर्बिया (एमओयू)	2.11.2004
39.	फिजी	10.10.2005
40.	अफगानिस्तान	06.12.2005
41.	फिलीपिन्स	04.2.2006
42.	फ्रांस (एमओयू)	20.2.2006
43.	जोर्डन	1.12.2006

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मनाना

***341. श्री मोहन सिंह :**
श्री के.सी. पलानी शामी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने निम्नलिखित घटनाओं का स्मरणोत्सव माने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की:

1. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ,
2. भारतीय स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ,
3. वन्दे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार करने का शताब्दी समारोह,
4. शहीद भगत सिंह की शहादत की 75वीं पुण्यतिथि, और
5. शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी।

इस संबंध में शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति भी गठित की गई है स्मरणोत्सव कार्यकलापों के लिए प्रस्तावित बजट 150.00 करोड़ रु. है। राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति के निर्णय के अनुसार विभिन्न कार्यकलाप चलाए जायेंगे।

[हिन्दी]

नैनीसेणी विमानपत्तन पर विमान दुर्घटना

3155. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिथौरागढ़ जिले में नैनीसेणी विमानपत्तन पर एक अमरीकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान को इस क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एनर्जी सैंटर

3156. श्री के.एस. राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनर्जी सिटी इंडिया की संकल्पना क्या है तथा अगले पांच वर्षों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तथा उत्पादन कार्यक्रम क्या होगा;

(ख) क्या एनर्जी सिटी इंडिया का विकास विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तरह क्षेत्र में अधिक आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए ऊर्जा संबंधित अवसंरचना की स्थापना के लिए किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार तेल एवं गैस उत्पादकों, रिफाइनरों, पोत तथा ऊर्जा कारोबार के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसे और एनर्जी सेंटरों की स्थापना करने हेतु निजी तथा विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन तथा कर में छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

मोटे अनाजों से शराब का उत्पादन

3157. श्री जोयाकिम बखला : क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय बड़ी शीतल पेय पदार्थ कंपनियां बाजरे, मक्का, ज्वार तथा मिलेट जैसे मोटे अनाजों से शराब का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन मोटे अनाजों का मुख्यत: समाज के गरीब वर्गों द्वारा उपभोग किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे खाद्यान्नों की आपूर्ति एवं मूल्य को लेकर इनके प्रभाव पर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) देश में शराब उत्पादन करने वाले उद्योग मुख्यत: शीरे का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मामलों में बाजरा, मक्का, ज्वार और

मोटे अनाजों जैसी गैर–शीरा आधारित कच्ची सामग्री का भी इस्तेमाल पेय शराब तैयार करने के लिए किया जाता है। अनाज–आधारित इस कच्ची सामग्री का उपयोग कम होता है। अनाज शीरे की तुलना में अधिक महंगा है इसलिए उद्योगों द्वारा शीरे की जगह अनाज का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने की संभावना बहुत कम है। अतः मोटे अनाजों का इस्तेमाल का प्रभाव, मानव उपभोग के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति एवं कीमतों पर पड़ने की संभावना नहीं है।

करड में स्मारक की मरम्मत

3158. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतारा जिले की करड तहसील में 'पंचट कोट' स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देख–रेख में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मरम्मत के अभाव में 'पंचट कोट' की दीवारें ढह गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्मारक की मरम्मत करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) जी, हां। इसे वर्ष 1949 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया था। नगर निगम गार्डन से लगे बुर्ज के अवशेष मानसून की भारी बारिश के कारण गिर गए थे। बुर्ज के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करने के लिए तत्काल संरक्षण उपाय किए गए तथा कार्य प्रगति पर है। संरक्षित क्षेत्र की मरम्मत तथा फेंसिंग का कार्य करने के लिए 17.10 लाख रुपये की अनुमानित राशि स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

सेना में तैराक तथा गोताखोर

3159. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना में तैराकों तथा गोताखोरों की संख्या में कमी आई है और भविष्य में संकटों का सामना करने के लिए ऐसे कितने जवानों की कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेना के सेवानिवृत्त तैराकों तथा गोताखोरों को विदेश जाने से रोकने तथा राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं का प्रयोग करने के लिए एक योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय सेना में तैराकों तथा गोताखोरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सेना कार्मिकों को भर्ती प्रशिक्षण के दौरान बुनियादी तैराकी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होता है। सेना, पुणे स्थित सेना शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान में "तैराकी और जीवन–रक्षा" पर विशिष्ट पाठ्यक्रम भी चला रही है।

[अनुवाद]

विशेष हैलीकॉप्टरों की खरीद

3160. श्री मिलिन्द देवरा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 'विशेष हैलीकॉप्टरों' को खरीदने का है जैसाकि दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 के 'द एशियन ऐज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है तथा विशेष हैलीकॉप्टर कब तक खरीदे जाने की संभावना है; और

(घ) पहले के हैलीकॉप्टर इन हैलीकॉप्टरों से कितना मेल खाते हैं तथा पहले के हैलीकॉप्टरों का क्या किया जायेगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सरकार ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा हेतु मौजूदा हैलीकॉप्टरों के स्थान पर हैलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति को सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया है। अधिप्राप्ति के लिए अनुरोध प्रस्ताव सितंबर, 2006 में विभिन्न विक्रेताओं को जारी कर दिया गया है। हेलीकॉप्टरों की खरीद स्थापित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जिसमें संविदा निष्पादन के संबंध में 2–3 वर्ष की समय–सीमा परिकल्पित की गई है।

(घ) ये हैलीकॉप्टर तुलनीय तथा कतिपय मामलों में पूर्व हैलीकॉप्टरों, जो 2009 तक अपना तकनीकी कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, से बेहतर होंगे।

बौद्ध तीर्थ यात्रियों को विशेष सहायता

3161. श्री किरेन रिजीजू : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों की जनगणना में बौद्ध जनसंख्या वास्तविक आंकड़ों से कम दिखाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) देश में बौद्ध व्यक्तियों की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार पवित्र बौद्ध स्थानों का दौरा करने वाले बौद्ध तीर्थ यात्रियों को विशेष सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) और (ख) 1991 की जनगणना में बौद्ध जनसंख्या 6387500 थी और 2001 की जनगणना में यह 7955207 है।

(ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम में शिक्षा के लिए अवसर बढ़ाने, आय और रोजगार में समान हिस्सा, अल्पसंख्यकों की जीवन स्थिति में सुधार करने और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। जहां कहीं संभव है, लक्ष्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, अल्पसंख्यकों को रियायती दरों पर अवधि ऋण, माइक्रो वित्त प्रबंध और शैक्षिक ऋण प्रदान करता है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के पास अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक योजनाएं हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत बौद्धों को एक अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है, और अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण योजनाओं के लाभ उन्हें भी उपलब्ध हैं।

(घ) जी, नहीं

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन स्थलों का विकास

3162. श्री ए.के. मूर्ति : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के 15 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विश्व–स्तर का बनाया जाने के लिए उनका विकास किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें तमिलनाडु के कांचीपुरम को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय की, प्रमुख विरासत स्थलों, सांस्कृतिक स्मारकों एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में पर्यटन अवसंरचना की क्वालिटी में सुधार करने की योजना है।

(ख) से (ङ) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। देश में विश्व–स्तर की पर्यटन अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटक परिपथ के विकास हेतु 50 करोड़ रुपये और गंतव्य के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर कर, देश में प्रमुख पर्यटक गंतव्यों/परिपथों का विकास करने का प्रस्ताव है। निधियों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, ऐसे गंतव्यों/परिपथों का चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर किया जाता है।

आयल रेग्यूलेटर

3163. श्रीमती जयाप्रदा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने स्वतंत्र आयल रेग्यूलेटर की नियुक्ति की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (च) योजना आयोग ने स्वतंत्र तेल विनियामक की

स्थापना की सिफारिश नहीं की है। तथापि, संसद ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित कर दिया है, जिसे 2006 के अधिनियम संख्या 19 के रूप में 03 अप्रैल, 2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत बोर्ड की स्थापना की कार्रवाई प्रगति पर है। बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के चयन के लिए तथा अपीलीय अधिकरण के तकनीकी सदस्य (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के रूप में नियुक्ति के लिए विचारार्थ व्यक्तियों का पैनल तैयार करने के उद्देश्य से पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत खोज समिति ने दिनांक 10.10.2006 को अपनी पहली बैठक आयोजित की थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि पीएनजीआरबी के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अपीलीय अधिकरण के तकनीकी सदस्य (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के पदों के लिए विज्ञापन देश भर के स्थानीय समाचार पत्रों के साथ-साथ अग्रणी समाचार पत्रों में दिया जाए। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों पर खोज समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

एयर इंडिया में वेतन का संशोधन

3164. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की मांग सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसे लंबित रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वेतन में संशोधन के निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एयर इंडिया के प्रबंधन ने एयर इंडिया इम्पलाईज गिल्ड तथा एयर इंडिया इम्पलाईज यूनियन के साथ तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कामगारों के संबंध में वृत्तियों के संशोधन के लिए, 10.01.97 से 10 वर्ष की अवधि के लिए, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रबंधन ने अधिकारियों के सामान्य संवर्ग तथा उनके कार्यकारियों के साथ-साथ प्रबंधक सेवा इंजीनियरिंग के लिए वेतनमानों तथा भत्तों में भी संशोधन किया है। अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों, यथा पायलटों, इंजीनियरों, फ्लाइट इंजीनियरों तथा केबिन क्रू के संबंध में वृत्ति संशोधन चल रहा है और शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

तमिलनाडु में पुरानी रेल पटरियां

3165. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार बेहतर आवाजाही तथा स्पीड को बढ़ाने के लिए रेल की पुरानी पटरियों को उन्नत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष रूप से तमिलनाडु में रेलवे द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु सरकारी/निजी भागीदारी को आमंत्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल पथ का नवीकरण यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर आयु एवं स्थिति के अनुसार अपेक्षित होने पर किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। रेलगाड़ियों की गति तब ही बढ़ाई जाती है, जब संबद्ध सभी अवसंरचनाएं अपग्रेड कर दी जाती हैं।

(ख) हाल ही में तमिलनाडु के दो खंडों में गाड़ियों की गति बढ़ाई गई है।

(i) चेन्नई सेंट्रल से कोयम्बटूर जंक्शन – 105 कि.मी. प्रतिघंटा से 110 कि.मी. प्रतिघंटा

(ii) चेन्नई एग्मोर से डिंडीगुल जंक्शन – 100 कि.मी. प्रतिघंटा से 110 कि.मी. प्रतिघंटा

(ग) और (घ) ऐसे क्षेत्रों/गतिविधियों जैसेकि, महत्त्वपूर्ण महानगरों के स्टेशनों का अपग्रेडेशन, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना, चल-स्टॉकों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना, रेल विकास निगम लिमिटेड, (आर.वी.एन.एल.) के माध्यम से पत्तन संपर्क के लिए अवसंरचनात्मक परियोजनाएं और खानपान/पर्यटन एवं आतिथ्य-सत्कार क्षेत्र की अन्य गतिविधियां सार्वजनिक/निजी भागीदारी के माध्यम से शुरू करने की संभावनाओं की खोज की जा रही है।

कच्चे तेल की चोरी

3166. श्री रघुनाथ झा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कच्चे तेल की चोरी के बारे में दिनांक 21 अप्रैल, 2005 के अतारांकित प्रश्न सं 4347 पर 19 मई, 2006 को पूरी की गई कार्यान्वयन रिपोर्ट के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कच्चे तेल की चोरी रोकने के लिए गश्त लगाने से अच्छे परिणाम मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यान्वयन रिपोर्ट में दिए गए अन्य उपायों से क्या परिणाम मिले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005–06 में चोरी के कुल 36 मामलों का पता चला और वर्ष 2006–07 में 29 मामलों का पता चला।

(ग) राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा उठाईगिरी/चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए किए गए उपायों के उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। तत्पर कार्रवाई के कारण कच्चे तेल की प्रयासपूर्ण चोरी की ऐसी विध्वंस गतिविधियों का प्रत्युत्तर कच्चे तेल की किसी महत्वपूर्ण क्षति के बिना शीघ्रता से किया जा सका।

जबलपुर से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

3167. श्रीमती गीता पटैरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जबलपुर को मैट्रो एविएशन सेंटर के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकटवर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जबलपुर में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों को अधिक संख्या में उड़ान भरने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। जबलपुर हवाईअड्डे को मैट्रो विमान केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने जबलपुर हवाईअड्डे पर निम्नलिखित विकास कार्य किए गए हैं। बी–737 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए रनवे का 1372 मीटर से 1982 मीटर तक विस्तार सुदृढ़ीकरण, एक समय पर 200 यात्रियों हेतु व्यवस्था के लिए नए टर्मिनल भवन का निर्माण, डोपलर अति उच्च आवृत्ति ओमनी रेंज (डीवीओआर), दूरी मापन पहुंच मार्ग तथा रनवे के दोनों छोरों पर संकेतक व प्रिसीजन पहुंच मार्ग संकेतक (पीएपीआई) के संस्थापन का कार्य।

(ग) से (ङ) सरकार ने जबलपुर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए विमान यातायात सेवा के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश का निर्धारण किया है। बहरहाल यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा विमानों की उपलब्धता के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों पर विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

गैस की आपूर्ति हेतु ओएनजीसी-गेल का समझौता

3168. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड ने ओएनजीसी के तेल तथा गैस क्षेत्रों से गैस की आपूर्ति के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन–किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) दोनों कंपनियों के बीच संबंध और बढ़ाने तथा और अधिक तेल और गैस की खोज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने ओएनजीसी क्षेत्रों से गैस की आपूर्ति के लिए 7 जुलाई, 2006 को एक गैस आपूर्ति करार (जीएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) गैस आपूर्ति करार 15 वर्षों की अवधि के लिए वैध है और यह प्रशासित मूल्य तंत्र व्यवस्था (एपीएम) गैस के लिए है तथा सभी मौजूदा स्थलों जैसे हजीरा तथा उरण (पश्चिम अपतट गैस), गुजरात, आंध्र प्रदेश (केजी बेसिन), तमिलनाडु (कावेरी), राजस्थान, असम तथा त्रिपुरा पर लागू है।

(ग) बाजार निर्धारित मूल्य पर नई और अतिरिक्त गैस का विपणन करने के उद्देश्य से दो कंपनियों के बीच नियमित बैठकें होती हैं। इन कंपनियों ने गैस विपणन, परिवहन और नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) कार्यों में भागीदारी, में सहयोग क्षेत्रों का पता लगाया है। एनईएलपी–1, 2 तथा 5 दौरों के तहत, ओएनजीसी तथा गेल का एक साथ सात अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

रेलवे में मीटर गेज कार्यशालाओं का भविष्य

3169. प्रो. रामा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दिल्ली–अहमदाबाद रूट पर राजस्थान में मीटर गेज अजमेर–रतलाम खण्ड के भागों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने अजमेर में स्थित कार्यशाला का ब्रॉड–गेज कार्य के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। अजमेर–चित्तौड़गढ़ और नीमच–रतलाम खंडों के अमान परिवर्तन को वर्ष 2006–07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। चित्तौड़गढ़–नीमच के बीच मीटर गेज लाइन को तोड़ा जा रहा है।

(ख) अजमेर वर्कशॉप में पिछले लगभग दस वर्षों में बड़ी लाइन सवारी एवं माल डिब्बों की आवधिक ओवरहॉलिंग (पी ओ एच) की सुविधा पहले ही उपलब्ध है।

(ग) अजमेर वर्कशॉप के लिए गतिविधियों के अनुसार लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

बड़ी लाइन सवारी डिब्बा पी ओ एच	100 डिब्बे प्रति माह
बड़ी लाइन माल डिब्बा पी ओ एच	35 डिब्बे प्रति माह
मीटर लाइन सवारी डिब्बा पी ओ एच :	20 डिब्बे प्रति माह
मीटर लाइन मालडिब्बा पी ओ एच	15 डिब्बे प्रति माह
मीटर लाइन डीजल इंजन पी ओ एच :	1 इंजन प्रति माह

फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्तियां

3170. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में फर्जी दस्तावेजों पर स्थानांतरणों तथा नियुक्तियों के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसे मामलों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इसमें संलिप्त पाए गए कर्मचारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल कर्मचारियों के लिए आवास इकाइयों का निर्माण

3171. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा मंडल में रेलवे के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आवासीय परिसरों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो कोटा मंडल में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा कितने कर्मचारियों को आवास सुविधा दी गई है और कितने कर्मचारियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है;

(ग) क्या रेलवे का विचार अतिरिक्त आवासीय इकाइयों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) कोटा मंडल में कुल 14857 कर्मचारी हैं, 8485 कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर दिए गए हैं और 1124 कर्मचारी प्रतीक्षासूची में हैं। इस प्रकार कोटा मंडल में आवास व्यवस्था संतुष्टि 57.11% है जो राष्ट्रीय आवास संतुष्टि अर्थात 47% से अधिक है।

(ग) इस समय रेलवे के पास कोटा मंडल के लिए कोई अतिरिक्त क्वार्टर बनाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में पर्यटन के विकास हेतु सहायता

3172. श्री राम कृपाल यादव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में पटना, बौधगया, राजगीर, वैशाली में पर्यटन विकास के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) जी, हां। नवम्बर, 2006 के माह में 'प्रमुख परियोजना योजना के अधीन बिहार राज्य में बोधगया–राजगीर–नालंदा पर्यटक परिपथ का

विकास' परियोजना के लिए 1922.42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार समय-समय पर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। परियोजना की शेष धनराशि, पहले अवमुक्त की गई किश्त के बारे में समापन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अवमुक्त की जाती है।

दसवीं योजना अवधि में बिहार राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

10वीं योजना के दौरान बिहार राज्य के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
वर्ष 2002-03		
1.	वैशाली-नालंदा-राजगीर-बोधगया-वाराणसी परिपथ का एकीकृत विकास:-	505.00
	(i) राजगीर में रोपवे के पास पर्यटक सुविधा - 55.00 लाख रुपये	
	(ii) वैशाली में अभिषेक पुष्करनी का सुधार - 75.00 लाख रुपये	
	(iii) संकेतक - 15.00 लाख रुपये	
	(iv) मेडिटेशन पार्क का विकास - 75.00 लाख रुपये	
	(v) बोधगया में मायासरोवर का विकास - 150.00 लाख रुपये	
	(vi) नालंदा में पर्यटक सुविधा - 25.00 लाख रुपये	
	(vii) राजगीर में बिम्बीसार एवेन्यू का विकास - 50.00 लाख रुपये	
	(viii) कुंड में पर्यटक सुविधा - 60.00 लाख रुपये	
2.	महाबोधि मंदिर, बोधगया में हार्क सिस्टम की स्थापना	12.00
	कुल	517.00
वर्ष 2003-04		
1.	बोधगया में मठों को जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन एवं फुटपाथों/संकेतकों का निर्माण	5.89
2.	ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत नेपुरा गांव (जिला नालंदा) का विकास	50.00
3.	गंतव्य विकास योजना के अधीन बिहार में बोधगया (चरण-II) के लिए विकास योजनाएं:-	462.00
	(i) कालचक्र मैदान का भूदृश्यांकन विकास - 75.76 लाख रुपये	
	(ii) ट्रैफिक इंटरचेंज नॉड-I - 37.73 लाख रुपये	
	(iii) बाईपास मेन एप्रोच रोड के पास बोधगया हाट - 236.71 लाख रुपये	
	(iv) नदी के पास सड़क के पास शॉपिंग-सह-ट्रैफिक इंटरचेंज नॉड - 112.53 लाख रुपये	

1	2	3
4.	बिहार–नालंदा पर्यटक परिपथ के एक भाग के रूप में नव नालंदा महाविहार का तीर्थ गंतव्य के रूप में विकास	
	(i) पुष्करनी झील का सुधार – 17.00 लाख रुपये	
	(ii) एप्रोच रोड का उन्नयन – 19.80 लाख रुपये	
	(iii) मौजूदा मेमोरियल बिल्डिंग का उन्नयन – 65.00 लाख रुपये	
	(iv) विद्युतीकरण – 50.00 लाख रुपये	
	(v) हुएन सांग ग्राम का निर्माण – 145.00 लाख रुपये	
	(vi) शेष 52 एकड़ की भूमि का भूदृश्यांकन – 55.20 लाख रुपये	
5.	बिहारशरीफ, नालंदा के मलिक इब्राहीम बायू गुम्बज के चारों ओर और मंदिर के चारों ओर भूदृश्यांकन विकास के लिए विकास योजना – 134.00 लाख रुपये	134.00
	(i) सड़क के दोनों ओर 380 मि.मी. मोटी और 400 मि.मी. ऊंची स्थानीय स्टोन मेसनरी कॉपिंग सहित 500 मी. लंबे और5 मी. चौड़े स्टोन पाथवे का निर्माण/नवीकरण, लाइटिंग आदि – 20.00 लाख रुपये	
	(ii) पाथवेज, फेंसिंग आदि सहित गहन भूदृश्यांकन – 100.00 लाख रुपये	
	(iii) शौचालय ब्लाक का निर्माण (क्षेत्र 35 वर्ग मी.) – 2.00 लाख रुपये	
	(iv) प्रत्येक 10 वर्ग मी. क्षेत्र के चार क्योस्कों का निर्माण – 2.00 लाख रुपये	
	(v) पंप हाउस का निर्माण, पंप और वाटर लिफ्टिंग व्यवस्था आदि की संस्थापना – 10.00 लाख रुपये	
6.	समर्पण समारोह और बौद्ध महोत्सव	15.00
	कुल	1019.42
वर्ष 2004-05		
1.	बोधगया में न्यू हाई स्कूल भवन का निर्माण और मायासरोवर झील के सामने विद्यमान हाई स्कूल को हटाना	33.11
2.	भीमबांध (मुंगेर) में इको पर्यटन विकास	370.00
3.	मनेर में पर्यटक रिजार्ट का विकास	407.20
4.	बाल्मिकी नगर (पश्चिम चंपारण) का इको पर्यटन विकास	300.06
5.	गया में विष्णु विहार का विकास	271.06
6.	गंतव्य विकास के अंतर्गत मनेर शरीफ, पटना में पर्यटक परिसर का निर्माण	500.00
7.	नालंदा जिले में नेपुरा – जीओआई – यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना	20.00
	कुल	1901.43

1	2	3
वर्ष 2005-06		
1.	पर्यटक परिपथ की योजना के अंतर्गत बोधगया–राजगीर–नालंदा का विकास	768.12
2.	सुल्तानगंज से देवघर के कांवड़ियां मार्ग परिपथ का एकीकृत विकास	443.12
3.	हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) मेला, 2005	0.99
	कुल	1212.23
वर्ष 2006-07		
1.	प्रमुख परियोजना स्कीम के अंतर्गत पर्यटक परिपथ बोधगया–राजगीर–नालंदा का विकास	1922.42

[अनुवाद]

जंतर-मंतर का पुनरुद्धार

3173. श्री एस. के. खारवेलथन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली और देश के अन्य भागों में जंतर–मंतर वेधशालाओं का बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस पुनरुद्धार कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) दिल्ली स्थित जंतर मंतर में मिश्र यंत्र का संरक्षण कार्य राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अधीन किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु 11.98 लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है। वाराणसी स्थित जंतर–मंतर के संरक्षण हेतु 2006–07 के संरक्षण कार्यक्रम में 10.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे किए जाने की आशा है।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने जयपुर स्थित जंतर मंतर, जो राजस्थान सरकार के अधीन संरक्षित स्मारक है, के पुनरुद्धार और विकास के लिए 189.70 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। यह कार्य 2008 तक पूरा होने की संभावना है।

भारतीय तेल निगम द्वारा जैव डीजल का उत्पादन और विपणन

3174. श्री एल. राजगोपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने देश में जैव डीजल का उत्पादन और विपणन शुरू करने के लिए एक कार्पोरेट समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईओसी द्वारा अपने अनुसंधान संयंत्र में जैव डीजल के विभिन्न पहलुओं पर कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) जी हां, आईओसी ने सितंबर 2006 में निदेशक (योजना एवं व्यापार विकास) के अधीन एक मैगम समूह गठित किया है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के जरिए आईओसी के माध्यम से बायोडीजल की पूरी मूल्य श्रृंखला की जांच कर रही है। इसमें ये शामिल हैं : आईओसी पौधा रोपण, बायो डीजल उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करना, उत्सर्जन अध्ययन और क्षेत्र परीक्षण। आईओसी ने बायो डीजल क्रय केन्द्र भी स्थापित किए हैं तथा आईओसी के माध्यम से बायोडीजल उत्पादन की आर्थिक जीव्यता का अध्ययन के लिए एक समूह भी गठित किया है। आईओसी द्वारा किए जा रहे विभिन्न बायो डीजल संबद्ध कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आईओसी द्वारा चलाई जा रही बायो डीजल से संबंधित गतिविधियों के ब्यौरे

(क) बायो डीजल ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रौद्योगिकी का विकास

आईओसी ने विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों, जिनमें चावल की भूसी, जटरोफा करकास, खजूर, करंजिया तथा सूरजमुखी के फूल आदि के तेल शामिल हैं, से तैयार बायो डीजल के निर्माण हेतु संश्लेषित पद्धतियों का परीक्षण किया है तथा इनका इष्टतमीकरण किया है। इस पद्धति का प्रायोगिक पौध स्तर तक प्रयोग किया जा चुका है।

विकसित प्रौद्योगिकी को गैर विशिष्ट आधार पर तथा नाममात्र की प्रौद्योगिकी फीस एवं रायल्टी भागीदारी व्यवस्था के आधार पर गोवा की मैसर्स एथोक्सीईथर्स को स्थानांतरित किया गया था।

(ख) सुरेन्द्र नगर में रेलवे भूमि पर जटरोफा का पौधाकरण

आईओसी ने बायो डीजल की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के अध्ययन के लिए, भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसरण में, आईओसी ने गुजरात के सुरेन्द्र नगर में रेलवे की 70 हेक्टेयर भूमि का पौधाकरण किया है। इस स्थान पर जटरोफा के एक लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। यह परियोजना देश में अपनी तरह की अकेली ऐसी परियोजना है, जिसमें जटरोफा बायो डीजल के प्रत्येक आयाम का अध्ययन किया जायेगा।

(ग) आईओसी (अनुसंधान और विकास) ने रेलवे लोकोमोटिव तथा वाणिज्यिक वाहनों पर डीजल में जटरोफा बायो डीजल के विभिन्न सम्मिश्रणों के साथ क्षेत्रीय परीक्षण आयोजित किए हैं।

रेल नेटवर्क

3175. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काफी समय पूर्व एक एकल और यूनीगेज रेल नेटवर्क बनाने के लिए प्रस्तुत किये गये विचार को अब समर्थन मिल रहा है और अब इस चुनौतीपूर्ण परियोजना को पूरा करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रस्तावित मापदंड और संरचना है;

(ग) देश में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है और इसमें छोटी लाइन, मीटर गेज और बड़ी लाइन का पृथक ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य को शुरू करने की प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए उक्त कार्य को किस समय-सीमा तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क), (ख) और (घ) 1992 से शुरू की गई एक आमान परियोजना के अंतर्गत, 12,200 कि.मी./छोटी लाइनों को पहले ही बड़े आमान में परिवर्तित किया जा चुका है और 8,000 कि.मी. पर कार्य, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है और ग्यारहवीं योजना के दौरान इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 31.3.2005 तक बड़े आमान, मीटर आमान और छोटे आमान का कुल मार्ग कि.मी. का ब्यौरा वार्षिकी 2004-05 में दिया गया है।

कर्नाटक में पर्यटन उद्योग

3176. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ, दक्षिण क्षेत्र द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि गत वर्ष पर्यटन क्षेत्र ने लगभग 30 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक में पर्यटन उद्योग ने वर्ष 2005-06 में लाभ के तहत 25 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए, दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विशेष पांच प्रमुख उद्योगों को कवर करते हुए, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), दक्षिणी क्षेत्र, द्विवार्षिक उद्योग मॉनिटर सर्वे संचालित करता है। सीआईआई द्वारा केरल तथा पांडिचेरी में पर्यटन की पहचान एक प्रमुख उद्योग के रूप में की जाती है और वे केवल इन्हीं दो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में प्रमुख सर्वेक्षण संचालित करता है। इसलिए सीआईआई अपने सर्वेक्षण में कर्नाटक को कवर नहीं करता। अप्रैल 2005-सितम्बर 2005 और अक्टूबर, 2005-मार्च 2006 के लिए, केरल तथा पांडिचेरी में पर्यटन क्षेत्र के कार्यनिष्पादन के संबंध में सीआईआई सर्वेक्षण की प्रमुख खोज, जोकि उद्योग के भीतर चुनिंदा कम्पनियों से प्रत्युत्तर पर आधारित है, निम्नानुसार है:

क्र.सं.	फैक्टर	वर्ष 2004–05 की तुलना में वर्ष 2005–06 के लिए पर्यटन उद्योग का कार्य–निष्पादन			
		केरल		पाण्डिचेरी	
		अप्रैल, 05–सितम्बर, 05	अक्टूबर, 05–मार्च, 06	अप्रैल, 05–सितम्बर, 05	अक्टूबर, 05–मार्च, 06
1.	पर्यटक प्रवाह	वृद्धि (10% तक)	वृद्धि (15–20%)	वृद्धि (10% तक)	वृद्धि (10–20%)
2.	विदेशी विनिमय	वृद्धि (10% तक)	वृद्धि (20%)	वृद्धि (5% तक)	वृद्धि (10%)
3.	लाभ सीमा	–वही–	वृद्धि (5–10%)	–वही–	–वही–
4.	रोजगार	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, सीआईआई अपने सर्वेक्षण में कर्नाटक में पर्यटन को कवर नहीं करता है। इस मंत्रालय के पास कर्नाटक में पर्यटन उद्योग से लाभ का कोई अनुमान नहीं है।

पारावूर में सड़क उपरिपुल

3177. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कोल्लम जिले के पारावूर क्षेत्र में सड़क उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेलवे और राज्य सरकार की 567.45 लाख रुपये के बराबरी की लागत भागीदारी के आधार पर परवूर और कोल्लम के बीच समपार सं. 554 के बदले ऊपरी सड़क पुल के कार्य को वर्ष 2006–07 के निर्माण कार्यक्रम में पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। सामान्य आरेखण व्यवस्था और अनुमानित लागत तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आटो ईंधन नीति में परिवर्तन

3178. श्री बालेश्वर यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यूरोपीय उत्सर्जन मानदंड के कार्यान्वयन हेतु आटो ईंधन नीति में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा अनुमोदित वाहन ईंधन नीति के अनुसार, पूरे देश में निम्नलिखित गुणवत्ता वाले ईंधन आरंभ किया गया है:–

ईंधन की गुणवत्ता	राज्य/शहर	आरंभ करने की तारीख
1	2	3
यूरो–III पेट्रोल और डीजल	13 शहर (दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, सोलापुर और लखनऊ)	1.04.2005
बीएस–II पेट्रोल	पूरे देश में	1.04.2005

1	2	3
बीएस–II	राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश	1.04.2005
डीजल	पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्य	
	राजस्थान	1.06.2005
	पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	1.07.2005
	मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़	1.09.2005
	पंजाब और जम्मू और कश्मीर	1.10.2005

वाहन ईंधन नीति में दिए गए मार्गदर्शक के अनुसार, अभिज्ञात शहरों में यूरो–4 के समतुल्य मानदंडों को और पूरे देश में यूरो–3 के समतुल्य मानदंडों को दिनांक 1.4.2010 से आरंभ किया जाना है। यह पूरे देश में भारत स्टेज–2 मानदंडों तथा अभिज्ञात शहरों में यूरो–3 के समतुल्य मानदंडों के प्रभाव के मूल्यांकन के आधार पर पुनरीक्षा की शर्त पर है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से इन अध्ययनों की शुरूआत की है। आशा है कि तीन मौसमों के लिए आंकड़ों पर आधारित अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर, 2007 तक पूरी हो जायेगी। आटो ईंधन नीति के अनुसरण में तेल उद्योग की वर्ष 2010 में यूरो–4 मानदंड आरंभ करने की योजना है।

इस मंत्रालय को चयनित शहरों में यूरो–4 तथा देश के बाकी हिस्सों में यूरो–3 के कार्यान्वयन की समय सूची को बढ़ाने से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, इन अनुरोधों पर सहमति संभव नहीं हो पाई है क्योंकि चुनिंदा शहरों में यूरो–3 तथा देश के बाकी हिस्सें में भारत स्टेज–2 के प्रभाव का आकलन अभी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ईंधन गुणवत्ता उन्नयन परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी गहन होती हैं जिनको आरंभ करने के लिए 36 से 48 माह की अवधि की आवश्यकता होती है।

[अनुवाद]

तिरूवनन्तपुरम-कन्याकुमारी रेल लाइन का दोहरीकरण

3179. श्री ए.वी. वेल्लारपिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सुविधा के लिए कन्याकुमारी यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से तिरूवनन्तपुरम–कन्याकुमारी, रेल लाइन का दोहरीकरण करने के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) तिरूवनन्तपुरम–कन्याकुमारी रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ग) यह कार्य स्वीकृत नहीं है, अतः समय–सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

ग्रामीण युवकों को सुविधाएं

3180. श्री हितेन बर्मन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े औद्योगिक घरानों के प्रवेश को रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (i) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण देने हेतु उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक लाख रुपये तक (ii) ग्रामीण उद्यमियों को 'व्यावहारिक अनुभव' उपलब्ध कराने के लिए केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, उद्योग संघों/परिसंघों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं के जरिए एकल उत्पाद खाद्य

प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 3 लाख रुपये तक और बहु उद्योग खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए 9.5 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भी अनुदान उपलब्ध कराता है जो सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी कार्यों की लागत का 25 प्रतिशत और अधिकतम 50 लाख रुपये तथा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत और अधिकतम 75 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

भारी उपकरण और हार्डवेयर उद्योग हेतु विनियामक प्राधिकरण

3181. श्री फारूकान अंसारी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भारी उपकरण और हार्डवेयर के विनिर्माण और रखरखाव के लिए एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, यह ऑटो, हैवी इलैक्ट्रिकल/इंजीनियरिंग तथा मशीन टूल्स क्षेत्रों से संबंधित है। वर्तमान में, इन क्षेत्रों के लिए विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एचएमआई में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार

3182. श्री नवीन जिन्दल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दार्जिलिंग स्थित हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट (एच एम आई) ने हाल ही में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस समारोह की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) एचएमआई द्वारा अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है;

(घ) इनमें से देशवार कितने विदेशी प्रशिक्षु हैं;

(ङ) क्या बड़ी संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एचएमआई में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (च) वर्ष 1954 में स्थापित किए गए दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ने 14 से 17 अक्टूबर, 2006 तक अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। स्वर्ण जयंती समारोहों के एक भाग के रूप में बहुत सी गतिविधियों, जैसे विशेष साहसिक पाठ्यक्रम, खुली खेल–कूद आरोहण प्रतियोगिता, साहसिक फिल्मोत्सव, एक मैराथन दौड़, दार्जिलिंग की जनता के लिए एक आमोद–प्रमोद दौड़, एक हिमालयी फोटो–प्रदर्शनी, विशेष पत्रिका और स्मारिका का विमोचन, का अयोजन किया गया। हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए प्रयास और सफाई अभियान शुरू किए जाने का भी संकल्प लिया गया। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा अब तक लगभग 25,343 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 1051 विदेशी भी शामिल हैं। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं की समीक्षा और उनमें सुधार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है, जो आवश्यकता के आधार पर कार्यान्वित की जाती है। इस संस्थान द्वारा देश–वार प्रशिक्षित किए गए विदेशियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

देश का नाम	प्रशिक्षित किए गए विदेशियों की संख्या
1	2
आस्ट्रेलिया	88
बांग्लादेश	21
बेल्जियम	06
भूटान	127
बर्मा	04
कनाडा	03
चीन	01
डेनमार्क	03
दुबई	16
जर्मनी	03
इंडोनेशिया	01

1	2
आयरलैंड	07
इज़रायल	01
कुवैत	02
लीबिया	01
मलेशिया	02
मलावी	01
नेपाल	700
न्यूजीलैंड	16
नॉर्वे	01
पाकिस्तान	06
श्रीलंका	04
स्विटजरलैंड	03
तंजानिया	01
थाईलैंड	06
संयुक्त अरब अमीरात	01
युनाइटेड किंगडम	06
संयुक्त राज्य अमेरिका	15
जाम्बिया	03
जिम्बाबवे	02
कुल	1051

[हिन्दी]

उत्तरांचल में रेल प्लेटफार्म

3183. श्री सुखाभी खरोला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उत्तर-पूर्व के इज्जत नगर मंडल में उत्तरांचल राज्य में रेल सेवाओं के खराब कार्य-निष्पादन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस जोन के ज्यादातर जंक्शनों पर केवल एक प्लेटफार्म है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे जंक्शनों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या रेलवे इन जंक्शनों पर प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अर्दलियों का रोब

3184. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्दली थलसेना में अधिकारियों की वर्दियों और हथियारों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन अर्दलियों से, यूनिट से स्थानांतरण होने के बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारियों के घरेलू कामकाज और निजी समारोहों में सेवा ली जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रकार के बर्ताव से अर्दलियों में अक्सर बड़े पैमाने पर रोष उत्पन्न हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा थल सेना के नियमों और विनियमों के अनुसार अर्दलियों के दायित्वों को परिभाषित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) एक अर्दली, संगठन का अभिन्न भाग होता है तथा वह एक सैनिक की सभी सामान्य ड्यूटियां करता है।

अर्दलियों को निम्नलिखित ड्यूटियां सौंपी गई हैं:–

(i) अफसरों/जूनियर कमीशन अफसरों के हथियारों, वर्दियों तथा उपस्करों का सेना की परंपरा तथा उपयोग के अनुसार रख–रखाव करना।

(ii) व्यक्तिगत संरक्षा तथा सुरक्षा उपलब्ध कराना।

(iii) संक्रियाओं, प्रशिक्षण तथा अभ्यास और शांति के दौरान टेलीफोन अटैंड करना तथा संदेश प्राप्त करना और देना।

(iv) युद्ध, प्रशिक्षण अथवा अभ्यास के दौराज जब लीडर योजना बनाने, समन्वय करने तथा आपरेशनों के निष्पादन में व्यस्त होते हैं, खंदक खोदने, बायोकस खड़े करने तथा शेल्टर बनाने में सहायता करना।

(v) गश्तों तथा स्वतंत्र मिशनों के दौरान सहायता करना।

(vi) आपरेशनों, प्रशिक्षण काडरों तथा बहिरंग अभ्यासों के दौरान रेडियो सेटों, नक्शों तथा अन्य सैन्य उपस्करों को ले जाना तथा उनका प्रचालन करना।

स्टेशनों पर दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए विशेष बूथ

3185. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि आरपीएफ/जी आर पी के कार्मिकों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर दृष्टिहीन हॉकरों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के ध्यान में ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या विदेशी प्रौद्योगिकी के साथ एक नए पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संशोधित खानपान, नीति, 2005 के अनुसार छोटी खानपान इकाइयों के आबंटन में शारीरिक/मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

बीपीसीएल के कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) बिक्री केन्द्र

3186. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) कितने बिक्री केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) सरकार की लंबित आशय पत्र धारकों को कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा प्रचालित बिक्री केन्द्र आबंटित करने के लिए क्या नीति है;

(ग) दिल्ली में खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू करने के लिए रक्षा और अन्य श्रेणियों में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के आशय पत्र धारकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों को कायिक निधि योजना के अंतर्गत शुरू किया जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इन बिक्री केन्द्रों को सौंपे जाने के लिए कंपनी की योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के पास दिल्ली में छह (6) स्थायी कंपनी–स्वामित्व–कंपनी–प्रचालित (सीओसीओ) खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) कार्यरत हैं।

(ख) मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को, विशेष योजना (आपरेशन विजय–कारगिल) के तहत लंबित आशय पत्र धारकों, विवेकाधीन कोटा योजना, निकाय निधि योजना (अनुसूचित जातियों/अनुसूचिज जनजातियों/विधवाओं तथा बिना आय वाले माता–पिता के साथ रहने वाली 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को तथा विपणन योजना में उल्लिखित अन्य वर्गों को) इसी क्रम में, उपयुक्तता की शर्त पर अस्थायी सीओसीओज सुपुर्द करने के लिए अपने दिशानिर्देश तैयार करने के सुझाव दिए हैं। यदि इन वर्गों में कोई उपयुक्त आशय पत्र धारक नहीं मिलते हैं, तो इन डीलरशिपों को सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए, सामान्य चयन प्रक्रिया, जिसमें विज्ञापन और साक्षात्कार शामिल हैं, के तहत विज्ञापित किया जाए। स्थायी सीओसीओ खुदरा बिक्री केन्द्र ओएमसीज द्वारा स्थायी रूप से स्वयं प्रचालित किए जाते हैं और इसलिए इनका प्रस्ताव किसी लंबित आशय पत्र धारक को नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) बीपीसीएल के पास विभिन्न वर्गों के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए आशय पत्र धारकों के 15 मामले लंबित हैं, जो दिल्ली में चालू करने के लिए लंबित हैं और उपर्युक्त में से छः (6) खुदरा बिक्री केन्द्र निकाय निधि योजना के तहत चालू किए जाने हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) बीपीसीएल की दिल्ली में स्थायी आधार पर छः (6) सीओसीओ खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालित करने की मंशा है और इसलिए कार्पोरेशन की इन्हें किसी लंबित आशय पत्र धारक को सुपुर्द करने की कोई योजना नहीं है।

विवरण

सरकारी विपणन योजना के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज़) के लिए लंबित आशय पत्र (एलओआई) धारकों के संबंध में बीपीसीएल के ब्यौरे

क्र.सं.	आशय पत्र (एलओआई) धारक का नाम	आशय पत्र (एलओआई) की तिथि	निकाय निधि पात्रता	श्रेणी	विपणन योजना
1.	फिरोज़ खान	11.7.1994	हां	विवेकाधीन कोटा योजना	विवेकाधीन कोटा योजना
2.	श्रीमती तान्या कपूर	23.4.2001	हां	रक्षा	1998–93–1
3.	श्रीमती काजल बत्रा	24.4.2001	हां	रक्षा	2/3 पहिया वाहन
4.	श्री डी. एन. तारा	22.6.2001	नहीं	स्वतंत्रता सेनानी	2/3 पहिया वाहन
5.	श्रीमती नीलम सिंह सालंकी	28.9.2001	नहीं	खुला (महिला)	1999–2000
6.	सुश्री जया रश्मि	23.2.2004	हां	अनुसूचित जाति	1999–2000
7.	श्री सुभाष चन्द्र डागा	24.3.2004	नहीं	खुला	1990–2000
8.	श्री भूपेश कुमार रातावाल	25.9.2004	हां	अनुसूचित जाति	1988–93 (II)
9.	योगेश मलिक	31.12.2004	हां	विवेकाधीन कोटा योजना	विवेकाधीन कोटा योजना

बीपीसीएल विपणन योजना के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज़) के लिए लंबित आशय पत्र (एलओआई) धारकों के ब्यौरे

क्र.सं	आशय पत्र (एलओआई) धारक का नाम	आशय पत्र (एलओआई) की तिथि	निकाय निधि पात्रता	श्रेणी	विपणन योजना
1.	मैसर्स विकास रोडलाइन्स	27.1.2004	नहीं	खुला	बीपीसीएल विपणन योजना
2.	श्री गजेन्द्र यादव	5.8.2004	नहीं	खुला	बीपीसीएल विपणन योजना
3.	श्री सुशील कुमार मित्तल	5.8.2004	नहीं	खुला	बीपीसीएल विपणन योजना
4.	सुरिष्ठा तिवारी	16.8.2004	नहीं	खुला	बीपीसीएल विपणन योजना
5.	ताराचंद	25.8.2005	नहीं	खुला	बीपीसीएल विपणन योजना
6.	दीपक गुप्ता	25.8.2005	नहीं	खुला	बीपीसीएल विपणन योजना

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार के उपक्रम

3187. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार के कौन–कौन से उपक्रम हैं;

(ख) केन्द्र सरकार के इन उपक्रमों को गत पांच वर्षों के दौरान कितना लाभ/हानि हुई है;

(ग) केन्द्र सरकार के ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है, जो बन्द पड़े हैं; और

(घ) उनका पुनरुद्धार करने और केन्द्र सरकार के कार्यरत उपक्रमों के निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) नवीनतम लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार दिनांक 31.3.2005 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इन उद्यमों के गत पांच वर्षों के लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने दिसम्बर, 2004 में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना की है और इसे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरुद्धार तथा पुनर्गठन का कार्य सौंपा गया है। बीपीआरपीएसई ने उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 5 उद्यमों के मामलें में अपनी अनुशंसाएं की हैं। ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा एनटीपीसी लिमिटेड, जिसमें एनटीसी (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड नामक सहायक कम्पनी शामिल है, के मामले में सरकार ने प्रस्तावों का पहले ही अनुमोदन कर दिया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में स्थित (उनके पंजीकृत कार्यालय के अनुसार) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का गत पांच वर्षों का लाभ/हानि का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कार्यालय सहित स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नाम	लाभ/हानि (–)				
		2004–05	2003–04	2002–03	2001–02	2000–01
1	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु. कारपो. ऑफ इण्डिया, कानपुर	341	809	802	274	51
2	भारत इम्युनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपो. लि., बुलन्दशहर	133	6678	–1793	–716	87
3	भारत लेदर कं. लि., आगरा $	उ.न.	–319	–309	–654	–242
4	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि. इलाहाबाद	–1086	–2494	–1292	–1246	–559
5	भारत यंत्र निगम लि., इलाहाबाद	1	0	0	1	1
6	ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि., कानपुर	उ.न.	275	6537	–4611	–3741
7	ब्रॉडकॉस्ट इंजी. कंसल्टेंट्स इंडिया लि., नोएडा	130	109	90	88	88
8	ब्रुशवेयर लि., कानपुर $	उ.न.	–59	–5	–5	–5
9	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ	78	145	211	34	32

1	2	3	4	5	6	7
10	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि., लखनऊ	–4633	43512	–32998	–7935	–13568
11	स्कूटर्स इंडिया लि., लखनऊ	139	316	265	226	510
12	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., इलाहाबाद	उ.न.	उ.न.	–2625	–1223	–4592

स्रोत : लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2004–05, 2003–04 और 2002–03।
उ.न. : उपलब्ध नहीं
$ कंपनी में कोई उत्पादन नहीं।

(घ) *केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नाम, जिनके लिए बीआरपीएसई ने अपनी अनुशंसा की है।*

1. भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि., इलाहाबाद
2. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि., कानपुर
3. नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि., कानपुर
4. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., इलाहाबाद
5. भारत यंत्र निगम लि., इलाहाबाद

उपर्युक्त क्रम सं. 2 तथा 3 के मामले में सरकार ने पुनरूद्धार प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके अलावा, बीआरपीएसई ने क्रम सं. 5 पर उल्लिखित उद्यम को बंद करने की सिफारिश की है

[अनुवाद]

गोलकोंडा देखने वाले पर्यटक

3188. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औसतन कितने पर्यटक प्रतिदिन गोलकोंडा किले को देखने जाते हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने पर्यटक किले को देखने गए;

(ख) इस किले के लिए प्रवेश टिकट की दर क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष टिकटों की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) गोलकोंडा किले को देखने वाले पर्यटकों की औसत संख्या लगभग 2000–2500 है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर, 2006 तक किले को देखने आए पर्यटकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	पर्यटकों की संख्या		
	भारतीय	विदेशी	कुल
2003–04	687718	8596	696314
2004–05	779818	10751	790569
2005–06	803986	13803	817789
2006–07 (नवम्बर, 06 तक)	657346	8485	665831

(ख) प्रवेश शुल्क की दर निम्नानुसार है:–

भारतीय नागरिक 5 रुपये प्रति व्यक्ति

विदेशी पर्यटक : 2 अगरीकी डालर या इसके बराबर 100/– रु. प्रति व्यक्ति

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर, 2006 तक के दौरान प्रवेश शुल्क की बिक्री से अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

	रुपये	अमरीकी डॉलर
2003–04	4222240	1358
2004–05	4892790	1628
2005–06	5299530	2014
2006–07 (नवम्बर, 06 तक)	4072830	1248

130 एम.एम. गन का उन्नयन

3189. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **रक्षा मंत्री** 130 एम.एम. गन के उन्नयन के बारे में दिनांक 24 मार्च, 2005 और 18 अगस्त, 2005 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 3313 तथा 3538 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 130 एम.एम. गन के उन्नयन हेतु संविदा में कथित अनियमितताओं से संबंधित जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाई गई कंपनियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) इस संबंध में कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

ओएनजीसी द्वारा तेल तथा गैस अन्वेषण

3190. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा राज्यवार कितनी तेल तथा गैस अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा पूरी की गई हैं;

(ख) क्या सरकार हिमालय क्षेत्र में गैस तथा तेल के भंडारों की खोज कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है तथा ऐसे कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) दिनांक 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार, गत तीन वर्षों (2003–06) के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में द्वि–आयामी (2डी) सर्वेक्षण के 6745 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जीएलके), त्रिआयामी सर्वेक्षण के 6131 वर्ग किलोमीटर का अर्जन तथा 244 अन्वेषी कूपों का वेधन कार्य पूरा कर लिया है।

वर्तमान वर्ष 2006–07 में, दिनांक 1.10.2006 को ओएनजीसी ने आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा राज्यों में द्वि–आयामी सर्वेक्षण के 839 जीएलके तथा त्रिआयामी सर्वेक्षण के 1809 वर्ग किलोमीटर का अर्जन तथा 35 अन्वेषी कूपों का वेधन कार्य पूरा कर लिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) ओएनजीसी, प्रारंभ से ही जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में निचले हिमालय के पादगिरि में अन्वेषण कार्य करता रहा है। ओएनजीसी ने अब तक बिना किसी वाणिज्यिक सफलता के पहले ही द्विआयामी सर्वेक्षण आंकड़ों के 8310 जीएलके का अर्जन तथा 19 कूपों का वेधन कार्य कर लिया है।

दसवीं योजना अवधि के दौरान, 77.30 करोड़ रुपये के वित्तीय योजना परिव्यय ओएनजीसी ने जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में आने वाले हिमालयी अग्रभूमि बेसिन में 225 जीएलके द्विआयामी सर्वेक्षण आंकड़े का अर्जन तथा तीन अन्वेषण कूपों के वेधन की परिकल्पना की है। दिनांक 1.10.2006 को, ओएनजीसी ने पहले ही 134.40 करोड़ रुपये के व्यय पर 718 जीएलके के द्विआयामी सर्वेक्षण तथा दो अन्वेषी कूपों का वेधन किया है।

वर्तमान में, ओएनजीसी के पास हाइड्रोकार्बनों के लिए अन्वेषण कार्य करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले हिमालयी क्षेत्र में कांगड़ा मंडी तथा एचएफओएनएन–2001/1 नाम के दो पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस हैं। ग्यारहवीं योजना अवधि में अंशतः इन रकबों में अन्वेषण लाइसेंस जारी रहेंगे।

गुनुपुर से थेरूवाली रेलवे स्टेशन तक बड़ी रेलवे लाइन

3191. श्री गिरिधर गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुनुपुर रेलवे स्टेशन में थेरूवाली रेलवे स्टेशन तक बड़ी लाइन का तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थान और मार्गों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वतटीय रेलवे जोन के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना में मिसिंग लिंक रेल लाइन के रूप में इन बड़ी लाइनों के निर्माण को शामिल करने सहित रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) कुजेन्दरी, पेनकम रोड, रामागुंडम, देवला, बामकिली, दुर्गी और कोड्डाभट्टा के रास्ते नौपड़ा–गुनुपुर लाइन का गुनुपुर से आगे थेरूवेल तक विस्तार के लिए व्यावहारिकता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। इस अध्ययन रिपोर्ट की जांच की गई और परियोजना को अर्थक्षम नहीं पाया गया।

खन्ना रेल दुर्घटना संबंधी गर्ग आयोग

3192. श्रीमती परनीत कौर :
श्री अधीर चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998 के दौरान खन्ना रेलवे स्टेशन के निकट हुई रेल दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए गर्ग आयोग की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस तिथी को सौंपी थी;

(ग) क्या रेलवे ने गर्ग आयोग रिपोर्ट के आने से काफी पहले पटरियों के लिए विनिर्देशों में संशोधन जारी कर दिये थे जैसा कि 28 नवम्बर, 2006 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग ने अपनी रिपोर्ट 16.7.2004 को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) और (घ) गर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश होने से पूर्व रेलवे ने 1996 की पटरी विनिर्माण विशिष्टियों में तीन संशोधन किए हैं।

(ङ) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट 12/13.5.2005 को संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई।

माजुली द्वीप

3193. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **संस्कृति मंत्री** विश्व धरोहर सूची में माजुली द्वीप को शामिल करने हेतु नामांकन के बारे में 24 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3438 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व धरोहर स्थल के रूप में माजुली द्वीप के नामांकन के संबंध में विश्व धरोहर समिति द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना डोजियर को समय पर पुनः सौंपने के उद्देश से एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किन-किन एजेंसियों को सौंपा गया है और प्रत्येक मापदण्ड के प्रति निर्धारित लक्ष्य सहित अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है और इस आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) विलनियस (लिथुआनिया) में आयोजित अपने 30वें अधिवेशन में माजुली द्वीप को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव राज्य पक्ष (स्टेट पार्टी) को अतिरिक्त सूचना के लिए भेजा गया था।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व धरोहर समिति द्वारा मांगे गये अतिरिक्त आंकड़े एकत्र करने के संबंध में असम सरकार के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था और इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किये गये हैं। इस संबंध में अतिरिक्त सूचना एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है।

आशा है कि 3-4 माह की अवधि के अन्दर अपेक्षित अतिरिक्त सूचना एकत्र कर ली जायेगी, जो विश्व धरोहर समिति को भेज दी जायेगी।

[हिन्दी]

पसराहा और नारायणपुर के बीच
भारतखण्ड हाल्ट

3194. श्रीमती रंजीत रंजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मण्डल के अंतर्गत पसराहा और नारायणपुर के बीच भारतखण्ड हाल्ट को क्रासिंग स्टेशन के रूप में परिवर्तित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या निविाद के आधार पर ठेकेदार द्वारा निर्मित भवन और प्लेटफार्म का कार्य संतोषजनक नहीं है और इनके दरारें भी पड़ गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारतखण्ड स्टेशन के भवन के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए 10 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) इस इमारत का फर्श धंस गया है और प्लेटफार्म की मुंडेर के कंक्रीट ब्लॉक में गड़बड़ी है। पुनःस्थापन और मरम्मत संबंधी आवश्यक निवारक उपाय कर लिए गए हैं।

(घ) आवश्यक मरम्मत कार्य करने के उपरांत, मौजूदा इमारत का इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

[अनुवाद]

फ्रूट ड्रिंक्स

3195. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बेचे जा रहे ब्राण्डेड फ्रूट ड्रिंक्स में वास्तव में फलों की कुछ भी मात्रा नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस बारे में कुछ शिकायतें हैं; और

(घ) इस बारे में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) फल पेयों (फ्रूट ड्रिंक्स) का निर्माण और विपणन करने से पूर्व, फल उत्पाद आदेश, 1955 के अंतर्गत लाइसेंस लेना अपेक्षित है। फल उत्पाद आदेश में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार, फल पेयों में फल रस की मात्रा न्यूनतम 10 प्रतिशत होनी चाहिए। फल पेयों में फल की मात्रा के बारे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नियुक्तियों में कथित अनियमितताएं

3196. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** नियुक्तियों में कथित अनियमितताएं के बारे में 1 मई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2978 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध सीवीसी की जांच लम्बित पड़ी है, उनकी नियुक्तियों को निरस्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार हाल ही में लोक उद्यम चयन मण्डल द्वारा निम्नलिखित पदों के चयन हेतु अनुशंसित पैनल में शामिल तीन उम्मीदवारों के मामले में सतर्कता अनुमति रोक दी गई है:–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में सतर्कता अनुमति के बिना किसी उम्मीदवार की नियुक्ति सम्बन्धित पद पर नहीं की गई है।

भूस्वामियों को डीलरशिप

3197. श्री उदय सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईबीपी कंपनी लि. ने नीति के विरुद्ध 1 अप्रैल, 2002 को समाप्त की गई एपीएम के बाद भूस्वामियों अथवा उनके नामितियों को डीलरशिप प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में किसी जांच के आदेश दिए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) आईबीपी कंपनी लिमिटेड ने बताया है कि 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (एपीएम) की समाप्ति के बाद उन्होंने अपनी वर्तमान नीति/दिशानिर्देशों की संकल्पना के अनुसार भू–स्वामी श्रेणी के तहत भू–स्वामियों को अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को डीलरशिप प्रदान की है। तथापि, नीति/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के विषय में जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, आईबीपी की शिकायत निवारण प्रणाली के अनुसार उनकी जांच की जाती है। यद्यपि सरकार ने इस संबंध में किसी जांच–पड़ताल का आदेश नहीं दिया है,

तथापि, आईबीपी से इस मामले में किसी उल्लंघन की जांच–पड़ताल करने को कहा गया है।

कारगिल शहीदों के आश्रितों को कोको बिक्री केन्द्रों का आबंटन

3198. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अक्टूबर, 2004 में कारगिल लाभार्थियों को "ए" साईट विपणन योजना स्थलों के अंतर्गत विकसित सभी कोको का आबंटन करने के लिए एक पत्र जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो विपणन कंपनियों द्वारा ऐसे कितने कोको चलाए जा रहे हैं और कारगिल श्रेणी से संबंधित कितने एलओआई लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे सभी लंबित मामलों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) मंत्रालय ने दिनांक 25.10.2004 के अपने पत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को सलाह दी थी कि:

(1) "ए" साईट की विपणन योजना स्थलों पर स्थित कोको को ऐसे डीलरों को सौंपा जाएगा जो दिशानिर्देशों के अनुसार उन स्थलों के लिए औपचारिक रूप से चुने गए हैं।

(2) अन्य कोको के मामलों में, केवल विशेष योजना (आपरेशन विजय कारगिल) (ओवीएसएस) तथा विवेकाधीन कोटा के तहत आशय पत्र धारकों को कोको डीलरशिपें प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जा सकता है। ओवीएसएस के लिए परस्पर प्राथमिकता पुनर्वास महानिदेशक (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार होगी।

इसके अलावा मंत्रालय ने दिनांक 6.9.2006 के अपने पत्र द्वारा सलाह दी है कि तेल उद्योग विशेष योजना (आपरेशन विजय कारगिल) तथा विवेकाधीन कोटा योजना के तहत श्रेणियों को अपने अस्थायी कोको खुदरा बिक्री केन्द्र को सौंपे जाने के लिए पूल बना सकता है। यदि इन श्रेणियों के तहत कोई आशय पत्र धारक उपलब्ध नहीं है, तो इन डीलरशिपों को सामान्य प्रक्रिया के तहत डीलरों के चयन के लिए विज्ञापित किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) 30.11.2006 को, "ऑपरेशन विजय" (कारगिल) के दौरान युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/आश्रितों को आबंटित 28 खुदरा बिक्री केन्द्रों डीलरशिपें विभिन्न कारणों के चलते जैसे आबंटिती द्वारा चयन किए गए स्थल पर भूमि की अनुपलब्धता, विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी न मिलने, आबंटिती द्वारा अस्थायी कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों को स्वीकार न करने आदि कारणों से चालू होने से रुकी हुई थी, जो मंत्रालय या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के नियंत्रण से बाहर हैं। यह मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों से भूमि का आबंटन तेज करने/आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्रों (एनओसी) को जारी करने का अनुरोध करता रहा है। ओएमसीज को सलाह दी गई है कि व्यवहार्य/संभाव्य विकल्पों जैसे उपयुक्त अस्थायी कोको आरओ, एलपीजी एजेंसियों, स्थल परिवर्तनों आदि को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकारने हेतु आबंटितियों को परामर्श देने के लिए पुनर्वास महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय करें।

आसियान एयरलाइन्स के साथ समझौता

3199. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसियान देशों के साथ मुक्त आकाश समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और आज की तिथि के अनुसार इस समझौते की स्थिति क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय विमान कम्पनियां विमानों की कमी से जूझ रही हैं और आसियान देशों की अन्य एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) हमारे आसियान ऑफर के अनुसार, आसियान के सभी 10 देशों की नामित एयरलाइनों को भारत में चार महानगरों यथा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई के लिए एक दैनिक उड़ान और 18 पर्यटक, गन्तव्यों के लिए असीमित प्रवेश की पेशकश की गई है। इन आसियान देशों में से, सिंगापुर, थाईलैण्ड, मलेशिया और वियतनाम ने इस पेशकश को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं।

(ख) और (ग) यात्री–सीट उपयोगिता में सुधार लाने के उद्देश्य से, दोनों राष्ट्रीय वाहकों ने अनेक कदम उठाए हैं। एअर इंडिया ने अपना कम लागत वाला वाहक, एअर इंडिया एक्सप्रैस लांच किया है। एअर इंडिया एक्सप्रैस की सेवाओं को उत्तरोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य

क्षेत्रों तक विस्तार दिया जाएगा। दोनों एयरलाइनें नए विमानों का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में हैं, जिनसे इनके उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विमानों को ड्राई लीज पर लिया जाना, मौजूदा विमानों की पुनर्सज्जा, विशेष प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ करना, गैर-किफायती कार्यालयों को बन्द करना, स्टाफ की संख्या में कमी और पुनः नियुक्ति, अप्रमुख गतिविधियों को अनुषंगी कम्पनियों को आउटसोर्स करना आदि इस दिशा में उठाए जा रहे अन्य कदम हैं।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की कार्पस निधि

3200. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभार्थ शैक्षिक स्कीमों और योजनाओं के क्रियान्वयन में इसकी प्रभाविता और कवरेज को बढ़ाने के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) की कार्पस निधि को दुगुना करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 1 दिसम्बर, 2006 के "हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एमएईएफ से राज्य-वार कितने गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(घ) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभार्थ शैक्षिक स्कीमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) इससे अल्पसंख्यकों विशेषकर सामान्यतः कमजोर वर्गों को साक्षर बनाने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संग्रह निधि को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूली शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने, उर्दू पढ़ाने के लिए अधिक संसाधन प्रदान करने, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करने, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक ढांचे में सुधार करने पर बल दिया गया है।

विवरण

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 के दौरान, गैर सरकारी संगठनों जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौ.आ.शि. प्रतिष्ठान द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की वर्षवार संख्या		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	6	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	1	–	–
4.	बिहार	–	1	3
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–
6.	गोवा	–	2	–
7.	गुजरात	–	7	3
8.	हरियाणा	–	2	1
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	1	4	–
11.	झारखण्ड	–	–	–
12.	कर्नाटक	3	3	2
13.	केरल	–	4	6
14.	मध्य प्रदेश	12	3	1
15.	महाराष्ट्र	9	27	8
16.	मणिपुर	2	–	–
17.	मेघालय	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–
20.	उड़ीसा	–	3	–
21.	पंजाब	–	–	–
22.	राजस्थान	1	5	–

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	–	–	–
24.	तमिलनाडु	1	4	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	13	27	20
27.	उत्तरांचल	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	2	3	–
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
30.	चंडीगढ़	–	–	–
31.	दादरा और नागर हवेली	–	–	–
32.	दमन और दीव	–	–	–
33.	दिल्ली	–	1	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–
35.	पाण्डिचेरी	–	–	–
	कुल	46	102	44

तेल क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए भारत और चीन की संयुक्त बोली

3201. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन भविष्य में तेल क्षेत्रों के वैश्विक अधिग्रहण के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त उद्यम की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित संयुक्त उद्यमत कब तक प्रभावी होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और चीन लोक गणराज्य के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी) ने तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि करने के लिए 12.1.2006 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौता ज्ञापन में तेल उत्पाक क्षेत्रों और अन्वेषण तथा उत्पादन (ईएंडपी) संविदाओं में इक्विटी प्रतिभागिता के लिए संयुक्त बोलियां भेजकर, विशेष रूप से घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बढ़ी हुई तेल निकासी और वर्धिक तेल निकासी के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास प्रस्तावों के संयुक्त अनुसरण के माध्यम से घरेलू क्षमताओं और संसाधनों में वृद्धि करके, एक दूसरे के देशों और तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इंजीनियरी और पेट्रोलियम सेवाओं के क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षमताएं जुटाकर, कच्चे तेल और गैस की संयुक्त खरीद की संभावना का पता लगाकर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति एक साथ प्रस्तुत करने इत्यादि के द्वारा तीसरे देशों में निवेश अवसरों का अनुसरण करना परिकल्पित है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), जो विदेश में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन में रत आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की एक सहायक कंपनी है, सूडान, सीरिया, कोलम्बिया और नाइजीरिया साओ टोम प्रिंसाइपो में आरंभ की गई अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाओं में चीनी फर्मों के साथ एक संयुक्त भागीदार है।

पेट्रोलियम और उर्वरक क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षण समिति

3202. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक क्षेत्र के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के स्रोतों का पता लगाने और गैस के मूल्य निर्धारण के लिए गेल (इंडिया) लि. को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेट्रोलियम और उर्वरक क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षण समिति बनाने का भी निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों के गठन और कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) देश में अभी प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के बीच काफी बड़ा अंतर है। इस अंतर को पाटने का एक विकल्प है कि प्राकृतिक गैस को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में आयात किया जाए। गेल तथा अन्य एजेंसियां, उर्वरक क्षेत्र के साथ–साथ विभिन्न गैस उपभोक्ताओं के लिए युक्तियुक्त मूल्यों पर एलएनजी प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। गेल द्वारा एलएनजी के आयात के लिए आस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, नाइजीरिया तथा म्यांमार में विभिन्न संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श किए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) उर्वरक विभाग ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 के आदेश द्वारा एक समिति का गठन किया है जिसमें निम्नलिखित रचना तथा निर्देश–पद हैं:–

1.	सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सचिव, योजना आयोग	सदस्य
3.	सचिव, उर्वरक विभाग	सदस्य
4.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य

निर्देश–पद:–

1. उर्वरक क्षेत्र को मांग अनुमानों के अनुसार गैस से जुड़ाव और गैस की सुनिश्चित आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करना।
2. गैस की कीमत को एक पारदर्शी तरीके से निर्धारित करने के लिए एक यथोचित प्रणाली विकसित करना।
3. अन्य कोई मामला जिसे समिति सही समझती हो।

इस समिति को उर्वरक विभाग द्वारा सेवाएं प्रदान की जायेंगी।

उर्वरक विभाग (डीओएफ) इस मामले पर आगे कार्यवाही करेगा क्योंकि यह समिति की सेवा के लिए नोडल विभाग है।

[हिन्दी]

जोधपुर विमानपत्तन का स्थानांतरण

3203. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में जोधपुर में विमानपत्तन को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विकास हेतु गांवों को गोद लेना

3204. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विकास हेतु गांवों को गोद लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) रक्षा उत्पादन विभाग ने हाल ही में एक निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को अपनी कारपोरेट योजना के एक हिस्से के रूप में सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए तथा प्रणालीबद्ध तरीके से कार्यकलाप शुरू करने चाहिए। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम आसपास के क्षेत्र में कुछ सेवा अथवा सहायता मुहैया करा रहे हैं, किंतु एकीकृत तथा सतत् ग्रामीण विकास के अनुकरणीय मॉडल तैयार करने के लिए समयबद्ध तरीके से ठोस प्रयास करने की जरूरत है। ग्रामीण विकास में जलप्रबंधन प्रणाली, हेल्थ केयर प्रणाली, प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणाली तथा आय के साधन जुटाने के कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं।

[हिन्दी]

झारखंड में मीथेन की खोज

3205. श्री टेकलाल महतो : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के देवघर गांव में मीथेन गैस के भंडार पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैस की अनुमानित उपलब्धता कितनी है;

(ग) उक्त भंडारों से गैस की खोज करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त स्थान के ग्रामीणों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) झारखंड का देवघर गांव सीबीएम ब्लॉक झरिया में स्थित है जो कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और उत्पादन के लिए ओएनजीसी और सीआईएल परिसंघ को प्रदान किया गया है। सीबीएम भंडारों का इस ब्लाक में अब तक पता नहीं लगाया गया है जो अन्वेषण चरण में है।

(घ) और (ङ) देवघर ग्रामीण समिति ने निम्नलिखित मांगों के साथ ओएनजीसी को एक अभ्यावेदन भेजा है:

(1) वित्तीय पुनर्वास और रोजगार के संबंध में पूर्ण सुरक्षा।

(2) स्थायी पुनर्वास पैकेज के बिना सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और गांव के बेरोजगार युवाओं को निर्माण क्रियाकलापों में लगाना होगा।

(3) गांव के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति के लिए कुशल कार्यों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी और सरकार उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करेगी।

(4) ओएनजीसी देवघर गांव के विकास और प्रगति को महत्व देगा।

(च) ओएनजीसी द्वारा गांव की समिति के साथ परामर्श करते हुए स्थानीय युवाओं को निर्माण कार्यकलापों के लिए नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है। ओएनजीसी अपनी नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के भाग के रूप में अपने परियोजना क्षेत्रों में कल्याण क्रियाकलाप करता है।

[अनुवाद]

दलित उत्पीड़न संबंधी समिति

3206. श्री पी. करुणाकरन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दलित उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए यू.जी.सी. के अध्यक्ष प्रो. थोराट की अध्यक्षता में समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और इन पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ हुए कथित उत्पीड़न के संबंध में संसद–सदस्य, मीडिया रिपोर्टों और अन्य अभ्यावेदनों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नौकरियों और शिक्षा में अल्पसंख्यकों को आरक्षण

3207. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री राजेन गोहेन :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण हेतु प्रावधान करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई राज्यवार सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिना अनुमति निजी हेलीकॉप्टर का प्रवेश

3208. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी एयरलाइन के हेलीकॉप्टर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से अनुमति के बिना जोधपुर में प्रवेश किया था और जोधपुर विमानपत्तन पर उतरा था जैसा कि दिनांक 8 नवम्बर, 2006 के हिंदुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) सुमित एविएशन हेलीकॉप्टर ने दिनांक 21.10.2006 को जयपुर से मंडोर तक आयोजित उड़ान का प्रचालन किया था जो तथापि जोधपुर पैलेस पर उतरी।

(ग) यह घटना नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जांच के अधीन है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जायेगी।

चंद्रनाथपुर से गुवाहाटी तक रेल लाइन

3209. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अस्सी के दशक में चंद्रपुर से गुवाहाटी तक बारस्ता लंका और जग्गी रोड़ नई रेल–लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया गया था जिससे बराक घाटी से गुवाहाटी तक की यात्रा के समय में आठ घंटे तक की बचत होगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई रेल लाइन के निर्माण कार्य को व्यवहार्य माना गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण की अवधि, सर्वेक्षण पर आई लागत और इतनी जनसंख्या को अत्यधिक लाभ प्रदान कर सकने वाली नई रेल लाइन के कार्य को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) लंका और सिलचर (209 कि.मी.) के बीच नई बड़ी आमान लाइन के निर्माण हेतु एक सर्वेक्षण 1984–85 के दौरान किया गया था और इसे चन्द्रनाथपुर के रास्ते लमडिंग से सिलचर तक मौजूदा मीटर आमान लाइन के वैकल्पिक बड़े आमान परिवर्तन सहित वर्ष 1995–96 में अद्यतन किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित नई लाइन के निर्माण की लागत 2166 करोड़ रु. आंकी गई थी। आमान के विकल्प को मंजूर किया गया और विभिन्न तकनीकी और वित्तीय पहलुओं को देखते हुए शुरू किया गया था।

अद्यतन सर्वेक्षण 6.25 लाख रु. की लागत पर लगभग 9 माह में पूरा किया गया था।

सीपीएसई के भण्डार और अधिशेष

3210. श्री तरित बरण तोपदार : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उद्यमों (सीपीएसई) के पास 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के भण्डार और अधिशेष हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी तथ्यों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नई परियोजनाओं हेतु निजी क्षेत्र को 60:20 के ऋण इक्विटी अनुपात की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह अनुमति सीपीएसई को भी दी जायेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सीपीएसई द्वारा उपर्युक्त भण्डार के आधार पर ऋण बाजार से जुटाए जा सकने वाले अधिकतम संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण के नवीनतम अंक के अनुसार 31.3.2005 तक सभी 237 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास कुल मिलाकर 3.10 लाख करोड़ रुपये के प्रारक्षित एवं अधिशेष थे।

(ग) वर्तमानतः वाणिज्यिक बैंकों के ऋण से संबंधित सभी मामलों का विनियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है तथा इस प्रकार बैंक द्वारा सरकारी/गैर सरकारी उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई ऋण, इक्विटी अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(च) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी निवेश योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए नियोजित ऋण की राशि तथा सीमा अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, संसाधनों का आंतरिक उपार्जन, नए निवेश के लिए क्षमता तथा गुंजाइश, परियोजना

की वित्तीय व्यवहार्यता, क्षेत्र की किस्म तथा प्रबंधन के वाणिज्यिक निर्णय इत्यादि शामिल हैं। इसलिए, केवल प्रारक्षित का स्तर ऋण बाजार से जुटाए जा सकने वाले अधिकतम संसाधन निर्धारित नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

एलपीजी डीलरों के लिए उपभोक्ताओं का पुनः नियतन

3211. चौ. मुनव्वर हसन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़ और उत्तरांचल में ऋषिकेश और हरिद्वार जिलों में विभिन्न तेल कंपनियों के कितने गैस डीलर कार्यरत हैं और उक्त डीलरों में से प्रत्येक डीलर के कंपनीवार नाम और पते क्या हैं;

(ख) दिनांक 31 अक्तूबर, 2006 तक उक्त प्रत्येक डीलर के कितने उपभोक्ता हैं;

(ग) क्या 10,000 से अधिक उपभोक्ताओं वाले डीलर उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलिंडर प्रदान कराने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दस हजार से अधिक और कम उपभोक्ताओं वाले डीलरों के लिए उपभोक्ताओं की संख्या पुनः नियत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो पुनः नियतन के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) नामतः इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़ जिलों और उत्तरांचल में ऋषिकेश और हरिद्वार जिलों में एलपीजी का विपणन कर रहीं हैं। 31.10.2006 को स्थिति के अनुसार ओएमसीज उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के इन जिलों में क्रमशः 53 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 28 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के माध्यम से ओएमसीज क्रमशः लगभग 3.69 लाख और 2.08 लाख ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रही है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के नाम और पते तथा उनके ग्राहकों की संख्या संबंधी ब्यौरे संबंधित ओएमसीज के निदेशकों (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ग) जी, हां। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग पूर्णतः पूरी की जा रही है।

(घ) और (ङ) सरकार ने अब ग्राहकों के अंतरण के संबंध में नीति का पुनरीक्षण किया है और अब ग्राहकों के अंतर-कंपनी अंतरण की नीतिगत मामले के रूप में अनुमति नहीं है। तथापि ओएमसीज ने रिपोर्ट भेजी है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों का पुनर्गठन करना जो अधिकतम सीमा से ऊपर उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं, एक नियमित प्रक्रिया है और इसे बाजार की जरूरत के आधार पर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मोम की अनुपलब्धता

3212. श्री सुव्रत बोस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मोम की अनुपलब्धता के कारण इस उत्पाद से जुड़े उद्योग, देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार में बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) बिहार और पश्चिम बंगाल में पैराफिन मोम की मांग आमतौर पर आई.ओ.सी. द्वारा अपनी डिग्बोई रिफाइनरी में उत्पादित पैराफिन मौम के माध्यम से पूरी की जाती है। 2004-05 के दौरान डिग्बोई रिफाइनरी में पैराफिन मोम प्रकार-II का औसत उत्पादन 3032 एमटी/माह था, जबकि 2005-06 में यह 3016 एमटी/माह था। बिहार राज्य में 1.4.04 से प्रवेश कर लगाने के कारण डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा पुनः बिक्री के लिए उठान बहुत कम हो गया है।

(ग) जबकि तेल कंपनियां वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिए पैराफिन मोम का अपना उत्पाद/आपूर्ति बनाए रखना जारी रखेंगी, सरकार ने पैराफिन मोम के आयात को नियंत्रणमुक्त कर दिया है और खपत कंपनियां माधिक मोम के लिए पैराफिन मोम की अपनी अपेक्षाओं का सीधे आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्राधिकृत अधिकारियों को नयाचार प्रवेश पास जारी करना

3213. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री 11 मई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3020 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्राधिकृत अधिकारियों को संचालन, नयाचार और सुविधाओं के उद्देश्य से जारी किए गए एयरपोर्ट प्रवेश पासों (ए ई पी) का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त दिशा–निर्देशों/प्रक्रिया के तहत कुछ प्रोटोकाल/प्राधिकृत अधिकारियों को एयरपोर्ट प्रवेश पास जारी करने से मना किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या एयरपोर्ट प्रवेश पास जारी करने के लिए विद्यमान दिशा–निर्देशों/प्रक्रिया में जन प्रतिनिधियों के अधिकृत प्रोटोकाल निजी सहायक शामिल नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(च) विद्यमान दिशा–निर्देशों/प्रक्रियाओं में उक्त प्रोटोकाल अधिकारियों को शामिल करने के लिए क्या उपाय किये गए/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान सरकारी/प्रचालनात्मक उद्देश्यों के लिए क्रमशः कुल 89149, 63823 तथा 52692 एयरपोर्ट प्रवेश पास जारी किए गए थे। इन अवधियों के दौरान नयाचार/सुविधाओं के उद्देश्यों के लिए क्रमशः 7088, 6577 तथा 10442 एयरपोर्ट प्रवेश पास जारी किए गये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) संवेदनशील सुरक्षा वातावरण के कारण सिविल हवाईअड्डों पर आगंतुकों के प्रवेश की सीमा को कम से कम करने के लिए, वर्तमान नीति के अनुसार केबिनेट मंत्रियों, राज्यमंत्रियों तथा उप–मंत्रियों के प्रत्येक के वैयक्तिक स्टाफ को केवल दो एयरपोर्ट प्रवेश पास देने की अनुमति है।

(च) मौजूदा दिशा–निर्देशों में जन प्रतिनिधियों को किसी अन्य श्रेणी को शामिल करेन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में फायरिंग रेंज की स्थापना

3214. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में फायरिंग रेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भूमि कब तक अधिग्रहीत किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के नलगोंडा तथा रंगा रेड्डी जिलों के राजकोंडा क्षेत्र में फील्ड फायरिंग रेंज स्थापित करने का प्रस्ताव प्राथमिक चरण में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, संबंधित जिलों के राजस्व अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण के पूरा होने के पश्चात ही शुरू होगी।

केन्द्रीय सरकार के नवरत्न/मिनीरत्न उद्यमों के कार्य-निष्पादन

3215. श्री सांताश्री चटर्जी :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के नवरत्न/मिनीरत्न उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी केन्द्रीय सरकार के उद्यम–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ उद्यमों के नवरत्न/मिनीरत्न के दर्जे को वापस ले लिया गया है/लिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार के उपर्युक्त उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार और प्रचालनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) शीर्ष समिति ने वर्ष 2005 में नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की थी तथा अन्तर–मंत्रालयी समिति ने वर्ष 2003–04 के दौरान मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की थी।

(ग) और (घ) सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग मिनीरत्न का

दर्जा प्रदान करने/वापस लेने का निर्णय लेते हैं। समीक्षा के आधार पर अन्तर–मंत्रालयी समिति ने विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी थी कि वे निर्धारित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के मिनीरत्न दर्जे की जांच करें। 2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों अर्थात् हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड तथा फैक्ट लिमिटेड का मिनीरत्न दर्जा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है।

(ङ) सरकार ने हाल ही में नवरत्न तथा मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को पूंजी व्यय, संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों में निवेश, मानव संसाधन प्रबंध, विलय एवं अधिग्रहण तथा कार्यकारी निदेशकों के विदेश व्यापार दौरों के अनुमोदन के क्षेत्र में बढ़ी हुई शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

[हिन्दी]

पुरातात्विक जनजातीय विरासत

3216. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुरातात्विक जनजातीय विरासत जबलपुर में यानी दुर्गावती के शासन काल में निर्मित किले, रानी दुर्गावती के जन्म स्थान, रामनगर किले और कलाकृतियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु भोपाल और दिल्ली में जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का है और जनजातीय कलाकारों को संरक्षण देने तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जबलपुर में रानी दुर्गावती के काल के दौरान निर्मित किला और रानी दुर्गावती का जन्म स्थान, रामनगर किला आदि केन्द्रीकृत रूप से संरक्षित स्मारक नहीं हैं। तथापि, 1100 ई. के गोण्ड शासक राजा मदन सिंह द्वारा निर्मित मदन महल किला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणा–धीन एक संरक्षित स्मारक है। यह किला रानी दुर्गावती के नाम से भी जुड़ा है, जिन्होंने 1549 से 1564 तक उक्त क्षेत्र पर शासन किया था।

(ख) और (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित स्कीम "अनुसंधान एवं प्रशिक्षण : जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान" के तहत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों; मूल्यांकन अध्ययनों; प्रकाशनों; पुस्तकालय आदि के लिए तथा जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना और अनुरक्षण हेतु संबंधित सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर 50:50 प्रतिशत की बराबरी की भागीदारी के तहत जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को निधियां जारी करता है। जनजातीय कलाओं तथा वस्तुपरक संस्कृति का परिरक्षण, विकास तथा प्रदर्शन करने के लिए उक्त जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का एक कार्य जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करना भी है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार को उक्त स्कीम के तहत भोपाल में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हेतु निधियां प्रदान की गई हैं। दिल्ली में जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भोपाल में भी संस्कृति मंत्रालय के तहत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य जनजातीय संस्कृति का प्रसार करना तथा विभिन्न राज्यों से जनजातीय कलाकारों को संरक्षण प्रदान करना है।

जम्मू-कश्मीर में तैनात सैनिकों को सुविधाएं

3217. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में हाल ही में बड़ी संख्या में सैनिक मारे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भौगोलिक परिस्थितियों और आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर जम्मू–कश्मीर में तैनात सैनिकों को कोई विशेष सुविधा दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जम्मू–कश्मीर में मारे गए सैनिकों के परिवारों को मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 05.12.2006 तक की अवधि के दौरान जम्मू–कश्मीर में प्रतिविद्रोही संक्रियओं में 12 अधिकारियों सहित कुल 180 सेना कार्मिक मारे गए हैं।

जम्मू–कश्मीर में तैनात सेना कार्मिकों को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं:–

(i) सिपाहियों की फील्ड क्षेत्रों, आशोधित फील्ड क्षेत्रों तथा शांति क्षेत्रों की तैनाती के आधार पर तीन दरों पर प्रतिविद्रोही विशेष प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान।

(ii) अधिकारियों के परिवारों तथा अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों को ड्यूटी के पुराने स्थान से घर अथवा भारत में आवास के चयनित स्थान तक अथवा अधिकारियों/कार्मिकों की श्रीनगर में तैनाती के पूर्व उनके द्वारा अधिकार में रखे गए विवाहितों के लिए सरकारी आवास/पृथक पारिवारिक आवास को अपने पास बनाए रखने का विकल्प तथा तैनाती होने पर वहां से ड्यूटी के नए स्थान तक मुफ्त वाहन सुविधा।

(iii) अधिकतम स्वीकार्य पात्रता के अध्यधीन सिपाही के परिवार द्वारा गृहनगर/आवास के चयनित स्थान तक सामान ले जाने की सुविधा।

(iv) सिपाही की विधवा सामान्य किराया तथा संबद्ध प्रभारों का भुगतान करने पर दो वर्ष की अवधि के अलावा एक अतिरिक्त वर्ष की अवधि तक तथा असाधारण परिस्थितियों में आगे और छह माह तक विवाहित के लिए आवास को अपने पास बनाए रख सकती है।

जम्मू–कश्मीर में शहीद हुए सिपाहियों के परिवार स्वीकार्य पेंशन संबंधी लाभों तथा छुट्टी के नकदीकरण के अलावा हवाई/रेल यात्रा रियायतों, व्यावसायिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण तथा शैक्षिक संस्थानों में अन्य रियायतों, टेलिफोन कनेक्शन में प्राथमिकता/रियायत, 8 प्रतिशत रक्षा कोटा के अधीन तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन, आर्मी वाइव्ज़ वेलफेयर एसोसिएशन, सेना अधिकारी हितकारी निधि, सेना केंद्रीय कल्याण निधि से सहायता तथा पुत्री की शादी एवं कृषि आधारित उद्यम के लिए सेना कल्याण निधि से सहायता के लिए अर्हक हैं। इनके अलावा, सेना कल्याण आवास संगठन आवास के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराता है।

शहीद सिपाहियों और जिन्हें युद्ध हताहत घोषित कर दिया जाता है, उनके परिवारों को 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक अनुग्रह–मुआवजा राशि प्रदान की जाती है तथा सेना समूह बीमा के तहत अधिकारियों के मामले में 15 लाख रुपये का मुआवजा तथा अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के मामले में 7.5 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान किया जाता है। इनके अलावा, जो सिपाही जम्मू–कश्मीर में प्रतिविद्रोही संक्रियाओं में शहीद हो जाते हैं, के परिवार को जम्मू–कश्मीर की राज्य सरकार 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करती है।

ब्रह्मोस मिसाइल का विकास

3218. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रह्मोस मिसाइल के विकास और इसके भवी रूपांतर हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या इसके भावी रूपांतर में और सुधार करने और इसकी मारक क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस की स्थापना भारत और रूस द्वारा क्रमशः 50.5% और 49.5% के अनुपात में अंशदान के साथ 250 मिलियन डालर की शेयर पूंजी अंतर सरकारी करार के जरिए सुपरसोनिक क्रूज़ प्रक्षेपास्त्र के अभिकल्पन, विकास, उत्पादन तथा विपणन के लिए फरवरी, 1998 में की गई थी। प्रक्षेपास्त्र के विमान रूपांतरण के विकास को शामिल करने के लिए शेयर पूंजी 50 मिलियन डालर बढ़ा दी गई थी। इसलिए भारतीय पक्ष का अंशदान 634 करोड़ रुपये था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए यह प्रणाली विकसित करने के लिए, अपेक्षित अवसंरचना, प्रौद्योगिकियां, उत्पादन सुविधाएं जुटाने के लिए 370 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे पूछताछ हेतु कॉल सेंटर

3219. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में आरक्षण और अन्य यात्री सूचना संबंधी पूछताछ सेवाओं को हैंडल करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा समर्पित कॉल सेंटर स्थापित करके ग्राहक सेवा को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऑन लाइन बुकिंग को कवर करने के लिए कॉल सेंटर सुविधा का विस्तार किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) टेलीफोन से पूछताछ द्वारा अर्जित राजस्व में से बीएसएनएल द्वारा रेलवे को कितने हिस्से का भुगतान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली, जिसमें जोनल हब की संस्थापना, परिचालन और अनुरक्षण शामिल हैं और जिसे रेल पूछताछ फ्रेंचाइंजिंग द्वारा संस्थापित क्षेत्रीय कॉल सेंटरों के साथ जोड़ा जायेगा, की फ्रेंचाइंजिंग के लिए फर्मों/फर्मों के कंसोर्टियम से निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

इस प्रणाली में चलती गाड़ियों की स्थिति, यात्री की आरक्षण की स्थिति, गाड़ी में स्थान की उपलब्धता और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं के संबंध में सूचना देने के लिए इंटरएक्टिव वायस रिस्पोंस प्रणाली और मैनुअल इन्क्वायरी दोनों शामिल होंगे।

(ग) और (घ) जी हां, ग्राहक इन कॉल सेंटरों, के माध्यम से आरक्षण प्राप्त कर सकेंगे जिसे www.irctc.co.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

(ङ) इस पूछताछ प्रणाली को अभी शुरू किया जाना है, इसलिए इस समय आमदनी का आकलन नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

एच.पी.सी.एल. द्वारा विस्तार योजना

3220. श्री संजय धोत्रे :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का विचार मार्च 2007 तक अपने खुदरा व्यवसाय के विस्तार पर भारी धनराशि निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खोले जाने/उन्नयन किए जाने के लिए प्रस्तावित बिक्री केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में एच.पी.सी.एल. द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) हिन्दुस्तार पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) की वर्ष 2006-07 के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओ) पर 918 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है। प्रस्तावित निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रुपए करोड़ में)

निवेश की प्रकृति		राशि
1.	नए खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना	155.00
2.	विद्यमान बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण/उन्नयन	174.00
3.	खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन	217.00
4.	उपकरणों की अधिप्राप्ति	175.00
5.	अन्य (वाहन एल पी जी/वाष्पीकरण प्रतिपूर्ति आदि)	197.00
		918.00

(ग) और (घ) एच पी सी एल वर्ष 2006-07 के दौरान 800 नए खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करना तथा 966 मौजूदा बिक्री केन्द्रों का उन्नयन/आधुनिकीकरण करना चाहती है। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रस्तावित नए खुदरा बिक्री कैन्द्रों तथा मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रस्तावित उन्नयन/आधुनिकीकरण करने के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। एच पी सी एल ने अप्रैल, 2006 और अक्तूबर, 2006 के बीच 396 खुदरा बिक्री केन्द्रों को चालू तथा 274 खुदरा बिक्री केन्द्रों का उन्नयन/आधुनिकीकरण किया है।

विवरण

एचपीसीएल द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान स्थापित करने हेतु योजनाबद्ध नए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज़) तथा आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु योजनाबद्ध मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज़) की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2006-07 के दौरान चालू किए जाने के लिए प्रस्तावित नए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज़) की संख्या	वर्ष 2006-07 के दौरान आधुनिकीकरण/ उन्नयन हेतु प्रस्तावित मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज़) की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	75	80
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0

1	2	3	4
3.	असम	10	13
4.	बिहार	20	12
5.	छत्तीसगढ़	10	27
6.	दिल्ली	10	31
7.	गुजरात	40	82
8.	गोवा	1	10
9.	हरियाणा	19	48
10.	हिमाचल प्रदेश	10	1
11.	जम्मू और कश्मीर	10	12
12.	झारखण्ड	20	14
13.	कर्नाटक	55	27
14.	केरल	45	57
15.	मध्य प्रदेश	30	57
16.	महाराष्ट्र	75	106
17.	मणिपुर	0	0
18.	मेघालय	0	5
19.	मिजोरम	0	0
20.	नागालैंड	0	0
21.	उड़ीसा	20	12
22.	पंजाब	55	61
23.	राजस्थान	70	92
24.	सिक्किम	0	0
25.	तमिलनाडु	50	63
26.	त्रिपुरा	0	0
27.	उत्तरांचल	30	9
28.	उत्तर प्रदेश	115	55
29.	पश्चिम बंगाल	25	54
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
31.	चंडीगढ़	0	23
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0
33.	दमन और दीव	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पाण्डिचेरी	5	0
	योग	800	966

इंदौर और बंगलौर के बीच सीधी ट्रेन सेवा

3221. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदौर और बंगलौर के बीच सीधी ट्रेन सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ट्रेन सेवा के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे समपारों पर रेल उपरि पुलों का निर्माण

3222. योगी आदित्यनाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रेलवे समपारों पर रेल उपरि पुलों के निर्माण हेतु कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर रेल उपरि पुलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से कुल 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है। इनमें 17 प्रस्तावों (4 अनुदान की पूरक मांगें, दिसम्बर 2006 में और 13 को नियमित बजट में) को लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है जो नियोजन एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। 6 प्रस्तावों की 2007–08 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाने हेतु जांच की जा रही है, 3 प्रस्तावों को व्यावहारिक नहीं पाया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा नहीं किया है जबकि शेष 1 प्रस्ताव लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क/निचले सड़क पुल द्वारा बदले जाने के लिए अर्हक नहीं है। सूची नीचे दी गई है।

क (I) **लागत की भागीदारी के आधार पर स्वीकृत कार्य (पूरक, दिसंबर 2006-07)**

1. समपार सं. 161, ए (तरंग क्रॉसिंग) गोरखपुर–डोमिनगढ़ के बीच कि.मी 506/11
2. समपार सं. 163 (सूरज कुंड) गोरखपुर–डोमिनगढ़ के बीच किमी 508/10–11
3. समपार सं. 84बी, सुल्तानपुर–प्रतापगढ़ के बीच घिलबिला के निकट किमी 903/11–12 पर
4. समपार सं. 532, मथुरा–पलवल खंड पर मथुरा जिले में वृंदावन–राधाकुंड मार्ग पर

क (II) **समपार की भागीदारी के आधार पर स्वीकृत कार्य (नियमित बजट, दिसम्बर 2006-07)**

5. समपार सं. 48, इलाहाबाद–कानपुर खंड के बीच फतेहपुर के निकट किमी 941/25–27 पर
6. समपार सं. 81डी, इलाहाबाद–कानपुर खंड के बीच कानपुर के निकट किमी 1018/एस7–एस8 पर
7. समपार सं. 158, गोरखपुर–गोरखपुर कैंट स्टेशनों के बीच
8. समपार सं. 2, कानपुर अनवरगंज–रावतपुर स्टेशनों के बीच
9. समपार सं. 29ए, आजमगढ़–सराय रानी स्टेशनों के बीच
10. समपार सं. 4–सी, गाजियाबाद–सहारनपुर सेक्शन के बीच गाजियाबाद पर
11. समपार सं. 120, लखनऊ–वाराणसी खंड के बीच फैजाबाद के निकट किमी 966/17–18 पर
12. समपार सं. 176, लखनऊ–रायबरेली खंड के बीच रायबरेली के निकट किमी 1026/7–8 पर
13. समपार सं. 30–ए, गाजियाबाद–सहारनपुर खंड के बीच मेरठ कैंट के निकट किमी 72/5–6 पर
14. समपार सं. 53–ए, गाजियाबाद–सहारनपुर खंड के बीच मुजफ्फर नगर के निकट किमी 67/10–11 पर
15. समपार सं. 41 स्पेशल, 74 स्पेशल, हापुड़–मेरठ खंड पर हापुड़ में और गाजियाबाद–मुरादाबाद खंड में किमी 64/10–11 एवं 105/8–9
16. समपार सं. 98 स्पेशल, गाजियाबाद–मुरादाबाद खंड में गाजियाबाद में
17. समपार सं. 26ए, मेरठ शहर में।

ख **2007-08 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाने हेतु विचारार्थ**

1. समपार सं. 413ए, मुरादाबाद–लखनऊ खंड पर रामपुर में
2. समपार सं. 119बी/3ई, चुनार और मुगल सराय खंड के बीच परसौंधा में किमी 692/15–17
3. समपार सं. 62–ए, इलाहाबाद–कानपुर खंड पर किमी 973/29–31 पर
4. समपार सं. 83–डी, इलाहाबाद–कानपुर खंड पर किमी 1018/एस–27 पर
5. समपार सं. 13, कानपुर–टूंडला खंड पर किमी 1116/27–29 पर
6. समपार सं. 463, आगरा–झांसी खंड पर किमी 1292/19–21 पर

ग **पूर्वापेक्षाएं पूरा नहीं करने वाले प्रस्ताव**

1. समपार सं. 12सी/3ई, इलाहाबाद–कानपुर खंड पर भरवारी टाउन के नजदीक
2. समपार सं. 4, लखनऊ–वाराणसी खंड पर जौनपुर के नजदीक किमी 826/3–4
3. समपार सं. 503–सी, आगरा–मथुरा खंड पर किमी 1352/3–5

घ **लागत में भागीदारी के आधार पर शुरूआत हेतु अर्हक नहीं**

1. समपार सं. 147, मुगलसराय–गाजियाबाद खंड पर दादरी के नजदीक किमी 1415/35–37

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

3223. श्री एम. शिवन्ना : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी और सहायता प्राप्त न करने वाले शैक्षिक संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुचुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति के लिए कुवैत और सऊदी अरब के साथ समझौते

3224. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति के लिए कुवैत और सऊदी अरब के साथ कोई समझौते किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान आई ओ सी एल/बी पी सी एल/एच पी सी एल ने सऊदी अरब एवं कुवैत की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ एल पी जी के लिए अवधि करारों पर निम्नानुसार हस्ताक्षर किए हैं:–

आंकड़ें मि.मी. टन में

वर्ष	केपीसी, कुवैत	सऊदी अरामको सऊदी अरब
जनवरी–दिसम्बर, 2004	0.312	0.871
जनवरी–दिसम्बर, 2005	0.364	0.975
जनवरी–दिसम्बर, 2006	0.156	0.514

[हिन्दी]

तत्काल योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची वाले/ अनकन्फर्म्ड आरक्षण टिकटों को जारी करना

3225. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्काल योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची वाले/ अन्कन्फर्म्ड आरक्षण टिकट जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। तत्काल योजना के तहत आरक्षित पुष्टिशुदा बर्थों के रद्द करने के परिणामस्वरूप खाली हुए बर्थों को भरने के लिए तत्काल योजना के तहत प्रतीक्षासूची टिकट जारी किए जाते हैं। यह योजना संतोषप्रद तरीके से कार्य कर रही है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन

3226. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कतिपय देशों के पर्यटकों को कुछ प्रोत्साहन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में ऐसे देशों के क्या नाम हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने 18 देशों के नागरिकों को, जो कि फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फिनलैंड, स्पेन, स्विटजरलैंड, नार्वे, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मेक्सिको और वियतनाम हैं, बहु प्रवेश सुविधाओं के साथ पांच वर्ष की अवधि का एक दीर्घकालिक पर्यटक वीजा प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह दीर्घकालिक वीजा प्रत्येक दौरे पर 90 दिनों तक ठहरने की अवधि प्रदान करता है।

इसरो और एन.आई.ओ.एस. के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् का समझौता ज्ञापन

3227. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ अपने परिसर में एक एडुसेट अपलिंकिंग स्टेशन और स्टूडियो की स्थापना के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसा कि दिनांक 9 सितम्बर, 2006 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी गैर–सरकारी संगठनों को एडुसेट सुविधा के साथ अपलिंक करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एन.आई.ओ.एस.) के साथ विकलांग बच्चों को अपने ढंग से शिक्षा प्राप्त करने के अतिरिक्त ज्ञानार्जन और दक्षता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इससे विकलांग व्यक्तियों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। समझौता ज्ञापन से, विकलांगता निवारण और पुनर्वास में छात्रों, माता–पिता, व्यावसायिकों आदि को उनका ज्ञान एवं कौशल उन्नयन करने हेतु बेहतर प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने में परिषद की क्षमता में वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत सभी गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने का, इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्थान (एनआईओएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर यह सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं कि विकलांग व्यक्ति, अन्य लोगों के समतुल्य शैक्षिक एवं सामाजिक कौशल अर्जित करें। इस समझौता ज्ञापन से एनआईओएस के अनुमोदित प्रत्यायित केन्द्रों को स्थापित करने में मदद मिलेगी और इससे पूरे देश में विकलांगता निवारण शिक्षा का प्रसार होगा।

चेन्नई से संयुक्त अरब अमीरात को विमान सेवा

3228. श्री सुरेश कलमाडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर अरबिया ने चेन्नई से संयुक्त अरब अमीरात में स्थित शारजाह तक अपना परिचालन शुरू किया है;

(ख) क्या मध्य पूर्वी कम किराए वाली एयरलाइन अपने विमान बेड़े में वृद्धि करेगी और चेन्नई में वीजा सुविधा केन्द्र की स्थापना करके वीजा प्राप्त करने में यात्रियों की मदद करके यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी विमान कंपनियां इनसे किस प्रकार प्रतिस्पर्धा करेंगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एयर अरेबिया ने हाल ही में अपने ट्रैवल एजेंटों को, उनके यात्रियों को यू ए ई की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है।

(ग) दोनों राष्ट्रीय वाहकों ने अपने राजस्वों तथा लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, यथा (i) विमानों को ड्राई लीज पर लिया जाना, (ii) विमानों का अधिग्रहण, (iii) मौजूदा विमानों की पुनर्सज्जा, (iv) विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लांच करना, (v) गैर–किफायती कार्यालयों को बन्द करना और छंटनी करना, (vi) स्टाफ की गैर प्रचालनिक से प्रचालनिक क्षेत्रों में पुनः तैनाती, तथा (vii) अप्रमुख गतिविधियों को अनुषंगी कम्पनियों में आउटसोर्सिंग करना।

विल्लूपुरम और तूतीकोरिन के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

3229. श्री पी. मोहन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार बरास्ता मदुरई–विल्लूपुरम और तूतीकोरिन के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) प्रस्तावित रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

(ख) यह कार्य स्वीकृत नहीं है इसलिए समय–सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन का विस्तार

3230. श्री जसुभाई धाभाई बारड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली–अहमदाबाद रेल लाइन का विस्तार गांधीनगर तक करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसके लिए धनराशि मंजूर कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर अभी तक कोई कार्य शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) दिल्ली–अहमदाबाद लाइन से गांधीनगर तक सीधा संपर्क मुहैया करवाने के लिए गांधीनगर–अदराज मोती–कलोल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना को वर्ष 2006–07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। वर्ष 2006–07 के बजट में इस परियोजना के लिए 8 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई।

आंध्र प्रदेश में तेल शोधनशाला की स्थापना

3231. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सरकार से उसे तेलशोधनशाला और अन्य संयंत्रों की स्थापना करने के लिए विशाखापट्टनम में 1500 एकड़ भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने एक पेट्रोरसायन परिसर स्थापित करने हेतु आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से उन्हें विशाखापट्टनम में 3500 एकड़ भूमि का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया है। आज की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 1500 एकड़ भूमि आबंटित की है।

ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

3232. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण की निगरानी करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाने अथवा एक निकाय का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) सरकार का विरासत स्थल आयोग गठित करने का प्रस्ताव है क्योंकि मौजूदा कानून तथा संस्थागत ढांचा अपनी विस्तृत रूप रेखा में निर्मित विरासत का संरक्षा कार्य करने के लिए अपर्याप्त है। यह आयोग व्यापक नीति संबंधी दिशानिर्देश निर्धारित करेगा और दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए उपाय करेगा। प्रस्तावित विरासत स्थल आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. विरासत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
2. विरासत स्मारकों तथा स्थलों के संरक्षण के मामले में दिशानिर्देश तैयार करना।
3. विरासत के संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण मामलों का अध्ययन करना या करवाना और सरकार को रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
4. वर्तमान विरासत कानूनों में उचित संशोधनों के लिए सुझाव देना।

इस संबंध में विधान का मसौदा तैयार किया गया है और विधि मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

बायो डीजल का मूल्य

3233. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन करने वाली कंपनियां बायो–डीजल के मूल्यों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एयर इंडिया की सेवाओं में सुधार

3234. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान की आंतरिक साज–सज्जा में सुधार करके, अपनी सुरक्षा को चाक–चौबंद करके और अन्य एयरलाइनों को दी जाने वाली ग्राउंड सुविधाओं तथा कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने संबंधी सुझावों को देकर एयर इंडिया की सेवाओं में सुधार करने के लिए चार कृतिक बलों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) विगत हाल में ऐसे किसी कार्यबल का गठन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछलियों को सुखाना

3235. श्री एनेन बर्मन :
श्री हितेन बर्मन :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पशु चिकित्सा केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और मत्स्यन सहकारिताओं के परामर्श से मछलियों को सुखाने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के विकास का संवर्धन करता है और उसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

इस मंत्रालय की मौजूदा अनुसंधान और विकास संबंधी स्कीम के तहत देश में अब तक एक परियोजना यानी केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा के अधीन मात्स्यिकी महाविद्यालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस परियोजना का शीर्षक 'उत्पाद विकास के लिए पूर्वोत्तर भारत की छोटी स्वदेशी मछली प्रजातियों का उपयोग' था। उपरोक्त परियोजना के तहत, इस विश्वविद्यालय ने अनेक मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित किए हैं जिनमें सूखी मछलियां (मछली को धूप में सुखाना, मछली को सोलर टेंट ड्रायर में सुखाना और मछली को यांत्रिक ड्रायर में सुखाना) शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए यह विश्वविद्यालय इन विकसित मछली उत्पादों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं द्वारा लघु उद्योग के रूप में अपनाने हेतु बढ़ावा दे रहा है।

[हिन्दी]

हल्के लड़ाकू विमानों की कमी

3236. श्री अजीत जोगी :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु सेना में हल्के लड़ाकू विमानों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वायु सेना में हल्के लड़ाकू विमानों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) ने बंगलौर में विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एम.आर.ओ.) सुविधा की स्थापना हेतु वातरिक्ष संबंधी प्रमुख कंपनी प्रेट एंड व्हिटनी, कनाडा के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जैसाकि दिनांक 28 नवम्बर, 2006 की 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सरकार सुरक्षा परिवेश की लगातार समीक्षा करती है और तदनुसार उपयुक्त उपस्कर शामिल करने तथा पर्याप्त रक्षा तैयारी के लिए अन्य बंदोबस्त करने का निर्णय लेती है।

(ग) और (घ) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने एयरोइंजनों के लिए अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल की सुविधा संयुक्त रूप से स्थापित किए जाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए प्रैट एंड व्हिटनी, कनाडा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से प्रारंभिक प्रचालनात्मक स्वीकृति संरूपण वाले 20 हल्के युद्धक विमानों की अधिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा मार्च, 2006 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[अनुवाद]

गौन्डा स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव

3237. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गौन्डा रेलवे स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां नहीं रुकती, जिस कारण यात्रियों को कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो गौन्डा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों

का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) वर्तमान में, 2565/2566 दरभंगा–नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, 2557/2558 मुजफ्फरपुर–दिल्ली सप्त क्रांति एक्सप्रेस और 2203/2204 सहरसा–अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस के अलावा, सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां गौंडा स्टेशन पर ठहरती हैं। वर्तमान में इन गाड़ियों का गौंडा स्टेशन पर ठहराव देना व्यावहारिक नहीं है।

पर्यटन को बढ़ावा

3238. श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में केरल का पर्यटन अभियान "स्वास्थ्यकर पर्यटन" पर केन्द्रित है;

(ख) यदि हां, तो केरल में तैयार तथा अब तक क्रियान्वित किए गए अभियान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भविष्य में प्रत्येक राज्य हेतु ऐसे ही केन्द्रित अभियानों को शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) वर्तमान वर्ष के दौरान, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए घरेलू अभियानों में एक विषय योग और कुशलता है जो कि केरल सहित संपूर्ण देश को कवर करता है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले अभियान मुख्यतः विषयपरक होते हैं, जैसे कि विश्व विरासत स्थलों, ग्रामीण पर्यटन, कचरे और विकृत चित्रण के खिलाफ सामाजिक जागरूकता अभियान, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2550वीं वर्षगांठ समारोह आदि। पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर में पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्यों/क्षेत्रों पर केन्द्रित अभियान भी चलाए गए हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में रोड ओवर ब्रिज

3239. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में निकट भविष्य में निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित सड़क उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सड़क उपरि पुलों के निर्माण में राज्य सरकारों का हिस्सा कितना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे में लागत की भागीदारी के आधार पर 21 कार्य स्वीकृत हैं। दो कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष 19 कार्यों का निर्माण प्रस्तावित है।

(ख) इन कार्यों के लिए राज्य सरकार की भागीदारी 146.27 करोड़ रुपये की है।

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया में संयुक्त उद्यम संचालन

3240. श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया (ए.आई.) और इंडियन एयरलाइंस (आई.ए.) हैदराबाद, दिल्ली और मुम्बई के नव–निर्मित विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग आपरेशन्स हेतु एक संयुक्त उद्यम (जे.वी.) बनाने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स इस प्रक्रिया में विदेशी कंपनियों को भी शामिल करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एअर इंडिया बोर्ड ने दिनांक 20.10.2006 को हुई अपनी बैठक में, जी.एम.आर. हैदराबाद, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (जीएचआईएएल) पर ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाओं के लिए, इंडियन एयरलाइंस के साथ संयुक्त रूप से निविदा जमा करने का निर्णय लिया है। निविदा में विदेशी भागीदार को शामिल करने पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर, एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस इस समय, स्वतंत्र रूप से ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधि कर रही हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल समपार

3241. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर देश के विभिन्न भागों में राज्य–वार कितने रेलवे समपार हैं;

(ख) क्या रेलवे ने इन राजमार्गों पर अंडर/ओवर ब्रिज बनाने के कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) समपारों के राज्य–वार आंकड़े सड़कवार नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, भारतीय रेल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1.4.2006 तक 572 समपार थे जिनमें से 397 समपारों को ऊपरी/निचले सड़क पुल (आर ओ बी/आर यू बी) में बदले जाने के लिए अर्हक थे। चालू वित्त वर्ष (2006–07) में प्रारंभ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 119 समपारों को ऊपरी/निचले सड़क पुलों में बदलने की स्वीकृति दे दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) ने भी निक्षेप शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 166 स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों पर विचार कर स्वीकृति प्रदान कर दी है।

संयुक्त उद्यम में शुल्क मुक्त दुकानें

3242. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी हेतु आई टी डी सी की कुछ शुल्क मुक्त दुकानों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, नहीं। शुल्क मुक्त दुकानें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दिल्ली एवं मुम्बई में हवाई अड्डों को ऑपरेट करने वाली कम्पनियों की हैं।

(ग) इस संबंध में पर्यटन मंत्रालय ने कोई दिशा–निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक गैस के मूल्यों में संशोधन

3243. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शासित मूल्य प्रणाली (ए पी एम) के अंतर्गत बेची जाने वाली राजसहायता प्राप्त गैस मुख्यतः उर्वरकों और विद्युत जैसे प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों को प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्राकृतिक गैस के शासित मूल्यों में 3200 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति मिलियन क्यूबिक मीटर (एम एम सी एम) तक संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कदम तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) और इसके संयुक्त उपक्रमों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बढ़े हुए शासित मूल्य तंत्र से मुख्यतः विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों के प्रभावित होने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ए पी एम गैस के मूल्य को एक तदर्थ उपाय के रूप में संशोधित करके 3200/– रुपये एम एस सी एम करते समय सरकार ने अन्य बातों के साथ यह निर्णय लिया था कि ओ एन जी सी और ओ आई एल क्षेत्रों से गैस के उत्पादक मूल्य का निर्धारण प्रशुल्क आयोग को भेजा जाए। मूल्य निर्धारण की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) ए पी एम गैस एक ह्रासमान आपूर्ति स्रोत है क्योंकि नामित ब्लॉकों/कूपों से उत्पादन कम हो रहा है। इसे प्रगामी रूप से अन्य गैस से बदलना होगा। लगभग 52.00 एम एम एस सी एम डी की कुल ए पी एम आपूर्ति में से विद्युत और उर्वरक क्षेत्र में ग्राहक लगभग क्रमशः 24 एम एम एस सी एम डी और 16 एम एम एस सी एम डी गैस प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों में ग्राहक पहले ही लगभग क्रमशः 15 एम एम एस सी एम डी और 13 एम एम एस सी एम डी की बाजार दर पर खपत कर रहे हैं।

(छ) मुद्दों की जांच की जा रही है।

रक्षा सेनाओं द्वारा खर्च को तर्कसंगत बनाना

3244. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विकास की अन्य आवश्यकताओं के मद्देनजर रक्षा सेनाओं द्वारा गैर–आवश्यक क्षेत्रों में खर्च को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) रक्षा सेनाओं की बजटीय अपेक्षा को व्यापक आंतरिक विचार–विमर्श के बाद तथा रक्षा मंत्री के अनुमोदन से वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है। ऐसे कोई गैर–जरूरी क्षेत्र नहीं हैं जिनके लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अपेक्षा दर्शायी जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व

3245. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार आई.ओ.सी.एल, बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के ग्रेडवार कितने अधिकारी हैं तथा उनके प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या विभिन्न ग्रेडों में आरक्षित श्रेणियों से संबंध रखने वाले अधिकारियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत के अनुसार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) आई ओ सी एल, बी पी सी एल तथा एच पी सी एल में 1 अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अधिकारियों की संख्या तथा अभ्यावेदन का प्रतिशत नीचे दिया गया है:–

वर्ग	आईओसीएल			बीपीसीएल			एचपीसीएल		
	अधिकारियों की संख्या (प्रतिशत)			अधिकारियों की संख्या (प्रतिशत)			अधिकारियों की संख्या (प्रतिशत)		
	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.पि.वर्ग	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.पि.वर्ग	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.पि.वर्ग
झ	1(2.56)	0(0.00)	0(0.00)	1(5.88)	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)	0(0.00)
ज	2(2.15)	0(0.00)	0(0.00)	3(8.82)	0(0.00)	0(0.00)	1(2.94)	1(2.94)	0(0.00)
छ	12(5.22)	0(0.00)	0(0.00)	6(7.41)	1(1.23)	0(0.00)	7(9.09)	0(0.00)	0(0.00)
च	54(7.93)	10(1.47)	1(0.15)	6(4.44)	1(0.74)	0(0.00)	11(8.14)	2(1.48)	0(0.00)
ङ	181(16.53)	60(5.48)	2(0.18)	28(9.36)	2(0.67)	1(0.33)	51(18.54)	12(4.36)	2(0.72)
घ	217(18.84)	76(6.60)	1(0.09)	87(16.80)	18(3.47)	1(0.19)	135(18.98)	61(8.57)	4(0.56)
ग	417(20.90)	167(8.37)	53(2.66)	185(21.95)	64(7.59)	17(2.02)	291(22.41)	115(8.85)	31(2.38)
ख	453(17.20)	162(6.15)	211(8.01)	184(16.99)	71(6.56)	116(10.71)	131(20.5)	43(6.72)	82(12.83)
क	450(15.92)	194(6.86)	327(11.57)	125(18.52)	52(7.70)	69(10.22)	657(14.3)	47(7.15)	144(21.91)
योग	1787(16.63)	669(6.23)	595(5.54)	626(16.94)	209(5.66)	204(5.53)	721(18.73)	281(7.3)	263(6.83)

(ख) और (ग) आरक्षण केवल समूह "क" अर्थात वर्ग "क" के निम्नतम स्तर तक लागू है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए निर्धारित प्रतिशत क्रमशः 15%, 7.5%, तथा 27% है। अ.पि. वर्ग में कमी इस तथ्य के कारण है कि ओ वी सीज के लिए प्रत्यक्ष भर्ती में आरक्षण के लिए सरकारी दिशानिर्देश 8.9.1993 को लागू किए गए थे।

(घ) से (च) जी, नहीं। तथापि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

मंत्रालय इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण के मामले की निगरानी करता है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले विशेष भरती अभियान पर भी कड़ी सतर्कता बरतता है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर भीड़-भाड़

3246. श्री निखिल कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 2006 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में लैक ऑफ प्लानिंग कॉजिंग डिलेज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (डी.आई.ए. एल.) ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर वर्तमान अधिक यातायात के अध्ययन तथा परिवर्तनों का सुझाव आदि देने के लिए आईआईटी से कहा था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आईआईटी दल के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के टर्मिनलों से भीड़-भाड़ कम करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रा. लि. (डीआईएएल) के प्रबंधन और प्रचालनिक नियंत्रण के अधीन है। डीआईएएल ने घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर यातायात योजना का अध्ययन तथा सिफारिश करने के लिए आईआईटी, दिल्ली को नियुक्त किया है। आईआईटी, दिल्ली ने अध्ययन के लिए अपेक्षित सूचना/आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ङ) और (च) दिल्ली हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। डीआईएएल ने सूचित किया है कि हवाई अड्डे का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करते समय आईआईटी, दिल्ली की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

3247. श्री ए. साई प्रताप :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो उत्पाद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उत्पादों को अनिश्चित काल के लिए राजसहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सरकार प्रति 14.2 कि.ग्रा. घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 22.58 रुपये और पीडीएस मिट्टी तेल पर प्रति लीटर 0.82 रुपये की राजसहायता सरकार के राजकोषीय बजट से प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, 2006-07 के पूर्वार्द्ध के लिए सरकार ने पीएसयू तेल कंपनियों के साथ मिलकर प्रति एलपीजी सिलेंडर पर लगभग 153 रुपये और पीडीएस मिट्टी तेल पर प्रति लीटर 16.69 रुपये की राजसहायता दी है।

इसके अलावा, सरकार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में वहन की गई क्षतियों/न्यून वसूलियों के लिए तेल विपणन कंपनियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए 28,300 करोड़ रुपये के मूल्य के बाण्ड जारी करने के लिए सहमत हो गई है।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बाजार आधारित मूल्य निर्धारण की ओर जाने के घोषित आशय से सरकार ने 1.4.2002 से प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) को समाप्त करने की घोषणा की। चूंकि पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी जन-सामान्य के उपभोग के ईंधन हैं और इनकी बड़ी मात्रा में खपत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा की जाती है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इन दो उत्पादों पर राजसहायता राजकोषीय बजट से देने के लिए एक विनिर्दिष्ट समान दर के आधार पर 31.3.2007 तक जारी रहेगी।

[हिन्दी]

रेल पुलों हेतु निरीक्षण उपकरण का उन्नयन

3248. श्री सीताराम सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल पुलों की वर्तमान निरीक्षण प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रेल पुलों के निरीक्षण उपकरण के उन्नयन हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या उपकरण के तकनीकी उन्नयन में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैन्डर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से असामान्य विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा विकसित निरीक्षण प्रणाली को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेल पर पुलों की बहुस्तरीय निरीक्षण की सुव्यवस्थित प्रणाली अपनाई जाती है। रेलवे संहिता और नियमावली में की गई व्यवस्था के अनुसार पुराने और खराब स्थिति वाले पुलों सहित सभी पुलों का विभिन्न स्तरों पर वर्ष में एक बार संपूर्ण निरीक्षण किया जाता है। खराब स्थिति वाले पुलों के लिए नियमावली में अनेक बार निरीक्षण करने की व्यवस्था की गई है। पुलों के इस्पात के सुपरस्ट्रक्चर का निरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार और पुराने इस्पात गर्डर के फ्लोर सिस्टम का वर्ष में एक बार विस्तृत तकनीकी जांच की जाती है। पुलों की सब–स्ट्रक्चर का निरीक्षण टूट–फूट और चिनाई में दरार की जांच के लिए निकट निरीक्षण और हथौड़े से ठोककर की जाती है।

(ख) जी हां, पुलों के निरीक्षण और प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भी कार्यवाही की गई है। पुलों का निरीक्षण और उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए जहां कहीं आवश्यक पाया गया है आधुनिक तकनीक का आयात कर मौजूदा निरीक्षण और निगरानी प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक बनाने की योजना बनाई गई है। विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर विशिष्ट विदेशी एजेंसियों की सहायता से पुलों की स्थिति की निगरानी के निम्नलिखित क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है:

(i) रेल पुलों का एकॉस्टिक एमिशन जांच

(ii) इस्पात वाले पुलों की संरचना का श्रांति जांच एवं अवशिष्ट आयु विश्लेषण

(iii) पुलों का पानी के नीचे निरीक्षण

(iv) पुलों की नॉन–डिस्ट्रेक्टिव जांच

(v) पुलों का दबाव मापन और भार निर्धारण

(vi) अज्ञात नींव को मापना और नींव की अखंडता की जांच।

इसके अलावा, नौ क्षेत्रीय रेलों के लिए नवीनतम नॉन–डिस्ट्रेक्टिव जांच उपकरणों से सुसज्जित रेल–सह–सड़क जांच प्रयोगशाला की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक 16 क्षेत्रीय रेलों पर एक–एक मोबाइल पुल निरीक्षण इकाई रखने की भी योजना बनाई गई है। दो मोबाइल पुल निरीक्षण इकाई की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है और इसे शुरू किया जा रहा है। अन्य दो मोबाइल पुल निरीक्षण इकाइयों की व्यवस्था करने की स्वीकृति चल स्टॉक योजना 2006–07 में दे दी गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। भारतीय रेल जैसे विशाल नेटवर्क पर नई तकनीक की शुरूआत सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से करनी पड़ती है। सभी भारतीय रेलों के लिए उपकरणों की खरीद, रेलवे इंजीनियरों का प्रशिक्षण और भारतीय रेल प्रणाली पर आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन 2010 तक पूरा होने की संभावना है।

जमशेदपुर और मुम्बई के बीच रेलगाड़ी

3249. श्री सुनिल कुमार महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जमशेदपुर और मुम्बई के बीच एक सीधी रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र

3250. श्री चन्द्र भणि त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण देशभर में फ्लैगशिप, जुबली और माडल पेट्रोल पम्प खोलने शुरु कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत खोले गए खुदरा बिक्री केन्द्रों का राज्य–वार और कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष दर वर्ष घाटा उठाने के बावजूद एक ही ठेकेदार/पार्टी को ये पेट्रोल पम्प आबंटित किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन खुदरा बिक्री केन्द्रों को बंद करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां

(ओएमसीज़) संकट के दौरान कार्यनीतिक स्थलों नामतः फ्लैगशिप आर ओ, ज्युबली आर ओ, माडल आर ओ, आदि ब्रांड तैयार करने, कार्मिकों के प्रशिक्षण और ईंधनों की बाधा रहित आपूर्ति बनाए रखने के लिए स्थायी कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) अपने कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन कर रही हैं। स्थायी कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों के राज्य–वार तथा कंपनी–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) स्थायी कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों का वित्तीय कार्य निष्पादन प्रचलित बाजार दशाओं के समनुरूप है। मंत्रालय ने 6.9.2006 को स्पष्ट नीति दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार ओ एम सीज को सलाह दी गई है कि वे एक खुले और पारदर्शी ढंग से विज्ञापन माध्यम से स्थायी कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए तीन वर्षों की अवधि हेतु श्रमिक ठेकेदारों के चयन के लिए अपने स्वयं के दिशा–निर्देश तैयार करें।

(ङ) और (च) 1.4.2002 से प्रशासित मूल्य तंत्र व्यवस्था (ए पी एम) के समाप्त होने के बाद से, ओ एम सीज को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने तथा बंद करने की आजादी दी गई है।

विवरण

स्थायी सीओसीओ खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरशिपों की राज्यवार तथा कंपनीवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्थायी सीओसीओ खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार तथा कंपनीवार संख्या				
		आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	आईबीपी	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	11	33	28	13	85
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	1	0	0	0	1
4	बिहार	4	4	5	0	13
5	छत्तीसगढ़	4	1	24	1	30
6	दिल्ली	4	6	3	1	14
7	गुजरात	1	0	0	2	3
8	गोवा	5	8	0	6	19
9	हरियाणा	3	0	7	3	13
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	1
11	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
12	झारखण्ड	3	2	2	0	7
13	कर्नाटक	12	6	19	3	40
14	केरल	0	3	22	3	28

1	2	3	4	5	6	7
15	मध्य प्रदेश	5	7	8	2	22
16	महाराष्ट्र	8	15	38	6	67
17	मणिपुर	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	0	0	0	0	0
21	उड़ीसा	6	5	6	0	17
22	पंजाब	2	2	11	2	17
23	राजस्थान	8	1	21	0	30
24	सिक्किम	0	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	11	12	24	6	53
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
27	उत्तरांचल	0	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	11	0	9	0	20
29.	पश्चिम बंगाल	14	6	3	2	25
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	1	0	2	3
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35	पाण्डिचेरी	0	0	4	1	5
	योग	113	112	235	53	513

[अनुवाद]

उत्खनन परियोजनाएं

3251. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही उत्खनन परियोजनाओं का राज्य/परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान आज की तारीख तक उत्खनन कार्य पर कितना खर्च आया; और

(ग) विभिन्न राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) द्वारा पहचान किए गए नए स्थलों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की चल रही उत्खनन परियोजनाओं में दौलताबाद किला, महाराष्ट्र और महाबलीपुरम, तमिलनाडु के उत्खनन कार्य शामिल हैं। ये परियोजनाएं वर्ष 2006–2007 में जारी रहेंगी।

(ख) 2005–06 और 2006–07 (आज तक) के दौरान उत्खनन कार्य पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है:–

(रुपये लाखों में)

2005–2006	2006–2007 (आज तक)
131.73	46.76

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अक्टूबर, 2006–सितम्बर, 2007 सत्र के दौरान विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित नए स्थल उत्खनन के लिए चयनित किए हैं:–

(i) बानगढ़, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल

(ii) बाराबटी किला, जिला कटक, उड़ीसा

(iii) चतुर्भुजनाथ नाला, जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश

(iv) द्वारका, जिला जामनगर, गुजरात

(v) जुआफरडीह, जिला नालंदा, बिहार

(vi) ट्रांक्यूबार (तरंगबाड़ी), जिला नागापट्टिनम, तमिलनाडु

[हिन्दी]

रेल डिब्बा कारखाना

3252. श्री आलोक कुमार मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में रेल के डिब्बे बनाने वाले कुछ कारखानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) दिसंबर, 2006 की अनुदान की पूरक मांगों में 1685 करोड़ रुपये की लागत पर उत्तर प्रदेश में राय बरेली में नई कोच फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) इस फैक्टरी की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1000 सवारी डिब्बा प्रति वर्ष है।

[अनुवाद]

रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंटों और रेल टूरिस्ट एजेंटों की नियुक्ति

3253. डा. के. धनराजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में इस समय कार्यरत रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट (आर टी एस ए) और रेल टूरिस्ट एजेंटों का जोनवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार चालू वर्ष के दौरान ऐसे और एजेंटों की नियुक्ति करने का है; और

(ग) यदि हां, तो जोनवार तथा राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल यात्री सेवा एजेंटों (आरटीएसए) तथा रेल पर्यटक एजेंटों (आरटीए) का जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

रेलवे	आरटीएसए	आर टी ए
1	2	3
मध्य	110	01
पूर्व	18	00
पूर्व मध्य	20	00
पूर्व तट	06	00
उत्तर	158	19
उत्तर मध्य	14	01
पूर्वोत्तर	11	00
पूर्वोत्तर सीमा	22	00
उत्तर पश्चिम	33	00
दक्षिण	125	03

1	2	3
दक्षिण मध्य	59	00
दक्षिण पूर्व	19	00
दक्षिण पूर्व मध्य	10	00
दक्षिण पश्चिम	39	01
पश्चिम	118	06
पश्चिम मध्य	21	00

राज्यवार सूची नहीं रखी जाती।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा

3254. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्द–महासगर क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी भारत की चिंताएं क्या हैं;

(ख) क्या इन चिंताओं से निपटने के लिए कोई रणनीति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा चिंताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से जुड़ी हैं:–

(i) प्रादेशिक विवाद,

(ii) जहाजरानी मार्गों से व्यापार तथा माल की आवाजाही,

(iii) हिन्द–महासागर क्षेत्र (आई ओ आर) में बहुराष्ट्रीय सेनाओं की सतत् उपस्थिति,

(iv) विषम तथा कम तीव्रता वाले समुद्री खतरे, और

(v) समुद्र में आर्थिक अपराध।

(ख) और (ग) भारत की भौगालिक अवस्थिति, हिन्द–महासागर में प्रमुख जहाजरानी मार्गों के आर–पार है। इससे प्रादेशिक समुद्र, अनन्य समुद्री आर्थिक क्षेत्र तथा समुद्री हित के अन्य क्षेत्रों में अपनी समुद्री परिसंपत्तियों द्वारा निगरानी करना और सतत् तथा लगातार उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। भारत हिन्द–महासागर क्षेत्र के निकटवर्ती राष्ट्रों के साथ भी नियमित बातचीत करता है। समुद्र में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहाजों की आवाजाही, प्लेटफार्म संकेतों, अभ्यासों, चिरकालिक रचनात्मक कार्य तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं के साथ समन्वित गश्त आदि के संबंध में सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु हमारे समुद्री पड़ोसी–देशों के साथ सहयोग करना भी रणनीति का एक भाग है।

अनाज पिसाई क्षेत्र को अनुदान

3255. डा. आर सेनथिल : क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनाज पिसाई क्षेत्र अर्थात चावल पिसाई तथा आटा पिसाई को अनुदान प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस उद्योग के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) चावल और आटा मिल सेक्टरों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम शर्तों की पहचान तथा नवीनतम और सर्वाधिक कार्यक्षम प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियाओं हेतु बैंचमार्कों पर पुनःविचार करने तथा संस्तुतियां प्रस्तुत करने हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे इस मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मूल्यवर्धन, प्रौद्योगिकीय बैंचमार्कों तथा अपव्यय को कम करने को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थानों को दी जाने वाली सहायता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में इन्हें शामिल किया जा रहा है।

सैन्य कर्मियों की भर्ती

3256. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवानों सहित सैन्य कर्मियों की भर्ती हेतु क्या पद्धतियां अपनाई गई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में विनिर्दिष्ट सूचना के अभाव में अभ्यर्थियों को कठिनाइयों से निपटना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के वेनाड जिले में यह मानकर एकत्रित हुए अभ्यर्थियों की भर्ती सामान्य वर्ग के लिए है जबकि भर्ती का प्रयोजन सीमित श्रेणियों के लिए था उन पर पुलिस ने हाल ही में लाठीचार्ज किया था; और

(ङ) यदि हां, तो कर्मियों की भर्ती हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) सेना में अफसरों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता परीक्षा और उसके बाद सेवा चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कार तथा शारिरिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है। गैर–संघ लोक सेवा आयोग चयन, रोजगार समाचार–पत्रों और राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में खुला विज्ञापन देकर किया जाता है। छंटनी किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सेवा चयन बोर्डों द्वारा लिया जाता है और उसके बाद शारीरिक जांच की जाती है। उसके बाद अंतिम मेरिट–सूची तैयार की जाती है।

सेना में जवानों की भर्ती खुली भर्ती रैलियों के माध्यम से की जाती है। भर्ती रैलियां करने से पहले स्थानीय मीडिया और आकाशवाणी पर पर्याप्त प्रचार किया जाता है।

सेना भर्ती कार्यालय, कालीकट के अधीन केरल के वायनाड जिले में सुल्तान बथेरी में केवल सिपाही (तकनीकी), सिपाही (क्लर्क/स्टोरकीपर) और ट्रेडमैन श्रेणी के लिए भर्ती किए जाने के वास्ते 04 अक्टूबर, 2006 से 06 अक्टूबर, 2006 तक एक भर्ती रैली किए जाने की योजना बनाई गई थी। रैली का प्रचार स्थानीय मीडिया के माध्यम से किया गया था। प्रचार में अनजाने में सिपाही (जनरल ड्यूटी) श्रेणी को भी शामिल कर लिया गया था। हालांकि इस गलती को प्रिंट मीडिया और जिला प्राधिकारियों के माध्यम से 22 सितंबर, 2006 को कुछ हद तक ठीक कर लिया गया था। समाचार पत्रों में यह 23 सितंबर, 2006 को छपा था। इसके अलावा, इसकी घोषणा रैली के पहले दिन भी कर दी गई थी। इस परिवर्तन को सेना कार्यालय द्वारा 03 अक्टूबर, 2006 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात् "मनोरमा न्यूज" के जरिये सूचित कर दिया गया था। इस रैली का आयोजन 04 तथा 05 अक्टूबर, 2006 को निर्बाध रूप से किया गया था। तथापि, 06 अक्टूबर, 2006 को सुबह के समय रैली स्थल पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिये थे तथा पुलिस स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सकी। अपर जिला कलेक्टर भर्ती स्थल पर आए तथा मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्होंने बाकी रैली को रद्द करने का परामर्श दिया था। परिणामस्वरूप, 06 अक्टूबर, 2006 को रैली को रद्द कर दिया गया था। जिन उम्मीदवारों की वायनाड में सैनिक ट्रेडमैन के लिए छंटनी की जानी थी उन्हें 15–20 नवम्बर, 2006 से तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई रैली में अतिरिक्त अवसर दिया गया था। इस सुविधा को जनवरी, 2007 में त्रिचूर में आयोजित की जाने वाली रैली में भी मुहैया कराया जा रहा है।

यह एक अलग घटना थी जो रैली से पूर्व जारी किए गए विज्ञापन में गलती के कारण हुई थी। सेना कार्मिकों की भर्ती के लिए मौजूदा दिशा–निर्देश स्पष्ट और पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

चालक रहित विमानों द्वारा भारतीय उड़ान क्षेत्र का उल्लंघन

3257. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के चालक रहित विमानों ने भारतीय उड़ान क्षेत्र का उल्लंघन किया है जैसाकि 25 नवम्बर, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय उड़ान क्षेत्र का कितनी बार उल्लंघन किया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान, भारतीय एयरस्पेस के उल्लंघन की हेलीकॉप्टर द्वारा कुल मिलाकर 17 घटनाओं तथा मानवरहित वायवीय वाहन द्वारा एक घटना की रिपोर्ट मिली है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

जनवरी, 2006	7*	हेलीकॉप्टर
फरवरी, 2006	2*	हेलीकॉप्टर
मार्च, 2006	5*	हेलीकॉप्टर
अगस्त, 2006	1	मानव रहित वायवीय वाहन
अक्टूबर, 2006	1	हेलीकॉप्टर
नवम्बर, 2006	2	हेलीकॉप्टर

* उल्लंघन की ये घटनाएं, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों (टिथवाल/तंगधार/उड़ी) में सम्भवतः राहत आपरेशनों में विमान द्वारा हुई।

(घ) इस मामले को संबंधित देश के साथ स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राजनयिक चैनल के माध्यम से उठाया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय मूल के लोगों द्वारा विमानन क्षेत्र में निवेश

3258. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** भारतीय मूल के लोगों द्वारा विमानन क्षेत्र में निवेश के बारे में 24 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3254 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय घरेलू एयरलाइनों में निवेश करने की अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) यह मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

यात्रियों हेतु सुविधाएं

3259. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु आबंटित धनराशि का प्रत्येक जोन द्वारा उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष हेतु आबंटित धनराशि में से प्रत्येक जोन द्वारा कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) वे कौन–कौन से जोन हैं जहां पर उक्त प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(घ) पर्याप्त धनराशि का प्रावधान होने के बावजूद भी यात्री सुविधाओं में कमी के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान 353.20 करोड़ रु. के कुल आबंटन में से अक्टूबर,2006 तक 137.94 करोड़ रुपये (अनुमानित) व्यय किए गए हैं। क्षेत्रवार निधियों का व्यय इस प्रकार है:–

(करोड़ रु. में)

रेलवे	2006–07	
	बजट अनुदान	अक्टूबर, 2006 तक अनुमानित व्यय
मध्य	30.45	12.91
पूर्व	43.94	10.32
उत्तर	34.05	17.21
पूर्वोत्तर	12.57	05.92
पूर्वोत्तर सीमा	26.49	08.65
दक्षिण	26.74	13.86
दक्षिण मध्य	20.09	14.40
दक्षिण पूर्व	7.85	03.75
पश्चिम	25.34	10.83
पूर्व मध्य	38.10	09.96
पूर्व तट	13.44	02.35
उत्तर मध्य	10.80	04.55
उत्तर पश्चिम	17.23	03.19
दक्षिण पूर्व मध्य	20.30	05.70
दक्षिण पश्चिम	12.17	08.26
पश्चिम मध्य	12.20	05.75
मैट्रो	1.44	0.33
जोड़	353.20	137.94

(ग) सभी क्षेत्रीय रेलों पर निधियों का उपयुक्त उपयोग कर लिया गया है।

(घ) भारतीय रेल पर 8000 से अधिक स्टेशन हैं। स्टेशनों के मानकों और श्रेणी के अनुसार सभी स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

पीसीआर अधिनियम, 1995 और एस सी एण्ड एस टी (पीओए) अधिनियम, 1989 में संशोधन

3260. श्री शिशुपाल पटले :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दलितों के प्रति अस्पृश्यता तथा किये जा रहे अत्याचारों को प्रभावी रूप से दूर करने में नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अप्रभावी हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिनियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार अ.जा./अ.ज.जा. के प्रति अत्याचार किस प्रकार से रोकती है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1953 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के लिए कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं। इन अधिनियमों के अक्षरशः प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर उन्हें उपयुक्त सलाह दी जाती है। प्रशासन, प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने, जागरूकता सृजन तथा पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास के लिए उन्हें सहायता भी प्रदान की जाती है। उक्त अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों को संशोधित करने के लिए अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

क्योंझर, उड़ीसा के खनन क्षेत्रों हेतु रेल संपर्क

3261. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास क्योंझर जिले के खनन क्षेत्रों को उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले के खनन क्षेत्रों को रेल द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या रॉक्सी साइडिंग को कोइरा, बारबिल एवं किरिबुर के रास्ते बांसपानी से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में वैगन कारखाना

3262. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार गुजरात में एक वैगन निर्माण कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कारखाना कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कारगिल युद्ध शहीदों के आश्रितों को पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियां

3263. श्री रशीद मसूद :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगिल युद्ध शहीदों के आश्रितों, को पेट्रोल पम्प/रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन में अनियमितताओं की बात सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कारगिल युद्ध शहीदों के उन आश्रितों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक पेट्रोल पम्प/रसोई गैस एजेंसी आबंटित नहीं की गई है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शहीदों के आश्रितों को पेट्रोल पम्प/रसोई गैस एजेंसी कब तक आबंटित कर दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) आपरेशन विजय (कारगिल) के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा आशय-पत्र जारी करने के द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र/एल पी जी एजेंसियां आबंटित की गई हैं। तथापि, 30.11.2006 की स्थिति के

अनुसार "आपरेशन विजय" (कारगिल) के दौरान युद्ध में शहीद हुए रक्षा कार्मिक की विधवाओं/आश्रितों को आबंटित 28 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और 9 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विभिन्न कारणों, जैसे आबंटितियों द्वारा चुने गए स्थान पर उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता, विभिन्न सांविधिक निकायों यथा जिला मजिस्ट्रेट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्थानीय/सरकार इत्यादि से आवश्यक अनुमोदन न मिलने की वजह से आरम्भ किए जाने के लिए लंबित हैं जो मंत्रालय या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के नियंत्रण से बाहर हैं। मुद्दे का समाधान करने हेतु गहन प्रयासों के बावजूद इन लंबित मामलों के आरम्भ किए जाने के लिए समयावधि नहीं बताई जा सकती क्योंकि ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू न किए जाने के कारण, मंत्रालय या तेल विपणन कंपनियों के नियंत्रण से बाहर हैं।

[अनुवाद]

रक्षा, वित्त तथा अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

3264. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 से 15 नवम्बर, 2006 तक दिल्ली में रक्षा, वित्त तथा अर्थशास्त्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में भाग लेने वाले देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें चर्चा किए गए मुद्दों तथा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित छब्बीस देशों के शिष्टमंडलों ने सेमिनार में भाग लिया : आस्ट्रेलिया, ब्राजील, बांग्लादेश, कनाडा, चीन, मिश्र, इथोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजराइल, मलेशिया, नाईजीरिया, ओमान, पोलैंड, रोमानिया, रूस, सर्बिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के. और संयुक्त राज्य अमरीका।

(ग) सेमिनार में किए गए विचार-विमर्श का उद्देश्य रक्षा में संसाधन योजना तथा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर कार्य करते समय देश के विशिष्ट अनुभवों को आपस में बांटना एवं उनका मूल्यांकन करना तथा रक्षा प्रबंधन में उत्कृष्ट पद्धतियों, प्रक्रियाओं और ढांचों की पहचान करना था।

[हिन्दी]

आवासीय इकाइयों का निर्माण

3265. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष के दौरान अब तक रक्षाकर्मियों के परिवारों हेतु कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) रक्षा कार्मिकों के परिवारों के लिए विवाहित आवास परियोजना के अंतर्गत आवासीय यूनिटों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक 1453 आवासीय यूनिटों का निर्माण कर दिया गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान विवाहित आवास परियोजना के अंतर्गत कुल 1496.893 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

[अनुवाद]

इंटिग्रेटिड मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑन लाइन सिस्टम परियोजना

3266. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटिग्रेटिड मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑन लाइन सिस्टम परियोजना पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वायु सेना ने परियोजना इमोल्स अर्थात एकीकृत सामग्री प्रबंधन ऑन लाइन प्रणाली की संकल्पना वर्ष 1994 में की थी। इस परियोजना को पूरा कर लिया गया है। इससे सभी संभारिकी प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा विश्लेषणों को ऑन लाइन करने से भारतीय वायु सेना में ई-लोजिस्टिक्स गवर्नेंस हासिल किया जाना सुनिश्चित हो गया है।

परियोजना इमोल्स को एन्टरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग (ई आर पी) जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तर्ज पर डिजाइन और विकसित किया गया है जिससे विशेषतः भारतीय वायु सेना की संभारिकी आवश्यकताओं का समाधान किया जा सके। इसमें ई-ऑडिट की विशेषता भी निहित है।

राइफलों का विनिर्माण

3267. श्री मिलिन्द देवरा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली स्थित आयुध निर्माणी में राइफलों का विनिर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राइफल की अनुमानित लागत कितनी होगी तथा आयुध निर्माणी की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) आयुध निर्माणी, तिरुचिरापल्ली पहले ही 5.56 मि.मी. इन्सास राइफलें और 7.62 मि.मी. सेल्फ लोडिंग राइफलों का उत्पादन कर रही है।

(ख) आयुध निर्माणी, तिरुचिरापल्ली की लागत तथा क्षमता का ब्यौरा इस प्रकार है:–

उत्पाद	मूल्य प्रति अदद	संस्थापित क्षमता
5.56 मि.मी. इनसास राइफल	19,000/– रु.	प्रति वर्ष 25000 अदद
7.62 मि.मी. एस एल आर	28,350/– रु.	

तेजपुर में केन्द्र

3268. श्री कीरेन रिजीजू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्रह्मपुत्र के दाहिनी छोर एवं पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तेजपुर को एयरलाइंस हेतु एक प्रमुख केन्द्र बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा तेजपुर में अन्य क्या नागर विमानन कार्य शुरू किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तेजपुर हवाईअड्डे की एक प्रमुख हब के रूप में उपयोगिता के लिए किसी भी एयरलाइन की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) तेजपुर हवाईअड्डा भारतीय वायु सेना का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एबी–320 श्रेणी के दो विमानों को स्थान देने के लिए एक एप्रन सहित केवल एक सिविल एन्क्लेव (सी ई) का रखरखाव करता है। सिविल एन्क्लेव में एक टर्मिनल भवन, विमान पार्किंग स्टैण्ड, लिंक टैक्सीवे, आवासीय क्वार्टर्स तथा सम्बद्ध सुविधाएं शामिल हैं।

बी.एस.सी.एल. में उत्पादन

3269. श्री सुनील खां : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) की बर्नपुर इकाई के पास रेल विभाग से पर्याप्त आदेश मिले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बर्नपुर इकाई द्वारा उत्पादन लक्ष्य पूरा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बर्नपुर इकाई की क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 01.12.2006 की स्थिति के अनुसार, बीएससीएल ने 475 नग वैगनों के लिए क्रयादेश प्राप्त किया है। इनमें 5 प्रकार के वैगन शामिल हैं जिसमें से 3 प्रकार के प्रोटोटाइप के अनुमोदन की आवश्यकता है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वैगन के प्रकार	मात्रा (वीयू में)
1	बीओबीआरएन	80
2	बीओएसटी	72
3	बीओबीवाईएन	100
4	बीसीएनएएचएस	156
5	बीओएक्सएनएचएस	67
	कुल	475

(ग) और (घ) इस इकाई ने बजट अनुमान 2006–07 की समान अवधि के लिए 427 वैगनों के लक्ष्य के मुकाबले नवम्बर, 2006 तक 315 वैगनों का उत्पादन किया है। लक्ष्यों को पूरा करने में मुख्य बाधाएं रेलवे से समय पर मैचिंग निःशुल्क मदें जैसे बोगी, काप्लर आदि की अनुपलब्धता है।

(ङ) उत्पादन में सुधार लाने के लिए, बर्नपुर इकाई ने दो प्रकार के वैगनों का एक साथ उत्पादन करना आरंभ किया है तथा उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए अतिरिक्त पालियां (शिफ्ट्स) चलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। लक्षित उत्पादन को बनाए रखने के लिए इकाई को बीओबीआरएन वैगनों के आगामी आदेश जारी करने तथा कम से कम 3–4 सप्ताह पहले मैचिंग निःशुल्क मदों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड से भी सम्पर्क किया गया है।

ऑटोमोबाइल उद्योग को रियायतें

3270. श्री ए.के. मूर्ति : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटोमोबाइल उद्योग ने कुछ वित्तीय रियायतें देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) भारी उद्योग विभाग ने भारतीय मोटरवाहन विनिर्माता संघ (एसआईएएम) तथा ऑटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) की ओर से बजट 2007–08 में शामिल करने के लिए बजट–पूर्व ज्ञापन प्राप्त किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ राजकोषीय रियायतों के प्रस्ताव शामिल हैं।

राजकोषीय नीति में संशोधन, संसद का विशेषाधिकार है और इसे बजटीय प्रक्रिया के एक भाग के रूप में लिया गया है। ऑटोमोटिव क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों के लिए इस प्रकार के सुझावों की जांच वित्त मंत्रालय द्वारा बजट बनाते समय की जाती है।

विश्व विरासत स्थल के रूप में कुरूक्षेत्र का विकास

3271. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कुरूक्षेत्र का विकास विश्व विरासत स्थल के रूप में करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु स्थित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ स्थलों का विकास विश्व विरासत स्थलों के रूप में करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन स्थलों की पहचान की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) जी, नहीं। कुरूक्षेत्र अथवा तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को विश्व विरासत स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने ऐतिहासिक महत्व वाले गंतव्यों तथा परिपथों के विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, हरियाणा राज्य के लिए 3590.56 लाख रु. तथा तमिलनाडु राज्य के लिए 9872.56 लाख रु. की राशि की मंजूरी प्रदान की है।

संपूर्ण देश में विश्व विरासत स्थलों का संवर्धन तथा प्रचार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू बाजार में एक प्रचार अभियान शुरू किया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेलवे सेवाओं का विकास

3272. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को राजस्थान सरकार से राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार और विकास के लिए कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) राज्य के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक मूर्त रूप लेने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेलों के विभिन्न स्तरों जैसे मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और बोर्ड स्तर पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, लेकिन इन सभी अभ्यावेदनों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, विभिन्न वर्गों से प्राप्त मांगों के आधार पर और परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में मुहैया कराई गई सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	चालू करना	विस्तारण	फेरों में वृद्धि
2004–05	7	3	2
2005–06	10	10	0
2006–07	4	13	1

2006–07 के दौरान पहले से चल रही चार जोड़ी गाड़ियों के अलावा रेलवे बजट 2006–07 में आठ (8) और सेवाएं चालू करने का प्रस्ताव है ताकि राजस्थान के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

यात्रियों को क्षतिपूर्ति

3273. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ माह पूर्व एअर इंडिया की एक उड़ान को पुणे से दुबई की अपनी यात्रा पूरी करने में 30 घंटे लगे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया ने उस उड़ान के यात्रियों को यथेष्ट क्षतिपूर्ति प्रदान की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) मुम्बई/पुणे/दुबई सेक्टर पर प्रचालित होने वाली 18 अगस्त, 2006 की एअर इंडिया की उड़ान सं. एआई–719 1740 बजे पुणे पहुंची। पुणे में जब कमांडर ने 1810 बजे उड़ान भरने के लिए इंजन शुरू किया तो उसने पाया कि एक वातानुकूलन इकाई काम नहीं कर रही थी। उस परेशानी को दूर करने के प्रयास किए गए। जब वह समस्या बनी रही तो यात्रियों को विमान से उतारा गया तथा मुम्बई के लिए अगली उड़ान में स्थान उपलब्ध कराया गया।

जिन यात्रियों को सुबह ही सम्पर्कित उड़ानों से जाना था उन्हें हवाईअड्डे पर स्नैक्स उपलब्ध कराए गए थे तथा जिन यात्रियों को एयर इंडिया की दोपहर की उड़ान से यात्रा करनी थी उन्हें होटल में ठहरने, नाश्ते व दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई थी।

पूछताछ सेवाओं का एकीकरण

3274. श्री एल. राजगोपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में सभी पूछताछ सेवाओं का एकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पूछताछ सेवाओं के एकीकरण में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम किस प्रकार सहायक होता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। रेलवे, एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली, की स्थापना पूरे देश में कॉल सेंटरों को उपलब्ध कराकर कर रही है जिसमें, गाड़ी के चलाने की स्थिति, आरक्षण की स्थिति, स्थान की उपलब्धता के साथ–साथ अन्य मूल्य संवर्द्धित सेवाओं हेतु, इंटरएक्टिव वायस रेस्पौंस प्रणाली और मैनुअल पूछताछ की व्यवस्था दोनों शामिल होगी।

रेलवे पूछताछ नंबर डायल करने वाला व्यक्ति का संपर्क इंटरएक्टिव वायस रेस्पौंस प्रणाली के माध्यम से कॉल सेंटर से हो जायेगा।

[हिन्दी]

एन.सी.एस.सी. के लिए बजट आबंटन

3275. श्री कैलाश मेघवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन के पश्चात् से इसके लिए किए गए बजटीय आबंटनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयोग की स्वीकृत पद संख्या की तुलना में की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग यथेष्ट कर्मचारियों तथा बजटीय आबंटन की कमी के कारण अपने उद्देश्य एवं उत्तरदायित्वों को संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 19 फरवरी, 2004 को हुआ था। इसके बजटीय प्रावधान इस प्रकार हैं:

वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07
बजट अनुमान (लाख रुपये)	505.00	558.00	626.00

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में स्टाफ की स्थिति का विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में स्टाफ की स्थिति

क्र. सं.	पद	स्वीकृत पद संख्या	अब स्थिति
1	2	3	4
1.	अध्यक्ष	01	–
2.	उपाध्यक्ष	01	01
3.	सदस्य	03	03
सचिवालय स्टाफ			
1.	सचिव	01	01
2.	संयुक्त सचिव	01	01
3.	पुलिस उप महानिरीक्षक	01	–
4.	उप सचिव/निदेशक (सीएसएस)	01	01
5.	विधि अधिकारी	01	–
6.	सहायक निदेशक (कार्यक्रम)	01	–
7.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	01	–
8.	अवर सचिव	02	02
9	प्रधान निजी सचिव	01	01
10	सहायक निदेशक (रा.भा.)	01	01
11	वरिष्ठ अनुवादक	01	–
12	अनुभाग अधिकारी	04	04
13	निजी सचिव	02	02
14.	सहायक	03	02
15.	वैयक्तिक सहायक	03	02
16.	आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	05	02
17.	उच्च श्रेणी लिपिक	04	03
18.	अवर श्रेणी लिपिक	07	03
संयुक्त संवर्ग स्टाफ			
1.	निदेश	10	06*
2.	उप निदेशक	05	04
3.	सहायक निदेशक	10	06
4	अनुसंधान अधिकारी	10	09
5	वरिष्ठ अन्वेषक	17	13
6.	अन्वेषक	19	10

*बाकी चार पदों की नियुक्ति के प्रस्ताव पहले ही जारी कर दिए गए हैं

स्टाफ (आयोग का राज्य कार्यालय)

1	कार्यलय अधीक्षक	08	07
2	वैयक्तिक सहायक	08	05
3	आशुलिपिक	03	01
4	उच्च श्रेणी लिपिक	10	09
5	अवर श्रेणी लिपिक	19	16

सह-टर्मिनस आधार पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वैयक्ति स्टाफ

1.	अध्यक्ष	निजी सचिव	–	–
		वैयक्ति सहायक	–	–
2.	उपाध्यक्ष	निजी सचिव	01	–
		वैयक्ति सहायक	01	–
3.	सदस्य	निजी सचिव	03	–
		वैयक्ति सहायक	03	–

[अनुवाद]

विज्ञापनों में राजस्व

3276. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल स्थान को विज्ञापनों के लिए किराए पर देकर राजस्व अर्जित करने की काफी गुंजाइश है:

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा विज्ञापनों से कितनी राशि अर्जित की गई है; और

(ग) विज्ञापनों के माध्यम से और अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) रेलों पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान क्रमशः 50.21 करोड़ रु. और 78.09 करोड़ रु. अर्जित किए गए थे।

(ग) अधिक राजस्व अर्जित करने के प्रयोजन से पायलट परियोजना आधार पर किसी एक फर्म का समूचे मंडल और गाड़ी के लिए थोक विज्ञापन अधिकार प्रदान किए जाने की योजना अपनाई गई है। क्षेत्रीय रेलों को भी टिकटें, उद्घोषणाओं आदि जैसे क्षेत्रों का दोहन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

नगर कॉयल से वान्ची मणियाच्चि तक रेलगाड़ी

3277. श्री ए.वी. वेल्लारमिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार तूतीकोरिन–बंगलौर एक्सप्रेस ट्रेन से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नगर कॉयल से वान्ची मणियाच्चि तक रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में विदेशी निवेश

3278. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को योजना आयोग से रेलवे में विदेशी निवेश आकर्षित करने और इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर व्यवसाय में विभिन्न कंपनियों को प्रवेश की अनुमति देने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलों की ओर विदेशी निवेश आकर्षित करने संबंधी कोई सुझाव योजना आयोग से प्राप्त नहीं हुआ है। कंटेनर व्यवसाय में विभिन्न कंपनियों के प्रवेश की अनुमति देने संबंधी नीति की पहले ही घोषणा कर दी गई है।

जी.-अल्ट्रा मार्डन ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज सिमुलेटरों की खरीद

3279. श्री वाडिगा रामकृष्णा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना का विचार अपने पायलटों को आक्रामक हवाईकर्मी प्रशिक्षण देने के लिए नए उच्च जी.–अल्ट्रा मार्डन ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज सिमुलेटरों को प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.ए.एफ. से यह प्रस्ताव सरकार के पास कुछ समय से लंबित है;

(घ) यदि हां, तो मूल प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था;

(ङ) मूल प्रस्ताव में क्या संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या पुराने सिमुलेटरों को नए सिमुलेटरों से प्रतिस्थापित किया जाना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (छ) एयरोस्पेस चिकित्सा संस्थान, बेंगलूर में मौजूदा सेंट्रीफ्यूज सिमुलेटर के प्रतिस्थापन के रूप में एक उच्च जी.–ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज सिमुलेटर की अधिप्राप्ति के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

जी एन टी के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम

3280. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन वर्गों के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की तर्ज पर अलग निगम बनाए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन समुदायों के कल्याण संबंधित विभिन्न मुद्दों के अध्ययन के लिए, राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति, खानाबदोश और अर्ध–खानाबदोश आयोग स्थापित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

बरहाज बाजार से नई रेल सेवा

3281. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास बरहाज बाजार से वाराणसी, छपरा और गोरखपुर तक नई रेल सेवाएं प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेट्रो विमानपत्तनों पर एअर इंडिया के पैसेंजर टर्मिनल

3282. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास निर्मित हो रहे दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और अन्य मेट्रो विमानपत्तनों पर एअर इंडिया के लिए एक व्यापक समर्पित पैसेंजर टर्मिनलों को बनाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए टर्मिनलों के कब तक चालू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों/एल पी जी एजेंसियों का खोला जाना

3283. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां खोलने के लिए आवेदन मंगाए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या विपणन कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त एजेंसियों को खोलने के लिए अनुमति देने के स्थान पर सभी आवेदनों को वापस लौटा दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में नए पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों को खोलने के लिए कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की 1.4.2002 से समाप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को विज्ञापन और साक्षात्कार आदि के जरिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सहित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए स्थान, डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने की वाणिज्यिक स्वतंत्रता दे दी गई है। तथापि, विज्ञापन के जारी होने के बाद यदि संबंधित स्थल अव्यवहार्य बन जाता है तो ओ एम सीज को उक्त चयन प्रक्रिया को रद्द करने और आवेदक को आवेदन पत्र लौटाने की वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सरकार ओ एम सीज के वाणिज्यिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

[अनुवाद]

सहकारी संगठनों से दूध की खरीद

3284. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थल सेना की उत्तरी कमान सहकारी संगठनों से निविदा आधार पर दूध खरीद करती रही है;

(ख) यदि हां, तो निविदा और सहकारी संगठनों की निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निविदा के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए दूध की आपूर्ति दर में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दूध की आपूर्ति के लिए चुने गए सहकारी संगठन निविदा के निबंधन एवं शर्तों को पूरा नहीं करते थे और उन्होंने सभी स्टेशनों पर दूध की आपूर्ति नहीं की है;

(च) यदि हां, तो निविदा के निबंधनों के उल्लंघन के लिए सहकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या नई निविदा मंगाने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ज) दूध की अधिप्राप्ति, इस विषय पर सरकारी आदेशों के अनुसार जम्मू–कश्मीर डेरी उत्पादन, संसाधक और विपणन सहकारी संघ लिमिटेड, (जे के डी पी पी एम सी यू एल), जम्मू से तयशुदा संविदा के अंतर्गत की जाती है। उक्त सरकारी आदेश में नियत विशेष निबंधन और शर्तों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। जम्मू–कश्मीर डेरी उत्पादक, संसाधक और विपणन सहकारी संघ लिमिटेड ने भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के संबंध में दरों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है जिसमें नागरिक उपभोक्ता कीमत में वृद्धि होने के आधार पर सहकारी समिति के अनुरोध पर छह महीने के बाद दरों में बढ़ोत्तरी करना निर्धारित है। सहकारी समिति के लिए दरों में कोई वृद्धि स्वीकार नहीं की गई है। सहकारी समिति ने दूध की सप्लाई सभी स्टेशनों में तयशुदा संविदा के निबंधन और शर्तों के अनुसार की है। इसलिए इस संविदा विशेष में नई निविदाएं मंगाने का प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

तयशुदा दुग्ध संविदाओं के लिए विशेष निबंधन और शर्तें

1. विनिर्देश के अनुसार ऐसा ताजा दूध स्वीकार किया जायेगा जो सुवासित हो और सभी मिलावटों तथा न्यूटरलाइजर और सिंथेटिक तत्वों से मुक्त हो और जिसमें बी एफ 4.5 प्रतिशत और एस एन एफ 8.5 प्रतिशत से कम न हो।

2. ताजा दूध, यथास्थिति, थैलियों अथवा समुचित रूप से सीलबंद केनों में सप्लाई किया जाएगा और इनके साथ मार्ग में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। केनें/थैलियां संबंधित फार्म की डेरी में अच्छी स्थिति में सौंपी जाएंगी। फटे पाउच स्वीकार नहीं किए जायेंगे। इसी तरह यदि केनों में सप्लाई की मात्रा कम पाई जाती है तो उसे काट लिया जायेगा।

3. फार्म कहीं से भी नमूने लेकर उनकी फार्म प्रयोगशाला/नजदीकी सैन्य अस्पताल में जांच कराएगा और यदि कम वसा एस एन एफ की कोई कमी पाई जाती है तो उसे विभागीय कटौती नियमावली के अनुसार काट लिया जायेगा।

4. यदि दूध में कोई मिलावट/न्यूटरलाइजर/कोई अवांछित तत्व पाया जाता है तो उसे बिना किसी विवाद के अस्वीकार कर दिया जायेगा। फार्म तब दुग्ध सहकारियों/दुग्ध योजनाओं के जोखिम और खर्च पर टेट्रा पैक सहित वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

5. ऊपर दर्शाई गई ताजा दूध की मात्रा अनुमानित है तथा ऑपरेशनल आवश्यकता के कारण दिन–प्रतिदिन आधार पर बदलती रहती है। संबंधित दुग्ध फार्मों द्वारा इसे दिन–प्रतिदिन आधार पर जांचा जा सकता है।

6. यदि दूध फट जाने आदि के कारण खराब हो जाता है तो इसे आपूर्ति करने वाली एजेंसी को फटे दूध को मांगे बिना बदलना होगा।

7. दूध की सुपुर्दगी 6 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किया जाना अपेक्षित है।

8. एन सी डी एफ आई/दुग्ध संघ/सहकारी डेयरी से दूध का प्रदर्शक नमूना जांच के लिए लिया जायेगा और इसकी लागत दुग्ध संघ को वहन करनी होगी।

9. संविदा संचालन अधिकारी द्वारा नमूनों की रैंडम जांच कराई जायेगी तथा यदि दूध विनिर्देशन से नीचे पाया गया तो इसे रद्द कर दिया जायेगा, विभागीय आदेशों के अनुसार कटौती की जायेगी। नमूना जांच संबंधित दुग्ध संघ आपूर्ति एजेंसी की लागत पर की जायेगी। सहकारी डेयरियों की लागत और खर्च पर प्रति एक हजार लीटर दूध में से 5 लीटर दूध नमूने के तौर पर लिया जायेगा।

10. यदि मांग के अनुसार दुग्ध संघ/दुग्ध आपूर्ति एजेंसी दूध की आपूर्ति करने में असमर्थ रहती है तो जोखिम तथा खर्च खरीद का सहारा लिया जायेगा। दूध 1100 बजे तक सैनिक फार्म, बारामूला, सैनिक फार्म, श्रीनगर तथा सैनिक फार्म राजौरी तक पहुंच जाना चाहिए। 1400 बजे के बाद की जाने वाली दूध की आपूर्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. संविदा संचालन अधिकारी द्वारा मासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा।

12. उद्धृत दर परिवहन प्रभारों सहित सैनिक फार्म आपूर्ति की होगी।

13. यदि संबंधित दुग्ध संघ/यूनियन इस तयशुदा संविदा से मुकर

जाती है अथवा दैनिक आधार पर अपेक्षित मात्रा में दूध की आपूर्ति करने में असमर्थ रहती है तो संबंधित सैनिक फार्म दोधी दुग्ध संघ/यूनियन के जोखिम और खर्च पर दूध की अधिप्राप्ति करेगा।

14. यदि किसी भी स्तर पर दूध विनिर्देशन से नीचे पाया जाता है अथवा दूध में कोई मिलावट पाई जाती है अथवा दूध में कोई न्यूटरलाइजर अथवा ऐसा पदार्थ जो विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है, पाया जाता है तो दूध को दुग्ध संघ/सहकारी संघ के जोखिम और खर्च पर रद्द कर दिया जायेगा तथा सहकारी को चेतावनी जारी की जायेगी। यदि तीसरी बार ऐसा होता है तो तीन लिखित चेतावनी दी जायेंगी और उसके बाद संविदा निरस्त कर दी जायेगी।

15. संविदा के दौरान मेरे/हमारे द्वारा जब कभी किसी सैन्य भूमि का अधिभोग किया जाता है तो भूमि का अधिभोग मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई दर पर मैं/हम सैन्य भूमि के किराये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा संविदा मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा इसकी सूचना दी जायेगी।

16. इस संविदा के अंतर्गत किसी आपूर्ति सेवा के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

17. मैंने/हमने उपर्युक्त निर्धारित शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है और सभी संविदाएं इन शर्तों से शासित होंगी जिन्हें सरकार द्वारा मेरे/हमारे साथ किया जायेगा।

गुरदासपुर जिला सहकारी के प्रतिनिधि — ह./– दिनांक 23.02.2006

जम्मू और कश्मीर डेयरी उत्पादक तथा संसाधक तथा विपणन सहकारी यूनियन लि., गांधीनगर, जम्मू के प्रतिनिधि — ह./– दिनांक 23.02.2006

जम्मू और कश्मीर दुग्ध उत्पादक सहकारी लि., दुग्ध प्लांट सतवरी, जम्मू — ह./– दिनांक 23.02.2006

[हिन्दी]

देवघर विमानपत्तन पर नागर विमानन सुविधाएं

3285. श्री शाहनवाज अंसारी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड स्थित देवघर विमानपत्तन का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देवघर स्थित भगवान् शिव के प्रसिद्ध मंदिर, सत्संग आश्रम और दुनिया भर में विख्यात योग संस्थान बार–बार जाने वाले पर्यटकों के लिए नई दिल्ली–देवघर–कोलकाता से सरकारी/निजी विमान कंपनियों की वायु सेवा आरंभ करने का था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) झारखण्ड में देवघर हवाईअड्डा झारखण्ड राज्य सरकार का है जो इस समय प्रचालन में नहीं है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा इस हवाईअड्डे का विकास करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.बी.पी. और एच.पी.सी.एल. के विरुद्ध शिकायतें

3286. श्री उदय सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कंपनी के स्वामित्वाधीन एवं संचालित अथवा तदर्थ डीलरशिप के रूप में चलाए जा रहे खुदरा बिक्री केन्द्रों के जमीन मालिकों से आई.बी.पी. कंपनी लि. तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध इन कंपनियों द्वारा कथित ठगी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) दिनांक 1.4.2002 से लागू प्रशासित मूल्यनिर्धारण प्रणाली (ए पी एम) के समापन के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए स्थान पसन्द करने, डीलरशिप का चयन करने आदि की वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ए पी एम के बाद स्थान, डीलर/भू–स्वामी के चयन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों को, संबंधित ओ एम सी को उनकी शिकायत निवारण प्रणाली के अनुसार शिकायत निवारण के लिए भेजा जाता है।

खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्थान परिवर्तन

3287. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तेल कंपनियां विशेषकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) पंजाब में खुदरा बिक्री केन्द्रों को आंशिक रूप से मूल स्थानों से 100 कि.मी. दूर दूसरे स्थानों पर ले जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान एच पी सी एल द्वारा किए गए ऐसे स्थान परिवर्तनों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार/तेल कंपनियों का विचार ऐसे सभी आंशिक स्थान परिवर्तनों को रद्द करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या एच पी सी एल ऐसे स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों को अपनी भूमि तेल कंपनियों के पक्ष में पट्टे पर देने के लिए संसाधित कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने रिपोर्ट दी है कि पंजाब राज्य में दिशानिर्देशों के उल्लंघन में मूल स्थान से 100 कि.मी. दूर किसी खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओज) का अंशतः स्थान परिवर्तन नहीं किया है।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एच पी सी एल की दिशा–निर्देश नीति के अनुसार परिवर्तित स्थान पर स्थल खरीदा जायेगा और डीलर द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र विकसित करके कारपोरेशन को पट्टे पर दिया जायेगा। कारपोरेशन की खुदरा पूंजी निवेश नीति की शर्तों के अनुसार, एच पी सी एल द्वारा किए गए पूंजी–निवेश को परिवर्तित स्थान पर भी अनुमत किया जा सकता है।

प्रशीतित कंटेनरों की कमी

3288. श्री जगत कुमार मंडल : क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्तनों पर प्रशीतित कंटेनरों की भारी कमी है जिससे समुद्री खाद्यों का निर्यात बाधित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्तनों पर प्रशीतित कंटेनरों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) पत्तनों पर प्रशीतित कंटेनरों की ऐसी कोई कमी देखने में नहीं आई है जिससे समुद्री खाद्यों के निर्यात में बाधा पड़ी हो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें समुद्री खाद्य उद्योग शामिल हैं, के विकास हेतु समग्र नीतिगत एवं संवर्धनात्मक समर्थन देता है। अपनी योजना स्कीमों के तहत, यह मंत्रालय अन्यों के साथ–साथ गैर–बागवानी उपज (समुद्री खाद्य समेत) हेतु शीतागारों की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25 प्रतिशत और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है।

गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली केरोसिन डिपो

3289. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चोरी/कालाबाजारी को रोकने हेतु प्रत्येक जिले में गैर–सार्वजनिक वितरण प्रणाली केरोसिन डिपो खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना हेतु निर्धारित मूल्य निर्धारण संबंधी फार्मूला क्या है; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को यह इजाजत दी गई है कि देश में उत्पादित अभिशोध मिट्टी तेल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) की मांग पूरी होने के बाद सीधे वास्तविक ग्राहकों को बेच सकती है। मौजूदा प्रणाली के तहत ओ एम सीज द्वारा मिट्टी तेल (सफेद) किरोसीन की खुली बिक्री का विपणन किया जाता है, जबकि छोटे उपभोक्ताओं की मांग पूर्ण भरी टैंक लारी से कम रहती है, वह उनके मिट्टी तेल डीलरों से पूरी हो जाती है। ऐसे उपभोक्ताओं की मांग सीधे ओ एम सीज द्वारा अपने आपूर्ति स्थलों से पूरी की जाती है, जिन्हें एक समय में एक से अधिक टैंक लारी के माल की आवश्यकता होती है।

विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था

3290. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किरणभाई वी. पटेल :
श्री काशीराम राणा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विमान कंपनियों की सुरक्षा का प्रबंध करने हेतु एकल बल का गठन करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विमानन उद्योग हेतु विद्यमान सुरक्षा प्रणाली कितनी व्यवहार्य है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मौजूदा सुरक्षा प्रणाली ठीक है। बहरहाल, सुरक्षा प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा कमी पाई जाने पर तुरन्त सुधार किया जाता है।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणियों का निजीकरण

3291. श्री राकेश सिंह :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुध निर्माणियों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निजीकरण हेतु प्रस्तावित आयुध निर्माणियों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, नहीं। सरकार का आयुध निर्माणियों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर जन प्रतिनिधियों हेतु सुविधाएं

3292. श्री एन. अंजनकुमार यादव :
श्री वी.के. दुग्गर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर जन प्रतिनिधियों हेतु ठहरने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सभी विमानपत्तनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हवाईअड्डों पर रियायती दरों पर मौजूद विश्राम कक्ष सुविधा जन-प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध है।

[अनुवाद]

सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग

3293. श्री छितेन बर्मन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्ष की अवधि के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग के संबंध में ब्यूरो अध्ययन को आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइस को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके प्रत्येक निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक बॉटलर के नाम क्या हैं जिनके बारे में ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइस द्वारा सूचना मांगी गई है; और

(च) इन बॉटलरों से मांगी गई और इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी, नही।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बारहमी सुरंग रोधी वाहन का निर्माण

3294. श्रीमती गीता पटेरिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बारूदी सुरंग रोधी वाहन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों के नाम क्या हैं जहां इन वाहनों का निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन वाहनों हेतु प्राप्त क्रय संबंधी क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से यह क्रयादेश प्राप्त हुए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

3295. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक दक्ष बनाने के लिए नीति संबंधी दस्तावेज तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र से संबंधित नीति राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) द्वारा शासित की जाती है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सरकार सशक्त व प्रभावशाली सरकारी क्षेत्र के प्रति वचनबद्ध है, जिसके सामाजिक उद्देश्य इसके वाणिज्यिक प्रचालनों द्वारा पूरे किए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को संसाधन जुटाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस नीति के अनुसरण में, सरकार ने हाल ही में नवरत्न एवं मिनीरत्न कम्पनियों को नई परियोजनाओं, सहायक कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यमों इत्यादि में निवेश के लिए बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। लाभ अर्जित करने वाले अन्य केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को भी पूंजी व्यय के लिए बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

विमानपत्तनों पर माल हेतु क्लीयरेंस टाइम

3296. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों पर माल का क्लीयरेंस टाइम दो घंटे के अंतर्राष्ट्रीय मानक से अधिक है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास क्लीयरेंस टाइम में कमी लाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के बराबर लाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) हवाईअड्डों पर हवाई कार्गो की प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए चार मेट्रो हवाईअड्डों पर कार्गो के आयात और निर्यात की तीव्रतर प्रक्रिया के लिए इलैक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली संस्थापित की गई है। इन हवाईअड्डों पर फरवरी/मार्च, 2006 के दौरान 100 प्रतिशत वैब आधारित ईडीआई आरंभ होने के बाद पासपोर्ट साइट पर दस्तावेजों की प्रक्रिया की मैनुअल व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आयात की प्रक्रिया में ईडीआई के संबंध में, दिल्ली हवाई अड्डे पर इसका परीक्षण नवम्बर, 2006 में किया गया था तथा इसे चारों मेट्रो हवाईअड्डों पर फरवरी, 2007 में क्रियान्वित किए जाने की संभावना है। चार मैट्रो हवाईअड्डों के एयर कार्गो टर्मिनलों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के प्रक्रिया समय में सुधार लाने के लिए, दिल्ली हवाई अड्डे के एक्सपोर्ट टर्मिनल पर बार कोड प्रणाली का क्रियान्वयन एक पायलट परियोजना के रूप में किया गया है और इसे फरवरी, 2007 में अन्य तीन मैट्रो हवाईअड्डे पर क्रियान्वित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बाढ़ हेतु विद्युत आपूर्ति

3297. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत–पाक सीमा पर नियंत्रण रेखा पर लगाई गई विद्युत बाड़ पर्याप्त विद्युत की अनुपलब्धता के कारण अप्रभावी सिद्ध हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो बाड़ हेतु अबाधित विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) नियंत्रण–रेखा की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय मौजूद हैं।

[अनुवाद]

बुकस्टालों की संविदाओं का नवीकरण

3298. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा बुक स्टॉल नीति, 2004 का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनेक बेरोजगार स्नातकों द्वारा धारित बुकस्टालों की संविदाओं का नवीकरण नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) बेरोजगार स्नातकों द्वारा धारित बुकस्टालों के बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क की वसूली की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) अक्टूबर, 2004 में एक व्यापक बुक स्टाल नीति जारी की गई थी, जिसे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा मामला न्यायाधीन है। परिणामस्वरूप, यथास्थिति बरकरार रखी जा रही है और बुक स्टॉल लाइसेंसधारकों का नवीकरण नहीं किया जा रहा है।

(ग) से (च) भारतीय रेल पर बुक स्टालों के लाइसेंस शुल्क को स्टेशन परिसरों/प्लेटफार्मों पर अन्य खान-पान/विक्रेता लाइसेंसों के समकक्ष लाने के लिए तथा बुल स्टॉल/ट्रॉलियों से आमदनी में बढ़ोत्तरी करने के लिए, 2006 में इसे युक्तिसंगत बनाया गया था। इन अनुदेशों के अनुसार, कल्याणकारी और सामाजिक संगठनों को आबंटित बुक स्टालों को छोड़कर, विभिन्न श्रेणी के बुकस्टालों के लिए लाइसेंस शुल्क में, श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस शुल्क के अध्यधीन, लाइसेंस शुल्क वार्षिक बिक्री टर्नओवर के 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। उक्त वृद्धि कोर्ट मामलों के निर्णय के पूर्वाग्रह के बिना की गई है। क्षेत्रीय रेलों को संशोधित लाइसेंस शुल्क वसूल करने के लिए कहा गया है तथा रेलें इन अनुदेशों का अनुपालन कर रही हैं।

मिग-29 का दुर्घटनाग्रस्त होना

3299. श्री बालासोबरी वल्लभनेनी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 नवम्बर, 2006 को अरब सागर में मिग-29 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विमान दुर्घटनाओं की रोकथाम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) 21 नवम्बर, 2006 को एक मिग-29 लड़ाकू विमान सरमात रेंज, जामनगर से 5 कि.मी. दूर एक चेक-डेम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और न कि अरब सागर में।

(ग) से (ङ) ऐसे मामलों में सदैव एक जांच अदालत का गठन किया जाता है तथा जांच के परिणाम के आधार पर, सुधारात्मक कदम उठाये जाते हैं। उड़ान सुरक्षा में वृद्धि करने तथा उसका दर्जा बढ़ाने के लिए रक्षा सेनाओं में सदैव एक सतत् तथा बहुआयामी प्रयास जारी रहता है। पायलटों के कौशल स्तरों में सुधार लाने, सही निर्णय लेने की योग्यता हासिल करने तथा स्थितिजन्य सजगता में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण गुणता में वृद्धि हेतु भी उपाय किए जाते हैं। विमान की तकनीकी खराबियों पर काबू पाने के लिए मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओ ई एम), स्वदेशी तथा विदेशी, दोनों के साथ सतत् बातचीत भी की जाती है। इसके अलावा, पक्षी-रोधी उपाय भी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

छावनी बोर्डों के चुनाव

3300. श्री संतोष गंगवार :
श्री देविदास पिंगले :
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छावनी बोर्डों का चुनाव करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन चुनावों को कब तक कराए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) छावनी बोर्डों के चुनाव छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार कराए जाने प्रस्तावित हैं। इसके लिए छावनी अधिनियम, 2006 के संगत प्रावधानों के अनुसार

प्रत्येक छावनी बोर्ड के लिए नई "छावनी निर्वाचक नियमावली" और "वार्ड नियमावली का विभाजन" नामक नियमावली, अलग से तैयार की जानी है। इन नियमावलियों को, अधिनियम के लागू होने की तारीख, जिसे अभी अधिसूचित नहीं किया गया है, की अधिसूचना के बाद तैयार किया जा सकता है। कानूनी और सांविधिक प्रक्रिया चुनाव होने से पूर्व पूरी की जाती है।

इन्दौर में रिंग रेलवे

3301. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे इंदौर में रिंग रेलवे या स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आरंभ करने की किसी योजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उस्मानाबाद में विमानपत्तन

3302. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उस्मानाबाद में विमानपत्तन विकसित करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) उस्मानाबाद हवाई पट्टी महाराष्ट्र राज्य सरकार की है न कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की है। इस प्रकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उस्मानाबाद में हवाईअड्डे का विकास किए जाने की कोई योजना नहीं है।

आमान परिवर्तन परियोजनाएं

3303. योगी आदित्यनाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर–पूर्व रेलवे, गोरखपुर में वर्तमान में चल रही आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक प्रत्येक परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इन पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) प्रत्याशित लागत, 2006–07 के दौरान उपलब्ध परिव्यय, मार्च, 2006 तक किया गया व्यय तथा लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है, सहित परियोजनाओं की स्थिति दर्शाते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत चल रही आमान परिवर्तन परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	परिव्यय 2006–07	मार्च, 2006 तक किया गया व्यय	पूरा होने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है, सहित परियोजना की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कप्तानगंज–थावे–छपरा–सिवान (233.50 कि.मी.)	320.10	45.65	78.99	थावे से सिवान (28 कि.मी.) पहले ही पूरा हो चुका है। शेष खण्ड पर मिट्टी संबंधी कार्य, पुलों के कार्य और गिट्टी संग्रहण कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
2.	कानपुर–कासगंज–मथुरा और कासगंज–बरेली–लालकुंआ (544.50 कि.मी.)	661.72	61.98	283.19	कानपुर–फर्रूखाबाद पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है। फर्रूखाबाद कासगंज के 2006–07 के दौरान पूरा हो जाने की योजना है।
3.	गोंडा–बहराइच (60 कि.मी.)	73.42	1.00	2.39	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6
4.	आनंदनगर–नौतनवा सहित गोंडा–गोरखपुर लूप (260 कि.मी.)	381.17	5.00	52.66	आनंदनगर–नौतनवा के 2006–07 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
5.	औरीहार–जौनपुर (50.60 कि.मी.)	85.92	14.68	0.59	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

बंगलौर में एम आर ओ सुविधाएं

3304. श्री एम. शिवन्ना : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस की रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बंगलौर में अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एम.आर.ओ.) सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धौलावीरा में संग्रहालय

3305. श्री वल्लभभाई कथीरिया :
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धौलावीरा में संग्रहालय सह निर्वचन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) धौलावीरा में एक लघु संग्रहालय एवं भावान्तरण केन्द्र (इन्टरप्रिटेशन सेन्टर) स्थापित करने संबंधी कार्य प्रगति पर है। आशा है कि यह कार्य लगभग छः महीनों में पूरा हो जायेगा।

एयर एम्बुलेंस सेवाओं हेतु हेलीपैडों का निर्माण

3306. डा. एम. जगन्नाथ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय बड़े अस्पतालों ने हेलीपैडों का निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु सरकार से संपर्क किया है ताकि रोगियों को एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टरों से अस्पतालों में लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने एयर एम्बुलेंस सेवाओं हेतु मूलभूत सुविधा के रूप में हेलीपैडों का निर्माण करने की अनुमति देने का सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) चिंचवाड़, पुणे में आदित्य बिरला अस्पताल ने अस्पताल की छत के ऊपर विमान एम्बुलेंस मैडिवेक एलिवेटिड हेलीपैड के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है।

(ग) सरकार ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को स्थल की जांच करने को कहा है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इसकी जांच कर ली है तथा हेलीपोर्ट आपरेटर को कमियों से अवगत करा दिया है। इन कमियों को दूर किए जाने के पश्चात् अनुमति दिए जाने की आगे की कार्यवाही की जायेगी।

[हिन्दी]

रेलवे उपक्रमों के किराये के भवनों में चल रहे कार्यालय

3307. श्री तूफानी सरोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे उपक्रमों के कतिपय कार्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) इन कार्यालयों के किराये के रूप में प्रति माह कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन सभी कार्यालयों को एक केन्द्रीय कार्यालय में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू) कार्य कर रहे हैं, अर्थात् (i) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन), (ii) राइट्स लिमिटेड (राइट्स), (iii) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आई आर एफ सी), (iv) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (कॉनकोर), (v) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (के आर सी एल), (vi) मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड (एम आर वी सी), (vii) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी), (viii) रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आर सी आई एल), और (ix) रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल)

राइट्स, आई आर एफ सी और कॉनकोर के निगमित कार्यालय उनके अपने भवनों में कार्य कर रहे हैं। के आर सी एल का निगमित कार्यालय आंशिक रूप से किराए के भवन में है। इरकॉन, आर सी आई एल, एम आर वी सी, आई आर सी टी सी और आर वी एन एल किराए के कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निगमित कार्यालय के लिए किराए के रूप में खर्च की जा रही राशि इस प्रकार है:–

इरकॉन	12,14,000/– रु. प्रति माह
आर सी आई एल	5,00,000/– रु. प्रति माह (लगभग)
एम आर वी सी	23,668/– रु. प्रति माह
आई आर सी टी सी	15,53,464/– रु. प्रति माह
आर वी एन एल	22,97,957/– रु. प्रति माह
के आर सी एल	3,36,840/– रु. प्रति माह

राइट्स, इरकॉन, कॉनकोर, आर वी एन एल और आर सी आई एल जैसे निगमों के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जिन्हें किराऐ पर लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल का विकास

3308. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल, दिल्ली को संग्रहालय के रूप में विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। डा. भीमराव अम्बेडकर का जीवन और मिशन पर दो गैलरियों से युक्त 26, अलीपुर रोड़, नई दिल्ली में दिनांक 02.12.2003 को एक संग्रहालय विकसित और उद्घाटित किया गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

3309. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों पर खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने हेतु सभी विमानपत्तनों को विदेशी कंपनियों सहित निजी उद्यमियों के लिए खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी निबंधन और शर्त क्या हैं; और

(ग) उन विदेशी और अन्य खुदरा विक्रेताओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विमानपत्तनों पर खुदरा बिक्री केन्द्र हेतु आवेदन किया है और जिन्हें ये बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

3310. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं पर काम रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा देश के संतुलित विकास हेतु पिछड़े एवं सुदूर

क्षेत्रों में रेल विकासात्मक कार्यों का निष्पादन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक/निजी हिस्सेदारी, राज्य सरकारों द्वारा लागत में भागीदारी, रक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से वित्त पोषण करके रिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आंतरिक संसाधन के सृजन में वृद्धि होने से सभी दोहरीकरण और कुछ आमान परिवर्तन परियोजनाओं को "पूंजी निधि" के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है और इस प्रकार नई लाइन और आमान परिवर्तन के कार्यों, जिनमें पिछड़े और दूरदराज क्षेत्रों में स्थित कार्य भी शामिल हैं, के लिए संसाधनों की समग्र उपलब्धता में हो रही वृद्धि से संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन कार्यों को आने वाले वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा।

[अनुवाद]

हज यात्रा हेतु अतिरिक्त उड़ानें

3311. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान हज यात्रियों की सुविधा हेतु हज यात्रा के लिए अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हज आपरेशन्स 2006–II हेतु हज यात्रा के लिए सरकारी/निजी विमान कम्पनियों द्वारा क्या अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं/मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान, हज प्रचालनों का प्रबंध हल सब्सिडी योजना के तहत एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा सऊदी अरब एयरलाइन्स के माध्यम से किया गया है। पिछले वर्ष के दौरान वहन किए गए 1,00,000 हज यात्रियों की तुलना में इस वर्ष 1,10,000 हज यात्रियों का वहन करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए प्रचालनों को करने के लिए अतिरिक्त उड़ानों की योजना बनाई गई है। हज यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं: (i) भारत से प्रस्थान और सऊदी अरब में आगमन पर खाने के डब्बे और पेय जल, (ii) अवतरण स्थलो पर, जहां हज यात्रियों को हवाईअड्डे पर घंटों इंतजार करना पड़ता है, हज यात्रियों के आराम के लिए बिस्तरों का प्रावधान किया गया है, (iii) हज आवागमन की निगरानी करने और हज यात्रियों के आवागमन के सरलीकरण के लिए प्रत्येक अवतरण स्थल पर एक समन्वयकर्ता सहित एक नियंत्रण प्रकोष्ठ गठित किया गया है; और (iv) हज यात्रियों के आवागमन के सरलीकरण के लिए तथा हवाईअड्डों पर भीड–भाड़ से बचने के लिए अनेक स्थलों पर रिमोट चैक–इन की व्यवस्था की गई है।

अति विशिष्ट व्यक्तियों को लाने-ले-जाने वाले विमान/हेलीकॉप्टर

3312. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री एस. के. खारवेलमथन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान दुर्घटनाओं में कितने अति विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी;

(ख) क्या अति विशिष्ट व्यक्तियों को लाने–ले–जाने वाले छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों के प्रचालन हेतु कतिपय निर्धारित दिशा–निर्देश/नियम हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों की हवाई यात्रा करते समय उपयुक्त नियमों/दिशानिर्देशों का कठोरतापूर्वक पालन हो?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विधानसभा के दो सदस्य तथा राज्य सरकार के तीन मंत्रियों ने विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है।

(ख) और (ग) जी, हां। 1981 के एयर सुरक्षा परिपत्र सं.–2 के रूप में दिशा–निर्देश विद्यमान हैं।

(घ) दिशा–निर्देशों का पालन करना प्रचालकों के सुरक्षा की लेखा परीक्षा के जरिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

रेलवे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी

3313. श्री के. एस. राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यात्रियों तथा माल ढुलाई सेवाओं के लिए एक विश्वस्तरीय रेलवे प्रणाली के निर्माण एवं उन्नयन हेतु विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) रेलवे रोलिंग स्टॉक का डिजाइन तैयार करने, पत्तनों से रेल संपर्क, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण तथा रेलवे स्टेशनों पर भाण्डागार और अन्य यात्रा अनुकूल सुविधाएं मुहैया कराने के कार्य में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे के पास रीजनल पैसेंजर ट्रेनों के निजीकरण, लोकोमोटिव, रेल डिब्बों और रेल पटरियों के निर्माण हेतु संदर्शी योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलवे प्रणाली की मजबूती और उन्नयन हेतु विभिन्न परियोजनाओं में निवेश एक सतत् प्रक्रिया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 लाख करोड़ रु. से अधिक राशि की आवश्यकता होगी।

(ख) तट संपर्क परियोजनाएं रेल विकास निगम लिमिटेड (आर पी एन एल) को सौंपी गई हैं। भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लि. (डी एफ सी सी आई एल) को समर्पित माल गलियारा के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संभव निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित सवारी डिब्बों और डीजल इंजनों के निर्माण की दो परियोजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं। केंद्रीय वेयरहाउसिंग निगम के सहयोग से वेयरहाउस उपलब्ध कराने और रेलवे स्टेशनों पर अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम जारी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

3314. श्री मोहन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित रेल मंडलों की संख्या कितनी है जहां एकल (सिंगल) रेल लाइन होने की वजह से रेल यातायात की सुगमता बाधित हो रही है;

(ख) उक्त क्षेत्रों में उन रेल मंडलों का ब्यौरा क्या है जहां अगले कुछ वर्षों में रेल पटरियों के दोहरीकरण का कार्य किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त क्षेत्रों में कितने रेल मंडलों में विद्युत चालित रेल गाड़ियां चल रही हैं; और

(घ) उक्त क्षेत्र में कितने रेल मंडलों का अगले कुछ वर्षों के दौरान विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जहां कहीं यातायात के आधार पर औचित्यपूर्ण पाया गया था वहां लखनऊ, वाराणसी और सोनपुर मंडलों के उल्लिखित क्षेत्र के कतिपय खंडों पर दोहरीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) बिजली गाड़ियां केवल लखनऊ मंडल पर ही चलाई जा रही हैं।

(घ) इस समय, उत्तरी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य खण्ड के आगे विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली-जयपुर-उदयपुर हेतु विमान सेवाएं

3315. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से जयपुर और उदयपुर के लिए सांध्य उड़ानें शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर की फिलहाल दिल्ली से जयपुर तथा उदयपुर के लिए एक सांयकालीन उड़ान आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यान हरण रोधी योजना

3316. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक यान हरण रोधी योजना तैयार की है जैसाकि 16 नवम्बर, 2006 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) विमान अपहरण स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन

योजना पहले से ही विद्यमान है। बहरहाल, एक मैनुअल तैयार किया जा रहा है जोकि संकट के समय में सभी स्तरों पर अपनाई जाने वाली विस्तृत व्यवहारिक तंत्र तथा प्रक्रिया उपलब्ध करायेगा।

(ग) मैनुअल को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसका सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को प्रस्तुत किया जाना होगा।

एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं

3317. श्री ब्रजेश पाठक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरे देशों के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां के लिए एयर इंडिया (ए.आई.) की विमान सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त सेवाओं का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अमरीका के लिए एयर इंडिया की सीधी उड़ानें शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त सेवाएं कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) एअर इंडिया तथा उसकी सहायक कम्पनी एअर इंडिया एक्सप्रेस निम्नलिखित शहरों यथा न्यूयार्क, निर्वाक, शिकागो, लास एंजल्स, टोरेंटो, लंदन, बरमिंघम, पैरिस, फ्रैंकफर्ट, आबू धाबी, अल ऐन, दुबई, शारजाह, रियाद, जेद्दाह, दम्मन, दोहा, मस्कट, सलाला, कुवैत, बहरीन, सिंगापुर, क्वालालांपुर, बैंकाक, सियोल, ओसाका, टोकियो, जकार्ता, शंघाई, हांगकांग, ढाका, नैरोबी तथा दर-ए-सलाम के लिए अपने स्वयं के प्रचालनों से वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित कर रही हैं।

(ख) और (ग) एअर इंडिया तथा एअर इंडिया एक्सप्रेस ने मिलकर बोइंग एयरप्लेन कम्पनी से 68 नए विमान खरीदने का आदेश दिया है तथा इनकी सुपुर्दगी नवम्बर, 2006 से चरणों में आरम्भ हो जायेगी। प्रथम विमान की सुपुर्दगी 30.11.2006 को की गई है। इन नए विमानों को शामिल किए जाने से एअर इंडिया तथा एअर इंडिया एक्सप्रेस मौजूदा गंतव्यों के लिए सेवाओं में वृद्धि करने तथा उत्तरी अमरीका, यूरोप, पूर्व एशिया, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा सार्क आदि क्षेत्रों में नए गंतव्यों को शामिल करने का विचार है।

(घ) से (च) इस समय एअर इंडिया यू.एस.ए. के लिए यूरोप में एक ठहराव के साथ विमान सेवाएं प्रचालित कर रही है। नए उल्ट्रा लांग रेंज विमान बी 777-200 एलआर को शामिल किये जाने के प्रस्ताव से एअर इंडिया अप्रैल, 2007 से इन विमानों द्वारा यू.एस.ए. तथा भारत के बीच बिना ठहराव की सीधी सेवा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।

छत्तीसगढ़ और बिहार में विमानपत्तन का उन्नयन

3318. श्री अजीत जोगी :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक छत्तीसगढ़ और बिहार में नागर विमानन के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह कार्य तय समय-सीमा के अनुरूप चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन राज्यों में विमानपत्तनों के उन्नयन हेतु कौन-से अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक छत्तीसगढ़ व बिहार में नागर विमानन के विकास के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

बिहार में गया हवाईअड्डे पर 95 लाख रुपये की लागत पर इलैक्ट्रिक उपस्टेशन तथा वातानुकूलन संयंत्र कक्ष का कार्य पूरा हो गया है, 46.56 करोड़ रुपये की लागत पर एक नए टर्मिनल भवन तथा एक नये अग्निशमन स्टेशन के निर्माण का कार्य समाप्ति के अन्तिम चरण पर है। 5.40 करोड़ रुपये की लागत पर मौजूदा एप्रन के विस्तार तथा आइसोलेशन बे के निर्माण से संबंधित कार्य भी आरम्भ किए गए हैं। पटना हवाईअड्डे पर प्रचालनिक उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कार्यों, रनवे 25 पर धोबी घाट क्षेत्र की चारदीवारी का निर्माण, शोल्डरों के निर्माण, टर्निंग पैड को चौड़ा करने के कार्य तथा पैरामीटर रोड़ के निर्माण के कार्य को 11.30 करोड़ रुपये की लागत पर पहले ही पूरा कर लिया गया है। अग्निशमन स्टेशन से एलएलजेड तक पैरामीटर सड़क के निर्माण तथा दोनों छोर पर अप्रयुक्त रनवे के पुनःसतहीकरण, सिटी साइड कैनोपी में वर्टाफाइड टाइल पल्लोरिंग तथा

कालम के क्लेडिंग का कार्य 62 लाख रुपये की लागत पर प्रगति पर है।

छत्तीसगढ़ में रायपुर हवाई अड्डे पर 14.91 करोड़ रुपये की लागत पर रनवे के विस्तार तथा संबंधित कार्य समाप्ति के अन्तिम स्तर पर है।

(ङ) बिहार में 43.22 करोड़ रुपये की लागत पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गया हवाईअड्डे पर बी 777–200 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए 3050 मीटर तक रनवे का सुदृढ़ीकरण व विस्तार, तकनीकी स्कंध व नियंत्रण टावर का निर्माण, उपकरण अवतरण प्रणाली के संस्थापन तथा उड़ान सूचना डिस्पेल प्रणाली के संस्थापन की योजना है; तथा 15 करोड़ रुपये की लागत पर एटीआर–72 प्रकार के विमान प्रचालन के लिए मुजफ्फरपुर हवाईअड्डे को प्रचालनिक करने तथा पटना हवाईअड्डे पर 4.33 करोड़ रुपये की लागत पर अग्निशमन स्टेशन (कैट–VI) तथा आपातकालीन चिकित्सा केन्द्र के निर्माण तथा उड़ान सूचना प्रदर्श प्रणाली के संस्थापन की योजना है।

छत्तीसगढ़ में रायपुर हवाईअड्डे पर 17.09 करोड़ रुपये की लागत पर नए एप्रन, लिंक टैक्सी वे, नए तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन स्टेशन तथा संबद्ध भवन के निर्माण की योजना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम

3319. श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल स्टेट एक्स–सर्विसमेन लीग ने देश में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में सरकार के पास एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम का गठन करने का है जिसके पास भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु सांविधिक शक्तियां होंगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) से (ङ) केरल राज्य भूतपूर्व सैनिक लीग ने भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जनवरी, 2004 में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। लीग द्वारा ज्ञापन में की गई मांगें और इनकी स्थिति इस प्रकार है:–

(i) **समान रैंक समान पैंशन :** सरकार ने इस मांग की जांच की है और अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के तीन सबसे छोटे रैंकों अर्थात् सिपाही, नायक और हवलदार को उन्हें 30 वर्ष की अर्हक सेवा की पेंशन देने के लिए 10, 8 और 6 वर्ष की सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ देना स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, 1.1.1996 से लागू संशोधित वेतनमान के रैंक और समूह के अधिकतम वेतन के आधार पर पेंशन के संशोधन का लाभ अफसर रैंक से निचले कार्मिकों को 1.1.2006 से देय है।

(ii) **सेवानिवृत्त सिपाहियों द्वारा पूरी पैंशन अर्जित करने के लिए 33 वर्ष की शर्त हटाना :** पांचवें वेतन आयोग ने इस विषय पर विचार किया था परंतु इस मांग को स्वीकार नहीं किया क्योंकि पूरी पेंशन अर्जित करने के लिए 33 वर्ष की शर्त पेंशन की संगणना के लिए आधारभूत सिद्धांत है जो रक्षा और सिविलियन पेंशनभोगियों, दोनों के लिए समान रूप से लागू है।

(iii) **दूसरे विश्व युद्ध सेनानियों के लिए पैंशन :** केन्द्रीय सरकार दूसरे विश्व युद्ध के जरूरतमंद सेनानियों को मकान मरम्मत अनुदान (10,000/– रुपये), चिकित्सा अनुदान (15,000/– रुपये), पुत्री के लिए विवाह अनुदान (8,000/– रुपये), दरिद्रता अनुदान (15,000/– रुपये) और दो वर्षों के लिए 1000/– रुपये के मासिक अनुदान की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, सभी राज्य सरकारें दूसरे विश्व युद्ध के उन सेनानियों को आजीवन मासिक अनुदान दे रही हैं जो उनके राज्यों में रह रहे हैं। यह अनुदान राज्य–दर–राज्य अलग–अलग है। उन्हें पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

(iv) **भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रभावी आरक्षण :** उच्चतम न्यायालय ने समाज के भिन्न–भिन्न वर्गों के लिए दिए जाने वाले कुल आरक्षण पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लगाई है। चूंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दिया जा रहा आरक्षण 49.5 प्रतिशत बैठता है इसलिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समूह "ग" और "घ" पदों में भूतपूर्व सैनिकों को दिया जा रहा आरक्षण समस्तर स्वरूप का है जिसमें रोस्टर प्रणाली अथवा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अप्रयुक्त रिक्तियों को आगे ले जाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(v) **सेवाकाल के दौरान दिवंगत रक्षा कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार :** विधवाओं/दिवंगत रक्षा सेना कार्मिकों के आश्रितों से संबद्ध अधिकतर मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां योधी पदों के प्रति नहीं दी जा सकती हैं। इसलिए ऐसे अनुरोध सेना मुख्यालय के असैनिक पदों के समूह 'ग' और 'घ' मे सीधी भर्ती की रिक्तयों के 5 प्रतिशत के प्रति समायोजित किए जाने होते हैं। 5 प्रतिशत का यह कोटा मुख्यतः दिवंगत सिविल कर्मचारियों के आश्रितों के अनुरोध को समायोजित किए जाने के निमित्त है। इस प्रकार प्राप्त अनुरोध की तुलना में अनुकंपा के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों की संख्या हमेशा कम होती है तथा अत्यधिक जरूरतमंद मामलों में ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां मुहैया कराई जाती हैं।

(vi) **केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों में सशस्त्र सेना कार्मिकों की पार्श्व भर्ती :** रक्षा मंत्रालय ने इस मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाया जिस पर सहमति नहीं हो पायी।

2. श्री मदन लाल खुराना की अध्यक्षता वाली रक्षा संबंधी स्थायी समिति की 20वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशें रक्षा सेवा कार्मिकों की सेवा शर्तों, पेंशनगत मामलों और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण से जुड़े विभिन्न मामलों से संबंधित हैं। समिति द्वारा की गई मांगों की जांच की गई तथा उन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई थी जिसे 26 अप्रैल, 2005 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था।

3. राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे प्लेटफार्मों का निर्माण

3320. श्री टेक लाल महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में दक्षिण–पूर्व तथा पूर्व रेलवे जोनों के अंतर्गत उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां रेलवे प्लेटफार्मों के निर्माण और मरम्मत का कार्य पूरा हो गया है तथा अब तक कितने उपरि पुलों का निर्माण हो चुका है;

(ख) इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं तथा सरकार द्वारा इन्हें पूरा करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस कार्य के पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) निर्मित किये गये ऊपरी पुलों की संख्या सहित चालू वर्ष में जहां रेलवे प्लेटफार्मों के निर्माण और मरम्मत के कार्य किए गए हैं, उन स्टेशनों के नाम हैं:–

(1) पूर्व रेलवे

(i) मिर्जाचौकी और तीनपहाड़ पर प्लेटफार्म विस्तार का कार्य पूरा किया गया।

(2) दक्षिण पूर्व रेलवे

(i) बकसपुर, सिल्ली, कीटा, पोकला, रामगढ़ छावनी, टाटानगर, चक्रधरपुर एवं टुनिया पर प्लेटफार्मों का निर्माण किया गया।

(ii) रांची, हटिया और मुरी पर प्लेटफार्मों का नवीकरण।

(iii) हटिया में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया गया।

(ख) पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे पर प्लेटफार्मों के नवीकरण/विस्तार/प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाने और ऊपरी पैदल पुल के निर्माण के लिए 2006–07 में 14.79 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

(ग) से (ङ) पूर्व रेलवे पर 8 कार्य और दक्षिण पूर्व रेलवे पर 11 कार्य प्रगति पर हैं। प्रगति की अनुवीक्षा गहन रूप से की जा रही है। पूर्व रेलवे पर मधुपुर ऊपरी पैदल पुल के निर्माण कार्य, जिसे 31.08.07 तक पूरा करने की योजना है, को छोड़कर इन कार्यों को निर्धारित समय में अर्थात् चालू वर्ष में ही पूरा करने की योजना है।

[अनुवाद]

पेट्रोल बिक्री केन्द्र खोलना

3321. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में बड़ी संख्या में पेट्रोलियम खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तेल विपणन कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों

के दौरान राज्यवार और कंपनीवार कितने खुदरा बिक्री केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) क्या नए बिक्री केन्द्र खोलने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इन मानदंडों का विशेषकर दो बिक्री केन्द्रों के बीच की दूरी के संबंध में उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उन बिक्री केन्द्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है जिन्होंने मानदंडों का उल्लंघन किया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की दिनांक 1.4.2002 से समाप्ति के उपरांत, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को, वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर, खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज) के लिए स्थान के चयन, डीलर के चयन आदि की वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ओ एम सीज द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए राज्यवार तथा कंपनीवार खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की समाप्ति के बाद से मंत्रालय ने नए खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के संबंध में दूरी का कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है और इस प्रकार के निर्णय, ओ एम सीज द्वारा स्थान की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर, विस्फोटक विभाग, स्थानीय/सरकारी प्राधिकरणों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर आवश्यक सांविधिक अनुमोदनों की प्राप्ति के पश्चात् लिए जाते हैं। मानदण्डों की अवहेलना की स्थिति में, संबद्ध सांविधिक प्राधिकरण उचित कार्रवाई करता है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात् इंडियान ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) द्वारा खोले गए नए खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार तथा कंपनीवार संख्या

राज्य	2003–04				2004–05				2005–06			
	आई ओसी	एचपी सीएल	बीपीसी एल	आई बीपी	आई ओसी	एचपी सीएल	बीपीसी एल	आई बीपी	आई ओसी	एचपी सीएल	बीपीसी एल	आई बीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	115	87	89	75	106	88	71	67	102	61	77	6
अरुणाचल प्रदेश	2	0	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0
असम	4	1	1	8	14	12	1	3	28	11	3	3
बिहार	29	11	18	41	22	23	7	43	72	4	31	15
छत्तीसगढ़	13	5	10	2	15	27	25	6	19	10	15	9
दिल्ली	5	4	2	1	7	3	5	1	7	1	3	0
गोवा	2	0	1	0	0	46	4	0	3	26	0	0
गुजरात	50	31	20	28	47	1	67	11	96	2	17	7
हरियाणा	90	21	18	47	103	75	30	18	71	21	23	4
हिमाचल प्रदेश	14	6	6	5	21	6	10	11	16	9	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जम्मू और कश्मीर	11	4	8	0	15	25	14	3	23	15	18	2
झारखण्ड	4	9	7	25	19	14	5	7	30	11	19	5
कर्नाटक	90	22	48	59	86	50	60	16	133	52	49	14
केरल	60	28	36	36	48	82	51	46	72	41	40	18
मध्य प्रदेश	61	38	45	9	41	56	87	4	60	22	39	6
महाराष्ट्र	103	75	89	41	88	97	152	16	101	77	104	11
मणिपुर	4	0	0	1	1	0	0	3	3	0	0	1
मेघालय	3	0	1	4	7	3	1	0	9	5	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0
उड़ीसा	26	9	15	21	33	16	14	35	60	26	51	3
पंजाब	73	72	33	121	108	137	53	50	134	65	152	24
राजस्थान	88	46	67	26	55	116	49	21	119	41	41	6
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0
तमिलनाडु	97	52	40	51	81	105	80	62	129	49	70	13
त्रिपुरा	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	135	13	4	1	153	10	94	8	197	8	7	3
उत्तरांचल	23	78	95	35	5	144	4	42	9	63	97	32
पश्चिम बंगाल	29	22	20	46	23	18	9	31	43	20	38	13
संघ शासित क्षेत्र												
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0
दमन और दीव	0	2	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पाण्डिचेरी	3	5	2	3	3	10	1	3	4	2	0	0
योग	1134	644	676	668	1112	1165	896	511	1547	646	905	200

एयर इंडिया और एलाइंस एयर का विलय

3322. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया एक्सप्रेस और एलाइंस एयर का एक कम्पनी के रूप में विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने एअर इंडिया लिमिटेड एवं इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड का विलयन करने का सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है। विलयन के लिए मार्गदर्शी बनाने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया जा चुका है। परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए विचारार्थ विषयों में से एक है – सहायक कंपनियों का कार्यचालन एवं उनका सम्भावित विलयन। एअर इंडिया एक्सप्रेस एवं एलाइंस एयर के विलयन के संबंध में कोई भी निर्णय, परामर्शदाता से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लिया जायेगा।

मदुरै विमानपत्तन

3323. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :
क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मदुरै विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसका अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में कब तक उन्नयन किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) इस समय, मदुरै हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की हैंडलिंग के लिए मदुरै हवाईअड्डे पर नये समेकित यात्री टर्मिनल भवन जैसे विभिन्न स्तरोन्नयन/विकास का काम शुरू कर दिये हैं। जिनमें कस्टम, आप्रवासन, स्वास्थ्य, प्लांट संगरोधन सुविधाएं इत्यादि भी शामिल होंगी।

आरक्षित टिकटों का हस्तांतरण

3324. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति लागू करने का है जिसके माध्यम से आरक्षित टिकट किसी अन्य यात्री को हस्तांतरित किए जा सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक क्षेत्र लाभ

3325. श्री फ्रांसिस फैल्थम : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक क्षेत्र लाभ देने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सामाजिक क्षेत्र के किन–किन अंगों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को सामाजिक क्षेत्र समर्थन देने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) से (ग) सरकार, अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम इस दिशा में एक प्रमुख कदम है।

इसके अलावा 11वीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा "अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण" पर गठित कार्य दल की रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रस्ताव दिए गए हैं।

रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों की सुरक्षा

3326. श्री तुकाराम गंगाधर गडाख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कुछ वर्ष पूर्व रेल

मंत्रालय को रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निदेश जारी करने के बावजूद यौन उत्पीड़न के मामलों में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों को यौन उत्पीड़न से बचाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु एक विशेष समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा रात को चलने वाली सभी एक्सप्रेस गाड़ियों मे महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु क्या अन्य सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलगाड़ियों में प्रतिदिन महिला यात्रियों द्वारा यात्रा करने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपराध के स्वरूप विशेषतः महिलाओं के साथ अपराधों में परिवर्तन नहीं आया है। विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	बलात्कार	बलात्कार की घटनाओं के अलावा महिलाओं के साथ अन्य अपराध
2006 (सितम्बर तक)	7	40
2005 (सितम्बर तक)	8	35

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलवे प्रशासन महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

1. राजकीय रेल पुलिस/रेल सुरक्षा बल द्वारा भेद्य स्थानों मुख्यतः रात के दौरान मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का अनुरक्षण।
2. महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस की अधिक उपस्थिति, मुख्यतः रात्रिकाल के दौरान महिलाओं के सवारी डिब्बों के सामने।
3. रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के विरूद्ध यात्रियों के बीच विशेष जागरूकता अभियान चलाना।
4. रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस द्वारा कुछ क्षेत्रीय रेलों में "महिला सहायता नियंत्रण कक्ष" को खोला गया है।
5. राजकीय रेल पुलिस और राज्य पुलिस के बीच सभी स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें करना।
6. गाड़ियों और रेलवे परिसर में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजनों की संस्थापना करना।

विदेशी पर्यटक

3327. श्री वाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने विदेशी और घरेलू पर्यटकों ने दमन और दीव का दौरा किया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पर्यटन से कितना राजस्व अर्जित किया गया?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान, दमन और दीव का दौरा करने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	घरेलू पर्यटक आगमन	विदेशी पर्यटक आगमन
2003	447825	3274
2004	399800	4104
2005	394914	6264

(ख) पर्यटन से अर्जित आय के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए होटलों के पट्टे के किराए से प्राप्ति और नवीकरण/रजिस्ट्रेशन शुल्क से संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:-

वर्ष	अर्जित राजस्व (रुपये में)
2003-04	38,64,066
2004-05	82,50,346
2005-06	84,74,799

[हिन्दी]

जोधपुर विमानपत्तन पर आईएलएस

3328. श्री जसवंत सिंह विश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोधपुर विमानपत्तन पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जोधपुर विमानपत्तन पर आईएलएस लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जोधपुर हवाई अड्डे पर आईएलएस की आवश्यकता एवं व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह मामला आईएलएफ के साथ भी उठाया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी-निजी भागीदारी

3329. श्री नवीन जिन्दल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल सेवाओं के विस्तार हेतु काफी अधिक घरेलू निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेहतर प्रतिस्पर्धा हेतु कुछ रेल सेवाओं का आउटसोर्स कराने हेतु कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों की सहभागिता से महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में रेल अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया था। इसके अतिरिक्त, विशेष प्रयोजन योजना के माध्यम से कुछ पोर्टों तक संपर्क स्थापित करने की परियोजनाओं को शुरू करने का कार्य रेल विकास निगम को सौंपा गया है।

(ग) और (घ) रेलवे परियोजनाओं में निजी भागीदारों को शामिल करने के उद्देश्य से माल डिब्बा निवेश योजना, कॉनटेनर गाड़ियों और लक्जरी पर्यटक गाड़ियों को चलाने आदि जैसे कई योजनाएं लागू की गई हैं।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए निरीक्षण सुविधाएं

3330. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने उच्च कीटनाशी अवशिष्ट के कारण भारत की कुछ खाद्य पदार्थों की खेप को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की निरीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) अनिवार्य निर्यात प्रमाणीकरण के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में उच्च कीटनाशी अवशेष पाए जाने की वजह से उन्हें यूरोपीय संघ द्वारा अस्वीकृत किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) भारत से निर्यात की जाने वाली खेपों में कीटनाशी अवशेषों की जांच के लिए सरकार के पास चेन्नई, कोची, कोलकाता और मुंबई स्थित प्रयोगशालाओं में उपयुक्त निरीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य संवर्धनात्मक उपाय करने के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना, बुनियादी ढांचे के विकास, मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता आश्वासन के संवर्धन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास हेतु सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें चला रहा है।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर रोजगार

3331. श्री मुनव्वर हसन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम के दौरान मरने वाले प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो रोजगार कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने नए व्यक्तियों की भर्ती की गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जनवरी, 2003 से 30 नवम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान समूह 'क' के (17) और समूह 'ख' के (1) कुल मिलाकर 18 कार्यपालक तथा समूह 'ग' के (105)/समूह 'घ' के (14) कुल मिलाकर 119 कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है।

(ख) से (घ) जनवरी, 2003 से 30 नवम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान विवंगत कर्मचारियों के 30 आश्रितों को समूह 'ग' में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जब कभी रिक्तियां होती हैं, प्रतियोगी योग्यता के आधार पर भर्ती की जाती है। इस प्रकार विवंगत कर्मचारियों के केवल उन आश्रितों के संबंध में निर्णय लिया जाता है जो पद के लिए पात्रता की शर्तें पूरी करते हों।

(ङ) उक्त अवधि के दौरान समूह 'क' में 806 व्यक्तियों, समूह 'ख' में 12 व्यक्तियों और समूह 'ग' में 40 व्यक्तियों तथा समूह 'घ' में 80 व्यक्तियों को भर्ती किया गया है।

[अनुवाद]

भारत और जापान के बीच विमान सेवाएं

3332. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और जापान के बीच रोजाना कितनी उड़ानें परिचालित की जाती हैं;

(ख) क्या जापान सरकार ने दोनों देशों के बीच और अधिक उड़ानों का परिचालन करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्तमान में जापान एयरलाइंस एवं एअर इंडिया, भारत – जापान सेक्टर में क्रमशः 4 और 7 उड़ानें प्रति सप्ताह प्रचालित कर रहे हैं।

(ख) से (घ) जापान के साथ हाल ही में हुई द्विपक्षीय हवाई सेवा वार्ता के दौरान, दोनों देशों के बीच क्षमता पात्रता बढ़ाए जाने, प्वाइंट्स ऑफ कॉल एवं कोड–शेयर व्यवस्था के मुद्दों पर एक करार हुआ जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों के नामित वाहक, अपनी–अपनी व्यावसायिक व्यवहार्यता के अनुसार इस रूट पर अतिरिक्त सेवाएं मुहैया करवा सकेंगे।

निजी एयरलाइनों की ओटीपी

3333. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी एयरलाइनों द्वारा ऑन टाइम परफोर्मेंस (ओटीपी) का रख–रखाव न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को जनवरी, 2006 से प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एयरलाइनों की समय निष्पादन से संबंधित शिकायतें समय–समय पर प्राप्त होती हैं। सामान्यतः अनुसूचित एयरलाइनें समय अनुसूची का अनुपालन कर रही हैं। कुछ उड़ानें मौसम, तकनीकी कारणों, आवश्यक सुरक्षा जांच इत्यादि के कारण देरी होती हैं जोकि एयरलाइनों के नियंत्रण से बाहर होती हैं।

भेल को रक्षित विद्युत संयंत्र का आर्डर मिलना

3334. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को रक्षित् विद्युत संयंत्रों हेतु आर्डर मिला है जैसाकि दिनांक 28 नवम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भेल में सरकारी हिस्सेदारी में कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भेल को वैश्विक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भेल ने हिन्दुस्तान जिन्क लि. से 128.25 करोड़ रुपये की लागत पर 80 मेगावाट की कैप्टिव पावर संयंत्र के लिए क्रयादेश प्राप्त किया है। यह क्रयादेश, उदयपुर, राजस्थान के नजदीक जवार माइन्स में मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर (बायलर–टरबाईन–जेनरेटर) की आपूर्ति, निर्माण तथा चालू करने के लिए है। हिन्दुस्तान जिन्क लि. से यह लगातार तीसरा क्रयादेश है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जुलाई, 1997 में, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यम के रूप में भेल को विश्वस्तरीय उत्पादक के रूप में विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए और अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन दिया गया। भेल ने सरकार द्वारा मुहैया कराई गई लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता से विदेशों में भी सफलतापूर्वक व्यवसाय किया है।

[हिन्दी]

दिल्ली-सहारनपुर रेल लाइन का विद्युतीकरण

3335. श्री रशीद मसूद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दिल्ली–सहारनपुर रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यह काम कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे का विचार दिल्ली–सहारनपुर रूट पर वाया मेरठ/शामली एक डीएमयू अथवा फास्ट पैसेंजर गाड़ी शुरू करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

वैगन के उपयोग में गिरावट

3336. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैगन के उपयोग में निरन्तर गिरावट आई है और सभी तरह के प्रयासों के बावजूद लदान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति के सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। वर्ष 2005–06 में माल डिब्बा किलोमीटर प्रति माल डिब्बा प्रतिदिन (व.ला.) का परिचालन सूचकांक वर्ष 2004–05 में 204.5 के आंकड़े की तुलना में 211.2 था और नवम्बर, 2006 तक माल लदान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए लदान की तुलना में 42.42 मिलियन टन अधिक था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण

3337. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. भीमराव अम्बेडकर शिक्षण संस्थान, मुंगेली, छत्तीसगढ़ के छात्रों हेतु छात्रावास के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुरानी हो रही पनडुब्बियां

3338. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में पनडुब्बियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ प्रयोग में नहीं आ रही हैं और उन्हें बदला जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में और पनडुब्बियों के विनिर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अन्य देशों के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (च) नौसेना की मालसूची में पर्याप्त संख्या में पनडुब्बियां हैं। इस समय कोई भी पनडुब्बी बेकार नहीं पड़ी है। सरकार ने अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस बारे में और अधिक ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में वांछनीय नहीं होगा।

गोल्डेन रॉक वर्कशॉप

3339. श्री एस.के. खादरवेनथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गोल्डेन रॉक वर्कशॉप, तिरुचिरापल्ली द्वारा कितने डिब्बों का विनिर्माण किया गया है;

(ख) क्या उक्त वर्कशॉप को रेलवे तथा निजी क्षेत्र से भी और नए क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संबंधित पक्षों को समय पर डिब्बों की सुपुर्दगी हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोल्डेन रॉक वर्कशॉप, तिरुचिरापल्ली द्वारा विनिर्मित मालडिब्बों की संख्या नीचे दी गई है।

क्र.सं.	मालडिब्बे का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06
1.	बॉक्स एन–एच एस	322	153	150
2.	मैसर्स कॉनकोर के लिए निक्षेप शर्तों पर बी एल एस	270	315	325
3.	मैसर्स कॉनकोर के लिए निक्षेप शर्तों पर बी एल एल (प्राटोटाइप)	5	–	–
4.	बी एल ए एन/बी एल बी एन (प्रटोटाइप)	5	–	–
	जोड़	602	468	475

(ख) रेलों और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) से वर्ष 2006–07 के लिए नए आर्डर प्राप्त हुए हैं।

(ग) गोल्डेन रॉक वर्कशाप को दिए गए आदेशों का विवरण

क्र.सं.	से प्राप्त आर्डर/ मालडिब्बे का प्रकार	आर्डर	संदर्भ
1.	रेलवे–बॉक्स एन–एच एस	240	रेलवे बोर्ड का दिनांक 6.2.2001 को दिया गया आर्डर
2.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) बी एल सी	1125	आर्डर अगस्त, 2006 में दिया गया।

(घ) संबंधित पार्टियों को समय पर मालडिब्बे प्रेषित किये जाने के लिए किए गए उपाय:–

(1) उपलब्ध अवसंरचना के सुधार के लिए 6.2 करोड़ रुपये के स्वीकृत कार्य वर्कशॉप में प्रगति पर है।

(2) अवसंरचना के और विकास तथा क्षमता संवर्धन के लिए निर्माण कार्यक्रम 2007–08 में नए प्रस्ताव शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

विश्व विरासत नगर के रूप में बैल्लारी

3340. श्री जी. कल्याणकर रेड्डी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में बेल्लारी को विश्व विरासत नगर के रूप में घोषित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा दर्जा दिए जाने के लिए एएसआई द्वारा यूनेस्को को की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में अन्य स्मारकों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिए जाने हेतु सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, नहीं। कर्नाटक में बेल्लारी को विश्व विरासत नगर के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, कर्नाटक में बागलकोट जिले में पट्टडकल स्थित मंदिर समूह तथा बेल्लारी जिले में हम्पी को पहले ही विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है।

रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

3341. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का कन्याकुमारी–तिरुवनंतपुरम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और विद्युतीकरण कब तक शुरू किया जायेगा और इसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है;

(ग) क्या अन्य जोनों की तुलना में दक्षिण रेलवे में माल भाड़ा आमद कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने इस क्षेत्र मे मालभाड़ा बढ़ाने और सड़क मार्ग को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने तथा बुकिंग आदि प्रक्रियाओं को निर्बाध बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम तक के खण्ड विद्युतीकरण के बारे में अंतिम निर्णय इस प्रस्ताव के मूल्यांकन करने के बाद लिया जायेगा।

(ग) और (घ) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों कार्यों के माल यातायात और अन्य निष्पादन के संबंध में एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है। किसी रेलवे विशेष का माल यातायात लदान मुख्यतः रेल द्वारा वहन किए जाने वाले यातायात, उद्योगों से निकटता और सामरिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर होता है। वर्ष 2005–06 में दक्षिण रेलवे द्वारा सम्हलाई किए गए माल यातायात की मात्रा कई अन्य क्षेत्रीय रेलों से अधिक थी।

(ङ) और (च) माल यातायात के संवर्धन के लिए किसी क्षेत्र विशेष आधारित योजना नहीं होती है।

[हिन्दी]

जनशताब्दी रेलगाड़ी शुरू करना

3342. श्री घुरकान अंसारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार पटना से रांची–बरास्ता–जसीडीह एक जनशताब्दी रेलगाड़ी शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का कब तक कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

3343. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पेट्रोलियम उत्पादों हेतु घरेलू मांग के संदर्भ में इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या घरेलू बाजार की आवश्यकता पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के ब्यौरे निम्नवत् हैं:–

	मि.मी. टन
2003–04	14.6
2004–05	18.2
2005–06	21.5

एल पी जी को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर है। जून, 1998 से शोधन क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त करने के बाद, देश में घरेलू रिफाइनरियों के साथ–साथ अधिक पेट्रोलियम बुनियादी सुविधाओं को स्थापित किया गया है। अब हम पेट्रोलियम उत्पादकों के शुद्ध निर्यातक बन गए हैं। ग्यारहवीं योजना के अंत तक, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा देश में आगे और अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की योजना है। ऐसी संभावना है कि देश की पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूर्णतः पूरी कर ली जायेगी और आगे देश पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करेगा।

एसएनईसीएमए के साथ इण्डियन एयरलाइन्स का संयुक्त उद्यम

3344. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार एसएनईसीएमए के साथ विमान मरम्मत संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है जैसाकि दिनांक 25 नवम्बर, 2006 के द टाइम्स ऑफ इन्डिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम एवं शर्तों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 24 नवम्बर, 2006 को इंडियन एयरलाइन्स तथा मैसर्स सीमा सर्विसिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन का प्रचालित भाग में सी एफ एम 56 इंजन अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहालिंग संयुक्त उद्यम (एम आर ओ जे वी) के गठन के लिए व्यवसाय प्रक्रिया के अध्ययन के लिए संयुक्त कार्यदल की स्थापना की अपेक्षा की गई है। इस अध्ययन में विधिक, आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय पहलुओं तथा तकनीकी आकलन से लाभप्रदता विश्लेषण शामिल हैं।

(ग) इस समय कार्यक्रम को इंगित करना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक स्तर पर है।

भारतीय वायुसेना के विमानचालकों का एयर इण्डिया में आमेलन

3345. श्री मिलिन्द देवरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना के विमानचालकों का एयर इण्डिया में स्थायी आमेलन हेतु भारतीय वायुसेना ने इस संबंध में विचार करने के लिए एक मसौदा समझौता ज्ञापन प्रस्तुत किया है जैसाकि दिनांक 04 नवम्बर, 2006 के एशियन एज में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में एयर इण्डिया की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारतीय एयर फोर्स एवं भारतीय नेवी से एअर इण्डिया में, पायलटों का स्थायी आमेलन किए जाने के लिए नियम व शर्तें पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणी, जबलपुर

3346. श्री राकेश सिंह :
श्रीमती गीता पटैरिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्य की कमी के कारण जबलपुर में आयुध निर्माणी के समक्ष समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) जबलपुर स्थित 4 निर्माणियों में से 2 निर्माणियों अर्थात् आयुध निर्माणी, खमरिया (ओ एफ के) और तोप गाड़ी निर्माणी (जी सी एफ) में पर्याप्त कार्यभार है और वहां काम की कोई कमी नहीं है। तथापि, सेना वाहनों

की आवश्यकता में कमी होने के कारण अन्य दो निर्माणियों का कार्यभार अर्थात् वाहन निर्माणी (वी एफ जे) और ग्रे आयरन निर्माणी (जी आई एफ) का कार्यभार कम कर दिया गया है।

(ग) वाहन निर्माणी, जबलपुर और ग्रे आयरन निर्माणी की उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड रक्षा सेनाओं से अधिक संख्या में वाहनों के लिए आदेश प्राप्त करने के वास्ते बराबर प्रयास कर रहा है। गृह मंत्रालय जैसे गैर–रक्षा ग्राहकों से भी आदेश प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, वाहन निर्माणी, जबलपुर में भिन्न–भिन्न किस्म के वाहन रूपांतरों को विकसित किया जा रहा है जिसमें सफलता मिलने पर रक्षा क्षेत्र में वाहनों की मांग बढ़ सकती है। चूंकि ग्रे आयरन निर्माणी, वाहन निर्माणी, जबलपुर को विभिन्न वाहन ढलाइयां (कास्टिंग्ज) सप्लाई कर रही है इसलिए नए वाहनों के सफल विकास से ग्रे आयरन निर्माणी के लिए और काम का सृजन हो सकता है। तथापि, ग्रे आयरन निर्माणी की क्षमता का उपयोग करने के लिए इस समय गोलाबारूद के विभिन्न पैकेजों और हथगोले के खोलों की ढलाई का विनिर्माण भी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री

3347. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में बड़ी संख्या में शिकायतों की जानकारी है कि तेल विपणन कंपनियां एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति कर रही हैं और पेट्रोल पम्प इस मिश्रित पेट्रोल को शुद्ध पेट्रोल के मूल्य पर बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) भारतीय मानक आई एस : 2796:2000 में संशोधन के अनुसार 5% अनहाइड्रस डिनेचर्ड एथेनोल (आई एस : 15464:2004 के समानुरूप) का मोटर गैसोलीन के साथ मिश्रण हेतु उपयोग किया जा सकता है। 5% एथेनोल मिश्रित मोटर स्पिरिट (एम एस) कुल मिलाकर एम एस के बी आई एस मानदण्डों को पूरा करता है। तदनुसार, 5% एथेनोल के साथ एथेनोल मिश्रित पेट्रोल को अधिसूचित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में ओ एम सीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों से वितरित किया जा रहा है। चूंकि बी आई एफ के मानदंडों को पूरा किया जाता है इसलिए इस उत्पाद को पेट्रोल के रूप में बेचा जाता है और कंपनियां इसे एथेनोल मिश्रित होने के आधार पर किसी प्रकार से भिन्न नहीं मानती। आगे, किसी आपूर्ति स्थल से एथेनोल की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए मिश्रण किया जाता है।

एथेनोल की उष्मीय मूल्य एम एस से लगभग 40% कम होता है। एथेनोल का विशिष्ट उष्मीय मूल्य एम एस के 43,500 केजे/केजी की तुलना में 26750 केजे/केजी होता है। मिश्रित एम एस में, एथेनोल के एम एस की तुलना में, मिश्रित ईंधन की उष्मीय मूल्य में कटौती 2% से भी कम होगी जो महत्वपूर्ण नहीं है। तथापि, एथेनोल की आक्टेन संख्या 100 है जो एम एस के 88 आक्टेन से अधिक अथवा उसके समान होती है। चूंकि एथेनोल की आक्टेन संख्या अधिक होती है, इसलिए यह मिश्रित ईंधन की आक्टेन संख्या को बढ़ाने में सहायक होता है जो बेहतर दहन को सुकर बनाता है और इस प्रकार यह पाइप के अंत तक उत्सर्जन को शुद्ध रूप से घटा देता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एथेनोल मिश्रित पेट्रोल को अमिश्रित पेट्रोल के मूल्य पर बेचना पूर्णतया औचित्यपूर्ण है।

विदेशी दौरे

3348. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान एयर इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सी एम डी) प्रबंध निदेशक (एम डी) द्वारा किये गये विदेशी दौरों का ब्यौरा क्या है और इनका उद्देश्य क्या था;

(ख) इन दौरों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या विदेशी दौरों के दौरान किसी देश के साथ कोई द्विपक्षीय विमानन समझौते हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) विवरण इकट्ठे किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) अन्य देशों के साथ, हवाई सेवा करार एवं यातायात अधिकारों आदि की समीक्षा करने के लिए, आपसी सहमति के अनुसार भारत अथवा विदेशों में समय–समय पर द्विपक्षीय हवाई सेवा वार्ताएं की जाती हैं। पद्धति के अनुसार इन द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान एअर इंडिया के व्यावसायिक/आयोजन एवं अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग से केवल उच्चस्तरीय प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक इन वार्ताओं में भाग नहीं लेते हैं।

जवानों के लिए विशेष कपड़ों का उत्पादन

3349. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रासायनिक युद्ध में जवानों के लिए आवश्यक विशेष कपड़ों का देश में उत्पादन किए जाने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि 9 नवम्बर, 2006 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कपड़ों को कब तक देश में उत्पादन किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसे विशेष कपड़े वर्तमान में आयात किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस पर कितना व्यय हुआ है तथा किन देशों से ये आयात किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। सेना नाभिकीय, जैविक और रासायनिक (एन बी सी) सूटों के रूप में विशेष वस्त्रों का इस्तेमाल कर रही है। इन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है।

(ग) स्वदेशी एन बी सी सूटों का विकास पहले ही कर लिया गया है तथा इनका उत्पादन कार्य चल रहा है। सेना ने 39,868 एन बी सी सूटों के उत्पादन के लिए एक मांग–पत्र प्रस्तुत किया है। आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर द्वारा इनका उत्पादन एक वर्ष के भीतर पूरा किया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु छात्रावास

3350. श्री वाडिगा रामकृष्णा :
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :
श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006–07 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रावास उपलब्ध कराने वाली योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटित तथा जारी धनराशि कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत धनराशि के आबंटन और उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अ. जा. और अ.पि.व. के कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा धनराशि के उचित उपयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल की योजना के अंतर्गत 2006–07 के दौरान जारी निधियों और प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण–I में संलग्न है।

अनुसूचित जाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए इस योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव, आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की योजना के अंतर्गत स्वीकृत सहायता अनुदान को पांच वर्षों की अवधि के अंदर उपयोग करना होता है तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए निर्माण कार्य दो वर्ष की अवधि में पूरा करना होता है।

(घ) लाभान्वित छात्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (विवरण–III तथा IV)।

(ङ) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से होस्टलों के निर्माण की वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करके समुचित उपयोग को मॉनीटर करती है।

विवरण-I

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की योजना के तहत जारी अनुदान

लाख रुपये

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006–07	
	राज्य की मांग	जारी राशि
1 2	3	4
1 आंध्र प्रदेश	7810	0
2 बिहार	282.09	0
3 छत्तीसगढ़	14.62	14.62
4 हिमाचल प्रदेश	112	112
5 कर्नाटक	300	300
6 मध्य प्रदेश	469.04	350
7 उड़ीसा	122.35	0
8 राजस्थान	134.28	0
9 तमिलनाडु	787.5	0
10 उत्तर प्रदेश	295.12	295.12
11 मणिपुर	45.51	45.51
12 सिक्किम	1.59	0
योग	10374.1	1117.25

विवरण-II

वर्ष 2006–07 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास प्रदान करने के उद्देश्य से बनायी गई परियोजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों, तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटित और जारी निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति की छात्राएं			अनुसूचित जाति के छात्र		
		प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत राशि (लाख रुपये)	वैचारिक आवंटन (लाख रुपये)	प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत राशि (लाख रुपये)	वैचारिक आवंटन (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	1		227.52	1		248.76
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य		0.00	शून्य		0.00
3	असम	शून्य		33.77	शून्य		31.91
4	बिहार	शून्य		240.41	शून्य		227.14
5	छत्तीसगढ़	1		44.52	1.		42.06
6	दिल्ली	शून्य		43.29	शून्य		40.90
7	गोवा	शून्य		0.31	शून्य		*0.29
8	गुजरात	1		66.32	1		62.66

1	2	3	4	5	6	7	8
9	हरियाणा	शून्य		75.53	शून्य		71.36
10	हिमाचल प्रदेश	1	69.08 (बकाया)	96.71	शून्य		26.11
11	जम्मू और कश्मीर	शून्य		14.12	शून्य		13.34
12	झारखण्ड	1		58.65	1		55.41
13	कर्नाटक	1		157.82	1		149.11
14	केरल	शून्य		57.42	शून्य		54.25
15	मध्य प्रदेश	1		168.57	1	152.73	167.14
16	महाराष्ट्र	शून्य		182.08	शून्य		172.02
17	मणिपुर	शून्य		1.23	शून्य		1.16
18	मेघालय	शून्य		0.31	शून्य		57.73
19	मिजोरम	शून्य		0.00	शून्य		0.00
20	नागालैंड	शून्य		0.00	शून्य		0.00
21	उड़ीसा	शून्य		112.07	शून्य		105.88
22	पंजाब	शून्य		167.22	शून्य		122.42
23	राजस्थान	1		179.01	1		169.12
24	सिक्किम	शून्य		0.61	शून्य		0.58
25	तमिलनाडु	शून्य		218.61	शून्य		206.54
26	त्रिपुरा	शून्य		10.13	शून्य		9.57
27	उत्तर प्रदेश	शून्य		647.55	शून्य		611.80
28	उत्तरांचल	1		27.94	शून्य		26.40
29	पश्चिम बंगाल	शून्य		362.75	शून्य		321.13
संघ राज्य क्षेत्र							
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य		0.00	शून्य		0.00
31	चंडीगढ़	शून्य		2.76	शून्य		2.61
32	दादरा और नगर हवेली	शून्य		0.00	शून्य		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
33	दमन और दीव	शून्य		0.00	शून्य		0.00
34	लक्षद्वीप	शून्य		0.00	शून्य		0.00
35	पाण्डिचेरी	शून्य		2.76	शून्य		2.61
	कुल	09	69.08 (बकाया)	3200.00	07	152.73	3000.00

विवरण-III

वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान योजना से लाभान्वित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति के छात्र			अनुसूचित जाति की छात्राएं		
		2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	6360	200	4500	6360	5400	1100
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0.00	0	0	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	120	600	0	60	200
6	गोवा	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0.00	0	0	0	100
8	हरियाणा	0	0.00	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	295	0.00	1217	0	0	1479
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11	झारखण्ड	0	300	450	0	300	450
12	कर्नाटक	1625	1150	0	525	450	0
13	केरल	200	30	0	100	280	0
14	मध्य प्रदेश	2680	0.00	200	0	0	300
15	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	100	0	0	100

1	2	3	4	5	6	7	8
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	50	0	0	0	0	0
21	पंजाब	0	0	0	0	0	100
22	राजस्थान	0	0	0	0	0	225
23	सिक्किम	50	0	0	50	0	0
24	तमिलनाडु	4800	4050	0	1200	0	0
25	त्रिपुरा	0	240	100	0	66	0
26	उत्तर प्रदेश	250	0.0	400	0	0	400
27	उत्तरांचल	0	150	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	पाण्डिचेरी	308	0	0	308	0	0
	कुल	8075	6240	7567	8543	6556	4454

विवरण-IV

विगत तीन वर्षों में योजना से लाभान्वित अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	2000	3000	4400
2	छत्तीसगढ़	0	300	0
3	गुजरात	0	525	0

1	2	3	4	5
4	हिमाचल प्रदेश	0	60	50
5	झारखण्ड	0	300	0
6	कर्नाटक	870	0	650
7	केरल	0	0	100
8	मध्य प्रदेश	300	0	1000
9	राजस्थान	0	0	50
10	तमिलनाडु	250	500	800
11	उत्तर प्रदेश	561	1020	450
12	पश्चिम बंगाल	0	0	240
	संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0
13	पांडिचेरी	0	50	0
14	उत्तर पूर्वी राज्य	0	0	0
15	असम	30	0	0
16	मणिपुर	0	0	86
17	त्रिपुरा	0	66	100
18	सिक्किम	50	0	0
	कुल	4061	5821	7926

[हिन्दी]

इन्दौर से सवारी रेलगाड़ियां

3351. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दौर से पुणे, हावड़ा तथा तिरुवनंतपुरम के लिए सवारी रेलगाड़ियों को नियमित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) इस समय, 9311/9312 इंदौर–पुणे एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन), 9305/9306 इंदौर–हावड़ा क्षिप्रा एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) और 6325/6326 इंदौर–तिरुवनंतपुरम अहिल्यानगरी एक्सप्रेस नियमित रूप से चलाई जा रही हैं।

बहरहाल, इन गाड़ियों के फेरे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेल विनिर्माण इकाई की स्थापना

3352. श्री एम. शिवन्ना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) कोलार गोल्ड फील्ड्स (केजीएफ) में एक रेल विनिर्माण इकाई की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीईएमएल अपने बंगलौर स्थित मूल बेस से समूचे रेल संबंधी विनिर्माण केन्द्र का स्थानांतरण करके उसे केजीएफ ले जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (घ) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कोलार फील्ड्स में रेलवे इकाई–II की स्थापना कर रहा है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने वर्ष 2004 में खान मंत्रालय को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड से पट्टे पर 1109 एकड़ भूमि सहित रेलवे साइडिंग के साथ दो वर्कशॉप अपने अधिकार में लिए हैं। यह भूमि और भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के वर्कशॉप, कोलार गोल्ड फील्ड्स में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के निर्माणी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। रेलवे साइडिंग सहित इन वर्कशॉपों का पूर्व में भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा छोटे पैमाने पर रेलवे वैगनों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता था। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, रक्षा और भारतीय रेलवे की आवश्यकता के अनुरूप वैगनों और कोचों के निर्माण की पूर्ति करने के लिए इन वर्कशॉपों की सुविधाएं बढ़ा रहा है।

बेंगलूर स्थित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रेल कोच फैक्टरी को मेट्रो कोच निर्माण सुविधा के रूप में उन्नत किया जा रहा है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को 180 मेट्रो कोचों की आपूर्ति की है और अब ब्राड गेज, स्टैण्डर्ड गेज और हल्की रेलगाड़ी के लिए मेट्रो कोचों के निर्माण हेतु बेंगलूर कॉम्पलेक्स में अवसंरचना को और अधिक उन्नत कर रहा है। वैगनों और कोचों के निर्माण की विद्यमान सुविधाओं को बेंगलूर कॉम्पलेक्स से कोलार गोल्ड फील्ड में स्थानांतरित करने का मूल उद्देश्य और कारण विशुद्ध रूप से बेंगलूर कॉम्पलेक्स में जगह और सुविधाओं की कमी होना है। तथापि, बेंगलूर कॉम्पलेक्स में कोच और वैगनों को तैयार करने का काम निरंतर जारी रखा जायेगा।

हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

3353. डा. एन. जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बी.एस.जी.एल. का पुनरुद्धार-सह-पुनर्गठन

3354. श्री ए.बी. बेल्लारमिन :
श्री सुशील खां :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) के प्रबंधन ने कम्पनी का पुनरुद्धार–सह–पुनर्गठन प्रस्ताव सरकार को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या माध्यस्थम के कारण बीएससीएल पर कोई अप्रत्याशित देनदारियां हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ) बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि. (बीएससीएल) एक रुग्ण कम्पनी है और वर्ष 1994 से ही बीआईएफआर को संदर्भाधीन है। अगस्त, 2004 के दौरान इसके स्टेटस की समीक्षा करने के बाद, लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष इसे प्रस्तुत करने के लिए पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को तैयार करने हेतु कम्पनी से कहा गया। कम्पनी ने तदनुसार परामर्शी फर्म अर्थात मैसर्स ए.एफ. फर्ग्यूसन एण्ड कम्पनी के परामर्श से अपने टर्नअराउण्ड हेतु पुनरुद्धार–पुनर्गठन प्रस्ताव तैयार किया गया। हालांकि इस बीच, बीएससीएल और मैसर्स एम.सी. डर्मोट्ट इन्टरनेशनल इंक (एम–II) की ओर बीएससीएल की देयता माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 327 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। कम्पनी के पास कोई पुनरुद्धार पैकेज लाने से पूर्व इस देयता को कम करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

रक्षा उपकरणों का विनिर्माण

3355. श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके सहयोग से देश में रक्षा उपकरणों, विमानों तथा हेलीकॉप्टरों का विनिर्माण किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 2004 से अक्टूबर, 2006 तक रक्षा हार्डवेयरों जैसे हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमान, प्रक्षेपास्त्र, वायु प्रतिरक्षा जहाज, आर्मर पियर्सिंग गोलाबारूद आदि का देश में विनिर्माण सुनिश्चित करने हेतु की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां आदि खरीदने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) भारत विभिन्न देशों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों का उत्पादन कर रहा है। तथापि, प्रमुख उपस्करों, हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उत्पादन रूस, फ्रांस, इज़रायल और इंग्लैंड के साथ सहयोग करके किया जाता है।

(ख) से (घ) सरकार युद्धक विमानों, पनडुब्बियों और अन्य रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति करने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करती है और सशस्त्र बलों की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेती है। स्वदेशी तौर पर युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, प्रक्षेपास्त्र भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा, युद्धपोत भारतीय शिपयार्डों द्वारा तथा गोला-बारूद आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा निर्मित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

रक्षा सेवाओं में भर्ती में अनियमितताएं

3356. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा सेवाओं की विभिन्न इकाइयों में भर्ती में अनियमितताओं के कतिपय मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्षा सेवाओं में भर्ती में ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) रक्षा सेनाओं में मौजूदा भर्ती प्रक्रिया सुविस्तारित तथा पारदर्शी है। भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। सेना में भर्ती, खुली रैली प्रणाली के माध्यम से की जाती है तथा यही प्रक्रिया नौसेना तथा वायुसेना में भी अखिल भारतीय आधार पर अपनायी जाती है। जिन मामलों में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर निर्धारित कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

एचएमटी की डेयरी यूनिट द्वारा धनराशियों का उपयोग

3357. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एचएमटी की डेयरी प्लांट विनिर्माण यूनिट को कोई पैकेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एचएमटी द्वारा इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार से किया गया है;

(घ) क्या एचएमटी की इस यूनिट को पैकेज देने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती क्रान्ति सिंह) : (क) इस इकाई के लिए किसी टर्नआउट पैकेज की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छोटे खान-पान विक्रेताओं के लाइसेंसों को रद्द करना

3358. श्री एस. अजय कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम और पालक्कड़ मंडलों के अंतर्गत विद्यमान छोटे खान-पान विक्रेताओं के लाइसेंसों को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विद्यमान छोटे खान-पान विक्रेताओं के जीवन-यापन के लिए क्या वैकल्पिक सुरक्षोपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। संशोधित खान-पान नीति, 2005 के अनुसार भारतीय रेल के क, ख और ग श्रेणी स्टेशनों पर मौजूदा सामान्य अल्प यूनिटों, जिनका भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) ने

अधिग्रहण कर लिया है, उनका नवीकरण कराने की अनुमति नहीं है। आई आर सी टी सी दो पैकेट निविदा प्रणाली के अंतर्गत नए लाइसेंस जारी कर रहा है। इन यूनिटों के मौजूदा खान–पान लाइसेंसधारक भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं। बहरहाल, दो पैकेट निविदा प्रणाली के तहत सामान्य अल्प यूनिटों के लिए आई आर सी टी सी द्वारा जारी लाइसेंसों को, संतोषजनक निष्पादन तथा सभी बकाया देय का भुगतान करने पर, "क", "ख" और "ग" श्रेणी स्टेशनों की सामान्य छोटी यूनिटों को तीन वर्ष तक के लिए एक बार विस्तार दिया जा सकता है। विशेष छोटी यूनिटों अर्थात "क", "ख" और "ग" श्रेणी स्टेशनों के आरक्षित श्रेणी के लाइसेंसधारकों का संतोषजनक निष्पादन तथा सभी बकाया देय का भुगतान करने की शर्त पर प्रत्येक तीन वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है। "घ", "ङ" और "च" स्टेशनों पर सामान्य छोटी यूनिटों तथा आरक्षित छोटी यूनिटों के मामले में, संतोषजनक निष्पादन तथा लाइसेंस शुल्क सहित सभी बकाया देय का भुगतान करने की शर्त पर 5 वर्ष के लिए नवीकरण अनुमेय है।

रक्षा खरीद

3359. **श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड :**
डा. सुजान चक्रवर्ती :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कुछ टिप्पणियां करते हुए सरकार से कहा है कि वह रक्षा खरीद की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने हाल ही में 15 नवम्बर, 2006 को रक्षा वित्त तथा अर्थशास्त्र पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में 'रक्षा व्यय और अधिप्राप्ति की लेखापरीक्षा एवं जवाबदेही' पर एक आधार व्याख्यान दिया था। रक्षा खरीद की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने के लिए रक्षा मंत्रालय को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

आसनसोल मंडल में अवैध खनन गतिविधियां

3360. **डा. सुजान चक्रवर्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे ने खनन गतिविधियों के लिए रेलवे ट्रैक्स से न्यूनतम दूरी संबंधी आवश्यकताओं के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या रेलवे के ध्यान में उक्त मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित मामले विशेषकर पूर्व रेलवे में आसनसोल मंडल के मामले आए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) न्यूनतम दूरी 45 मीटर होती है।

(ख) और (ग) जी, हां। रेलों पर नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। रेलवे भूमि पर अवैध रूप से किए जा रहे खनन के बारे में जैसे ही पता चलता है, मंडल प्राधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है और सिविल एवं खनन प्राधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाता है।

(घ) अवैध रूप से किए जा रहे खनन गतिविधियों की रोकथाम करना संबंधित राज्य सरकार का विषय है। रेलवे ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (ई सी एल) से अनुरोध किया है।

ई सी एल प्राधिकारी द्वारा गड्ढ़ा भरने वाली मशीनों को लगाकर अवैध रूप से किए गए गड्ढ़ों को भी भरा जा रहा है और लगभग 400 अवैध रूप से किए गए खाने/गड्ढ़ों को भर दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा

3361. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 2004 में लोक सभा में एक संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) विधेयक, 2004 पेश किया गया था। ये विधेयक जांच करने व रिपोर्ट देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पर

स्थायी समिति को भेजा गया था। इस स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट लोक सभा को 21 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) इन मुद्दों में शामिल कानूनी जटिलताओं और संवेदनशीलता को देखते हुए, इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

रेल ऊपरि पुलों संबंधी कार्य

3362. डा. आर. सेनथिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु और अन्य राज्यों में कई ऊपरि पुलों (सड़कों के ऊपर रेलवे पुल) का कार्य बीच में ही रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यों को रोकने और इन कार्यों को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्यों में तीव्रता लाने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किए ऊपरी सड़क पुलों (आर ओ बी) के कार्य देश में 17 जगहों पर रुके हुए हैं जिनमें से 2 तमिलनाडु में हैं।

(ख) (i) पेरुनदुरै में समपार सं. 126 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल

(ii) तिम्मानायकनपलायम में समपार सं. 129 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल

(ग) (i) समपार सं. 126 पर कार्य की गति ठेकेदार ने इस्पात के मूल्यों में अचानक वृद्धि के कारण धीमी कर दी थी और कार्य जोखिम एवं लागत के आधार पर समाप्त कर दिया था।

(ii) प्रारंभ में समपार सं. 129 पर कार्य अभिसंरचना हिस्से के लिए सौंपा गया था और बाद में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के कारण धीमा हो गया था।

(घ) (i) समपार सं. 126 पर ऊपरी सड़क पुल के लिए जोखिम एवं लागत निविदा आमंत्रित की गई थी और 22.11.06 को खोली गई थी जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ii) समपार सं. 129 पर ऊपरी पुल के लिए, अभि-संरचना हिस्से हेतु निविदा पुनः आमंत्रित की गई है और इसे 22.11.2006 को खोला गया है।

[हिन्दी]

छितौनी और तमकुही के बीच रेलवे लाइन

3363. श्री कैलाश पैठा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे के अंतर्गत छितौनी और तमकुही के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस रेलवे लाइन पर कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ग) इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) छितौनी-तमकुही रोड़ नई लाइन परियोजना को 2006-07 अनुदान की पूरक मांगों में शामिल किया गया है और इसे चालू सत्र में संसद द्वारा मंजूर किया गया है। मंजूरी जारी होने पर प्रारंभिक कार्य शुरू किए जायेंगे। 2006-07 के दौरान 1 लाख रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

[अनुवाद]

ट्रंक और फीडर मार्गों पर मिसिंग लिंक

3364. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जोन-वार ट्रंक और फीडर मार्गों पर महत्वपूर्ण मिसिंग लिंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए भारतीय रेल ने क्या कदम उठाए हैं जिससे कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। देश

में ट्रंक और फीडर मार्गों पर इस प्रकार का महत्वपूर्ण लिंक टूटे होने का पता नहीं चला है। बहरहाल, रेलवे ने मार्गों और उनके सम्पर्क मार्गों की पहचान, मार्ग वार योजना बनाने हेतु की है, जिसमें यातायात वहन करने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाकर लाइन क्षमता में सुधार करने और इस प्रकार की बाधा को चरणबद्ध तरीके से दूर करने की योजना बनाई गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपस्करों/मशीनों की खरीद

3365. डा. के. धनराजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना विभिन्न प्रकार की मशीनों/उपस्करों की खरीद के मामलों की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

समूह "ग" और "घ" पदों की भर्ती

3366. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने उत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु समूह "ग" और "घ" पदों के लिए आर आर बी गुवाहाटी द्वारा चलाए जा रहे अनेक भर्ती अभियानों को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर सीमांत रेलवे में ऐसी बकाया रिक्तियों को भरे जाने की स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रुप 'सी' कोटियों में चालू विशेष भर्ती अभियान में पहचानी गई पिछली शेष रिक्तियों में से 58 रिक्तियां [22 अनुसूचित जातियां) (एस सी) और 36 अनुसूचित जनजातियां (एस टी)] रिक्त रही हैं। उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड/गुवाहाटी को आवश्यक मांग पत्र दिया गया है। पैनल प्राप्त होने पर एस सी और एस टी की उक्त बैक लॉक रिक्तियां समाप्त हो जायेंगी। बहरहाल, वर्तमान में ग्रुप 'डी' की इस प्रकार की शेष आरक्षित रिक्तियां शून्य हैं अर्थात् भर्ती अभियान पूरा हो चुका है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सतर्कता संबंधी मामले

3367. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध कंपनी–वार कितने सतर्कता संबंधी मामले लम्बित हैं या विचार किया जा रहा है; और

(ख) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिनशा पटेल) : (क) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. – 08

आई बी पी कं. लि. – 12

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. – शून्य

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. – शून्य

(ख) 20 लंबित सतर्कता मामलों में से, 3 मामलों की सतर्कता जांच रिपोर्ट की पड़ताल की जा रही है। तीन मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रथम चरण सलाह के लिए भेजा गया है। 7 मामलों के संबंध में जांच कार्य प्रगति पर है। 5 मामलों में आरोप पत्र जारी किए गए/जारी किए जाने हैं। दो मामलों का जांच कार्य पूरा हो चुका है और दण्ड दिया जाना शेष है।

निशक्त व्यक्तियों हेतु बकाया आरक्षित रिक्तियां

3368. श्री मोहन जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पी डब्ल्यू डी एक्ट–1995 में निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण नियम के अनुसार कितने निशक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया;

(ग) इस समय ईस्ट कोस्ट रेलवे में निशक्त व्यक्तियों हेतु कितनी आरक्षित रिक्तियां बकाया हैं;

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

वोदिनयाक्कनूर और कोट्टायम के बीच रेल लाइन

3369. श्री पी. मोहन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का वोदिनयाक्कनूर और कोट्टायम के बीच नई रेल लाइनों हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस संबंध में कार्य कब तक आरंभ/पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टाटा कांदरा से नामकूम तक रेल लाइन

3370. श्री सुनिल खुन्नर महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टाटा कांदरा से नामकूम तक नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्य आज तक पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) कांदरा और नामकूम के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, 106 कि.मी. लम्बी इस लाइन की लागत 435 करोड़ रु. आंकी गई है।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोत्तरी

3371. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों को जनवरी, 2006 में सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन प्रदान नहीं की गई है जैसाकि दिनांक 26 नवम्बर, 2006 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त बढ़ोत्तरी से अनुमानतः कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों को लाभ होने की संभावना है;

(घ) देश में प्रतिवर्ष कुल कितने रक्षा कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं; और

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई दर पर पेंशन कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) और (ख) सरकारी आदेशों के तहत पेंशन भोगियों से सम्बद्ध पेंशन का संशोधन पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। 61 रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 35000 शाखाएं, 4 निजी क्षेत्र के बैंक, राज्य के 640 राजकोष, 5 वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा 2 डाकघर पेंशन संवितरण कार्यालय हैं। सरकारी आदेशों के साथ कार्यान्वयन अनुदेशों को जून, 2006 में प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद की वेबसाइट (www.pcdapension.nic.in) में डाल दिया गया था, साथ में अपेक्षित सरकारी आदेशों को डाउनलोड करके पेंशन में संशोधन कार्य आरम्भ करने के अनुदेश भी दिए गए थे। सरकारी आदेशों को 83 सारणियों (गणना चार्ट) वाली मुद्रित पुस्तिका तथा कार्यान्वयन अनुदेशों को पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

(ग) लगभग 12 लाख भूतपूर्व सैनिकों को।

(घ) प्रतिवर्ष लगभग 60,000 रक्षा कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं।

(ङ) डी पी डी ओ ने 30.11.2006 तक 80 प्रतिशत पेंशन

मामलों को संशोधित कर दिया है। शेष मामलों में, दूसरे पेंशन संवितरण प्राधिकारी पेंशन में संशोधन की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें संशोधन कार्य को शीघ्र निपटाने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

पुराने रोलिंग स्टॉक और रेल पटरी

3372. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुराने रोलिंग स्टॉक को बदलने और रेल पटरियों के आधुनिकीकरण और नवीकरण की प्रक्रिया पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और क्या उनके रख–रखाव पर भी वांछित ध्यान का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकांश पुल और पुलियों की मियाद पूरी हो चुकी हैं और वे कमजोर हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या रोलिंग स्टाक सहित अवसंरचना अतिरिक्त भारत का वहन कर सकते हैं, कोई सर्वेक्षण कराए बिना अधिक रेलगाड़ियों की शुरूआत करने तथा उनकी बारम्बारता बढ़ाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। गतायु चल स्टॉक का बदलाव, रेलपथ का आधुनिकीकरण, नवीकरण और उनका अनुरक्षण अपेक्षित होने पर किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। आधुनिक रेलपथ संरचना, यातायात की आवश्यकता के अनुसार मार्ग के वर्गीकरण और वार्षिक यातायात घनत्व के आधार पर मुहैया कराया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। रेलवे के पास पुलों/पुलियों की मल्टी टियर वार्षिक निरीक्षण करने के लिए एक निर्धारित प्रणाली है। रेलें, वार्षिक निरीक्षणों के दौरान ज्ञात उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर पुलों/पुलियों की मरम्मत, पुनर्स्थापन/पुननिर्माण का कार्य करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पृथ्वी मिसाइल परीक्षण

3373. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) ने सुपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से पृथ्वी मिसाइल को इंटरसेप्ट किए जाने के संबंध में सफल परीक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान से आज तक डी आर डी ओ द्वारा ऐसे कुल कितने परीक्षण कराए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) उन देशों के बीच भारत ने क्या स्थिति अर्जित की है जिन्होंने ऐसे स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल विकसित किए हैं; और

(ङ) ऐसे और परीक्षण कराने हेतु सरकार की क्या भावी योजना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। एकीकृत परीक्षण रेंज, बालासोर से 27 नवम्बर, 2006 को संशोधित पृथ्वी 'लक्ष्य' प्रक्षेपास्त्र के प्रति अंतरारोधी (इन्टरसेप्टर) प्रक्षेपास्त्र (पैड) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। संशोधित पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का, प्रक्षेप केन्द्र–III से 'लक्ष्य' के रूप में प्रक्षेपण किया गया था। शस्त्र प्रणाली रेडारों ने 'लक्ष्य' को पकड़ा और प्रक्षेपास्त्र नियंत्रण केन्द्र को सूचना भेजी, जिसने प्रक्षेप नियंत्रण केन्द्र को 'लक्ष्य' के बारे में सूचना दी। इन्टरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र को उस समय छोड़ा गया जब 'लक्ष्य' अंतरिक्ष में सबसे ऊंचे बिन्दु एपोजी पर था और ऑनबोर्ड निर्देशन से इन्टरसेप्टर को 'लक्ष्य' की ओर छोड़ा गया था। पैड ने 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 'लक्ष्य' को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया था। सभी परीक्षण उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

(ग) प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के लिए यह एक प्रथम उड़ान परीक्षण था।

(घ) अमरीका, रूस और इज़रायल के बाद इस क्षमता वाला भारत चौथा देश है।

(ङ) सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों को परखने के लिए और परीक्षण करने की योजना है।

पैन्ट्री कार के लिए ठेके देना

3374. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

श्री फुरकान अंसारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पैन्ट्री कार ठेकों के लिए खान–पान नीति, 2005 को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) क्या खान–पान नीति, 2000 को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए ठेके समाप्त होने पर ठेकों का नवीकरण कर आगामी अवधि के लिए पैन्ट्री कार ठेकेदारों को ठेका दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे ने छोटी इकाई ठेकों के नवीकरण हेतु निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो पैन्ट्री कार ठेकेदारों को खान–पान नीति, 2000 का लाभ देने और रेलवे स्टेशनों के ए.बी.सी. श्रेणियों की छोटी इकाइयों पर काम कर रहे ठेकेदारों को लाभ न देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) मोबाइल खान–पान यूनिटों (रसोई यानों) के लिए संशोधित खान–पान नीति, 2005 के अनुसार, संविदा को विस्तार देने का कोई प्रावधान नहीं है। रसोई यान की मौजूदा संविदा की समाप्ति पर उसका नवीकरण नहीं किया जा रहा है। संतोशजनक निष्पादन तथा सभी बकाया देय के भुगतान की शर्त पर "क", "ख" और "ग" श्रेणी स्टेशनों की सामान्य अल्प यूनिटों को तीन वर्ष के लिए एक बार विस्तार देने का प्रावधान है। विशेष छोटी यूनिटों के अंतर्गत संविदाओं के लिए, अर्थात् "क", "ख" और "ग" श्रेणी स्टेशनों की विशेष छोटी यूनिटों को संतोषजनक निष्पादन तथा लाइसेंस शुल्क सहित सभी बकाया देय के भुगतान की शर्त पर प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात नवीकरण कराना होगा। "घ", "ङ" और "च" श्रेणी स्टेशनों की सभी सामान्य छोटी यूनिटों तथा आरक्षित छोटी यूनिटों को संतोषजनक निष्पादन तथा लाइसेंस शुल्क सहित सभी बकाया देय के भुगतान की शर्त पर प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् नवीकरण कराना होगा।

फर्रुखाबाद और बरेली के बीच आमान परिवर्तन

3375. श्री संतोष गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद और बरेली के बीच मीटर लाईन को बड़ी लाईन में बदलने तथा इन स्टेशनों के बीच के कुछ स्टेशनों पर हाल्ट का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) कानपुर–फर्रुखाबाद–कासगंज–मथुरा के भाग के रूप में फर्रुखाबाद–कासगंज–बरेली खण्ड और कासगंज–बरेली–लालकुआं खण्ड (544.50 कि.मी.) का आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है। कानपुर–फर्रुखाबाद (140 कि.मी.) खण्ड को पहले ही चालू कर दिया गया है। फर्रुखाबाद–कासगंज (108 कि.मी.) खण्ड के कार्य को 2006–07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। बहरहाल, इस समय फर्रुखाबाद–बरेली खण्ड में अतिरिक्त हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

अवसंरचना संबंधी वृहत योजना

3376. श्री एल. राजगोपाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अगले पांच वर्षों में देश की अवसंरचना के निर्माण के लिए मिलकर योजना तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल व्यय में प्रत्येक मंत्रालय का हिस्सा कितना है; और

(घ) मंत्रालय इस वृहत योजना के लिए किस प्रकार संसाधन जुटाने की योजना बना रहा है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) अवसंरचना में निवेश एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, नागर विमानन मंत्रालय की रेल मंत्रालय के साथ अगले पांच वर्षों में अवसंरचना का निर्माण करने की कोई संयुक्त योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न भोजन योजना

3377. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के समर्थन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से देश में शुरू की गई सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के एक अंग के रूप में तैयार भोजन उपलब्ध कराने की उन्हें अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत

सहाय) : (क) से (ग) प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने और मध्याह्न भोजन योजना के तहत परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषक तत्व के उन्नयन संबंधी प्रस्तावों के एक भाग के रूप में भारतीय उद्योग परिसंघ से इस संबंध में एक सुझाव प्राप्त हुआ है। संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार–विमर्श करके इस पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक

3378. डी. मुनव्वर हसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल बजट प्रस्तुत करने से पूर्व रेलवे के महाप्रबंधकों और जन–प्रतिनिधियों के बीच कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या जन–प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यथोचित विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रेल मंत्रालय, रेल बजट प्रस्तुत करने से पहले बजट को अंतिम रूप देने की दृष्टि से संसद सदस्यों और महाप्रबंधकों के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं करता है। बहरहाल, महाप्रबंधकों/मंडल रेल प्रबंधकों को अपने क्षेत्र के संसद सदस्यों के साथ बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि स्थानीय मुद्दों/समस्याओं के संबंध में मंडल/क्षेत्रीय रेलवे स्तरों पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में आपस में चर्चा करके उनका संतोषजनक हल सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार की बैठकें संसद सत्र के मध्यावकाश के दौरान आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें बजट तैयार करने से संबंधित नहीं होती हैं।

बी एस सी एल में मजदूरी संशोधन

3379. श्री सुनील खां :
श्री ए.वी. वेल्लारमिन :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) की लाभ/घाटे की स्थिति कैसी है;

(ख) क्या बीएससीएल के कर्मचारियों को गत कई वर्षों से देय उनके वैध मजदूरी संशोधन से वंचित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बीएससीएल के कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) लेखा परीक्षित आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान बी.एस.सी.एल. के लाभ और हानि की स्थिति निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपये में)

	2003–04	2004–05	2005–06
प्रचालन लाभ	8.98	10.77	3.64
रोकड़ लाभ	(2.06)	3.48	1.33
निवल हानि	110.65	118.72	442.74
संचित हानि	605.17	723.89	1166.63
निवल मूल्य	(–)547.51	(–)635.24	(–)1042.13

(ख) से (घ) बीएससीएल की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को 1990 के दशक से पूर्व तक के मजदूरी समझौता/वेतन संशोधन की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, मजदूरी समझौता/वेतन संशोधन को अभी लागू करना संभव नहीं था क्योंकि कम्पनी रुग्ण हो गई थी और वर्ष 1994 से बीआईएफआर के अधिकारी क्षेत्र में थी। कर्मचारियों का मजदूरी समझौता/वेतन संशोधन उन निर्धारित मानदण्डों, प्रक्रियाओं और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित है जैसा कि बीआईएफआर को संदर्भित कम्पनी बीएससीएल में लागू है।

एन जी ओ परियोजनाओं को मंजूरी देना

3380. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री एम. अंजन कुमार यादव :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एन जी ओ की परियोजनाओं को मंजूरी देने में एन जी ओ से कमीशन मांगने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, शिकायतों की जांच की गई थी। दो शिकायतें दर्ज की गई जो जांच के दौरान झूठे नाम से पायी गई।

आर्मी सैंट्रल वेलफेयर बोर्ड में अंशदान

3381. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नागरिकों द्वारा आर्मी सैंट्रल वेलफेयर फंड में कितना अंशदान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अंशदान में से कारगिल शहीदों के आश्रितों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या आर्मी सैंट्रल वेलफेयर फंड के लिए अंशदान जुटाने हेतु कोई अन्य योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) सेना केन्द्रीय कल्याण निधि, जो कि एक गैर-सरकारी निधि है, की देख-रेख सेना मुख्यालय द्वारा की जाती है। गत प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान इस निधि के लिए किया गया अंशदान निम्नलिखित प्रकार से है:-

I. वित्त वर्ष 2003-2004 – 46.33 लाख रुपए

II. वित्त वर्ष 2004-2005 – 49.80 लाख रुपए

III. वित्त वर्ष 2005-2006 – 10.68 लाख रुपए

(ख) वर्ष 2003 से पहले कारगिल शहीदों के निकटतम परिजनों को 1.57 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

एयरलाइनों की समय सारणी

3382. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस (आई ए) और अन्य निजी एयरलाइनों की उड़ानों की समय-सारणी तैयार करने के लिए क्या मापदंड अपनाये गए हैं;

(ख) क्या इन एयरलाइनों की समय-सारणी में असमानता के कारण निजी एयरलाइनों की सेवाओं को उपयोग करने वाले यात्रियों की तुलना में इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्री अपने गंतव्य पर देर से पहुंचते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सभी अनुसूचिज घरेलू एयरलाइनों सहित इंडियन एयरलाइंस का एक अनुसूचन विभाग है जो उड़ानों का कार्यक्रम तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों में समाविष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक इनपुट, प्रचालनिक व्यवहार्यता तथा समय स्लाटों की उपलब्धता के आधार पर एयरलाइनों द्वारा स्वयं उड़ान कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है तथा तैयार किये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आमों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

3383. श्री के.एस. राव : क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आमों के उत्पादन क्षेत्रों के नजदीक खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करने, निजी क्षेत्र को आमों की प्रसंस्कृत वस्तुओं का निर्यात करने हेतु बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत नई इकाइयों की स्थापना और वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सहायता अनुदान के रूप में सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत की दर पर अधिकतम 75.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। आम को कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भी इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं।

महापरिनिर्वाण समारोह मनाया जाना

3384. श्री कीरेन रिजीजू : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 2550वीं बुद्ध जयन्ती के अवसर पर इस वर्ष को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या सरकार महापरिनिर्वाण के अवसर पर भारत और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संस्थान और केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2550वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है। कार्यक्रम और कार्यकलाप की रूपरेखा तैयार करने के लिए संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में एक 'राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति' भी गठित की गई है। स्मरणोत्सव मनाने के लिए चालू वर्ष के बजट में 10.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। उक्त परियोजनाएं, समिति की सिफारिशों और निधियों की उपलब्धता के आधार पर शुरू की जानी है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभापटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलोर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5453/2006]

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) विनियम, 2005 जो 9 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 57 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5454/2006]

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का वर्ष 1997–1998 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 1997–1998 के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई कार्यवाही ज्ञापन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्ष 1997–1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5455/2006]

(ख)(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 1999–2000 के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई कार्यवाही ज्ञापन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5456/2006]

(ग) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 2003–2004 के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई कार्यवाही ज्ञापन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5457/2006]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5458/2006]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कराण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5459/2006]

(3) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कराण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5460/2006]

(5) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष

2004–2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5461/2006]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, इटानगर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, इटानगर के वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5462/2006]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5463/2006]

(10) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2006–2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5464/2006]

(11) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5465/2006]

(13) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5466/2006]

(15) (एक) नेहरू मेमेरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली

के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5467/2006]

(17) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5468/2006]

(19) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5469/2006]

(21) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखेः–

(एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5470/2006]

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, ग्वालियर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5471/2006]

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, लखनऊ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5472/2006]

(चार) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, जयपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5473/2006]

(पांच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, गोवा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5474/2006]

(छह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5475/2006]

(सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, हाजीपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5476/2006]

(आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नॉलाजी, तिरुवनंतपुरम

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5477/2006]

(नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, शिमला

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5478/2006]

(दस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, चेन्नई

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5479/2006]

(ग्यारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, मुम्बई

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5480/2006]

(बारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, बंगलोर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5481/2006]

(तेरह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, हैदराबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5482/2006]

(चौदह) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नॉलाजी, नई दिल्ली

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5483/2006]

(पंद्रह) डा. अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5484/2006]

(सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, गुरदासपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5485/2006]

(सत्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5486/2006]

(अठारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, भोपाल

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5487/2006]

(उन्नीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5488/2006]

(बीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, कोलकाता

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5489/2006]

(22) उपर्युक्त संस्थानों के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5490/2006]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5491/2006]

(2) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5492/2006]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पुरंदेश्वरी जगदीशन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5493/2006]

(ख) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5494/2006]

(ग) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5495/2006]

(घ) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ख और ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5496/2006]

(3) (एक) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिजैबिलिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिजैबिलिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5497/2006]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5498/2006]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटाकमंड के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटाकमंड के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5499/2006]

(ग) (एक) नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5500/2006]

(घ) (एक) रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5501/2006]

(ङ) (एक) एन्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एन्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5502/2006]

(च) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5503/2006]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5504/2006]

(ज) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5505/2006]

(2) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कार्य के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5506/2006]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) ऑल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5507/2006]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2006 जो 26 सितम्बर, 2006 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 594(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5508/2006]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5509/2006]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5510/2006]

(ग) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5511/2006]

(घ) (एक) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5512/2006]

(ङ) (एक) बिको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5513/2006]

(च) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5514/2006]

(छ) (एक) तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5515/2006]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

"राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 13 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.03¼ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

14वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित आश्वासनों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

45वें से 50वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर 45वां की–गई कार्यवाही प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर 46वां की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन।

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर 47वां की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर 48वां की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन।

(5) कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर 49वां की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन।

(6) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक, विधि) संशोधन विधेयक, 2006 संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03¼ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

162वें से 169वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैल्थन (नामनिर्दिष्ट) : महोदय मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थाई समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) जड़–बूटी की दवाओं सहित औषधि एवं भेषज शोध कार्यक्रम संबंधी 162वां प्रतिवेदन;

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 160वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 163वां प्रतिवेदन;

(3) महासागर विकास मंत्रालय (परिवर्तित नाम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 158वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 164वां प्रतिवेदन;

(4) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 165वां प्रतिवेदन;

(5) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 159वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 166वां प्रतिवेदन;

(6) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 157वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 167वां प्रतिवेदन;

(7) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 168वां प्रतिवेदन;

(8) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 169वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

सरकार की कथित श्रमिक-विरोधी नीतियों के विरुद्ध 14 दिसम्बर, 2006 को श्रमिकों द्वारा की गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, क्या हम 5–10 मिनट के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांसुरा) : महोदय, आपने आश्वस्त किया था कि आप मध्याह्न 12.00 बजे हमारे मुद्दे को उठाने की मुझे अनुमति देंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनकार नहीं किया है। आप एक मिनट रुकें।

[अनुवाद]

क्या मुझे सभा की कार्यवाही प्रक्रिया के अनुसार चलाने दीजिएगा?

प्रो. मल्होत्रा, सामान्यतया हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेते हैं और उसके पश्चात् हम लोक महत्व के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये कितने उत्तेजित हैं। अतः क्या हम 5 मिनट के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : ठीक है, महोदय, ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक साथ न बोलें। मैंने पहले वसुदेव आचार्य जी को बुलाया है।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आज देश भर में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, उद्योगों और सेवा प्रतिष्ठानों में कार्यरत कई करोड़ कर्मकार, अपने जीविकोपार्जन से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को प्रस्तुत करने तथा उदारीकरण की नई आर्थिक नीति जो केन्द्र में सरकार द्वारा अभी तक चलायी जा रही है, के विरोध में देशव्यापी आम हड़ताल कर रहे हैं।

महोदय, प्रमुख सेंट्रल ट्रेड यूनियनों, बैंको, बीमा कम्पनियों और रक्षा उत्पादन करने वाले स्वतंत्र औद्योगिक तथा कर्मचारी महासंघ और राज्य तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों और अन्य सेवा संगठनों से जुड़े श्रमिक संघों की प्रायोजित समिति ने आम हड़ताल का आह्वान किया है।

आज करोड़ों कर्मकारों और कर्मचारियों ने हड़ताल की है। पुलिस बल के बावजूद कई राज्यों में हड़ताल सफल हुई है। कर्मकारों की मांग, हमारे देश के लोगों की मांग, जिसके प्रति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार प्रतिबद्ध है, यह है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक विधान लाया जाना चाहिए। सरकार को असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला विधान लाना चाहिए। सरकार कोई विधान नहीं लाई है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 37 करोड़ कर्मकारों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। 22 करोड़ कृषि कर्मकारों के लिए कोई विधान नहीं है। उनको रोजगार की गारंटी नहीं है। समाजिक सुरक्षा नहीं है।

श्रमिक कानूनों का अंधाधुंध उल्लंघन किया जाता है। कर्मकारों के हितों की रक्षा करने वाले श्रमिक कानूनों का अत्यधिक उल्लंघन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) की रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भी अनुमति दी जा रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका मामला पता चल गया है। हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी इस पर चर्चा कर सकते हैं।

अब, श्री रामजी लाल सुमन बोलेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बेरोक–टोक निजीकरण किया जा रहा है। काफी गंभीर स्थिति है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। देश भर में कृषि भूमि संबंधी संकट उत्पन्न हो गया है। एक लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मामले काफी गम्भीर हैं। मैं श्री वसुदेव आचार्य को अनुरोध कर रहा हूं कि वह अपनी बात समाप्त करें। मैंने आपको बोलने का मौका दिया है।

श्री वसुदेव आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री रामजी लाल सुमन बोलेंगे। श्री रामजी लाल सुमन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई वाद–विवाद नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, यह वाद–विवाद नहीं है। असंगठित क्षेत्र पर चर्चा हुई थी। मैंने उसकी अनुमति दी थी।

...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : पुलिस की मार के कारण कैमरे टूट गए थे। पुलिस की गोलियों के कारण उड़ीसा के नुआपड़ा जिले में एक व्यक्ति मारा गया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें।

श्री वसुदेव आचार्य : हरियाणा में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी राज्य के मामले की यहां चर्चा न करें। यहां पर राज्य संबंधी मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री वसुदेव आचार्य : हड़ताल सफल रही है। सरकार को हमारे देश के 40 करोड़ कर्मकारों की मांगें सुननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने अत्यंत जोरशोर से इसे कहा है। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री वसुदेव आचार्य : सरकार को असंगठित क्षेत्र के हितों की रक्षा करने और असंगठित क्षेत्र के 37 करोड़ कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अविलम्ब एक विधान लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, हम भाषण करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हम अपने आपको श्री वसुदेव आचार्य के विषय से संबद्ध करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो भी माननीय सदस्य अपने को श्री वसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करना चाहते हैं, वे लिख कर स्लिप दे दें।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : हमारा दल भी इस मामले में स्वयं को सम्बद्ध कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा है। इससे इसको और बल मिलेगा। सभी व्यक्ति जो स्वयं को इस मामले से सम्बद्ध करना चाहते हैं, अपने नाम भेज सकते हैं। उनके नाम इसमें उचित रूप से सम्मिलित कर लिए जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, पूरे देश के श्रमिकों में असंतोष है और अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए आज पूरे देश में हड़ताल है। प्रधानमंत्री जी ने 16 अगस्त, 2006 को श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत की थी और श्रमिकों को भरोसा हुआ था कि उनके कल्याण के लिए भारत सरकार सकारात्मक पहल करेगी, लेकिन उस दिशा में चार कदम चलने की कोशिश भी भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई है। भारत में 93 फीसदी असंगठित मजदूर हैं। इस सदन में बार-बार चर्चा हुई कि उनके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, उनको संरक्षण देने की आवश्यकता है, लेकिन कोई प्रभावी प्रयास इस दिशा में नहीं हुआ। छोटिहर मजदूरों के लिए भी कोई संरक्षण कानून नहीं है। शहरी बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी नहीं है। सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के सिलसिले में कई बार कहा गया कि मुनाफे के सरकारी उपक्रम हैं, उनके बारे में सरकार आश्वस्त करे कि उनका निजीकरण नहीं करेगी। वहां श्रमिकों की छंटनी बंद होगी, नई भर्तियां होंगी, खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी निवेश नहीं होगा, ये असली बुनियादी सवाल हैं और जिन का संबंध श्रमिकों की समस्या से है। आपने ठीक कहा कि सदन में अभी श्रमिकों की समस्या के सवाल पर चर्चा हुई है। हम इसमें आपका संरक्षण चाहते हैं। चर्चा का यह मतलब है कि अगर कहीं लोगों की समस्याएं हैं, सरकार उसमें प्रभावी पहल करे। हमारा आरोप है कि सरकार श्रमिकों की समस्याओं के मामले में बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें। श्री रामजीलाल सुमन, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : यह सरकार श्रमिकों के सवाल पर बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। आज पूरे देश में बुरा हाल है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब एक-एक करके बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : श्रमिकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ जो डाइली ऑब्जेक्शनेबल है। यह एक गम्भीर मामला है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह श्रमिकों की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे माननीय मित्रगण, डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान यह दूसरी हड़ताल है। पहली बार हड़ताल वर्ष 2005 में हुई थी। अब फिर दुबारा हड़ताल हुई है। हमने हड़ताल की है क्योंकि सरकार जनादेश का उल्लंघन कर रही है। लोगों

ने इस सरकार को इसलिए सत्ता सौंपी है क्योंकि वे चाहते हैं कि यह सरकार पूर्व सरकार द्वारा अनुपालन की गई आर्थिक नीति से हटकर एक अलग आर्थिक नीति का अनुपालन करे। लेकिन, दुर्भाग्यवश, वह भी उसी आर्थिक नीति का अनुपालन कर रही है। यह सरकार की पूर्ण–असफलता का परिणाम है कि हड़ताल प्रायोजित की गई है ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : आप इस सरकार को समर्थन क्यों दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरुदास दासगुप्त, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं आपको बता रहा हूं। आज भारत में अभूतपूर्व हड़ताल हुई है। मैं राज्यों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। असम से लेकर केरल तक, पूरी तरह हड़ताल है माननीय संसदीय कार्यमंत्री यहां उपस्थित हैं। वहां पर यह कहते हुए गोलीबारी हुई कि हमें हड़ताल करने का अधिकार नहीं है और इसमें एक व्यक्ति मारा गया ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : आपने सिंगूर में क्या किया है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ अन्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरुदास दासगुप्त, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : जी नहीं, महोदय। कृपया दो मिनट और दीजिए ...*(व्यवधान)* वहां लाठीचार्ज हुआ है, प्रेस पर हमला हुआ है। . ..*(व्यवधान)* इस सं.प्र.ग. सरकार के शासन में प्रेस पर हमला हुआ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, हम सरकार की इस अमीरों की पक्षधर तथा गरीब–विरोधी आर्थिक नीति का विरोध कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे एक मिनट का समय दें। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह सरकार हमारे समर्थन का लाभ उठा रही है। वामपंथियों के समर्थन पाने के बावजूद यह सरकार हमारी नीतियों की पूरी तरह से उपेक्षा कर रही है। यह लम्बे समय तक नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना चाहते हैं तो कृपया मेरी अनुमति लीजिए। अन्यथा, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, क्या मैं बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : और कुछ नहीं। मैंने पहले ही देवेन्द्र प्रसाद यादव का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तरितवरण तोपदार, कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभा को चलने नहीं देना चाहते हैं, तो कृपया मुझे बता दीजिए मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और यहां से चला जाऊंगा तब आपको मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। आप इसे उचित तरीके से उठायें। मैंने प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा की अनुमति से पहले ही नियमों में छूट दे दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अनिश्चित काल तक नही चल सकता। यह वाद–विवाद नहीं है। हमने असंगठित क्षेत्र पर पूरी चर्चा की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि आज सम्पूर्ण देश में देशव्यापी श्रमिकों की हड़ताल चल रही है और खेतिहर मजदूरों का तेजी से पलायन हो रहा है। उनकी क्रय शक्ति घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके कारण गरीबी बढ़ रही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि द्वितीय लॉ लेबर कमीशन की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हो सकी है और असंगठित मजदूरों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग रिपोर्ट वर्ष 2000 में आई, लेकिन अभी तक उस पर कोई पहल नहीं की गई है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट 16 मई, 2006 को आई थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत हुई थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तुरंत केंद्रीय विधान बने और उन लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क स्थापित किया जाए जो असंगठित और संगठित मजदूर हैं, देश का 93 प्रतिशता वर्क फोर्स है, असंगठित मजदूर की हालत बहुत दयनीय है, चिंताजनक है। यह बहुत संवेदनशील मामला है इसलिए सरकार को इस पर तुरंत पोजीटिव पहल करनी चाहिए। पूरे देश में रिक्शा चालकों, रेहड़ी, पटरी पर फल बेचने वालों और खोमचा लगाने वाले गरीब लोगों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उजाड़ा जा रहा है, उन लोगों की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, श्री प्रबोध पांडा, श्री सुधांशु सील, श्री एन.एन. कृष्णदास, श्री रमेश चन्द्र डोम, श्री रूपचंद पाल, श्री स्वदेश चक्रवर्ती, श्री प्रशान्त प्रधान, श्री सुरेश कुरूप, श्री सुनील खान, श्री अलकेष दास, श्री पी. करूणाकरन, डा. के. एस. मनोज, श्रीमती जी. एस. सुजाता, श्रीमती पी. सतीदेवी, श्री समिक लाहिरी, श्री सुजान चक्रवर्ती, श्री अनिल बसु, श्री अबू अयेस मंडल, श्री पी. राजेन्द्रन, श्री मोहन सिंह, श्री जोवाकिम बखला और श्री सुव्रत बोस के नाम इस मुद्दे से सम्बद्ध किये जाते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया उन लोगों को अनुमति दीजिए जिन्होंने सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब और नहीं। मंत्री महोदय, कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयाप्रदा का नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा। श्री अनंत गीते और श्री येरननायडु का नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। कृपया मुझसे अनुरोध मत कीजिए। मैंने रामजीलाल सुमन को बोलने की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नाम भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं स्वयं को इस मुद्दे से सम्बद्ध करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको सम्बद्ध करने की बात पहले ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर ली गई है।

[हिन्दी]

आपने नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं भेद नहीं कर सकता। श्री अमिताभ नंदी, प्रो. वसुदेव वर्मन, श्री कीरेन रिजीजू, श्री बृज किशोर त्रिपाठी, श्री रवि प्रकाश वर्मा, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, श्री पी.सी. थॉमस, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रघुनाथ झा, श्री गणेश प्रसाद सिंह, श्री विजय कृष्ण, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री रामकृपाल यादव, श्री सीताराम सिंह और श्री टेक लाल महतो के नाम भी इस मुद्दे से सम्बद्ध किये जाते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री प्रियरंजन दासमुंशी का वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं सरकार की ओर से बताना चाहूंगा कि हड़ताल का मौलिक अधिकार मजदूरों, किसानों और राजनीतिक दलों का है और हम इस अधिकार का पूरी निष्ठा के साथ सम्मान करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : आप एक कानून क्यों नहीं लाते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल एक मिनट। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री वसुदेव आचार्य, मंत्री जी के बयान के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, संप्रग सरकार ने अब तक अपने सारे वचनों को पूरा करने की कोशिश की और उसमें से कुछ अभी भी लम्बित हैं। मैं सादर यह स्वीकार करता हूं कि असंगठित क्षेत्र के लिए कानून केवल संप्रग सरकार का दावा नहीं है बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जनादेश भी था। संप्रग की सभापति, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा भी जोरदार शब्दों में इसकी घोषणा की गई थी। यह प्राथमिक निर्णयों में से एक है। मैं आपके माध्यम से तथा इस सभा के माध्यम से सभी हड़तालों मजदूरों को आज सादर यह कह सकता हूं कि संप्रग सरकार अगले सत्र में कानून लाने के लिए वचनबद्ध है। *...(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : आप एक कानून लाइए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वचन दिया है।

श्री वसुदेव आचार्य : कितने वर्षों में?

अध्यक्ष महोदय : अगले वर्ष।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : गरीब लोगों के लिए उठाये गऐ कदमों के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रमुख रूप से जोर दिया गया है।

इससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार लोगों तथा कृषि श्रमिकों को सहायता मिलती है। *...(व्यवधान)* मुझे उत्तर देने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों खड़े हैं और व्यवधान डाल रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यदि ऐसा ही करेंगे तो मैं उनसे उत्तर न देने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, दोपहर के भोजन के साथ सर्वशिक्षा अभियान सबसे निचले स्तर के लोगों के लिए संप्रग सरकार द्वारा चलाया जा रहा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

महोदय, बीस–सूत्री कार्यक्रम को पुनः नई दिशा दी गई है जिसमें गांव के गरीब लोगों को शामिल किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह एक महत्वपूर्ण नवीन क्षेत्र है। स्व–सहायता समूहों की संख्या राजग सरकार के शासनकाल के दौरान की संख्या से 10 गुणा बढ़ गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना जैसा कि लक्षित है, इसकी संख्या 20 गुणी से अधिक हो जाएगी।

रुग्ण उद्योगों के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बीपीएसटीसी की नियुक्ति की है, जिसे अपना प्रतिवेदन अभी देना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं केवल यह कह सकता हूं कि एक मुख्य रुग्ण इकाई जिसे "इसको" के नाम से जाना जाता है का

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सेल के साथ विलय करने हेतु सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया है। इसलिए, हमने एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस सहित किसी भी मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश करने का प्रयास नहीं किया। सरकार का ध्यान गरीब लोगों पर है तथा गरीब लोगों के लिए है।

महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि विभिन्न राज्यों में कुछ कमियां हैं तथा उन मामलों पर यूपीए सरकार तथा इसकी सहायक दलों द्वारा व्यापक रूप से कार्यवाही की जायेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार देश में लोगों के लिए, कामगारों के लिए तथा कृषि कामगारों के लिए कार्य करते हुए सही मार्ग पर चल रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम सभा से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 12.22 बजे

(इस समय, श्री वसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांतिपूर्वक बाहर जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कार्यवाही करेंगे। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उसे छोड़िये।

[अनुवाद]

इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भाषण दें। यहां अनेक समस्याएं हैं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग जो बोलते हैं, उसे देश देखता है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.22½ बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) जम्मू-कश्मीर में पिछले कई वर्षों से कश्मीरी पंडितों पर किए जा रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के मामले की ओर आकर्षित करता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वे उस पर वक्तव्य दें:–

"विगत अनेक वर्षों से जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में।"

* **गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील)** : महोदय, जम्मू और कश्मीर राज्य में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर नामक तीन क्षेत्र शामिल हैं। लद्दाख और जम्मू दोनों में ही अपेक्षाकृत शांति बनी हुई है। कश्मीर वर्ष 1990 से आतंकवाद से प्रभावित है जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीरी लोग घाटी से जम्मू, दिल्ली और अन्य राज्यों में प्रवासित हुए हैं।

घाटी में उग्रवाद शुरू होने के बाद 1990 में कुछ कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ। कई परिवार घाटी में रह रहे हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा इन परिवारों की रक्षा की जा रही है। सुरक्षा कार्मिकों को आधुनिक हथियार और संचार सुविधाओं से सज्जित किया गया है।

कश्मीर घाटी में संग्रामपुरा में 22.7.1997 को, बंधामा में 26.1.1998 को और नाडिमर्ग में 24.3.2003 को घटी घटनाओं में कुछ कश्मीरी पंडित मारे गये थे।

मार्च, 2003 में हुए नाडिमर्ग नरसंहार के बाद कुछ परिवारों ने कश्मीर से जम्मू प्रांत में पलायन किया। 1990–91 के बाद बड़े पैमाने पर कोई पलायन नहीं हुआ है।

---

* ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 5516/2006

[श्री शिवराज वि. पाटील]

सरकार ने राज्य के भीतर अलग–अलग समुदाय के लोगों की जान–माल की सुरक्षा के लिए उपाए किये हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) कश्मीर घाटी में अलग–अलग समुदायों की आबादी वाले ग्रामों/क्लस्टरों में पुलिस/सी आर पी एफ की पिकेट स्थापित की गई हैं।

(ii) इन पिकेटों को पर्याप्त शस्त्रास्त्र और संचार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा समीपस्थ सुरक्षा बल यूनिट सहित उन्हें क्षेत्रगत सुग्राह्यता का कार्य सौंपा गया है।

(iii) स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मरक्षा के लिए ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया गया है।

(iv) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा भीतरी क्षेत्रों और आबादी वाले क्षेत्रों में बारंबार गश्त लगाई जाती है।

प्रवासी परिवारों की संपत्ति की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थम विक्रय का अवरोध) अधिनियम, 1997 और जम्मू और कश्मीर प्रवासी (कार्यवाहियों को रोकना) अधिनियम, 1997 अधिनियमित किए हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं कि जरूरतमंद प्रवासी परिवारों को पर्याप्त आहार और सहायता प्रदान की जाए। सरकार ने हाल ही में 1.7.2006 से जम्मू में कश्मीरी प्रवासियों की मासिक नकद राहत को 3000/– रुपये प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 4000/– रुपये प्रति परिवार प्रतिमाह करने और बुनियादी शुष्क राशन देने एवं दिल्ली में कश्मीरी प्रवासियों को 3200/– रुपये से बढ़ाकर 4000/– रुपये प्रति परिवार प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। अन्य राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपने नियत मानदंड के अनुरूप अपने यहां ठहरे हुए कश्मीरी प्रवासियों को राहत प्रदान कर रहे हैं।

राज्य के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना के अन्तर्गत जम्मू क्षेत्र में शिविरों में रहने वाले सभी परिवारों के लिए दो कमरों के 5242 मकानों की योजना बनाई गई है। प्रथम चरण में 1023 फ्लैटों का निर्माण पहले ही शुरू किया जा चुका है तथा ये पूरा होने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

जो प्रवासी घाटी में वापस लौटना चाहते हैं उनकी सहायता करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने शेखपुरा, जिला बडगाम में दो शयन कक्ष वाले 200 फ्लैटों का निर्माण करने हेतु 20.00 करोड़ रुपये की एक परियोजना का अनुमोदन किया है। इनका निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। राज्य सरकार ने खीर भवानी और मट्टन में उनके घरों और पूजा स्थलों के निर्माण और नवीकरण हेतु 10.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के घाटी में अपने घरों में वापस लौटने तक अस्थाई रूप से ठहरने के लिए मट्टन में तीन कमरों वाले 18 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। खीर भवानी में एक कमरे वाले 100 अस्थाई मकानों का काम पहले ही पूरा हो चुका है।

आतंकवाद से प्रभावित जिलों में मिली–जुली जनसंख्या होती है। आतंकवादियों ने सभी समुदायों को लक्ष्य बनाया है। घाटी में उग्रवाद शुरू होने के साथ ही सभी समुदायों के लोगों के सामने कठिनाईयां आई हैं।

सुरक्षा बलों के गंभीर प्रयासों और सरकार के प्रयासों तथा सबसे अधिक लोगों की शान्ति और स्थिति को सामान्य बनाने की आकांक्षा के परिणामस्वरूप राज्य की स्थिति में सुधार हुआ है। यह सच है कि कुछ लोग अभी भी कष्ट उठा रहे हैं। सभी संबंधितों द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं कि लोग और अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर से स्थिति की भयावहता और इसकी भीषणता प्रकट नहीं होती। मुझे बहुत निराशा हुई कि जिस प्रकार से उन्होंने यह उत्तर दिया है और उसमें बहुत मामूली सा वहां पर जो काम किया जा रहा है, उसका उल्लेख किया है। कश्मीर घाटी से लगभग चार लाख से लेकर पांच लाख लोग वहां से माइग्रेट करने को मजबूर हुए। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित या कश्मीरियत के नाम पर जो बात कही जाती है, पूरे के पूरे 90 प्रतिशत कश्मीरी पंडित वहां से भागने को मजबूर हुए और वे वहां से माइग्रेट कर गए। वहां पर बहुत से न्यायाधीश, वकील और प्रोफेसरों की जब हत्या कर दी गई और उसके बाद जब यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं रहेगा और वहां केवल एक इस्लामिक मुस्तफा राज रहेगा। उसके बाद उनको वहां से छोड़कर आना पड़ा। यह बहुत बड़ा जेनेसाइड है। वहां एथनिक क्लेंजिंग का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

उसके लिए जिस प्रकार के प्रबंध हम कर रहे हैं या जो कुछ हमें करना चाहिए, उसे हम लोग बहुत साधारण तौर पर देख रहे हैं। गुजरात से एक भी व्यक्ति ने माग्रेट नहीं किया और उसके लिए कांग्रेस अध्यक्षा ने जैनोसाइड कहा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वहां से एक भी व्यक्ति ने पलायन नहीं किया।

[हिन्दी]

गुजरात के लिए उन्होंने जैनोसाइड की संज्ञा दी। वह जैनोसाइड नहीं था। इससे पहले कभी संभव नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, इस बात की विदेशों में भी चर्चा नहीं हुई, यू.एन. ओ. में चर्चा नहीं हुई और इस मामले में लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध ली। जो मानवाधिकारवादी देश हैं, वहां भी 4–5 लाख लोग चले जायें लेकिन अगर हमारे यहां से बांग्लादेशी पांच व्यक्तियों को भी निकालने की बात की गई हो तो बवंडर खड़ा हो जाता है, फिर भी ये लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने अपने बयान में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि थैली में इन लोगों के लिए 10 करोड़ रुपये दिये जायेंगे जिससे 200 फ्लैट 2–बैडेडरूम बनाये जायेंगे, अगर कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहें। क्या यह बात कहने का तरीका है? क्या पांच लाख कश्मीरी पंडितों के लिए 10 करोड़ रुपये दिये जायेंगे? यहां प्रति परिवार मासिक भत्ता तीन हजार रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दिया गया और अब बताया जा रहा है कि इन लोगों के लिए 200 फ्लैट बनाये जायेंगे। सरकार यहां हीलिंग टच की बात कर रही है। अध्यक्ष जी, कश्मीर में आतंकवादियों के लिए कहा जा रहा है कि अगर एक आतंकवादी सरेंडर करेगा तो उसे तीन लाख रुपया दिया जायेगा, अगर अपने आप सरेंडर करेगा तो उसे नौकरी दी जायेगी। उन लोगों के लिए 24 हजार सरकारी नौकरियां रखी गई हैं और अगर बदले में कश्मीर पंडित अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिये गये तो उन 18 हजार में से केवल तीन हजार लोगों को नौकरी दी गई, बाकी 15 हजार लोगों का क्या होगा? पिछली बार जितनी नौकरियां क्रिएट की गई हैं, उनमें से 500 भी कश्मीरी पंडितों को नहीं दी गई हैं। बचे हुए 15 हजार लोगों में से कुछ रिटायर हो गये हैं, कुछ की मृत्यु हो गई है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, ये क्या कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, शर्मा जी। आपको मौका दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री शर्मा, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया ऐसा न करें। मैं आपको एक बार बोलने का मौका दूंगा।

[हिन्दी]

हमने उन्हें परमिट नहीं किया है, आप लोग बैठ जायें। आप लोग क्यों चिल्लाते हैं?

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा, मुझे आपको एक अवसर देना था, परन्तु अब नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, सरकार की एटीआर मेरे पास है। उसमें बताया गया है कि कितने लोगों को नौकरी दी गई है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक मानवीय समस्या है। कृपया हमारी बात सुनें। मंत्री ने एक वृहद् उत्तर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी 500 कश्मीरी पंडितों को नौकरी नहीं दी गई जबकि वहां 24 हजार नौकरियां रखी गई हैं। .. *.(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी 15 हजार कश्मीरी पंडितों को नौकरी क्यों नहीं दी गई? मेरा प्रश्न यह है कि

[अनुवाद]

उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिन्होंने सार्वजनिक

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

रूप से यह तथ्य स्वीकार किया है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की हत्या की है। कोई मामला दर्ज नहीं किया गया अगर किया भी गया तो उसकी छानबीन नहीं की गई है। किसी भी हत्यारे को सजा नहीं दी गई है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

क्या इसमें संदेह की कोई बात है कि अभी तक एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया है, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है। यहां इस बात पर भी हमें आश्चर्य हो रहा है कि पार्लियामेंट पर जिस तरह से हमला किया गया, उनके एक आदमी को भी सजा मिली है? उसे सजा नहीं दी जा रही है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता है। कृपया इसे यहां न उठाएं। इस पर यहां कार्यवाही नहीं की जायेगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, कश्मीरी पंडितों ने अपने पदक वापस कर दिये हैं और कश्मीरी पंडितों को मारने वाले जितने वहां थे, वे खुलेआम घूम रहे हैं।

[अनुवाद]

यहां तक कि एक भी व्यक्ति को दोषी करार नहीं किया गया है। यहां तक कि एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है; तथा उनमें से किसी के विरुद्ध; कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

[हिन्दी]

जितने वहां पर थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, अपना प्रश्न पूछें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जी, हां, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं। घाटी में शेष बचे लोगों की सुरक्षा एवं उन्हें सहायता देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्हें रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है, न ही वे उन लाभों के लिए पात्र हैं जिनके लिए पलायन करने वाले लोग पात्र हैं। सरकार द्वारा घोषित 'हीलिंग टच' नीति में अब तक आंतकवाद, कश्मीरी पंडितों को कवर नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने अनेक बार हमारे नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया है परन्तु अब तक किसी को भी रोजगार नहीं मिला है। राज्य बजट से कश्मीरी पंडितों को सहायता एवं उनके पुर्नवास हेतु कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया है। सभी उपाय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह केन्द्र सरकार का मामला नहीं है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं ...*(व्यवधान)* मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम यहां राज्य के विषयों पर बात नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कल ही 20–25 मिनट तक कालिंग अटेंशन पर माननीय सदस्य बोले थे और मैं अभी तीन मिनट ही बोला हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप तीन मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं, हम घड़ी देख रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं अभी तीन मिनट ही बोला हूं ...*(व्यवधान)* उस दिन बीस मिनट गुलदास गुप्ता बोले थे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत बोलिये। कोई आरोप मत लगाइये। ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। हम सबको बोलने का मौका देते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे या ध्यान करेंगे कि जो माइग्रेन्ट्स कश्मीरी पंडित अभी भी दैली में रह रहे हैं, उन्हें सब फैसिलिटीज दी जाएं। वहां आर्म्ड फोर्सिस में, पैरा मिलिट्री फोर्सिस, सैंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसिस में, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग और राज्य सरकार में कम से कम दस हजार कश्मीरी पंडित, जो सारे इस समय बेकार हैं, उन्हें नौकरी देने का विचार करेंगे, क्या उन्हें सैल्फ एम्प्लायमेंट क्रिएट करने के लिए सैंट्रल और स्टेट एजेंसिज एवं बैंकों को कहा जाएगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार के संबंध में यहां चर्चा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर और मार्किटिंग दें, जितने भी लोग जम्मू या दिल्ली में रह रहे हैं,

[अनुवाद]

जम्मू, दिल्ली, उधमपुर, नगरोटा तथा अन्य जगह प्रवासियों के लिए दो कमरे के फ्लैट

[हिन्दी]

यहां झुग्गी–झोंपड़ी वालों को भी दो कमरे का फ्लैट दिया जा रहा है, हर झुग्गी वाले को दो कमरे का फ्लैट दिया जाएगा तो जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए भी सैंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्या उन्हें जम्मू, नैगरोटा में, दिल्ली में रहने वाले दो कमरे का फ्लैट देंगे? आपने कहा था कि दस हजार बनाए जा रहे हैं और दैली में 250 बनाए जायेंगे, जो रहने वाले पांच लाख लोग हैं, जो माइग्रेट करके आए हैं, ये 80 हजार परिवार हैं, उन्हें दो कमरे का फ्लैट देना मुश्किल नहीं है। जब हम दो लाख झुग्गी वालों को फ्लैट दे रहे हैं तो उनके लिए क्या कठिनाई है?

अध्यक्ष महोदय, क्या यह कोई ऐसा ऑर्डिनेंस तैयार करेंगे जिसमें जितने हिन्दू हैं, शराइंस हैं, कश्मीर के अंदर और जितने वहां हिंदू मंदिर हैं, उनका सारा का सारा अगर हैंड ओवर कर दिया जाये, वहां कश्मीरी पंडितों को, उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस बनाया जाए, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी? वहां पर इनकी जो प्रोपर्टीज है, वह वहां पर सरकार ने ले ली है और उनका मुआवजा नहीं दिया, जो सरकार के अधिकार में आ गई है, क्या उनकी प्रोपर्टीज वापस देने का विचार किया जाएगा? कश्मीरी पंडित वहां पर माइनोरिटी में हैं, प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा,

[अनुवाद]

सरकार के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होना चाहिए।

[हिन्दी]

क्या कश्मीरी पंडित या जो जम्मू–कश्मीर में माइनोरिटी में हैं, उनके लिए कोई अधिकार है या नहीं? इस समय जम्मू–कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार एवं अन्याय हो रहा है। वहां के आतंकवादी उनके खिलाफ कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति इस समय जम्मू जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि घोषणा कर दी गई है कि अगर कोई ...(व्यवधान)* जम्मू वापिस आया तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर ले या कश्मीर की आजादी की बात कहे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह ...* ने कहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

[अनुवाद]

उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है। आप क्यों बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह कहा गया कि कश्मीर की आजादी की बात किए बिना कोई कश्मीरी पंडित वहां नहीं आ सकता। कश्मीर की आजादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए गृह मंत्री जी का वक्तव्य अपने में खुल मिलाकर देखा जाए तो बिल्कुल एक परसेंट भी समस्या को वहां पर टच नहीं करता। मैं उनसे अपील करूंगा कि उनकी समस्या का उनके साथ बैठकर निदान करें और उनके साथ बैठकर जो कमेटी बनाई गई थी, गवर्नमेंट ने खुद जो इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई थी, उसमें सुषमा चौधरी के नाम से जो सिफारिश की, उन पर क्या कार्रवाई की गई, उसका वाइट पेपर सदन के सामने रखें। ...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, हमने दस्तखत नहीं किए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपकी इजाजत होगी तो एक प्रश्न हम भी पूछ सकते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका कोआपरेशन होगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों जैसा कि आप जानते हैं इस संबंध में नियम बहुत ही स्पष्ट हैं। केवल एक ही माननीय सदस्य ने नोटिस दिया है तथा अन्य सदस्यों को जब तक मैं अनुमति नहीं दे देता

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चर्चा में भाग लेने की अनुमति नहीं है। मैं एक अथवा दो सदस्यों को अवसर प्रदान करने का प्रयास करूंगा।

प्रो. रासा सिंह रावत जी, केवल एक ही प्रश्न पूछिए कोई भाषण मत दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी आपने कहा – कश्मीर समस्या मानवीय समस्या है। कश्मीर भारत का मुकुट कहलाता है और देश का अभिन्न तथा अटूट अंग है। वहां के नागरिकों के साथ इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो, यह हम सबके लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर लौटने की जो अपील वहां की सरकार और केन्द्रीय सरकार ने की थी उसका क्या परिणाम रहा, कितने लोग वापस गए, जो वहां गए उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई? उनकी खाली दुकानें, मकान और अन्य संपत्तियों पर दूसरे लोगों ने अधिकार कर लिया था, उनकी वह प्रॉपर्टी उन्हें सही हाल में वापस उपलब्ध हो सके, इस बारे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है और जिन कैम्पों में वे रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक जी, कृपया केवल प्रश्न पूछिए तथा कोई प्रस्तावना मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मल्होत्रा जी ने कहा, हम सबके लिए यह बड़े दुख और वेदना की बात है कि हमारे देश के अंदर हमारे देश के लागे ही विगत 17 सालों से शरणार्थी का जीवन बसर कर रहे हैं। शायद दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं होगा जहां ऐसी स्थिति हो कि उसी देश के लोग अपने ही देश में शरणार्थी की जिंदगी गुजारें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री हरिन पाठक : सर, क्या दो बातें भी नहीं बोलने देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्टीकरण पूछिए।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, बड़ी वेदना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए। सबको वेदना है।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के पांच लाख नागरिक अपने ही देश में 17 सालों से एक्साइल स्थिति में रह रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं। हम सब और सरकार का कर्तव्य है कि उनके बारे में संजीदा हो। पीसमील में एनाउंसमेंट करने से इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

विस्थापित कश्मीरी लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के संबंध में जम्मू–कश्मीर अल्पसंख्यक अध्ययन केन्द्र ने राज्य सरकार के एक सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की।

[हिन्दी]

उनकी रिकमेंडेशन आई है और एक पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि 10 गुणा 10 फुट के कमर में तीन जनरेशन के लोग रहते हैं। यह रिपोर्ट का हिस्सा है। यह सब कहते हुए कितनी वेदना होती है कि तीन–तीन जनरेशन के लोग एक ही कमरे में रहते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कौल साहब की रिपोर्ट पर गौर करेगी, यदि हां, तो कब?

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : ऑनरेबल स्पीकार सर, मैं आपकी इजाजत से मिनिस्टर साहब से एक–दो बातें जानना चाहूंगा। मल्होत्रा साहब का जो कॉल–अटेंशन है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्पष्टीकरण पूछिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मुझे दो–तीन बातें ऐसी कहनी हैं, जिनसे स्थिति क्लीयर हो जायेगी। मिलिटेंसी के समय, पिछले 18 वर्षों से जो लोग कश्मीर से मायग्रेट होकर मुट्ठी कैंप, नगरोटा कैंप और मुट्ठी–दो में जो लोग आए हैं, मैं उन्हीं के दरम्यान रहता हूं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में मैजोरिटी में मायग्रेट किए हुए लोग ही रहते हैं। वे लोग मैजोरिटी में जम्मू पार्लियामेंट्री कांस्टीट्यूएंसी में ही रहते हैं। मैं सिचुएशन को एनैलाइज करने के लिए मल्होत्रा साहब को बताना चाहता हूं कि वहां से कश्मीरी पंडित ही मायग्रेट नहीं हुए हैं, बल्कि लाखों की संख्या में मुसलमान भी मायग्रेट हुए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, समस्या यह है कि आप कोई नोटिस नहीं देते।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : यह बात ठीक है कि मायग्रेट लोगों में 80 से 90 फीसदी कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन मल्होत्रा साहब को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के अलावा मिलिटेंसी के समय लाखों की तादाद में मुस्लिम भी मायग्रेट हुए हैं, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं – खाह वह पॉलिटीशिन हो, ब्यूरोक्रेट हो या बिजनैसमैन हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : मैं दो बातों का क्लैरीफिकेशन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्लैरीफिकेशन मत दीजिए। आप तो मंत्री जी से क्लैरीफिकेशन लीजिए।

[अनुवाद]

मैं इसे बहस में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : 24 हजार लोगों को रोजगार दिया गया। जो इन्होंने कहा, बिलकुल दुरुस्त नहीं है। इन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्वैश्चन पूछिये।

[अनुवाद]

यदि एक बार नियम तोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : रियासती सरकार ने 24 हजार जॉब और नौकरियों की जगह खाली की। रियासत–ए–जम्मू–कश्मीर के पढ़े–लिखे बेरोजगार नौजवानों को, उसके बीच कश्मीरी पंडितों का जो रेसियो बनता है, उनकी आबादी के तहत उनको मिलना चाहिए, *...

आज मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्ष में किसी कश्मीरी पंडित से कश्मीर के अन्दर ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, इन्होंने यह बात जो कही, ये आंकड़े बता दें, उस आदमी का नाम बता दें, जो इन्होंने यह कहा है। *... किस मंदिर में पिछले 10 वर्षों में कोई नुकसान पहुंचा है, इन्होंने ऐसा हाउस में कहा है, जिससे मैं समझता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं। आपने कोई प्रश्न पूछा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे कार्यवाही वृत्तांत दिखाइये, मैं इसे देखना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि अभी कश्मीर के अन्दर भी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कुछ कमरे बनाने की व्यवस्था सरकार ने की, उसका पैसा रखा है, जम्मू के अंदर पिछले साल हमारे ऑनरेबिल प्राइम मिनिस्टर भी गये, इन्होंने भी अपनी हुकूमत 6 वर्ष तक हिन्दुस्तान के अन्दर की, लेकिन वे लोग खड्डों और नालियों के अन्दर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2–2 कमरे और बनाने का आदेश दिया, जो हजारों की तादाद में जम्मू के अन्दर बने रहे हैं, चाहे उनके वापस जाने की बात है, वे जायें, न जायें, कब जायें, लेकिन सरकार ने हर आदमी के लिए व्यवस्था कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत खुश की बात है।

[अनुवाद]

यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

12.27 बजे आपने नोटिस दिया। श्री रघुनाथ झा, अगर क्वैश्चन पूछना है तो पूछिये।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए। कृपया मुझे कार्यवाही वृत्तांत दिखाइये। मैं इसके प्रत्येक शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है कि आप अवसर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : सिर्फ क्वेरचन पूछना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना आभार प्रकट करता हूं कि मैं सिग्नेटरी नहीं था, फिर भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम तो मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम रूल के मुताबिक चलेंगे।

श्री रघुनाथ झा : महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर, कश्मीरी पंडितों के सवाल पर माननीय मल्होत्रा जी ने प्रश्न उठाया, लेकिन उनकी दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के साथ-साथ कम्युनल भावना को ये छोड़ नहीं सकते, राजनीतिकरण करने की इनकी लाचारी है, इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सर्वविदित है कि 18 वर्षों से यह समस्या है यह कोई इनके टाइम में नहीं आई, उनके टाइम में नहीं आई, 18 वर्षों से कश्मीरी पंडित या जो कोई भी विस्थापित होकर दिल्ली से आये और जम्मू में, दिल्ली में, नगरोटा में, दूसरी जगह पर बसे हुए हैं, उनकी संख्या के मुताबिक, उनकी आवश्यकता के मुताबिक उनका जो नुकसान हुआ है, उसके मुताबिक केन्द्र सरकार क्या कोई सर्वे कराकर, दिलचस्पी लेकर इसकी भरपाई करने का कोई विचार करती है या नहीं, यही हम स्पष्ट करके जानना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें। माननीय मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है। वे यहां उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : श्रीमन्, श्री मल्होत्रा जी ने कुछ प्रश्न उठाये हैं। उस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक नौकरी देने का सवाल है, यह सरकार का प्रयास रहेगा कि जिनको भी नौकरी की जरूरत है, जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरे प्रान्तों में भी, उनको नौकरी दी जायेगी। कानून के मुताबिक जिस प्रकार से हम उनकी मदद कर सकते हैं, वह करने का हमारा नजरिया रहेगा और उसी दृष्टि से कदम उठाये जायेंगे। घर दिये जाने के संबंध में भी प्रश्न उठाया गया। घर की जो संख्या यहां पर बताई गई है, वह बहुत बड़ी नहीं है। अगर इस संबंध में कोई शंका मल्होत्रा जी के मन में उपस्थित हुई, तो कोई गलत बात नहीं है। मगर सरकार का यह दृष्टिकोण है कि जो भी वापस जम्मू-कश्मीर में जायेगा, वह सरकार के बनाये हुए घर में जाकर नहीं रहेगा, बल्कि खुद के घर में जाकर रहेगा। अगर खुद के घर में जाकर रहने में कुछ समय के लिए दिक्कत है, तो उस समय के लिए इस प्रकार के घरों की व्यवस्था की गयी है। इसलिए हमें ऐसे घरों की संख्या कम नजर आती है। मगर हमारा दृष्टिकोण यही है कि जहां तक हो सके अपने घरों में जाकर वे वहां पहले की तरह रहें। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनकी रक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

हिंदू मंदिरों की बात भी आपने कही। मंदिर हिंदू का हो या ईसाई का हो या इस्लाम में भरोसा करने वाले भाइयों का हो, वह एक ही चीज है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में जो दो मंदिर हैं, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है? इसके विस्तार में जाकर मैं कहना नहीं चाहूंगा। मगर किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति श्रद्धा रखकर उस मंदिर के रख-रखाव के लिए कोई मदद करना चाहता है, तो उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप मत करिए। लेकिन जो भी मंदिर जम्मू-कश्मीर में हैं, उनके रख-रखाव के और उनकी देखभाल का जिम्मा वहां के सारे भाईयों ने लिया है। यह जिम्मा लेते समय भी दूसरों को उस मंदिर से दूर रखने का ख्याल वहां नहीं किया गया है। यहां सबसे बड़ी बात है कि सब धर्म को मानने वाले लोग, इन मंदिरों को भी मानते हैं। यह सबसे बड़ी और अच्छी बात है और इसका हम ध्यान रखेंगे। रासा सिंह रावत जी ने कहा कि यहां बहुत से लोग बाहर रह रहे हैं, क्या उनको वापस भेजने का प्रयास करेंगे? हम जरूर इसके लिए प्रयास करेंगे। जब भी वे कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं या मुझसे मिलते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि अगर आप वहां जाएंगे, तो आपकी सुरक्षा करने का हमारा हमेशा प्रयास रहेगा और आप वहां जाएं। कभी-कभी वह मान लेते हैं, लेकिन कई बार वे नहीं मानते हैं, इसलिए यह दिक्कत है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा सुरक्षा देने की दृष्टि से सरकार ने जम्मू-कश्मीर में किस प्रकार के कदम उठाए हैं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार की फोर्सेज को वहां रखा है, किस प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं, यह बार-बार बताने

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की जरूरत नहीं है। एक बात सही है और आपने भी यहां पर कहा है, पिछली सरकार ने भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया था, वह यह है कि जो घर दिए गए हैं, वहां से आने वाले लोगों को यहां पर और वहां पर भी, कश्मीर से जम्मू आने वाले लोगों को या जम्मू से दिल्ली और दूसरी जगह जाने वाले लोगों को, वे घर छोटे हैं और वे छोटे घरों में रहते हैं। उनको वहां रहने में तकलीफ होती है। उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए कदम उठाये गए हैं। खासकर प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए बड़ी राशि दी है और उनके लिए घर एक रूम का नहीं, बल्कि दो रूम का बनाकर देने का प्रयास किया है। पहले की सरकारों ने क्या किया है? उसके आंकड़े भी मेरे पास हैं, मगर हम तू–तू मैं–मैं करके ऐसे सवाल पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। पांच साल के अंदर क्या हुआ या दो साल के अंदर क्या हुआ? यह चर्चा करने की जगह नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो दृष्टिकोण है कि किसी भी भाई को तकलीफ होती है, तो उसकी तकलीफ किस प्रकार से दूर करायी जाए, इसके लिए प्रयत्न करना और विचार करने का जो आपका प्रयास है, वह बहुत अच्छा प्रयास है। उसकी हम कदर करते हैं और उसी प्रकार से हम करने की जरूर कोशिश करेंगे।

अपराह्न 12.54 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एक बात और कही गई कि वहां की जो लोगों की जायदाद है, वह सरकार ने ली और उसका मुआवजा उनको नहीं दिया गया। मेरी दृष्टि से यह बात चर्चा में आयी थी और जब मैं दो–तीन बार वहां गया था और वहां की सरकार और अधिकारियों से बात की। तब मुझे बताया गया कि ऐसा नहीं हुआ है। मगर ऐसा हुआ है, तो उसके इलाज का जिम्मा वहां की और यहां की सरकार की है और हम जरूर करेंगे। किसी की भी अगर कोई अप्लीकेशन हमारे पास आए जिसकी जायदाद सरकार ने ली है और उनको मुआवजा नहीं दिया है, तो मैं इस सदन में खड़ा होकर कहना चाहूंगा कि कानूनन उनको जो मिल सकता है, वह देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी, वहां की सरकार की होगी।

रघुनाथ जी ने भी यही प्रश्न उठाया था। इसे हम जरूर करेंगे। ...*(व्यवधान)* कॉल जी के साथ मेरी बहुत बार चर्चा हुई है। ये बहुत सुलझे हुए और समझदार अधिकारी हैं। उनकी राय से हम जितना कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश जरूर करेंगे। कॉल अटेंशन मोशन में पूरी तरह बारीकी में जाकर कहना बहुत मुश्किल है। प्रश्न है, नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। उसे बड़े कामयाब तरीके से हल करने और कम करने का प्रयास किया गया है। उसके बावजूद भी प्रश्न को समझकर उसके बारे में कदम उठाना बहुत जरूरी है।

मेरी सदन के सम्मानित सदस्यों से एक ही विनती है कि इस सदन में जो भी कहा जाएगा, उसके सामने हमें सिर झुकाना बहुत जरूरी है और हम वैसे ही करेंगे। इसीलिए जो भी कहें, वह तथ्यों से परे न हो। अगर तथ्यों को छोड़कर राजनीति के लिए तोड़–मरोड़कर कहा जाये या उसे कौन्टैक्स्ट से अलग करके कहा जाए तो आपकी बात का उपयोग नहीं होता और यहां से बोलने का भी कोई उपयोग नहीं होता। हमारी एक ही विनती है कि आप जो कहेंगे, उसके ऊपर अमल करने की जिम्मेदारी यहां बैठे हुए लोगों की है और उसे निभाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन बात कहते समय तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर न कहें। ...*(व्यवधान)* धर्म या जाति के नाम पर भाई–बहनों में झगड़ा पैदा न हो, इसे ध्यान में रखें। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, धर्म के नाम पर झगड़े का क्या मतलब है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। उन लोगों की समस्या बहुत भयंकर और भीषण है। उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम इसके प्रोटैस्ट में सदन से वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 12.56 बजे

(प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 12.57 बजे

(दो) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की मानव विकास प्रतिवेदन में उल्लिखित ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित भारतीय जलवायु के कारण उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के मानव विकास प्रतिवेदन में यथाप्रतिवेदित ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित भारतीय जलवायु पर उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

***पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) :** मैं माननीय संसद सदस्य श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव,

---

* पटल पर रखा गया। दैखिए संख्या एल.टी. 5517/2008

[श्री ए. राजा]

जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, मानव विकास रिपोर्ट में यथा–सूचित भारत की जलवायु स्थिति पर प्रतिकूल ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, उत्तर देना चाहूंगा और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा।

यह सच है कि मानव विकास रिपोर्ट 2006 में उल्लेख है कि "बहुत से मॉडल यह सुझाते हैं कि मानसून, वर्षचक्र परिवर्तित हो जाएंगे।" जलवायु परिवर्तन प्रभावों का मूल्यांकन और व्यवहार्यता के लिए भौतिक, जैविक और सामाजार्थिक मॉडल, विधियां, साधन और आंकड़ों की अनेक रूप से आवश्यकता होगी। इस प्रकार यह एक बहुत ही जटिल घटना है। मानसून अपने आप में ही एक जटिल घटना है, यद्यपि मानसून के बारे में हमारी सूझबूझ में सुधार हो रहा है, तथापि इसकी जटिलताओं के बारे में अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है।

मॉडलिंग अध्ययनों के संभावित प्रभावों को भली प्रकार समझने की अपनी उपयोगिता है। तथापि, दिखाए गए जलवायु परिवर्तन प्रभाव न केवल जलवायु मॉडलों की विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं, बल्कि इससे अधिक महत्वपूर्ण रूप से ग्रीन हाउस गैसों के वातावरणीय सांद्रणों पर परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं जो बदले में वैश्विक उत्सर्जन मार्गों पर निर्भर करते हैं, और पुनः ये भविष्य के वैश्विक आर्थिक पैटर्नों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार हम आज तक गम्भीर वैज्ञानिक अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर–शासकीय पैनल (आईपीसीसी) ने अपनी तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट 2001 में नोट किया है कि औद्योगिक क्रान्ति के काल से वातावरण में कार्बन–डाइआक्साइड का सांद्रण प्रति मिलियन 280 से बढ़कर 368 अंश हो गया है।

अपराह्न 1.00 बजे

जबकि अप्रत्याशित अनिश्चितता पर बल देते हुए, इस पैनल ने विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि सन 2100 तक मानव गतिविधियों की वजह से कार्बन डाइआक्साइड 540–970 अंश प्रति मिलियन कर रेंज में होगा। इसके परिणामस्वरूप, 1990–2050 ग्लोबल मीन तापमान 0.8 से 2.8 डिग्री सैल्सियस तक बढ़ सकता है और 2100 तक यह 1.4 और 5.8 डिग्री सैल्सियस के बीच तक बढ़ सकता है। इसके अलावा, पैनल ने 21वीं सदी के दौरान, इसके प्रवाह के स्तरों में फेरबदल का अनुमान लगाया है, जो दोनों प्रकार से पिछले 50 वर्षों में देखी गई रेंज में बढ़ और घट सकता है, जो कि विशिष्ट स्थल पर निर्भर करता है, जिसका कारण मानव गतिविधि हो सकती है। आई पी सी सी की चौथी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है जो अगले वर्ष तक निकल जायेगी। आशा है कि आई पी सी सी की चौथी रिपोर्ट वैज्ञानिक अनिश्चितताओं को एक हद तक को कम कर सकेगी।

ऐसी उग्र घटनाओं के लिए इस समय वर्तमान रुख का आकलन करने के लिए अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध है, और जलवायु मॉडलों में इस समय उन आकाशीय ब्यौरों की कमी होना है जिससे कि एक विश्वसनीय परिदृश्य बनाया जा सके। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रिपोर्ट में एशियाई मानसूनों के लिए मॉडलिंग के उभरते परिणामों का उल्लेख है, न कि केवल भारतीय मानसून के लिए।

जलवायु परिवर्तन की भू–मंडलीय चुनौती का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मई, 1992 में यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू एन एफ सी सी सी) जो कि 21 मार्च, 1994 को लागू हुआ तथा इसके क्योटो प्रोटोकोल को जोकि 16 फरवरी, 2005 को लागू हुआ, अंगीकृत किया था। भारत यू एन एफ सी सी सी तथा क्योटो प्रोटोकाल का एक पक्षकार है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य, वातावरण में ग्रीन हाउस गेस सांद्रणों को ऐसे स्तर तक स्थिर रखना है कि जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक एन्थ्रोपोजेनिक हस्तक्षेपों को रोका जा सके। यह स्तर उस समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाना है जो पारि–प्रणालियों को प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने के लिए पर्याप्त हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए कोई खतरा न हो तथा आर्थिक विकास सतत रूप से होता रहे। यू एन एफ सी सी सी सतत आर्थिक विकास तथा गरीबी कम करने से संबंधित विकासशील देशों की न्यायसंगत आवश्यकता को स्वीकार करती है। यह अवश्यक महसूस किया जाना चाहिए कि विकासशील देश अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों के मौजूदा प्रति व्यक्ति कम स्तर होने के कारण इस समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों में कमी करने के लिए बहुत अधिक लागत आएगी। ग्रीन हाऊस गैस कम करने से संबंधित वैश्विक बोझ शेयर करने का प्रश्न जलवायु परिवर्तन संबंधी इस बहस का एक साझा मुद्दा है।

क्योटो प्रोटोकाल एक महत्वपूर्ण करार है, क्योंकि यह मध्य और पूर्वी यूरोप की परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं सहित विकसित देशों को ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों का स्तर वर्ष 2008–2012 के दौरान 1990 से नीचे औसतन 5.2 प्रतिशत कम करने का वचन देता है। हालांकि भारत एक विकासशील देश है और इसकी कोई न्यूनीकरण वचनबद्धताएं नहीं हैं, तथापि हम एक सतत विकास के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण तथा बेहतर ऊर्जा क्षमता सुनिश्चित

करने के साथ–साथ नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित कर रहे हैं।

विकास के क्रम में हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों से निर्धन लोगों को मानसून सहित जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के अनुकूल ढलने में मदद मिल सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि आई पी सी सी की चौथी रिपोर्ट उपलब्ध होने पर जो तस्वीर उभरेगी उसका हम अध्ययन करेंगे। सरकार जलवायु परिवर्तन की समस्या की गंभीरता के प्रति सजग है और इस उभरती स्थिति का अध्ययन, विश्लेषण करने तथा इसके अनुकूल तालमेल बिठाने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। विश्व तापमान में वृद्धि के भारत पर आसन्न घातक प्रभावों के बारे में हमें भयावह संकेत और चेतावनियां मिल रही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 1996–2005 का पिछला दशक पृथ्वी के इतिहास में सबसे गर्म दशक रहा है। इसलिए, महोदय, चाहे हम जो कुछ भी करें हमें मौसम में परिवर्तन के अनुसार अपने को ढालना होगा। यह एक ऐसी घटना है जिससे हमें समझौता करना ही होगा।

मौसम में परिवर्तन तथा अवक्षेपण स्तर कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है जिसमें प्राकृतिक और मानवीय प्रणाली, कृषि से जल संसाधन, वानिकी, जैव–विविधता, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और अवसंरचना भी इसमें सम्मिलित है।

[हिन्दी]

आज यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन भविष्य को देखते हुए अगले 10–15 सालों में अगर हमने इस पर जागरूकता से काम नहीं किया, तो अंत में चाहे वह व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो या शहरी क्षेत्र में, हरेक व्यक्ति के जन–जीवन पर यह पूरी तरह प्रभावित होगा। इसलिए यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हम देश में इस मुद्दे पर चर्चा करें।

[अनुवाद]

इस मुद्दे का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि आबादी का 70 प्रतिशत कृषि पर आश्रित है।

महोदय, मौसम परिवर्तन के साथ प्रकृतिसिद्ध नियम जुड़े हुए हैं और तदनुसार इससे सतत विकास भी प्रभावित होता है। मैं माननीय मंत्री को ही उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने मौसम परिवर्तन संबंधी इंटर–गवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट से उद्धृत किया था जिसमें कहा गया है:

"मानव निर्मित मौसम परिवर्तन में पृथ्वी की प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने की क्षमता है जिसका स्थानीय या वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार पैदा होने वाली घटनाओं की संभाव्यता को सही तरह से समझा नहीं जाता लेकिन इसके परिणामों की गंभीरता को देखते हुए इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।"

इसलिए, मौसम में बदलाव के इस विकास से जुड़े निहितार्थों का गंभीर और विनाशकारी प्रभाव होगा। हमारे देश के उत्तरी भाग में ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और इस प्रकार हमारी नदियों में न केवल जल का बहाव बढ़ जायेगा, अपितु इस जलबहाव से जल बर्बाद होता रहेगा और हम भू–जल को रिचार्ज नहीं कर पायेंगे। इसलिए हमारे समक्ष जल की उपलब्धता की समस्या तथा जलाभाव की समस्याएं पैदा होंगी।

आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से गुजरात तक, पूरे देश में, फसल की पैदावार में कमी आयेगी और यह सिद्ध हो चुका है कि यदि तापमान में दो डिग्री या अधिक की वृद्धि के साथ ही फसल की पैदावार, गेहूं से लेकर अन्य सभी फसलों की पैदावार सीधे तौर पर कृषि उपज और उत्पादकता पहले ही अलंकृत है और इससे आज और अधिक बाधित होगी। नाशक कीटों और कीड़ों–मकोड़ों की संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि अधिक तापमान में इनकी वृद्धि तेजी से होती है। वायु–प्रदूषण मरुस्थल का विस्तार और जैवविविधता के नुकसान होने की घटना भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सतही तापमान में भी लगभग 5 डिग्री सेलशियस की वृद्धि होगी और ग्रीष्मकालीन मानसून में 20 प्रतिशत की वृद्धि से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ तथा कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जायेगा। हमारे देश में जलीय चक्र भी बदल जाएगा। एक ओर कृष्णा, नर्मदा, कावेरी और ताप्ती नदी थालों में गंभीर जलाभाव और जल की कमी देखने को मिलेगा जबकि दूसरी ओर महानदी, गोदावरी और ब्रह्माणी नदी थालों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जायेगी। तापमान में वृद्धि के कारण हमारा सकल घरेलू उत्पाद 0.67 प्रतिशत तक प्रभावित होगा और समुद्र तल में 100 से.मी. की बढ़ोत्तरी हो जायेगी जिससे प्रतिवर्ष 1.3 बिलियन डॉलर के लगभग कल्याणकारी कार्यों पर खर्च के रूप में हानि उठानी पड़ेगी। देश में मलेरिया के मामलों में पहले से ही वृद्धि हुई है, और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में भी इस रोग के मामलों में वृद्धि होगी। इसका फैलाव और अवधि में भी विस्तार होगा।

विश्व बैंक के अध्ययन में भी पाया गया है कि मौसम में परिवर्तन और किसानों द्वारा आत्महत्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं।

[श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया]

[हिन्दी]

जो व्यक्ति ठीक से उत्पादन नहीं कर पाता है, वह ऋणदाता के ऊपर मजबूर हो जाता है और फिर उसको आत्महत्या ही करनी पड़ती है।

[अनुवाद]

पिछले वर्ष में केवल विदर्भ क्षेत्र में ही कम से कम तीन हजार किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसलिए, हमें समान रूप से हर क्षेत्र के लिए इस महाविपत्ति से लड़ना होगा। हम क्या कर सकते हैं? इस वर्ष नवम्बर में पूरे विश्व के देश इस मंच पर एकत्र हुए थे लेकिन सभी देशों ने केवल एक दूसरे पर दोषारोपण किया। मैं समझता हूं कि हम इस समस्या की गहराई में जाएं और इस समस्या का समाधान निकाल लें।

इसलिए, हमें दो उपायों के बारे में सोचना होगा। एक तो हम इसके अनुकूल बन जाएं। इस बदलाव का सामना करने के लिए हम अपने कार्य प्रणाली में कैसे बदलाव ला सकते हैं? दूसरा मार्ग इसे कम करने का है। हम अपनी ऊर्जा खपत को कैसे कम कर सकते हैं ताकि इस समस्या को रोका जा सके? जहां तक अनुकूलन की बात है हमें जल के उपयोग की दक्षता को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे जल का 80 प्रतिशत का उपयोग आज भी कृषि कार्यों में होता है जबकि शहरी क्षेत्र में आज भी बहुत पानी बर्बाद किया जाता है। इसलिए, हमें अपने जल संसाधनों के प्रबंधन में बदलाव लाना होगा और इस मामले में हम इसराइल से सीख सकते हैं जिसने ड्रिप सिंचाई का बहुत ही सफलतापूर्वक उपयोग किया है। इसके बाद हमें अपने सार्वजनिक सेवाओं के मूल्य को भी प्रभावी रूप से तय करना होगा। आज हमारे देश में विद्युत या जल का मूल्य निर्धारण प्रभावी रूप से नहीं किया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर इस सभा में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे 1 बिलियन लोगों का जीवन प्रभावित होने वाला है। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सार्वजनिक सेवाओं का मूल्य प्रभावी ढंग से निर्धारित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो आप अलग से सूचना दे सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदय, मैंने अवश्य ऐसा ही किया। कृपया, आज मुझे चंद मिनट और दिए जाएं।

महोदय, हमें अनुसंधान गतिविधियों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। हमें नये प्रकार के फसल विकसित करने की जरूरत है जो उच्च तापमान तथा उच्च लवणता के स्तर को भी सहन कर सकते हैं। हमें फसल की ऐसी किस्मों पर भी ध्यान देना चाहिए जो गरीब किसानों के लिए उपयुक्त हो। हमें कृषि संबंधी सूचना क्षेत्र में आई सूचना प्रौद्योगिकी के आधार को सम्पन्न बनाने और स्व–सहायता समूहों और जल उपयोग संघों को मजबूत बनाकर सिंचाई की क्षमता में अंतर को कम करने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास सूचकांक आधारित मौसम संबंधी जोखिम बीमा है। हमें आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जैसी और निजी कम्पनियों को लाना होगा और किसानों को न केवल क्षति के विरुद्ध बल्कि कम वर्षा के विरुद्ध भी बीमा करने की जरूरत है। यह एक नया उत्पाद है जो बाजार में आ रहा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार इस योजना पर अमल करे।

जहां तक प्रदूषण को कम करने की बात है हमें या तो ऊर्जा की खपत को कम करना होगा या कार्बन डाइऑक्साइड के विसर्जन को कम करना होगा जिसका माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला, क्या हम कार्बन का मूल्य निर्धारण या देश में उसके उपयोग पर कर लगाने की सोच रहे हैं? आज ग्लोबल ग्रीन हाऊस गैसों में भारत का योगदान केवल 3 प्रतिशत है जब कि विश्व स्तरीय औसत 5.2 प्रतिशत का है जिसमें कुल उत्सर्जन का 24 प्रतिशत अमेरिका का होता है। विकासशील देशों में हम कार्बन के कम उपयोग का श्रेय लेने वालों में अग्रणी होने की क्षमता रखते हैं। इसलिए क्या हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं।

दूसरी बात, निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी के नवीनीकरण तथा उसे लगाने की दिशा में सरकार का नीति समर्थन क्या है? तीसरी क्या हम ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के प्रवेश के लिए बाधाओं को दूर करने की दिशा में सोच रहे हैं? चौथी बात, लोगों को कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था की जरूरतों के बारे में जानकारी देने, शिक्षित करने, उन्हें सहमत करने के लिए हम कौन से कदम उठा रहे हैं?

अंत में, ड्रिप सिंचाई और स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की तथा स्वच्छता विकास तंत्र में बड़ी संख्या में परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए आपने 17000 करोड़ रुपये संस्वीकृत किये हैं। मैं समझता हूं कि इसे बढ़ाकर कम से कम 20,000 करोड़ रुपये, 25,000 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम बदलाव चाहते हैं तो उसे सख्ती से लागू करना होगा। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, "हमें परिवर्तन का हिस्सा बनना पड़ेगा यदि हम विश्व में बदलाव देखना चाहते हैं।" इसलिए, हम उस बदलाव की ओर अवश्य बढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं, मैं कुछ माननीय सदस्यों को केवल प्रश्न पूछने की छूट देता हूं।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण चावल की पैदावार पहले ही कम हो गई है, सी–फूड का उत्पादन भी कम हो रहा है, और हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों में कुल मिलाकर 2077 वर्ग कि.मी. से 1628 वर्ग कि.मी. तक की कमी आई है। और चार दशकों में 21 प्रतिशत ग्लेशियर पिघल गए हैं।

इस बात की हर संभावना है कि मालदीव जैसे देश कुछ वर्षों में जलमग्न हो जायेंगे और बंग्लादेश का एक बड़ा भाग भी डूब जायेगा। महोदय, कुल ताजे पानी का 30 से 50 प्रतिशत ग्लेशियर से मिलता है। यदि ग्लेशियर समाप्त हो जायेंगे तो इससे हिमाचल प्रदेश, असम और बाकी राज्यों में जल विद्युत उत्पादन प्रभावित होगा।

अपराह्न 1.12 बजे

(श्रीमती सुमित्रा महाजन पीठासीन हुईं)

महोदया, माननीय मंत्री से मुझे केवल तीन प्रश्न पूछने हैं। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अधिक से अधिक देशों को लाने के लिए विशेष–कर अमरीका को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है?

दूसरी बात, क्या सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक साधन या पर्यावरण हितैषी साधनों की खोज के लिए सरकार क्या कर रही है ताकि जीवाश्मीय ईंधन कम जलाए जायें और ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन कम न हो।

अंत में, इस देश में विशेषकर मेरे उड़ीसा राज्य में, अनेक तापीय संयंत्रों की स्थापना होने जा रही है। जी हां, अपने सकल घरेलू उत्पाद में उसे 8 से 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के लिए हमें विद्युत चाहिए। लेकिन क्या इन तापीय संयंत्रों से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि नहीं होगी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे राज्य में तालयर नामक स्थान में, एक ताप संयंत्र है। गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री सेलशियस तक चला जाता है और इस बार तापमान 52 डिग्री सेलशियस तक पहुंच गया था। इसलिए सरकार ताप विद्युत उद्योग इस प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए क्या कर रही है जिससे कि इसमें यूनिटों द्वारा पैदा की गई गर्मी को कम किया जा सके।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदया, मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि हमने इन दिनों कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में कानून को समायोजित करने के लिए इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि हम मध्याह्न भोजनावकाश को स्थगित कर देंगे ताकि हम इस विधेयक पर यथाशीघ्र चर्चा पूरी कर सकें। हम सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त करने के बाद हम विधायी कार्य शुरू कर सकते हैं और भोजनावकाश को स्थगित कर सकते हैं।

सभापति महोदया : मैं समझती हूं कि सभा इस बात पर सहमत है। हम ऐसा ही करेंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : भोजनावकाश को सदैव के लिए निलंबित करना अच्छा नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदया, ग्लोबल वार्मिंग किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। मैं सिंधिया जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत के संदर्भ में इस समस्या की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। विश्व पैमाने पर विभिन्न विश्व स्तरीय सम्मेलनों में इसकी चर्चा होती रही है, लेकिन इसके उपाय ढूंढने एवं इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

मैं सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विश्व स्तर के पर्यावरण मंत्रियों, इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं और साइंस और टेक्नालोजी मिनिस्टर्स हैं, क्या उन लोगों का कोई सम्मेलन भारत में करने का प्रोग्राम है ताकि समग्र रूप से इस समस्या के समाधान के लिए एक साथ बैठ कर और विश्व में मानवता की रक्षा के लिए कोई सार्थक कदम उठाया जा सके?

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल पूछने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। श्री सिंधिया ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल सदन के सामने प्रस्तुत किए हैं, फिर भी मैं सदन के सामने एक चीज लाना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। दो साल पहले भारत सरकार ने पर्यावरण चेंज पर एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें कहा गया था कि

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

[अनुवाद]

तापमान में प्रत्येक एक डिग्री की वृद्धि से भी मौसम में 7 प्रतिशत तक बदलाव आता है तथा 13 प्रतिशत तक राजस्व हानि होती है।

[हिन्दी]

यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। मैं इस तथ्य के प्रकाश में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इस स्थिति का सही मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तरफ बढ़े हैं?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत के योजना आयोग ने इन तथ्यों को गंभीरता से ग्रहण किया है, क्योंकि इनका जन-जीवन पर, कृषि पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है? विशेष तौर पर जो गरीबी हटाने की योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं, उन पर तो बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : उत्तर में दिए गए विवरण से सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि आज की तारीख में हमारे सामने गंभीर वैज्ञानिक अभिदिशतताएं हैं। यह गंभीर चिंता का मामला है क्योंकि सरकार आपने स्तर पर इस स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है।

दूसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। इसलिए, भारत को अभी भी उन देशों को राजी करना होगा जिन्होंने अभी तक क्योटो के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं क्योंकि यह विकासशील देश की जिम्मेदारी है जो हमें वसीयत में मिली है।

सभापति महोदया : नहीं, केवल एक प्रश्न पूछिये।

श्री अधीर चौधरी : महान वैज्ञानिक क्रिस थॉमस के अनुसार मौसम में बदलाव के प्रभावों को जैव-विविधता के लिए तीन बड़े खतरे, अर्थात्, आवास का नष्ट होना, बाहरी जीवों को आक्रमण और मानव द्वारा अत्यधिक शोषण, के रूप में समझा जाना चाहिए। विज्ञान के अनुसार, हम जानते हैं कि हमारी आदर्श मौसम-स्थिति के लिए हमें अपनी पृथ्वी के तापमान को 15 प्रतिशत तक रखना होगा क्योंकि हमारे पर्यावरण में कार्बन-डाईआक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा 95 प्रतिशत है।

सभापति महोदया : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री अधीर चौधरी : महोदया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

सभापति महोदया : और आपको एक छोटा प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री अधीर चौधरी : मैं पर्यावरण के प्रभारी माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आपको इस बात की जानकारी है कि मानव गतिविधियों के लिए आदर्श तापमान 15 प्रतिशत है। यदि ग्रीन हाऊस गैस न हो तो हमारे पर्यावरण की स्थिरता घटकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी।

इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत में मौसम में कोई परिवर्तन हुआ है। क्या आपने यह देखा है? क्या आपको कोई जानकारी है कि कितना प्रतिशत गैस विसर्जन होता है? क्या आपको हमारे ग्लेशियर के पिघलने की दर के बारे में कोई जानकारी है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखा गया है या नहीं जो कि मानव जीवन के लिए आदर्श है। हमारे ग्लेशियर के पिघलने का स्तर क्या है?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदया, व्यापक विनाश के हथियारों या एच आई वी एड्स के खतरे से भी बड़ा खतरा पर्यावरण में बदलाव से है जिसने संभवतः पूरी मानवजाति को बर्बाद कर दिया है, केवल मानव-जाति ही नहीं बल्कि दुनिया के जैव जगत को भी बर्बाद कर दिया है और इसलिए यह एक गंभीर मुद्दा है।

महोदया, मैं माननीय मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह केवल उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। वे केवल पर्यावरण मंत्री हैं। यह ऊर्जा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री और कई अन्य मंत्रियों की जिम्मेदारी है। इसलिए क्या सरकार एक उच्चाधिकार प्राप्त संस्थागत तंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है, संभवतः जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी होंगे जो मानवता को समाप्त करने वाली बड़ी चुनौती का समाधान करेगा, जी डी पी को भूल जाइये।

दूसरी बात, क्योटो-प्रोटोकॉल 2012 में समाप्त होने वाला है। हम इस प्रोटोकॉल की विशेषताओं को नहीं जानते हैं। वास्तव में, मौसम में बदलाव से निपटने के लिए इस प्रोटोकॉल की रूपरेखा विश्वस्तर पर उपलब्ध है। इसके समाप्त होने की स्थिति में हम यह नहीं जानते कि वास्तव में क्या होने वाला है।

मेरे प्रिय मित्र, श्री सिंधिया ने सी.डी.एम.; हरियाली विकास तंत्र के संबंध में एक बहुत ही संगत प्रश्न पूछा है। जब प्रोटोकॉल ही नहीं होगा तो सी.डी.एम. भी नहीं होगा। इसलिए, सरकार इस बात की योजना बना रही है कि विश्व के सभी देशों को शामिल करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2012 के बाद भी रूप रेखा उपलब्ध हो कैसे आगे बढ़ा जाए? इसके अलावा, विश्व के अन्य देश भारत पर दबाव

बना रहे हैं तथा यह कह रहे है, "आप सबसे अधिक गैस विसर्जित करने वाला देश हो। इसलिए आप एक वचन दो।" मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कहा है कि हमारा देश एक गरीब देश है और इसके समक्ष विकास की प्राथमिकताएं हैं और इसलिए हमें वचन देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। इस वैश्विक मांग के प्रति कि हमें वचन देना चाहिए, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? आप इससे कैसे निपटेंगे? क्या सरकार इन सभी मुद्दों पर एक श्वेत–पत्र जारी करने, सभी सांसदों को विश्वास में लेने तथा एक संस्था बनाने के बारे में सोच रही है जिसमें हम में से प्रत्येक भाग ले सके? यही बात पूरे देश के गरीबों को प्रभावित करेगी। यह धनी लोगों की समस्या नहीं है, यह गरीबों की समस्या है और इससे मानवता खत्म हो जाएगी। इसलिए, मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि वे इस प्रश्न का जवाब दें। मैं जानता हूं कि उनका मंत्रालय इस मामले में दोष अपने ऊपर लेने के लिए मात्र एक नोडल एजेंसी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सांसदों सहित, सभी को शामिल करें।

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : महोदया, मैं अब सीधा प्रश्न पर आता हूं।

हिमालय क्षेत्र भारत की मौसम स्थिति को निर्धारित करता है। यदि हिमालय नहीं होता तो पूरा उत्तरी भारत एक रेगिस्तान होता। पर्यावरण, जीवन, हिमालय क्षेत्र के चक्रों के संरक्षण के लिए सरकारे की ओर से बनने वाली कोई नीति मेरी नजर में नहीं आई है। माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष प्रश्न यही है। कुछ दिन पूर्व हिमालय विकास प्राधिकरण के निर्माण की बात चल रही थी। पूरे हिमालय क्षेत्र में पशु–जीवन, वन और नदी श्रृंखला प्रणाली की रक्षा के लिए इस समय सरकार क्या कर रही है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हिमालय क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करने का आपका कोई व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : महोदया, ग्लेशियर का घटना बड़े खतरे में से एक है। बर्फ–रेखा भी घट रही है। मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार हिमालय की पारिस्थितिकी और पर्यावरण को बचाने के लिए कौन से कदम उठा रही है?

क्या उन्होंने नदी–क्षेत्र का अध्ययन किया है कि विभिन्न धाराओं के विभिन्न जलग्रहण क्षेत्र में पानी की मात्रा क्या है? मैं उस रणनीत और नीति के बारे में जानना चाहूंगा जिससे नदी के विभिन्न जलग्रहण क्षेत्र आने वाले जल की मात्रा बढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे वन–नीति में परिवर्तन करने वाले हैं।

वन नीति में वन कार्यकारी योजना होनी चाहिए। भविष्य में एक उचित संभाव्य योजना इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए ताकि जलग्रहण क्षेत्र में हम जल की मात्रा बढ़ा सकें और पेयजल, सिंचाई और उद्योग की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसलिए, सरकार के पास इस प्रकार की नीति होनी चाहिए या नहीं?

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदया, हमें आज सुबह "नेशनल एन्वायर्नमेंट पॉलिसी 2006" किताब मिली है, इसके पृष्ठ 11 में लिखा है:

[अनुवाद]

इस नीति के तहत पर्यावरण संबंधी हितों को अंतर्राष्ट्रीयकरण में प्रोत्साहन मिलेगा, इसके साथ ही प्रोत्साहन–आधारित नीति लिखतों को ध्यान में रखते हुए, कि प्रदूषण फैलाने वाले को सैद्धांतिक रूप में प्रदूषण संबंधी खर्च को वहन करना चाहिए। शीर्षक 'पाल्यूटर्स' है। यह पृष्ठ संख्या 11 पर है।

[हिन्दी]

मेरा माननीय मंत्री जी से स्पष्ट प्रश्न है कि एन्वायर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत पृष्ठ 11 में पॉल्यूटर पेज की बात कही गई है, इसके लिए कब कानून बनाने जा रहे हैं?

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदया, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदया : मैंने पहले बहुत सदस्यों को एलाऊ किया है और आपकी पार्टी की तरफ से भी एलाऊ किया है।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य, श्री माधव राव सिंधिया, जो यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये तथा अन्य सदस्यों, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की, का धन्यवाद करता हूं।

सभा में व्यक्त विचारों को देखते हुए जिसके प्रस्तावक के विचार भी सम्मिलित हैं, मैं मोटे तौर पर इन मुद्दों को दो भागों में विभाजित कर सकता हूं। पहला, मौसम में परिवर्तन का कुल प्रभाव क्या है? हमें घरेलू स्तर पर कुछ करना होगा। सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर कौन–कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? दूसरी तरफ, दूसरा प्रश्न है कि मौसम में परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ढांचा सम्मेलन तथा क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम परिवर्तन के संबंध में क्या कार्य कर रहा है?

[श्री ए. राजा]

हम पहले मुद्दे पर चर्चा करेंगे 'जी, हां', यह सत्य है। वस्तुतः अधिकांश सदस्यों ने इस संबंधी में अपने विचार व्यक्त किये कि मौसम में परिवर्तन का प्रभाव क्या है तथा घरेलु मानदंड क्या हैं। घरेलु मानदंड कृषि, वानिकी जिसमें जैव–विविधता, तटीय क्षेत्र, समुद्री स्तर का उठना, जल संसाधन सम्मिलित हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने हिमालय या अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर के पिघलने के बारे में चिंता व्यक्त की थी, जिसमें मानव–स्वास्थ्य की देख–रेख, सुपुर्दगी प्रणाली सम्मिलित है जिसमें रोगवाहक जनित बीमारियां भी सम्मिलित हैं जिसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है।

यद्यपि यहां कुछ आरोप लगाए गए हैं, यह सही है कि किसानों की आत्महत्या से मौसम परिवर्तन का कोई सीधा संबंध नहीं है। हो सकता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो। लेकिन सभी घरेलु जरूरतों की चर्चा करते हुए, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौसम परिवर्तन से संबंध हो, हम कह सकते हैं कि ये सारे मुद्दे विभिन्न मंत्रालय से जुड़े हैं। लेकिन जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है गैसीय उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए वाहनों, उद्योगों और अन्य क्षेत्रों से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में वर्णित मानकों को दिन–प्रतिदिन अद्यतन किया जा रहा है। हम रोज नये–नये अद्यतन नियम बना रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किये गए नियमों के तहत इस पर विचार किया जा रहा है।

मौसम परिवर्तन के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र वृक्षारोपण पर है। कार्बन उत्सर्जन और अन्य उत्सर्जनों में कटौती के मामले में वृक्षारोपण का अपना अलग महत्व है। इसलिए, वृक्षारोपण का कार्य इस मंत्रालय के राष्ट्रीय वृक्षारोपण इको बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। वानिकी को बढ़ावा देने के लिए दसवीं योजना अवधि में हम 1200 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं।

महोदय, मौसम में बदलाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संबंध में मुझे दूसरे पक्ष में जाने की अनुमति दी जाये। जैसा कि माननीय सदस्य, श्री महताब ने कहा है, मौसम में बदलाव को प्रादेशिक सीमाओं के भीतर सीमित नहीं किया जा सकता न ही उसके भीतर उसकी व्याख्या की जा सकती है और न ही उसे मापा जा सकता है। भारत द्वारा, भारत जैसे विकसित देशों द्वारा या चीन जैसे कुछ अन्य देशों द्वारा मौसम में बदलाव को कम करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम इस पर विजय पा सकते हैं और क्योटो प्रोटोकॉल या संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे के तहत हमने जो सोचा है, मौसम में बदलाव संबंधी अपनी उस वचनबद्धता को हम पूरी तरह पूरा कर लेंगे।

महोदया, यह सब की जिम्मेदारी है। क्योटो प्रोटोकॉल में प्रथम वाक्य में ही यह कहा गया है कि यह एक साझा प्रतिबद्धता है लेकिन जिम्मेदारियां भिन्न–भिन्न हैं। भारत में गैसीय उत्सर्जन निश्चित सीमा के भीतर ही है। विकसित देशों की तुलना में हम वायु प्रदूषण फैलाने वाले नहीं हैं। हम पूरे विश्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद देश में विकास संबंधी गतिविधियां तेजी से चल रही हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत ही स्पष्ट हैं और वैज्ञानिक तरीकों से यह साबित हो चुका है कि हमारा उत्सर्जन स्तर तीन प्रतिशत से कम है, जो हमारी आबादी को देखते हुए निश्चित सीमा के अंदर है।

क्या किया जा सकता है? हमारे समक्ष दो लिखत उपलब्ध हैं। पहला क्योटो प्रोटोकॉल है और दूसरा, मौसम में परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा है। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भारत द्वारा क्या–क्या प्रयास किये जा रहे हैं और अन्य देशों जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, को इसके दायरे में कैसे लाया जा सकता है। पूरी निष्ठा के साथ मैं इस सभा से कह सकता हूं कि भारत के लिए यह एक कठिन कार्य है क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है और हम गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं और देश में अन्य औद्योगिक विकास में वृद्धि आवश्यक है तथा इस कारण हम अपने देश में उत्सर्जन को कम करने के संबंध में कोई वचनबद्धता नहीं दे सकते।

इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की उत्सर्जन के बारे में कोई चिंता नहीं है। हमारी अपनी प्रणाली है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 आदि के अंतर्गत कुछ कानूनी कदम उठाये गए हैं। इस संबंध में विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम बहुत दृढ़ हैं कि हम उत्सर्जन कम करने के लिए कोई वचनबद्धता नहीं दे सकते। कुछ माननीय सदस्य, जिसमें मेरे पूर्ववर्ती श्री सुरेश प्रभू भी इस विषय पर बोले थे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : यह बतायें कि हस्ताक्षर करने वाले हैं या नहीं। क्योंकि इटली ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। कम से कम इटली से प्रेरणा लेकर आप सदन में इस बात का आश्वासन दें कि आप क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले हैं या नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : मैं इस मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा। ...*(व्यवधान)*

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : हमने पहले ही इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : लक्ष्मण सिंह जी, यह सही तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री ए. राजा : मेरे पूर्ववर्ती श्री सुरेश प्रभू ने यह जानना चाहा था कि अमेरिका को क्योटो प्रोटोकॉल के दायरे में लाने के लिए क्या कोई प्रयास किया जा रहा है। एक प्रयास हुआ था। यह सत्य है कि अमरीका, आस्ट्रेलिया और कुछ अन्य विकसित देश क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने में इच्छुक नहीं थे और इस प्रकार वे अपने देशों में उत्सर्जन में कटौती के लिए वचनबद्धता देने में सक्षम नहीं थे। लेकिन इसके साथ ही इसका मतलब यह नहीं है कि अमरीका और आस्ट्रेलिया गैसीय उत्सर्जन में कटौती के प्रति एकदम चिंतित नहीं हैं। अमरीका के अपने कानून हैं। जब हम वहां गये और उनके साथ वार्ता की तो हमने पाया कि अमरीका में राज्य–वार प्रांतीय राज्यों के भी अपने–अपने नियम हैं और उत्सर्जन को कम करने के संबंध में भी उनके अलग–अलग कानून हैं।

लेकिन आस्ट्रेलिया ने क्योटो प्रोटोकॉल का स्वागत करते हुए एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से एक सम्मेलन आयोजित किया था। यद्यपि वे खुद को क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर सम्मिलित नहीं कर रहे हैं लेकिन उसने क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर इस समस्या का समाधान के लिए कुछ अन्य देशों को इकट्ठा करते हुए प्रयास किया है। भारत ने पार्टनरशिप की बैठक में भाग लिया जो पिछले वर्ष सिडनी में सम्पन्न हुई थी और जिन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया था वे बिना किसी प्रतिबद्धता के गैसीय उत्सर्जन को एक निश्चित सीमा तक कम करने के लिए तैयार थे। हमने महसूस किया कि यह क्योटो प्रोटोकॉल के लिए एक अच्छी बात हो सकती है और इसलिए हम पार्टनरशिप में अमरीका और आस्ट्रेलिया के साथ हो लिए थे।

घरेलू स्तर और अंतराष्ट्रीय स्तर पर ये सभी प्रयास किये जा रहे हैं। भारत की स्थिति सीमित है। सीमित दायरे के साथ जो भी सर्वोत्तम हो, जिसे भारत सरकार कर सकती है, हम कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

अपराह्न 1.34 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 32वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 13 दिसम्बर, 2006 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 32वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 13 दिसम्बर, 2006 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 32वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.35 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि नियम 377 के अंतर्गत मामलों को सभा पटल पर रखा समझा जाये।

सभापति महोदया : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे गए समझे जाएं।

(एक) प्रजापति/कुम्हार समुदाय को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान प्रजापति (कुम्हार) जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं, जिससे इस जाति को संविधान में सभी क्षेत्रों में आरक्षण दिये जाने की सुविधाएं मिल सकें। प्रजापति जाति का प्रतिशत देश की जनसंख्या में छः प्रतिशत है, आजादी के बाद भी इस जाति का सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकास नहीं हुआ है तथा यह जाति इन सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजातियों में सबसे पिछड़ी है। 1911 की जनगणना में जाति को सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा होने से दलित जाति में रखा गया है। 1931 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी कुम्हार जाति को दलित जाति की सूची में रखा गया था। केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा कई आयोग/समितियां गठित की गई थी इनकी भी यह सिफारिश है कि यह जाति पिछड़ी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर रीवा, सतना, सीधी जिलों में कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में रखा गया है जिससे वे सभी सुविधाएं तथा आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

---

*सभा पटल पर रखे गये।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर संविधान में संशोधन कर कुम्हार/प्रजापति जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति में सम्मिलित किया जाये।

(दो) ब्रह्मपुत्र नदी को प्रदूषणमुक्त करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज) : देश के लगभग सभी नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। यह जानकर खुशी हुई है कि गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित कुछ घनी आबादी वाले महानगरों/शहरों में जल की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है और 20 राज्यों में फैली 34 प्रदूषित नदियों के किनारे बसे 160 शहरों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) जो केन्द्र प्रायोजित योजना है, क्रियान्वित की जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और यह पूरे असम तथा कुछ पड़ोसी राज्यों के लोगों की जीवन रेखा समझी जाती है। अनियंत्रित औद्योगिक अपशिष्टों तथा शहरी अवजल को इसमें छोड़े जाने के कारण इस नदी का जल बहुत दूषित हो गया है तथा प्रदूषण स्तर बहुत बढ़ गया है। गुवाहाटी ने 16 मिलियन से अधिक लोगों तथा इस नदी के किनारों पर रहने वाले कई मिलियन लोग जलजनित बीमारियों का खतरा है। पशुधन, मछलियों और फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। दुर्भाग्य से असम को एन.आर.सी.पी. की सूची में शामिल नहीं किया गया है। असम अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है जो गंभीर बेरोजगारी और गरीबी से प्रभावित है। यहां के अधिकांश लोगों को प्रदूषण के बारे में जानकारी नहीं है और उनके पास स्वच्छ पेयजल के लिए कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। इसलिए निकट भविष्य में मेरा राज्य न केवल आर्थिक रूप से पिछड़ जायेगा बल्कि शारीरिक रूप से बीमार भी हो जायेगा। इसलिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वह तत्काल कदम उठाए ताकि राज्य सरकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी के स्थाई अभियान को युद्ध स्तर पर चलाए।

(तीन) गुजरात के नवसारी जिले के चिखली में रसोई गैस एजेंसी खोले जाने की आवश्यकता

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी (मांडवी) : गुजरात के नवसारी जिले का चिखली तालुका एक शहर है जिसकी आबादी तीन लाख पच्चीस हजार है। इस क्षेत्र की आबादी का 75 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है। यह शहर मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। चूंकि चिखली में कोई गैस एजेंसी नहीं है इसलिए इस शहर के लोगों को गैस कनेक्शन लेने के लिए तथा खाली सिलिंडर को भरवाने के लिए पास के शहर में जाना पड़ता है। चिखली के लोगों की जायज समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि चिखली में शीघ्र गैस एजेंसी खोली जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को बिना किसी भारी असुविधा के रसोई गैस की आपूर्ति हो सके।

(चार) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु पुलिस बल में एक पृथक विभाग का सृजन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रिया दत्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, प्रत्येक वर्ष 12 मिलियन कन्याएं जन्म लेती हैं जिसमें से 15वें वर्ष तक 3 मिलियन जीवित नहीं रहती हैं। प्रत्येक चार में से एक बालिका तथा 7 बालकों में से एक बालक का यौन शोषण होता है। 16 मिलियन बाल श्रमिक हैं तथा यह सभी बच्चे मानव अधिकारों के उल्लंघन का शिकार होते हैं। 40 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या 18 वर्ष से नीचे है, जिससे हमारा देश विश्व की सबसे अधिक बच्चों की जनसंख्या वाला देश बन जाता है।

हाल ही में एनडीटीवी द्वारा गाजियाबाद में चलाए गए एक गुप्त आप्रेशन के दौरान एक आश्रम का भेद खोला गया जिसमें 65 अनाथ युवा बालिकाएं थीं जिनमें से अधिकांश मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं। उस रिपोर्ट में आश्रम के प्रमुख द्वारा शारीरिक एवं यौन शोषण को रिपोर्ट में यह बात प्रकाश में लायी गयी कि ऐसे देश में ऐसे अनेक बच्चे हैं जिनकी नियति यही है। इन लड़कियों को एक लंबी प्रक्रिया के बाद बचाया गया। जो काम स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किया जाना था वह कार्य मीडिया एनसीडब्ल्यू एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया गया।

मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करती हूं ऐसे संस्थानों में तथा घरों में जहां बच्चे रहते हैं कतिपय मानकों को पूरा किया जाये जिनकी आवधिक रूप से निगरानी भी की जाए।

पुलिस में शोषण के शिकार बच्चों, कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों तथा बचाए गए बच्चों के लिए एक पृथक विभाग बनाया जाना चाहिए। पुलिस, सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, सामुदायिक नेताओं तथा निम्नतम स्तर पर काम करने वाले लोगों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए ताकि वे बच्चों के शोषण के संबंध में सूचना दे सकें। बच्चों को संरक्षण देने वाले एवं बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जानी चाहिए। बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी केन्द्रों में परामर्श एवं चिकित्सा सुविधाओं को अनिवार्य किया जाना चाहिए। अपने क्षेत्रों में बच्चों के शोषण संबंधी मामलों की निगरानी एवं उसे रोकने के लिए जिसमें पुलिस गैर-सरकारी संगठन तथा स्थानीय निवासियों को मिलाकर जिला स्तर

पर सर्तकता समिति का गठन किया जाना चाहिए। पुर्नवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा प्रत्येक जिले में विशेष पुर्नवास केन्द्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। परेशानी में पड़े बच्चों को बचाने में किसी भी चूक के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

(पांच) थल सेना में हिमाचल रेजीमेंट बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : हिमाचल प्रदेश के नौजवान भारतीय सशस्त्र सेना में भर्ती हो रहे हैं तथा देश की सुरक्षा में कार्यरत हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद में अधिकतम संख्या में राज्य के बहादुर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। कारगिल शहीदों को दिए गए 4 परमवीर चक्रों में से दो हिमाचल प्रदेश के सैनिकों को दिए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सैनिकों को 1 अशोक चक्र, 15 महावीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र 67 वीर चक्र तथा 47 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। लगभग प्रत्येक राज्य तथा जाति की अपनी रेजीमेंट है परंतु हिमाचल प्रदेश के नाम पर कोई रेजीमेंट नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री ने भारतीय थल सेना से अनुरोध किया है परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस संबंध में त्वरित निर्णय लिया जाए तथा इसकी घोषणा इसी सत्र में की जाए।

(छह) बरेली बाईपास के कार्य को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 के चरण तीन-क में शामिल किए जाने तथा इस पर तत्काल कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, बरेली, उत्तर प्रदेश का मुख्य महानगर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 लखनऊ–दिल्ली के मध्य स्थित है। इस पर पिछले 10 वर्षों से बरेली बाईपास की प्रक्रिया चल रही है। भूमि अधिग्रहण व डी.पी.आर. का कार्य पूरा हो चुका है, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। मुझे पता चला है कि भूतल–परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस निर्माण कार्य को फेज–3–बी में डाला गया है। जबकि यह कार्य फेज–3–ए में सम्मिलित कर निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ हो जाना चाहिए था। मेरा आपके माध्यम से भूतल परिवहन मंत्रालय से आग्रह है कि जनहित में इस बाईपास के कार्य को फेज–3–ए में सम्मिलित कर तत्काल कार्य प्रारंभ करवायें।

(सात) मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों की सुविधा के लिए नीमच और बड़ी सादरी के बीच रेल संपर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, पश्चिम रेलवे नीमच–रतलाम खण्ड पर अमान परिवर्तन का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है जो मार्च 2007 से पहले पूरा होकर, उस पर माल गाड़ियां तथा यात्री गाड़ियां चलनी प्रारंभ हो जायेंगी। इससे इस क्षेत्र के विकास में जहां गति आयेगी, वहीं रेलवे के राजस्व में भी भारी वृद्धि होगी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के नागरिकों की यह भी मांग है कि नीमच से बड़ी सादड़ी को यदि रेल लाइन से जोड़ दिया जाये तो बड़ी सादड़ी और जोधपुर के बीच सीधी रेल सेवा आरंभ हो जायेगी। बड़ी सादड़ी और नीमच के बीच दूरी मात्र 47 किलोमीटर है। इससे जहां दोनों राज्यों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी वहीं रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी तथा सार्वजनिक हित, क्षेत्रीय विकास तथा रेलवे राजस्व की दृष्टि से एक उपयोगी लाइन सिद्ध होगी।

अतः मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को ध्यान में रखते हुए नीमच तथा बड़ी सादड़ी को रेल लाइन से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि का आबंटन किया जाये।

(आठ) राजस्थान के जिन किसानों की भूमि भारत-पाकिस्तान सीमा पर थल सेना द्वारा अधिगृहीत कर ली गई है उनको मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर) : महोदय, भारत–पाक सीमा पर केन्द्र सरकार ने कंटीली तार लगाई, उसमें किसानों की एक से दो एकड़ भूमि तार बंदी में आ गयी। सीमा पर सुरक्षा के जवान किसानों को खेती करने से रोक लेते हैं। किसान खेती नहीं कर सकता, सिंचाई कर नहीं सकता, फसल बो नहीं सकता। सीमा क्षेत्र का किसान परेशान है, पूरा किसान बर्बाद हो गया क्योंकि किसान खेती नहीं कर सकता। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि केन्द्र सरकार ने पंजाब, गुजरात में जिस तरकी से किसानों को मुआवजा दिया है, उसी प्रकार राजस्थान के सीमावर्ती किसानों को भी मुआवजा दिया जाये ताकि किसान परेशान न हों।

(नौ) मध्य प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता पटैरिया (सिवनी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगे गैसीफायर संयंत्र की ओर दिलाना चाहती हूं। केन्द्र सरकार की अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत योजना के तहत मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तीन बायोमास गैसीफायर संयंत्र कुछ माह में ही शो–पीस बन कर रह गये हैं। लाखों

रुपये की लागत से स्थापित हुए इन संयंत्रों को संचालित करने में आर्थिक व तकनीकी, दोनों तरह की समस्याएं आ रही हैं। नतीजन आदिवासी गांवों में बिजली अब भी सपना ही है। मध्य प्रदेश बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, मंडला, बालाघाट, झबुआ और सिवनी के 11 गांव पायलट प्रोजैक्ट के रूप में शामिल किए गए थे। मान्यवर, मध्य प्रदेश शासन की ओर से केन्द्र शासन के समक्ष समस्या रखी गई है, जिसमें कम से कम दो साल के लिए शासन की ओ से मानदेय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि प्रदेश शासन के उपरोक्त प्रस्ताव को तुरंत स्वीकृति देने की कृपा करें।

(दस) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकरण की सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में हुए वित्तीय और अन्य अनियमितताओं के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से जांच कराने का आग्रह किया था जिसके जवाब में लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार ने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 228/32/2003 एवीडी–II दिनांक 16.08.04 द्वारा राज्य सरकार से आग्रह किया था कि सीबीआई जांच के संबंध में राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करे।

लेकिन यह अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है जिससे सीबीआई जांच नहीं कर पा रही है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाये और सीबीआई जांच अतिशीघ्र कराई जाये।

(ग्यारह) केरल में पलक्काड़ में आईआईटी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : केरल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने हेतु केरल के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। केरल सरकार ने इस मामले को माननीय प्रधानमंत्री के साथ उठाया तथा आई आई टी की स्थापना करने हेतु आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का आश्वासन दिया था। अब केरल सरकार ने भूमि भी चिन्हित कर ली है तथा सभी प्रारम्भिक तैयारी कर ली गई है। माननीय प्रधानमंत्री तथा के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के दौरान संघ सरकार ने सैद्धांतिक रूप में केरल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने पर सहमति दे दी थी। इस प्रयोजनार्थ भूमि की पहचान पलक्काड़ में की गई है जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु आदर्श स्थान है।

मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि पलक्काड़, जो कि केरल में चिन्हित एक आदर्श स्थान है, में भा. प्रौ. सं. की स्थापना करने हेतु शीघ्रतापूर्वक अनुमति दे।

(बारह) अनुसूचित जनजातियों की सूची में मराती समुदाय को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : 1952 में मराती समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया था तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ ले रही है।

केरल विधान सभा ने इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया। अल्पसंख्यक आयोग तथा साथ ही अ. जाति/अ.ज.जा. विधायी समिति ने उन्हें सूची में सम्मिलित किए जाने की पुरजोर सिफारिश की। इन तथ्यों पर विचार करते हुए केरल की वर्तमान तथा पिछली सरकार ने इसकी पुरजोर सिफारिश की थी।

मैं सरकार से इस पर अनुग्रहपूर्वक विचार करने तथा इस मामले को बिना किसी और विलम्ब के शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : महोदय, देश–विदेशों में लगभग 30 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। विगत पिछले वर्षों में कई लोकप्रिय फिल्में भी बनी जो काफी लोकप्रिय हुई हैं। जिसमें बड़े फिल्मी कलाकारों ने कार्य किए हैं, जो सामाजिक तौर पर सराही भी गई हैं। भोजपुरी भाषा बोलने वाले अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। देश के कोने–कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी भिजवाए गए हैं। भाषा बोलने वालों की मांग है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तभी देश व विदेशों में रहने वालों का सम्मान बढ़ेगा।

(चौदह) बिहार में बिहटा गुमटी के समीप ऊपरि पुल का निर्माण कार्य पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में बिहटा गुमटी के पास एक ऊपरी पुल का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा शुरू किया गया था लेकिन किसी कारणवश यह कार्य बंद कर दिया गया है। वहां के कुछ लोगों के कारण इसके बदलाव की मांग हो रही है।

यह एक भीड़–भाड़ वाला इलाका है। यह एन.एच. को जोड़ने वाला सम्पर्क पथ है। इसके कारण वाहनों की अधिक भीड़भाड़ वहां होती है। लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। इसके कारण स्थानीय निवासियों में काफी रोष है।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं और आग्रह करता हूं कि बिहटा गुमटी के पास बन रहे रेलवे ऊपरि पुल का निर्माण जल्द से जल्द पुनः शुरू करवाने के लिए आदेश देने की कृपा करें।

(पन्द्रह) पंजाब में सरहिन्द में कुछ रेलगाड़ियों के ठहराव का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा (रोपड़) : महोदय, सरहिंद, अंबाला तथा लुधियाना के बीच स्थित है तथा रेल द्वारा भाखड़ा नांगल बांध के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्हें भाखड़ा नंगल डैम, चक्रेश्वरी देवी जैन मंदिर, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, श्री चक्रेशेखर मंदिर, मुस्लिम जियारत रोज़ा शरीफ, गुरुद्वारा आनन्दपुर साहब तथा गुरुद्वारा चमकौर साहिब तक यात्रा करनी होती है उन्हें या तो अंबाला उतरना होता है अथवा चण्डीगढ़ तक यात्रा करनी होती है अथवा इन स्थानों तक पहुंचने हेतु स्थानीय सड़क यातायात का सहारा लेना पड़ता है। यदि सरहिंद में ट्रेन संख्या 2497 अप – 2498 डाउन, शाने–ए–पंजाब, नई दिल्ली–एएसआर, 1217 अप – 2318 डाउन, अकाल तख्त एक्सप्रेस, 3005 अप – 3006 डाउन, हावड़ा–एएसआर मेल, 9367 अप – 9368 डाउन, मालवा एक्सप्रैस इंदौर–जम्मू तवी तथा 4659 अप – 4660 डाउन, नई दिल्ली एएसआर एक्सप्रैस का ठहराव कर दिया जाये, वह स्थान पहुंच के दायरे में आ जायेंगे तथा इससे काफी बड़ी मात्रा में मोटर ईंधन की बचत होगी तथा यातायात करने वाली जनता परेशानियों से बचेगी। इसलिए, मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि तुरंत उक्त रेलगाड़ियों के सरहिंद पर ठहराव की अनुमति दी जाये।

(सोलह) पटना और इसलामपुर के बीच प्रातःकाल एक सवारी गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप प्रसाद (नालन्दा) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान पूर्वी रेल अन्तर्गत पटना–फतुहा–इसलामपुर रेल खंड की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्तमान समय में उपरोक्त रेल खंड पर पटना से इसलामपुर जाने के लिए क्रमशः 10:10, 11:35 पूर्वाह्न एवं 12:30 एवं 8:30 अपराह्न में ट्रेन खुलती है। सुबह के समय पटना से इसलामपुर जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं रहने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही 8:30 अ. में पटना से जाने वाली इसलामपुर पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों को लूटे जाने एवं महिला यात्री को सफर करने में असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है।

मेरी सरकार से मांग है कि पटना से इसलामपुर जाने के लिए सुबह 6:30 एक पैसेंजर ट्रेन खोला जाये जो 9 बजे इसलामपुर पहुंचकर 9:30 वहां से खुलकर पटना 12 बजे आये। साथ ही पटना से 8:30 अ. में खुलने वाली पैसेंजर ट्रेन को 6:30 अ. में खोलने की व्यवस्था की जाये।

(सत्रह) अनाज मिल कारोबार के वित्त पोषण के लिए विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी) : खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, खाद्यान्नों की मिलिंग तथा प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादों का प्रशीतन तथा आठ अन्य गतिविधियों हेतु विशेष स्कीमें हैं।

जबकि सरकार अन्य गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है तथापि इसने विशेषरूप से खाद्यान्न मिलिंग को छोड़ दिया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल सहित अनेक राज्यों में खाद्यान्नों की मिलिंग एक बड़ा नियोजन क्षेत्र है। परंतु इस क्षेत्र को त्यागने से इस गतिविधि में शामिल लोगों के लिए जीवन यापन अत्यंत कठिन हो गया है। वर्ष 2005–06 का वार्षिक प्रतिवेदन यह दर्शाता है कि इस प्रयोजनार्थ सरकार का 50 प्रतिशत से कम आबंटन है। मंत्रालय द्वारा दिया गया तर्क यह है कि ऐसा महसूस किया गया कि नश्वर मदों के प्रसंस्करण तथा उनके जीवन काल को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उस क्षेत्र में क्षति को कम किया जा सके तथा मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके। इस बात के मद्देनजर कि चावल/दालों/आटा को केवल प्रसंस्कृत रूप में उपयोग किया जाता है इस क्षेत्र में प्राथमिक प्रसंस्करण से उस उत्पाद के जीवन काल, क्षति नियंत्रण तथा मूल्यवर्धन में कम वृद्धि होती है, इन क्षेत्रों अर्थात् चावल, आटा तथा दालों के मिलिंग के लिए वर्ष 2004–05 के दौरान नए प्रस्ताव स्वीकार न करने का निर्णय लिया गया।

यह पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है। कोई भी व्यक्ति अप्रसंस्कृत चावल अथवा आटे का उपयोग नहीं कर सकता है। केवल मिलिंग से चावल में मूल्यवर्धन होता है। कोई भी व्यक्ति धान नहीं खा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय, आटाधारियों का परामर्श लिए बिना ही लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय पर न वित्त आयोग की ही कोई मंजूरी ली गई थी। मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने तथा इस उद्योग के विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(अठारह) आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में कोण्वाड़ा गांव में परमाणु ऊर्जा कारखाने की प्रस्तावित स्थापना को रोके जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : यह पता चला है कि भारत सरकार आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के रानास्तालम मण्डल में कोण्वाड़ा गांव में परमाणु ऊर्जा फैक्टरी की स्थापना करने का विचार कर रही है। समूचे क्षेत्र के लोग इस फैक्टरी के बारे में चिंतित हैं तथा वे इस फैक्टरी को रोकने हेतु धरना दे रहे हैं। यह उनके जीवनयापन के लिए अत्यंत कठिन है। वे झोंपड़ियों में रह रहे हैं तथा मछली पकड़ने के लिए समूह में जाते हैं। उनके जीवन यापन का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। इस संबंध में, मैं भारत सरकार से उस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा फैक्टरी की स्थापना के प्रस्ताव को रोकने तथा लोगों को बचाने का अनुरोध करता हूं।

(उन्नीस) सहकारी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ पर आयकर लगाए जाने पर पुनर्विचार तथा बैंककारी विनियम अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : सहकारी बैंकों पर आय कर लगाया जाना एवं बैंकिंग विनियम अधिनियम का देश में विशेष रूप से केरल में सहकारी आंदोलन के प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। केरल में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस), सेवा–सहकारी बैंकों के रूप में कार्य कर रही है। 31 मार्च, 2000 की स्थितिनुसार 1594 पीएसीएस का कुल निक्षेप 12288 करोड़ था तथा लंबित ऋण 9919 करोड़ रुपये था। केरल में यह पीएसीएस रूप से सभी प्रकार के बैंकिंग व्यापार कर रहे हैं तथा यहां तक कि नई पीढ़ी के बैंकों के साथ कार्यकुशलता में समान है। उपरोक्त में व्यक्त किए गए दो उपायों से पीएसीएस की कार्यकुशलता में कमी होगी तथा लोगों का पीएसीएस में विश्वास कम हो जाएगा जो कि जमा राशि जुटाने को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। पीएसीएस अनेकानेक गैर–ऋण गतिविधियां जैसे लोन वितरण, अधिप्राप्ति तथा कृषि उत्पादों का विपणन, ग्राहक निजी स्टोर एवं निजी मेडिकल स्टोर इत्यादि चला रहा है। यदि पीएसीएस वित्तीय रूप से कमजोर होती है तो इन सभी गतिविधियों को धक्का पहुंचेगा। इसलिए, मैं सरकार से सहकारी बैंकों पर आयकर लगाने की समीक्षा करने तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं।

(बीस) रेल सुरक्षा बल के अ.जा./अ.ज.जा./कर्मचारियों का यूनियन का 'अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. रेल सुरक्षा बल कल्याण संघ' के रूप में पंजीकरण करने की मांग को पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुन्नी राम (बिजनौर) : महोदय, इस समय भारतीय रेलवे में रेल कर्मचारियों की राष्ट्रीय स्तर पर ए.आई.आर.एफ. तथा एन.एफ.आई. आर नामक ट्रेड यूनियन कार्यरत हैं। इस ट्रेड यूनियन में अनु. जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं। इसके बावजूद भी यह यूनियन इनके हितों को नजरअंदाज करती है। इसलिए उपरोक्त वर्ग के लोगों ने भी अपनी अलग एसोसिएशन बनाई, जिससे इनके कार्यों का निपटारा होने लगा। इसी तरह से रेलवे सुरक्षा बल में आल इंडिया आर.पी.एफ. एसोसिएशन नामक संगठन कार्यरत हैं। इस संगठन में भी अनु. जाति/जनजाति के लोग शामिल हैं। परन्तु उपरोक्त एसोसिएशन द्वारा उपरोक्त वर्ग के कर्मचारियों के हितों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए उपरोक्त वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय अनु. जाति/जनजाति, रेलवे सुरक्षा बल वेलफेयर एसोसिएशन की मांग की गई है, जिसके समर्थन में विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने माननीय रेल मंत्री व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। स्वयं मैंने भी उपरोक्त एसोसिएशन को मान्यता देने के लिए पत्र लिया था। किंतु अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि रेलवे सुरक्षा बल में अधिक संगठन बनाना संभव नहीं है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 सी में व्यवस्था है कि कोई भी समूह या व्यक्तियों का समूह एसोसिएशन बना सकता है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रेलवे सुरक्षा बल में अनु. जाति/जनजाति के रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति, रेलवे सुरक्षा बल, वेलफेयर एसोसिएशन को भी अन्य एसोसिएशन की भांति पंजीकृत किया जाये।

अपराह्न 1.36 बजे

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदया, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

सभापति महोदया : अर्जुन सिंह जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : मैंने विचार करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, मैं केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण विधेयक, 2006 को अभी माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। चूंकि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं और उत्थान के लिए तथा उनको समान अवसर देने के लिए यह विधेयक लाया गया है, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन इसको पहले चूंकि मैं बोलने में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग कर रहा हूं और मेरे सामने हिन्दी का बिल है तथा एक तरफ अंग्रेजी का बिल है, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहूंगा कि दोनों में से मैं किसके ऊपर बोलूं? इसमें जो पहले हिन्दी वाला बिल है, इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। इसमें जो ओबीसी की परिभाषा दी गई है, अंग्रेजी वाले में जो लिखा हुआ है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं पहले वह पढ़ता हूं:

[अनुवाद]

"अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्ग अथवा वर्गों से है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार परिभाषित है।"

[हिन्दी]

एससी और एसटी की परिभाषा तो संविधान के अनुसार है और इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने हिन्दी प्रति में जो लम्बा-चौड़ा क्रीमी लेयर का लिखा है, पता नहीं उसमें क्या-क्या दे दिया है। इसमें लिखा है:

"अन्य पिछड़े वर्ग से ऐसे वर्ग व वर्गों के नागरिक हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार अवधारित हैं किन्तु"

किन्तु में 7 लाइनें हैं जिसमें क्रीमी लेयर को अलग करने की बात अंकित है। क्या इसे बिल्कुल आखिरी समय में स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था? जब यह बिल माननीय अर्जुन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस समय मुंशी जी भी खड़े हुए थे कि इसमें अनुवाद की गलती है और इसे ठीक कर दिया जायेगा। क्या ठीक किया गया है? ये अगर सुधरा हुआ बिल हमारे सामने प्रस्तुत करते तो इनका सही मैसेज पहुंच जाता। अब इसमें क्रीमी लेयर भी शामिल है। इससे सरकार की नीयत के बारे में मैं कह रहा हूं कि मूल रूप से सरकार क्या चाहती थी? यह शायद इनको ऑफ्टर थॉट आया कि समर्थक दल और दूसरे दलों की क्या स्थिति थी? मैं इसकी प्रामाणिकता की बात कह रहा हूं। आखिर अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रति में इतना अंतर क्यों है? इसमें चौथा क्लॉज जो है, मैं आपके सामने हिन्दी का क्लॉज भी रखूंगा लेकिन मैं पहले अंग्रेजी का क्लॉज पढ़ता हूं:

[अनुवाद]

"इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे..."

[हिन्दी]

ये शब्द लिखे हुए हैं। हिन्दी प्रति में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित पर लागू होंगे। अंग्रेजी में 'नो' तथा हिन्दी में 'नहीं' का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसमें जो कुछ लागू नहीं होगा, इसमें वह लिस्ट दी गई है लेकिन जिन पर लागू नहीं होगी, वह भी दिया गया है, फिर भी संगत नहीं बनता। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी गलती राजभाषा हिन्दी के साथ की गई है, जिसे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आप समाज के कमजोर वर्गों के लिए यह बिल ला रहे हैं। उनकी भाषा में इतनी गलतियां? ..

.(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : सभापति जी, जब इंट्रोडक्शन हुआ तो यह गलती हमारी नजर में आयी थी और हमने कहा था कि यह गलती हुई है, इसलिए अंग्रेजी वर्सन मान लिया जाये, जो सदन की प्रॉपर्टी हो जाये। मिनिस्ट्री ने इसे वापस नहीं किया, इसलिए यह बात आ गई है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्री जी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार ही बिल को पारित करायेंगे जिसमें क्रीमीलेयर शब्द नहीं आयेगा।

प्रो. रासा सिंह रावत : लेकिन, क्या यह हिन्दी भाषा की उपेक्षा नहीं है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसमें हिन्दी की उपेक्षा नहीं हुई है। हमने करेक्शन स्लिप जोड़ दी है।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति जी, इसलिए जो कुछ है, वह लागू नहीं हो रहा है।

सभापति जी, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसकी आबादी 52 प्रतिशत बनती है, उनके कल्याण के लिए तथा उनके लाखों विद्यार्थियों के लिए यह विधेयक लाया गया है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था किन्तु वह सरकारी कानून के अंतर्गत था और अब इस बिल के पारित होने पर स्टैचूटरी राइट्स के रूप में एस.सी.एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, साढ़े सात प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए कहा गया है। कुछ उच्च शिक्षण संस्थाओं – आई.आई.टी., आई.आई.एम. में आरक्षण दिये जाने के लिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

इस बिल के 7 सैक्शन और एक शेड्यूल था जिनके अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलैंस की लिस्ट दी गई है। इसके अलावा जिन और संस्थाओं के नाम हैं, वे भी लिस्ट में जोड़े गये हैं। इनमें होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुम्बई और उसके कांस्टिट्यूंट्स, टाटा नेशनल नार्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट भी हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलैंस मान लिया गया है। यह बिल इन पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि क्या ओ.बी.सी. एक्सीलैंस में कोई शंका है? जब आप इन लोगों का अपलिफ्टमैंट कर रहे हैं, समानाधिकार देने जा रहे हैं, शेड्यूल दिया गया है, फिर ऐसा क्यों किया गया। पं. जवाहर लाल नेहरू सैंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सैंटर, बंगलौर, फिजीकल रिसर्च लैबोरेट्री और स्पेस फिजीकल सैंटर भी हैं, – क्या इनके इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलैंस में कोई शंका है? कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई एस. सी.एस.टी. या ओ.बी.सी. या जनरल क्लास का है, यह सब शेड्यूल में दिया गया है तो उन्हें किस आधार पर छोड़ा गया है। माननीय मंत्री जी अपने तर्कसंगत उत्तर में बता सकते हैं कि ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलैंस हैं और यह नहीं होना चाहिए था। यह बात एक हद तक तो ठीक है लेकिन क्या बाद में उन्हें एक्सीलैंस का दर्जा दिया जायेगा जब कुछ योग्य बनकर इन वर्गों से प्रवेश लेंगे। प्रतिभा किसी की बपौती नहीं होती। माननीय मंत्री जी इस बारे में स्पष्टीकरण दें।

सभापति महोदया, इससे पहले कि मैं बिल के बारे में चर्चा करूं, मैं थोड़ा ओ.बी.सी. के बारे में कहना चाहूंगा। जो इनके बारे में ओ.बी. सी. कमीशन बना हुआ है, मैं बताना चाहूंगा कि

[अनुवाद]

नागरिकों के पिछड़े वर्ग समाज के ऐसे कमजोर वर्गों के लोग हैं जो अनादिकाल से सामाजिक दृष्टि से अपमानित हैं और शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं तथा समाज के अगड़े वर्ग के लोगों की तुलना में इन लोगों का सामाजिक स्तर बहुत नीचे है। इससे इन लोगों पर काफी लंबे समय तक अत्याचार हुआ है और उसकी वजह से ये लोग कमजोर हो गए और इनका बहुत शोषण किया गया। इसके अलावा, इनके साथ विभिन्न आधार पर विशेष रूप से भारत के नागरिक होने के नाते वैधानिक अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के मामले में अन्यायपूर्ण और अनुचित ढंग से भेदभाव किया गया।

[हिन्दी]

लेकिन अभी मौन धारण किया हुआ है। 1993 में मंडल कमीशन की तरफ सरकार का ध्यान गया था जिसकी वजह से आज शिक्षण संस्थाओं में उन लोगों के लिए आरक्षण की स्थिति बन गई है।

हमारे संविधान में लिखा है –

[अनुवाद]

उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता तथा सामाजिक और राजनैतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा की समता प्राप्त कराने के

[हिन्दी]

आधार पर ओबीसी और एससी, एसटी को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जैसा मैंने कहा कि भारत के संविधान में आर्टकल 14, 15 और 16, फालिंग अंडर फंडामेंटल राइट्स, उसके अंतर्गत आर्टीकल 45 और 46, फालिंग अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पालिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में

जो बातें कही गई थी, जो प्रावधान किया गया है, उसके आधार पर सन् 2000 में संविधान में 80वां संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत उप–धारा 338 जोड़ कर अभी जो प्रावधान किया गया, उसी श्रृंखला में अब उच्च शिक्षण संस्थानों में ओ बी सी का प्रावधान किया जा रहा है।

माननीय मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं। इस समय उच्च शिक्षण संस्थानों की तरफ आपका ध्यान गया। देश में मंडल कमीशन 1992–93 में लागू हुआ और आपका 14 साल बाद ध्यान इस तरफ गया। एक प्रो–एक्टिव शब्द आता है – लगता है कि इस मामले में बहुत ज्यादा हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले कुछ राज्यों के चुनावों की खातिर, वोट बैंक की खातिर आप यह बिल लाए हो – नहीं तो इतना विलम्ब क्यों हुआ, क्या कारण था, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। जब काकासाहेब कालेलकर की अध्यक्षता में 41 वर्ष पहले पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, उन्होंने भी सिफारिश की थी कि ओबीसीज के लिए शिक्षा में सुविधाएं दी जाएं। फिर बी.पी. मंडल आया, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना – इनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग बना। उसके गठन के बाद नौकरियों में उस समय प्रावधान हो गया था, लेकिन मंडल आयोग के गठन के बाद 26 वर्ष बाद यह बिल आया है। इंदिरा साहनी तथा अन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उसके 13 वर्ष बाद, पहले भी इन्हीं की सरकारें थीं, अब भी ढाई साल हो गए और अब ये बिल को लाए हैं। ओबीसी के लोग शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे कि वह दिन जल्दी आए। संविधान में पहले प्रावधान था, सरकारी आदेशों में एससी, एसटी के आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं था। अब मंत्री जी इस बिल को लाए हैं – चलो 'देर आए दुरुस्त आए', इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि देर से ही सही, लेकिन आए तो सही।

इसके सैक्शन थ्री में आबादी का अनुपात तय किया गया है। हमारे देश में जो सेंसस होता है, शायद ओबीसी का तो होता ही नहीं, लेकिन नेशनल सेंपल सर्वे द्वारा और कतिपय मंडल आयोग के संबंध में जब ध्यान गया कि सारे देश में कितनी ओबीसी की जातियां हैं, राज्यों और केन्द्र की लिस्टें देखीं गई, उनके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया, लेकिन एससी, एसटी की प्रारम्भ से ही गिनती होती रही है, जब भी दस साल बाद देश में जनगणना होती है, एससी की 15 प्रतिशत, एसटी की साढ़े सात प्रतिशत है परंतु ओबीसी की 27 प्रतिशत जनसंख्या को आरक्षण दिया गया है, जब कि ओबीसी की आबादी को मंडल आयोग ने 52 प्रतिशत माना और एससी को 15 प्रतिशत और एस टी को 7½ प्रतिशत। उसी आधार पर सेंट्रल सर्विसेज में इन्हें जो नौकरियां मिलती हैं, सिविल पोस्ट्स एंड सर्विसेज में 15 प्रतिशत, एसटी को साढ़े सात प्रतिशत इनका आरक्षण रहता है, शिक्षण संस्थानों में भी वही आरक्षण रहता है, लेकिन ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत जो अब तय किया है, जबकि ये 52 प्रतिशत थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए उसी में एडजस्ट करने के लिए 27 प्रतिशत मान लिया गया है। 52 प्रतिशत ओबीसी की आबादी है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में 41 प्रतिशत आया है, किसी में 32 प्रतिशत की आबादी बताई है। यदि 32 प्रतिशत ही ओबीसी की आबादी है, इसमें मुस्लिम आबादी 11 प्रतिशत और मिला दी जाए तो ओबीसी की 52 प्रतिशत आबादी हो जाती है।

महोदया, फिर भी 27 प्रतिशत आरक्षण उच्च संस्थानों में किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा सिर्फ मंडल आयोग की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है या सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई मैकेनिज्म तय करेगी? यदि ओ.बी.सी. के लोगों की आबादी ज्यादा है और उन्हें ज्यादा आरक्षण देने की आवश्यकता हो, तब क्या स्थिति होगी? दक्षिण के राज्यों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आजादी से पहले ही आरक्षण प्रारम्भ कर दिया गया था! परिणामस्वरूप वहां टोटल आरक्षण कुल मिलाकर किसी राज्य में 68 परसेंट है, किसी में 70 परसेंट है और किसी में और भी ज्यादा है। देश में ओ.बी.सी. की आबादी 52 परसेंट है, इसमें हिन्दू और नॉन हिन्दू दोनों ही हैं। इसमें आपने एक क्लॉज दी है कि मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और मायनॉरिटी पर यह लागू नहीं होगा। इसके ऊपर मुझे बहुत आपत्ति है, क्योंकि मायनॉरिटी की जो संस्थाएं हैं, चाहे वह अल्पसंख्यक आयोग हो, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हों अथवा जो विधेयक अभी पारित करके कानून बनाया गया, उसमें आपने जो व्यवस्था की है उसमें मुस्लिम ओ. बी.सी. के लोगों के लिए तो कम से कम मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है? चाहे वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या अन्य संस्थाएं हों, जिनके बारे में आपने विधेयक पारित कराया और कानून बनाया, उनमें तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मायनॉरिटी ओ.बी.सी. के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

यहां दलित मुस्लिमों की बात की जाती है, दलित आदिवासियों की बात की जाती है, क्रिश्चियन आदिवासियों की बात की जाती है, इसमें उनका आरक्षण होना चाहिए। केरल में तो ज्यादातर मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। तमिलनाडु में भी कई पुराने बड़े–बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उच्च टैक्नीकल हैं, जैसे आई.आई.टी. और आई.आई.एम. लैवल की संस्थाएं हैं, बड़े–बड़े सेंटर ऑफ एक्सैलेंस हैं, उन मायनॉरिटीज की संस्थाओं में

[प्रो. रासा सिंह रावत]

एस.सी., एस.टी. या मुसिलम ओबीसी को प्रवेश से आपने वंचित कर दिया। उनमें हिन्दू के प्रवेश का तो प्रश्न ही नहीं है, जो मायनॉरिटी के लोग हैं, उनमें जो ओ.बी.सी. के बच्चे हैं, उन्हें तो कम से कम उन संस्थानों में प्रवेश मिलना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें।

महोदया, मंत्री जी ने हायर टैक्नीकल इंस्टीट्यूट्स के लिए 27 प्रतिशत तक प्रावधान रखा है। मैं दो–तीन बातें कहना चाहूंगा। यह अच्छी बात है कि ओ.बी.सी. के लाखों छात्रों को आई.आई.टी. और आई. आई.एम. जैसी उच्च संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा। संविधान के 93वें संशोधन के अनुसार जिस प्रकार आपने कमजोर वर्गों के लिए संसद और राज्य विधान सभाओं में कानून बनाया और प्रावधान करके कहा है कि वर्ष 2007 के सत्र से केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में यह लागू होगा – ऐसी व्यवस्था आपने की है, यह अच्छी बात है। आपने कहा कि सामान्य वर्ग की मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो वे सामान्य वर्ग के लिए ही रहेंगी और आरक्षित वर्गों के लिए आप 100 सीटें और बढ़ाएंगे, जिनमें 5 प्रतिशत प्रथम वर्ष में, 10 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में और तृतीय वर्ष में 12 प्रतिशत, इस प्रकार आप तीन सालों में 27 प्रतिशत कोटा पूरा करेंगे और तीन सालों में आरक्षण की यह सुविधा उच्च शिक्षण संस्थाओं में पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इससे सामान्य वर्ग का अहित नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि उनका ध्यान रखा गया है, लेकिन साथ ही जो ओ. बी.सी. की सीटें हैं, जितनी ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वे एडेड हैं, अनएडेड हैं अथवा सरकारी संस्थाएं – आई.आई.टी. या आई.आई.एम. हैं, उनमें सीटें बढ़ाने पर जितना खर्च होगा, वह पैसा केन्द्र सरकार देगी, लेकिन सरकार ने वित्तीय ज्ञापन में सभी बातें गोलमोल लिखी हैं। यदि केन्द्र सरकार पैसा नहीं देगी, तो राज्य सरकारें पैसा कहां से लाएंगी? उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे इन संस्थाओं को फायनेंस उपलब्ध करा सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक बार तो सीटें बढ़ाने और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पर केन्द्र सरकार को पूरा खर्च उठाना चाहिए। ताकि सही अर्थों में वास्तव में इन तीन वर्षों के अंदर जो ओ.बी.सी. को आरक्षण देने वाला 27 परसेंट का मामला है, वह पूरा हो सके। एस.सी. और एस. टी. को भी 15 परसेंट और 7.5 परसेंट का आरक्षण पूरा हो सके। वित्तीय प्रावधानों का भी मंत्री जी जब उत्तर दें तो इन बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करें। यह ठीक है कि पहले जिस संस्था में जितनी सीटें उपलब्ध थीं, उन सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं की जायेगी, यह तो अच्छी बात है कि उसमें कमी नहीं होगी, लेकिन इसके साथ–साथ मैं एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आरक्षण एक सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए लागू किया गया था, समाज में समरसता पैदा करने के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसमें एक प्रावधान रखा है, जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो चौथे कॉलम के अन्दर कहा गया है:–

[अनुवाद]

> "इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान पर लागू नहीं होंगे; जैसा कि इस अधिनियम में परिभाषित है।"

[हिन्दी]

इस एक्ट में मालनोरिटी इंस्टीट्यूशन की परिभाषा भी दी है, उसे दोहराने का समय नहीं है कि मैं सारी परिभाषा पढ़ूं। बाकी नॉर्थ ईस्ट में जहां जनजातियां रहती हैं, उन संस्थानों में लागू नहीं होगा, यह तो ठीक बात है, लेकिन माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स में, जैसा मैंने कहा कि वहां कम से कम माइनोरिटी में ओ.बी.सी. के लिए, दलित मुस्लिमों के लिए हों, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जहां ओ.बी.सी. के लिए हम आरक्षण का पूरा समर्थन करते हैं, इस्लाम और ईसाइयत के अंदर कहा जाता है कि वहां इक्वेलिटी है, वहां कोई ऊंच–नीच नहीं है, वहां कोई छुआछूत नहीं है और संविधान में जब आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, ये शब्द थे। अब तो मजहब के आधार पर सच्चर रिपोर्ट का नाम बहुत चर्चित हो रहा है, सरकार की तरफ से आये दिन कुछ बयान दिये जा रहे हैं और जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, माननीय मानव विकास संसाधन मंत्री जी बहुत प्रो–एक्टिव हो रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी तो यह पास कर दें और बाद में जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें भी मालनोरिटी शब्द का प्रयोग किया है, हमने उसका डिसेंट नोट दिया है कि आरक्षण जातियों के आधार पर हो, लेकिन धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण असंवैधानिक और अनुचित है, जिसका हम विरोध करते हैं। जो सोशल स्टेटस के आधार पर ओ.बी.सी. में मुस्लिम भी आ जाते हैं, जैसे पहले भी आये हैं, मंडल आयोग के अन्दर, उनकी जितनी जरूरत है, वे सारे आयें।

मैं एक अन्तिम बात कहकर की ओ.बी.सी. में कितनी जातियों की सूची है, यह थोड़ा उत्तर दें तो स्पष्ट करें कि राज्यवाइज़ अलग होगा, केन्द्रीय स्तर पर अलग होगी, उनकी सूची क्या है, क्योंकि इन्क्लूज़न तो है, लेकिन एक्सक्लूजन नहीं है। 1993 में जब से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, अब तो यह वोट बैंक बन गया है, राजनैतिक आकर्षण पैदा करने के लिए क्या इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो

जातियां मांग करती हैं, अब शेर और बकरी एक साथ कैसे साथ निभेंगे, आप ही अनुमान लगा सकते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि कई जातियां जैसे–जैसे दबाव बढ़ा रही हैं, कई जातियों को सम्मिलित किया जा रहा है और उसमें संख्या बढ़ती जा रही है। उसमें इन्क्लूजन है तो इसका एक्सक्लूजन भी कभी होगा। क्रीमीलेयर की बात, क्योंकि ओ.बी.सी. में पढ़े–लिखे लोग कम हैं, इसलिए ओ.बी.सी. में कुछ राज्यों में ऐसा किया गया है। पहले उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और कर्नाटक वगैरह 6 राज्यों में पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और बहुत अधिक पिछड़ा वर्ग, इन तीन कैटेगरीज़ में बांटा गया, ताकि उनको सुविधा मिले। फिर भी बच जायें तो क्रीमीलेयर, ओ.बी.सी. में क्रीमीलेयर, उनको काम में लिया जाये, यह बात ध्यान में रखी जाये। लेकिन इसके साथ–साथ, जैसा मैंने कहा कि एस.सी. का वित्त निगम है एस.टी. का वित्त निगम है, एस.सी. को स्कालरशिप्स मिलती है, एस.टी. को स्कालरशिप्स मिलती है, एजुकेशन फ्रीशिप्स मिलती हैं तो क्या ओ.बी.सी. के लिए भी स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था, वित्त निगम की व्यवस्था, लोनिंग वगैरह हो सके, क्या ये सारी व्यवस्थाएं हो सकेंगी, इसके बारे में भी मंत्री जी जब जवाब दें तो थोड़ा प्रकाश डालें।

इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम) : महोदया, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सरकार द्वारा लाये जा रहे महत्वपूर्ण विधेयकों में से यह एक है।

महोदया, सर्वप्रथम इस सम्माननीय सभा में नये और महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का अभिवादन करता हूं। इसके साथ ही इस विधेयक को लाने में उनके सहयोग के लिए श्रीमती सोनिया गांधी का अभिवादन करता हूं। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में इस सरकार के गठन के समय इस सरकार ने एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम की घोषणा की थी जिसमें वचन दिया गया था कि समाज के कमजोर वर्गों जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का संरक्षण किया जायेगा और उनके हितों का ध्यान रखा जायेगा। इस वचनबद्धता को पूरा करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा हुई, निर्णय लिये गये और उनमें एक–एक करके उनका क्रियान्वयन हो रहा है। यह ऐतिहासिक विधेयक भी ऐसा ही विधेयक है जिसे सरकार समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए क्रियान्वित कर रही है।

इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री के अथक प्रयासों और समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति उनकी वचनबद्धता के लिए मैं उन्हें विशेष धन्यवाद देता हूं। यही कारण है कि वे सभी लोग आज खुश और आनंदित दिख रहे हैं। मैं अन्य पिछड़ा वर्ग से आता हूं। मैंने बार–बार माननीय मंत्री से, श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय प्रधानमंत्री से ऐसा विधेयक लाने का अनुरोध किया था और उन्होंने इस विधेयक को लाने के लिए अंत में सामूहिक प्रयास किया तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से देश में इस वचनबद्धता को लागू करने की दिशा में प्रयास किया।

महोदया, देश में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी 60 प्रतिशत है। यद्यपि इस प्रकारी रिपोर्ट है कि अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या 42 प्रतिशत, 52 प्रतिशत है लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कम से कम 52 प्रतिशत है। सर्वप्रथम, माननीय मंत्री से मैं जाति के आधार पर एक जनगणना का आदेश देने का अनुरोध करता हूं। ताकि देश में कुछ निहित स्वार्थों के शंकाओं को दूर किया जा सक जो देश में अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या को 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत बता रहे हैं। यदि एक आयोग का गठन किया जाता है और जाति आधारित जनगणना की जाती है तो सच्चाई सामने आ जायेगी। फिर इसके बारे में इसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा।

महोदया, इस संबंध में पहला संविधान संशोधन हमारे महान नेता, स्व. कामराज, तत्कालीन मुख्यमंत्री तमिलनाडु द्वारा लाया गया था और पारित किया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संविधान संशोधन को प्रस्तुत करने वाले इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इस तरह राजनीतिक प्रणाली में आरक्षण की अवधारणा आई। पुनः दूसरी बार जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन वर्गों के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरसिंहराव की नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 1993 में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया।

उस समय मैं उस विभाग में मंत्री था और इसलिए मैं स्थिति को जानता हूं। मुझे इस क्रियान्वयन का समर्थन करना चाहिए। उस समय भी स्थिति बहुत कठिन थी और बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे थे।

[श्री के. वी. तंगबालु]

यहां तक कि वी.पी. सिंह भी इसी रिपोर्ट को लागू करने के कारण प्रसिद्ध पाये और उन्होंने इसकी घोषणा भी की लेकिन इस के कुछ निहित स्वार्थों वाले लोगों के कारण वे इसे क्रियान्वित नहीं कर सके। लेकिन कांग्रेसी सरकार ने देश के कमजोर वर्गों के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करते हुए बड़ी सावधानी और दक्षता के साथ इसे 1993 में क्रियान्वित किया इसे क्रियान्वित किया गया और दोनों सभाओं तथा देश के सभी लोगों द्वारा इसे स्वीकार किया गया। यही कारण है कि देश में केन्द्रीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण है और अन्य पिछड़ा वर्ग इसका लाभ उठा रहा है। हम उसी दिन से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शिक्षा में आरक्षण अनिवार्य है और हमने इसके लिए कई कदम उठाये हैं। पुन: 14 वर्षों के बाद, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है, यह विधेयक लागू हो सका। यह कांग्रेस की वचनबद्धता है कि हम, श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आज यह विधेयक लाये हैं। हम हमेशा अपना वायदा पूरा करते हैं और इस निदेश के तहत ही आज यह विधेयक पेश हुआ है। इस आरक्षण को लागू करने के लिए विभिन्न पक्षों से बहुत मांगें हो रहीं थी। विभिन्न पक्ष कह रहे थे कि इसे एक बार में ही लागू किया जाए।

श्री वीरप्पा मोईली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इसने एक रिपोर्ट दी जिसमें कई सिफारिशें की गईं। वास्तव में वीरप्पा मोईली समिति से अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यह भारत के लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत है और यही कारण है कि मैं इस मुद्दे पर माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं। उस रिपोर्ट में 'एक बार में, एक वर्ष में, और 5 प्रतिशत, 7 प्रतिशत और 5 प्रतिशत' के बारे में कहा गया है। यह नहीं होने जा रहा है और यह आसान भी नहीं है। यदि 27 प्रतिशत आरक्षण संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत है, तो फिर समस्या कहां है? मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी बहुत विश्वस्त हैं और बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इसे एक–बार ही लागू किया जाएगा। कई महीनों से मैं उनका बयान सुन रहा हूं और मैं उनकी वचनबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। सरकार सबसे वरिष्ठ मंत्री होने तथा देश में सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं उनसे अपील करता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे एक–बार में इसे लागू करने की अपील करता हूं। यदि तीन वर्ष का समय रखा जाता है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय करना संभव है क्योंकि यदि आप तीन वर्ष का समय लेते हैं तो एक समस्या आएगी। हम अन्य समुदायों के विरुद्ध नहीं हैं। अन्य समुदायों को भी लाभ उठाने दीजिए। हम उनके विरुद्ध नहीं हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यकों के संबंध में हमें कोई समस्या नहीं है। हम इन समुदायों के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश में सभी कमजोर वर्गों को महत्व दिया जाए और उन्हें उनका उचित हक मिले। हमारी सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से उन्हें भी सामाजक–आर्थिक लाभों में समान भागीदारी मिलनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया वीरप्पा मोईली समिति की रिपोर्ट अस्वीकृत कर दें क्योंकि उस रिपोर्ट से लोगों को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलने वाला है। उस समिति की कोई प्रतिबद्धता, कोई दृढ़ इच्छा या विवेक नहीं है। ऐसा कहते हुए मुझे दु:ख हो रहा है क्योंकि मैं स्थिति जानता हूं क्योंकि मैं ऐसे ही एक समुदाय का हूं।

मैं चाहता हूं कि उस समिति की रिपोर्ट को अस्वीकृत किया जाए, आप की इच्छा शक्ति और विवेक भी इसे स्वीकार करे और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।

दूसरा मुद्दा जिस पर मैं चर्चा चाहता हूं वह यह है कि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर हो। आज चूंकि ऐसे समुदायों की आबादी 60 प्रतिशत है और इसके अधिक है, उन्हें केवल 27 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है।

ऐसा क्यों है? अन्य पिछड़ा वर्ग बहुत सम्पन्न नहीं है। यदि आप बिल्कुल जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति को देखें तो पायेंगे कि उनकी स्थिति भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह है। प्रत्येक समुदाय में अमीर और गरीब लोग होते हैं। इस समुदाय में भी श्रमिक किसान आदि हैं और वे हर प्रकार के कार्य करते हैं। यह भी एक कठोर सत्य है।

मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देता हूं क्योंकि सच्चर समिति के माध्यम से सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं को सामने लाया है। उसी प्रकार, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं और मांग करता हूं कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर विचार करने तथा पता लगाने के लिए एक समिति बनाई जाए ताकि सही तस्वीर सामने आए और हम अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ निश्चित रूप से न्याय कर सकें। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण में अलग से हिस्सा दिया जाता है जैसे 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत वैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस बारे में कोई संदेह नहीं है क्योंकि वे भी समाज के कमजोर वर्ग के होते हैं।

आज सच्चर समिति ने बिल्कुल निरपेक्ष और स्पष्ट तौर पर लोगों को बता दिया है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए।

अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करने के दौरान हम दो या तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर देते रहे हैं। हमारे पास कोई अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय फोरम नहीं है। हमारे पास अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं होता है। जब मैं सरकार में था तब मैंने जनजातीय मंत्रालय के लिए अलग से एक मंत्रालय की सिफारिश की थी। आज यह मंत्रालय बन गया है। मैंने पहल की थी। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग से एक मंत्रालय के लिए पहल की। आज यह मंत्रालय बन गया है। लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जोड़ दिया गया है। इसे तत्काल दो भागों में विभाजित करना चाहिए और एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। तभी अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका उचित हिस्सा मिल सकता है। निम्नलिखित तथ्यों और आंकड़ों के कारण मैं यह मांग कर रहा हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1996 से 2006 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए सरकार द्वारा परिव्यय योजना के लिए आबंटित राशि वर्ष 2001–02 के लिए 1322 करोड़ रुपये, 2002–03 के लिए 1410 करोड़ रुपये, 2004–05 के लिए 1481 करोड़ रुपये, 2005–06 के लिए 1495 करोड़ रुपये हैं। इसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग का अंश वर्ष 2001–02 में 71 करोड़ रुपये, 2002–03 में 68.85 करोड़ रुपये, 2003–04 में 62.10 करोड़ रुपये और वर्ष 2006 में 65 करोड़ रुपये था। इसमें अनियमितता पर ध्यान दें। आबादी के साठ प्रतिशत को मात्र 65 करोड़ रुपये मिले हैं। इस 65 करोड़ रुपये की राशि से अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ा विभाग क्या करेगा? ये विभाग के अधिकारियों का वेतन और भत्ते दे पायेंगे। अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण और विकास के लिए कोई राशि नहीं होगी। यह कठोर सत्य और तथ्य है ...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। मेरी पार्टी से कोई अन्य सदस्य बोलने वाले नहीं हैं।

सभापति महोदया : आपकी पार्टी से और 6 सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री के. वी. तंगबालु : महोदया, फिर भी आप मुझे कुछ और समय दे सकती हैं।

वर्ष 2001 में गैर–योजनागत व्यय के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 1.55 करोड़ रुपये दिए गए और वर्ष 2005 में मात्र 2 करोड़ रुपये दिए गए। यह एक कड़वी सच्चाई है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर ध्यान दिया जाए। निधियों के आबंटन में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसीलिए मैं उनके लिए पृथक मंत्रालय की मांग करता हूं। यदि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए एक पृथक मंत्रालय दिया जाएगा तो वह गुणावगुणों के आधार पर उनके मुद्दों पर विचार करेगा और भारत सरकार को इनके कल्याण और विकास के लिए और अधिक निधियों के आबंटन की घोषणा करनी पड़ेगी।

मैंने राजनीतिक सहायता के संबंध में उसका उल्लेख किया है। इसीलिए एक पृथक मंत्रालय की आवश्यकता है, ऐसा होने पर ही पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण और विकास पर ध्यान दिया जा सकेगा।

एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्ष 1993 से 27 प्रतिशत आरक्षण को क्रियान्वित किया जा रहा है। कई वर्षों से रिक्तियां पड़ी हैं। आप देखेंगे कि काफी समय से रिक्त पड़े पदों को भरा नहीं गया है क्योंकि इसके लिए कोई तंत्र नहीं बनाया गया है। इस प्रकार का तंत्र विकसित किया जाना जरूरी है। हम चाहते हैं कि इसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाए। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के 81,325 पद हैं। इसमें अन्य समुदायों के लोगों की संख्या 71,779 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों की संख्या 4,147 है। द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या 3,52,827 है उसमें 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के अधिकारियों की संख्या 59,000 है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल 503337 व्यक्ति कार्यरत हैं जिनमें से ओसी./श्रेणी–II 3,65,785 हैं, और उनमें भी अन्य समुदाय के 73,623 लोग हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों की कुल संख्या केवल 3719 है। इसी तरह, श्रेणी–II की सेवाओं में कुल 3,65,785 व्यक्ति कार्यरत हैं, अन्य समुदायों के 2,60,097 व्यक्ति हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की कुल संख्या केवल 36,000 है। कृपया आप देश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की दुर्दशा पर ध्यान दें।

महोदय, आप उनके हितैषी हैं। आप 'अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के हितों' के संरक्षक हैं। मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं, कि आपके नेतृत्व में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र भरा जाए। वर्ष 1991–96 में जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पड़े बकाया पदों को भरने का मैंने भरसक प्रयास किया था। इस समय सरकार ने अपनी समझ से तीन 'विशेष भर्ती अभियान' चलाये थे। तत्पश्चात् मुझे नहीं पता कि क्या हुआ? महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए

[श्री के. वी. तंगबालु]

'विशेष भर्ती अभियान' का आदेश दिया गया। उन्हें उनका देय भाग मिलना ही चाहिए। अभी केन्द्र सरकार की सेवाओं में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के मात्र तीन–चार प्रतिशत लोग ही हैं उनकी शेष पड़ी रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए तभी 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को वास्तव में न्याय मिल पायेगा।

हमारे मित्र बता रहे थे कि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए कोई आयोग नहीं है। वर्ष 1991–96 के दौरान हमारी सरकार ने तीन वित्त निगम बनाये थे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम – राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम भी बनाया गया। ये संवैधानिक रूप से स्थापित निकाय हैं। इसके सभापति और अन्य सदस्य कार्यरत हैं।

जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इन निगमों के लिए आबंटित निधियां पर्याप्त नहीं हैं। यदि इन निगमों को और शक्तियां दी जाए, और अधिक धन दिया जाये तो ये शिक्षा, रोजगार और शक्तियां प्रदान करने के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये इन तीनों क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं जिससे इन समुदायों की इन क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। अतः महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन निगमों को पहले से अधिक धनराशि और महत्व तथा आबंटन दिया जाना चाहिए।

अब मैं आरक्षण नीति की बात करता हूं। इस विधेयक में भी इस समुदाय के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। इसमें एकाध क्षेत्र को ही शामिल किया गया है। इस विधेयक में कतिपय संस्थानों का ही जिक्र किया गया है। सत्तापक्ष का सदस्य होने के नाते, मैं इसमें संशोधन का नोटिस भी नहीं दे सकता, अतः मेरा आपसे यह आग्रह है कि कृपया इस 'कतिपय' शब्द को हटा दें। यदि 'कतिपय' शब्द को हटा दिया जाएगा तो अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी और 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के सभी वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप स्वयं इस विधेयक में एक संशोधन लाएं तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

एक अन्य बात यह है कि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षु कार्यक्रम में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी व्यवस्था है। अतः 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए भी प्रशिक्षु कार्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्ष 1993 के उपरांत से 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर आज भी प्रश्न चिह्न लगा हुआ है। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अतः 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा तो वे अपने जीवन में न तो प्रगति कर पायेंगे और न ही सम्मानजनक जीवन जी पायेंगे। अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि इन लोगों को भी यह लाभ दिये जाने पर विचार किया जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 16 (4) (ख) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। केवल तभी इस समस्या का हल हो पायेगा। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस तरह का एक अन्य विधेयक लाकर इस समस्या को हल किया जाए।

इसके अलावा, साक्षात्कार और चयन समितियों में अभी 'अन्य पिछड़ा विभाग' का प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से इस संबंध में निर्देश दिये जाएं ताकि उन्हें इन समितियों में प्रतिनिधित्व मिल सके और उनकी आकांक्षा पूरी हो सके।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री के.वी. तंगबालु : महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं कि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की जनसंख्या हर राज्य में अलग–अलग है। उच्चतम न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 1993 में इस बारे में एक सर्वदलीय बैठक बुलायी गई थी और सभी नेता इस पर सहमत थे कि कर्नाटक और तमिलनाडु अपना 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण जारी रख सकते हैं। लेकिन अब उन्हें हर बार अपनी समस्या के समाधान के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। इस समस्या का समाधान शीघ्र ढूंढा जाना चाहिए।

सभापति महोदया : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं आपको और बोलने की अनुमति नहीं दूंगी।

श्री के. वी. तंगबालु : महोदया, मुझे दो मुद्दों का जिक्र और करना है उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस प्रयोजनार्थ एक विधेयक लाया जाए ताकि संबंधित राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार और राज्य में 'अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुसार इन वर्गों के लोगों को आरक्षण प्रदान कर सकें इसके अलावा राज्यों को जनसंख्या आधारित आरक्षण प्रणाली अपनाने की अनुमति दी जाए।

इसके अलावा, सरकार में पृथक मंत्रालय बनाकर ही 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस विषय में आवश्यक कदम उठायें। संसद में 170 माननीय सदस्य 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के हैं। अतः 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के कल्याण हेतु एक पृथक संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि मेरे द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों पर सरकार उदारतापूर्वक विचार करेगी। इस विधेयक को पारित कराने के लिए माननीय मंत्री महोदय के अथक प्रयासों के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक लाने और इसका समर्थन करने के लिए मैं अपनी माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर आप सभी बोलने में समय–सीमा का ध्यान रखें तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकामोडेट कर सकेंगे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदया, आपने मुझे केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

हिंदुस्तान में अजीब सी विसंगति यह है कि यह देश भिन्न–भिन्न जातियों में बंटा हुआ है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस दरम्यान भी यह मुद्दा बार–बार उठाया गया था और जब वतन आजाद हुआ तब भी इन मुद्दों पर बातचीत हुई। सच्चाई तो यह है कि जब तक पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग, चाहे वो दलित जातियों के हों या पिछड़ी जातियों के हों, सभी जातियों के लोग आंदोलन में शरीक नहीं हुए, आजादी का संघर्ष परवान नहीं चढ़ा। गांधी जी के नेतृत्व में जब दबे–कुचले, पिछड़े सभी लोग आजादी की लड़ाई में आगे आए, तभी आजादी का सुनहरा दिन देखने को मिला। यह महसूस किया गया था कि जिस तरीके से हिन्दुस्तान की राजनीतिक आजादी सबकी भागीदारी से ही सम्भव हुई है, अब हिन्दुस्तान की आर्थिक आजादी के लिए इन सभी तबकों की भागीदारी भी आवश्यक होगी। यह एक दुखद बात थी कि समाज के पिछड़े, दबे–कुचले और आदिवासी वर्गों में शिक्षा के स्तर का अभाव था और वे इस मामले में दुर्बल थे। 1927 को जब सरदार भगत सिंह ने इसी असेम्बली में बम और पर्चा फैंका था तो उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में लाचारी से आजादी मिलनी चाहिए। इसके लिए हर आदमी को आगे आना होगा और जेहनी अंधेरे से तथा आदमी को आदमी के शोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष करना होगा।

मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा हूं कि उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूशन्स में आरक्षण का प्रावधान करके उस भावना को पूरा करने का काम किया है। पहले दूसरे संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन इनमें नहीं था। हमारे पूर्व वक्ता बालू साहब कह रहे थे कि यह अजीब सी विसंगति है कि समाज में जहां हम सहारा देने के लिए इन लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी समाज में हो रही हैं कि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि सभी आरक्षित पदों को भरा जाना चाहिए था।

आज इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। राष्ट्र को इस बारे में महसूस करना चाहिए कि आज जो हिन्दुस्तान का आर्थिक विकास हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उन तत्वों का है, जो आदिवासी, दलित और पिछड़े तबके के लोग कहलाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें वाजिब शेयर नहीं मिल रहा है। सदन में बहस के दौरान हमने इस चीज को देखा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और खेती के कार्य में लगे मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें पूरा हिस्सा अपने योगदान का नहीं मिल रहा है। आर्थिक विकास में हमारे साथ माइनोरटीज के साथी भी हैं। लेकिन यह तबका जो शहरों में रहता है या परिष्कृत है, जिन्हें हमेशा समाज में आर्थिक क्रियाओं की उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उनका आर्थिक क्रियाओं का दायरा काफी विस्तृत रहा है।

मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में और विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी लोगों को आरक्षण देने का काम सुनिश्चित किया है। वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यह जरूर है कि इसमें कुछ समय लगा है। पिछले सात–आठ सालों से मैंने इस बाबत कई पत्र प्रधानमंत्री जी को और पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी लिखे हैं। इसके अलावा सभी संबंधित विभागों को भी लिखा है। हर जगह से यही जवाब सुनने को मिलता था कि इस संबंध में कार्यवाही चल रही है, लेकिन तुरंत कार्यवाही नहीं हो सकी। आखिर में संसद की स्थाई समिति के माध्यम से इस बिल का मूल्यांकन किया गया और आज यह बिल सदन में चर्चा के लिए पेश किया गया है।

मुझे आशा है कि जितने भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें अविलम्ब इस पर अमल किया जाएगा। एक विचार यह भी आया था कि तीन वर्षों तक इसे पूरा किया जायेगा। इसलिए हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिना किसी विलम्ब के आप इसे तत्काल पूरा करने का काम करें। जो इक्यूलूजन की बात आई है, यह सच्चाई है कि संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक कई जातियां हैं, जिन्हें इससे जोड़ा

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

नहीं जा सकता, लेकि निरंतर प्रयास हो रहा है कि उन्हें भी जोड़ा जाए। जहां तक एक्सक्लूजन की बात है, मैं समझता हूं जातीय आधार पर यह समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि सभी जातियों में बहुत से कमजोर लोग हैं। ऐसा न हो कि कहीं जरा सी गलती की वजह से हम सामाजिक आधार पर एक्सक्लूजन का काम शुरू कर दें। इससे बहुत से लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा, यह कहकर कि इनकी आमदनी बढ़ गई है और ये उच्च श्रेणी में आ गये हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखकर इन वर्गों के सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए एक्सक्लूजन की नीति बनाते हुए इस पर ध्यान रखा जाए कि किसी भी समाज में विशेष तौर पर दलित या पिछड़े वर्ग जो हैं, जनरलाइज एटीट्यूड नहीं रखा जाए, वरना इससे दिक्कत हो सकती है। सच्चर आयोग की रिपोर्ट में भी इसी बात को सामने लाया गया है कि हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति काफी खराब है। मुझे लगता है कि हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि धार्मिक आधार को दरकिनार करते हुए विचार किया जाये।

महोदया, मेरा कहना है कि संविधान में जो पिछड़े वर्गों की व्याख्या की गई है, वह मूलतः आर्थिक और सामाजिक आधार पर की गई है। मैं समझता हूं कि एक बार फिर से नया सर्वे करने की जरूरत है या जो पहले सर्वे किया जा चुका है, उसकी समीक्षा करने की जरूरत है कि जो लोग हिंदुस्तान में पिछड़े हुए हैं, समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें समान रूप से समाज की मुख्यधारा में आने के लिए अवसर मिलना चाहिए।

महोदया, हिंदुस्तान में उच्च शिक्षा के लिए दाखिले का जो प्रतिशत है, वह सिर्फ 7 या 8 प्रतिशत है। मैं समझता हूं कि हमें यथास्थितिवादी हो कर न परिस्थितियों को नहीं देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे आसपास के देशों में, एशिया और दूसरे बड़े मुल्कों में उच्च शिक्षा में दाखिले का प्रतिशत 30 से 40 प्रतिशत है। हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र है। हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ें तो उच्च शिक्षा में वायब्ल 30 परसेंट, 40 परसेंट, 50 परसेंट दाखिला सुनिश्चित करना पड़ेगा।

महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार हिंदुस्तान में व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। मैंने पहले भी सदन में यह बात कही है कि आज समय आ गया है कि हम हिंदुस्तान में सभी क्षेत्रों से मैन पावर रिसोर्स का निर्माण करें और उसे हिंदुस्तान से बाहर निर्यात करके विदेश नीति का हिस्सा बनाएं। आज स्थिति यह है कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में प्रौफेशनल्स हैं जो विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े तबकों, ट्राइबल तबकों से जुड़े हैं, अगर उन्हें आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से 10+2 लेवल पर या उससे उच्च शिक्षा में व्यावसायिक है, उसे आज जो 5 प्रतिशत है, उससे आगे ले जाना पड़ेगा। जैसा मुझे बताया गया है कि हिंदुस्तन में 143 के करीब ट्रेड हैं, जिनमें व्यावसायिक शिक्षण दिया जा रहा है और दुनिया में 3000 से ज्यादा ट्रेड हैं, जहां व्यावसायिक शिक्षण दिया जाता है। पूरी दुनिया में 95 प्रतिशत लोगों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध होती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा बैकलॉग है, जिसे देखना बहुत जरूरी है।

हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान सबसे नई उम्र का राष्ट्र है। हमारे यहां नौजवानों की तादाद 50 प्रतिशत के करीब हो चुकी है। ऐसे मौके पर यदि शिक्षा के प्रति प्रैगमेटिक अप्रोच लेकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

महोदया, इसमें जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलैंस की बात इसमें कही गई है, उसके बारे में भी मेरा कहना है कि उसमें भी बराबरी का भाव रहना चाहिए। मेरा कहना है कि अगर इस बार किसी व्यक्ति को मौका मिला है जो पिछड़ा नहीं है, तो अगली बार किसी पिछड़े व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती मित्र ने कहा कि आज शिक्षा का प्रसार हो रहा है। हमारा राष्ट्र ज्ञान पर आधारित राष्ट्र बन रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों तक ज्ञान की पहुंच बराबर हो। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलैंस की जो सूची है वह घटाई या बढ़ाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया के लिए इस सदन को, लोकसभा को कांफिडेंस में लेना बहुत ही आवश्यक है। आप इस प्रकार का प्रावधान कर दीजिए, जिससे कि मनमानी न हो सके। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में माननीय मंत्री जी का जो प्रयास है और समाज के प्रयास से जो माहौल बन सकेगा, उसमें सभी वर्गों को साथ लेकर हिंदुस्तान की तरक्की का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (भंझारपुर) : सभापति महोदया, आज सदन में माननीय मंत्री जी ने ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है, इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि 52 प्रतिशत से 54 प्रतिशत लोगों के बच्चे–बच्चियों को पढ़ने का मौका मिलेगा जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और समाज की मुख्यधारा में आने का प्रयास कर रहे हैं।

आपको याद होगा कि जब 25 अगस्त को यह बिल आया था कि उसी स्वरूप में आज भी उसे प्रचारित कर दिया गया है और लास्ट में

दो लाइन्स लगा कर सर्कुलेट कर दिया है। पृष्ठ दो और पंक्ति 35 जो 40 हिन्दी की है, उसमें क्रीमीलेयर का जिक्र था। पिछली बार इंट्रोडक्शन स्टेज में उसका विरोध करके कहा गया था कि असंवैधानिक लैंग्वेज यूज की गई है और संविधान में इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है जो एक सोशल इशू है। कई लोग इसे लेकर दूसरी तरह से चर्चा कर रहे हैं। एक से एक टैलेन्ट लोग बुद्धि बेच कर देश को भी बेचना चाहते हैं। वे बुद्धि बेच कर देश को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ ले गए हैं। ठीक है, इंटरनैशनल फिनौमिना है लेकिन वे सामाजिक मामले में बुद्धि न बेचे तो अच्छा है। इकॉनामिक मामले में जितनी बुद्धि और प्रतिभा लगानी हो, लगाएं। सोशल इश्यू को इकोनॉमिक इश्यू बनाने पर मुझे बहुत एतराज होता है। माननीय मंत्री जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। काफी जद्दोजहद के बाद माननीय मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं। वह शुरू से इस बिल को लाने के बारे में अड़े रहे हैं। सामाजिक न्याय दिलाने के लिए यह एक पहल और शुरूआत है। इसलिए भी मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। बिल का मसौदा तैयार करने वाले बाबू लोगों के बारे में सब लोग जानते हैं।

महोदया, आप भी जानती हैं कि कैसे कार्यपालिका के लोग बिल का मसौदा तैयार करते हैं? इसलिए रावत जी ने नीयत पर शक किया था। यूपीए सरकार की नीयत पर शंका करना अच्छी बात नहीं है। बुद्धि में गड़बड़ी हो सकती है। बिल का मसौदा तैयार करने वाले ऑफिसर बड़े विद्वान होते हैं। आईएएस अधिकारी और नीचे के बाबू बड़े बुद्धि वाले होते हैं और वे किन्तु, परन्तु और बट में ऐसी चीज लगा देते हैं कि न्यायलय में बिल का परपज फॉरफिट हो जाता है। इतनी बुद्धि वाले लोग इसमें लगे रहते हैं। पृष्ठ संख्या 2 और 35 से 40 पंक्तियों को डिलीट किया है जो संशोधित रूप में अभी हमें मिला नहीं है। दो लाइन लगा दी गई हैं जिस के कारण मैं मानता हूं कि डिलीट होने के बाद यह अच्छा बिल हो गया है। इंग्लिश के बिल के प्रथम पृष्ठ में लिखा है कि

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक"

[हिन्दी]

सर्टेन शब्द पर बैनिफिट ऑफ डाउट उठाया जा सकता है। मैं सत्ता पक्ष का सदस्य हूं इसलिए संशोधन नहीं दे सका और मैं मर्यादा का पालन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि सर्टेन शब्द डिलीट कर दिया जाए। जिस संस्थान में यह लागू होने जाएगा वहां के लोग कह सकते हैं कि कुछ संस्थाओं में है और मेरी संस्था का इसमें जिक्र नहीं है। यहां एक्सक्लूसिव शब्द आया है। मैं चाहूंगा कि सर्टेन शब्द को डिलीट कर दिया जाए। इसमें कुछ संस्थाओं के नाम भी आ रहे हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। इसे एक्सक्लूड किया गया है। इस संस्था में आरक्षण लागू नहीं होगा। मैं इसका ठीक से अर्थ समझ नहीं पा रहा हूं। क्या इतनी प्रतिभा किसी में नहीं है कि वह डाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का भी नहीं कर सकता हो? यह मेरी समझ से परे हैं। इसका जिक्र रावत जी ने भी किया है और सर्टेन शब्द का जिक्र थंगबालू जी ने अपने भाषण के लास्ट में किया है। इसमें फिजिकल रिसर्च लैबोरेट्री, अहमदाबाद का भी जिक्र है। क्या ओबीसी के लोग लैबोरेट्री का भी काम करने लायक नहीं हैं? बाबू लोगों ने अपनी मानसिकता से लिस्ट में कुछ नाम दे दिए हैं और उसकी स्वीकृति हो गई जिस पर गौर से विचार नहीं किया गया। कुछ संवेदनशील और टैक्नीकल संस्थान हैं, जहां ट्रेनिंग देने की और एक्सपर्टीज की जरूरत है जो मानने लायक है। ओबीसी के लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून में नहीं रहेंगे। यह क्या हो रहा है? इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांसड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलौर को शामिल किया गया है जिस पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर एक संशोधन लाना चाहिए। वहां से सक्षम लोगों को नहीं हटाना चाहिए।

प्रतिभा कैसे मापी जाएगी और उसका क्या पैरामीटर होगा? मैं इसी पर अपनी बात कहना चाहता हूं। सैंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (रिजर्वेशन इन एडमिशन) बिल 2006 में एक्सक्लूड करने की जो लिस्ट दी गई है, उसके द्वारा प्रतिभा का क्या पैरामीटर है? किस आधार पर कुछ लोग योग्यता के काबिल नहीं हैं? वे किस आधार पर टेलेंट नहीं हैं, उनमें योग्यता नहीं है, मैरिट में नहीं हैं। योग्यता कैसे नापी जा सकती है? यह योग्यता का मामला है।

अपराह्न 2.41 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1990 में मैं इस सदन का सदस्य था और उस समय श्री वी.पी. सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। 7

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

अगस्त, 1990 को यह कानून बना था और केबिनेट से पास हो कर सदन में आया था कि ओबीसी को रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में दिया जाए। उच्च नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान और फैसला श्री वी.पी. सिंह के समय में हुआ था। जिस समय फैसला हुआ था, उस समय बहुत से सवाल उठे थे, इसलिए मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष 1990 में जब जिक्र हुआ तो 1992 में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। दो साल तक लोग सड़क पर रिहर्सल करते रहे। कहीं आत्मदाह की लड़ाई होती रही। आजादी के 59 वर्ष बीतने के बाद भी जो अघोषित आरक्षण है, उसका कभी जायजा नहीं लिया गया। अघोषित आरक्षण का मतलब है, अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशन। जो डिक्लेयर नहीं है, लेकिन पूरी तरह रिजर्वेशन है। सभी चीजों में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है, आदि। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन है। इस तरह से उनका पूरी तरह से वर्चस्व है। अघोषित आरक्षण जब टूटने का खतरा होता है, तो कुछ लोगों का दिल टूटने लगता है। वर्ष 1990 में भी कुछ लोगों का दिल टूटा था। आज भी सुना है कि अस्पतालों में जो डॉक्टर नियुक्त हैं, वे आत्महत्या करने चले जाते हैं। यह क्या हो रहा है? जो नया लड़का है, जिसे किसी प्रकार का नुकसान होना है, अगर वह सड़क पर आ जाये तो बात समझ में आती है, लेकिन जो डाक्टर नियुक्त है और अघोषित आरक्षण को खत्म नहीं होने देने के लिए उनकी जो मोनोपोली है, उस मोनोपोली को खत्म नहीं होने देने के लिए राष्ट्र की मुख्यधारा से ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया है जो 54 प्रतिशत होगा। आज देश में नए दिमाग वाले लोग आ गए हैं। नया एनएसएस एक अखबार ने निकाल दिया है। मैंनं इंडियन एक्सप्रेस में देखा था और उसमें ओबीसी की संख्या घटा दी गई। जब ओबीसी को मुख्यधारा में जोड़ने की लड़ाई शुरू होती है तो आंकड़े घटा दिए जाते हैं। वर्ष 1996 में मैं इस देश में फूड मिनिस्टर के पद पर था। उस समय प्लानिंग कमीशन द्वारा बीपीएल का एस्टीमेट लाया गया था। चूंकि बीपीएल का एस्टीमेट फूड मिनिस्ट्री नहीं दे सकता है, प्लानिंग कमीशन दे सकता है। उस समय प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष श्री मधु दंडवते थे। वे गरीबों के हिमायती और समाजवादी नेता रहे हैं, उन्होंने स्टेटिक्स दिया और यहां पर इतना बड़ा काम हुआ है कि वर्ष 2001 का स्टेटिक्स ही घटा दिया, कहा गया कि अब 26 परसेंट बीपीएल है। इसका मतलब है कि 35.95 परसेंट यानि 36 परसेंट गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे थे उसे घटाकर 26 परसेंट कर दिया गया। अभी 26 परसेंट ही चल रहा है, प्लानिंग कमीशन का स्टेटिक्स वही चल रहा है। इस तरह से गरीबी की संख्या घटा दी। अब जब ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो रही है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करने की बात हो रही है तो स्टेटिक्स घटा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ओबीसी घट रहा है, यह 35 परसेंट ही है। यह कैसा खेल है? यह कितना बढ़िया मजाक हो रहा है कि सबकी संख्या बढ़ रही है लेकिन ओबीसी घट रहा है क्योंकि ओबीसी शैक्षणिक संस्थाओं, मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थाओं में दाखिला चाहता है। वर्ष 1990 में कहा गया था कि नौकरियों में आरक्षण देने की क्या जरूरत है, इसे योग्यता और प्रतिभा खत्म हो जायेगी इसलिए इन्हें शिक्षा में प्रॉयरिटी दी जाए। यह बुद्धि का तर्क आया, इसलिए मैं इसके बारे में बोलूंगा जबकि अन्य लोग और प्वाइंट्स के बारे में बोलेंगे। इस देश में बहुत बुद्धिमान लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय काफी हो गया है। मैं सिर्फ पांच या दस मिनट ही दे सकता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इस तरह से बीच में टोका जाएगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। यह दूसरा विषय है। मेरी पार्टी का टाइम भी होगा, इसके लिए चार घंटे का समय है और मेरी पार्टी के 24 या 25 मैम्बर्स हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पार्टी को दस मिनट मिले हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरे अभी भी तीन या चार मिनट बाकी होंगे, आपकी कृपा हो जाएगी तो दो या तीन मिनट टाइम और दे देंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि वर्ष 1990 में तर्क दिया गया कि इनको नौकरी में आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, इन्हें शिक्षित किया जाए। इन्हें शिक्षा के दाखिले में प्रॉयरिटी दी जाए ताकि इनमें प्रतिभा और योग्यता आ जाए। लेकिन जब दाखिले का सवाल आ रहा है तब आत्महत्या हो रही है। ये लोग कहां जाएं? अब कह रहे हैं कि दाखिले में भी नहीं होगा। मैं कहता हूं कि इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है और यह बिल आया है, एडमिशन हो जाएगा। प्रोफेसर आप लोग हैं, चार साल में काट कर डिमेरिट कर दो या फेल कर दो, यह तुम्हारे हाथ में है। आप चिंता क्यों करते हैं? क्यों ओबीसी की सीट घटाने में लगे हुए हैं? क्यों ओबीसी का स्टेटिक्स घटाने में लगे हुए हैं? चार साल में प्रोफेसर तुम ही हो, तुम ही वैल्यूएशन करोगी, तुम्हारे हाथ में मेरिट देना है, प्रेक्टिकल, ओरल या थ्योरी में फेल कर दोगे तो मेरिट नहीं होगी। आप दाखिला देने से क्यों डर रहे हैं? ओबीसी के एडमिशन में क्रीमी लेयर के नाम पर आयरन फिल्टर गेट क्यों लगाना चाहते हैं? दूध आया नहीं, एडमिशन हुआ नहीं और क्रीमीलेयर की बहस हो रही है। इस देश में गजब की बहस होती है, बहस का जो तरीका है, वह मेरी समझ के बाहर है। हम लोग कम बुद्धिमान हैं क्योंकि गांव से आते हैं, गरीबों के बीच से आते हैं, गांव में

पैदा हुए हैं और बड़ी बुद्धि वाले लोग क्रीमी लेयर के संबंध में आजकल इतनी बहस करते हैं, आप बूमेन बिल में भी क्रीमी लेयर लगा दीजिए तो फैसला हो जाएगा। आप इसे क्यों नहीं लगाते हैं? आप एक तरह का मापदंड रखिए। दूध आया नहीं कि क्रीमी लेयर की बात हो गई, एडमिशन हुआ नहीं और कहते हैं कि क्रीमी लेयर को रोको। यह मसाविदा तैयार हुआ है और मैं विषय पर बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी ड्राफ्ट में क्रीमी लेयर का जिक्र है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह डिलीट कर दिया। दूध है तो दस या पन्द्रह साल इसे टैस्ट करो फिर क्रीम निकालो, दूध है ही नहीं और क्रीम पर बहस हो रही है, यह मेरी समझ से बाहर है क्योंकि क्रीम तभी आएगी जब दूध होगा। आप एडमिशन के लिए दस या पन्द्रह साल प्रयोग कीजिए।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया तब नौकरी में आरक्षण लागू हुआ था, 14 साल हो गए हैं, अभी तक आईएएस और आईपीएस में यूपीएससी से कितना परसेंट आरक्षण मिला है, मैं यह बताना चाहता हूं, मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरत होगी कि यह 15.84 परसेंट है यानि लगभग 16 परसेंट। 27 परसेंट का आरक्षण अभी चौदह साल बनवास में है, 14 साल हो गए हैं और अभी तक 16 प्रतिशत मिला है इसका मतलब है कि 27 परसेंट तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि चरणबद्ध किया गया है और फेज वाइज तीन साल में लागू होगा। यह ठीक है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसे एक साल में लागू कीजिए। पांच, दस या बारह परसेंट हायर या टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन्स में तीन साल में लागू करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से 15 या 16 परसेंट 14 साल में लागू हुआ है, मैं यह दर्ज करना चाहता हूं कि यह इंजीनियरिंग, मेडिकल, तकनीकी संस्था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईएएम, आईआईटी में लागू नहीं हो पाएगा और पांच परसेंट ही कन्टीन्यू रहेगा। पांच परसेंट का ही कान्टीन्यू चलता रहेगा। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं।

मैं अपने अंतिम बिन्दु में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रतिभा और योग्यता का सवाल है, प्रतिभा का क्या मापदंड होगा, उसे कैसे मापा जायेगा। उसका क्या पैरीमीटर होगा। आप हमें तालाब में तैरने दो, एडमिशन भी दे दो, परंतु यदि हम तैराक नहीं निकलेंगे तो हमें यह कहकर फेल कर दिया जायेगा कि हमें तैरना नहीं आता। पानी में तैरने का अवसर, अपार्चुनिटी नहीं दी और कहते हैं आपको तैरना नहीं आता, आप अच्छे तैराक नहीं बन सकते हैं, आप प्रतिभा वाले लोग नहीं हैं। आप गुणवत्ता खराब करेंगे। आप हमें तैरने तो दीजिए, साइकिल दीजिए, साइकिल पर चढ़ने दीजिए, जब ओबीसी के लोग आगे बढ़ेंगे तो साइकिल सीख लेंगे। यह राज–काज की हिस्सेदारी की लड़ाई है, यह हिस्सेदारी का सवाल है, यह इकोनोमिक सवाल नहीं है। इसलिए चाहे राज–काज हो, चाहे संस्था हो, एजूकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उसमें भागीदारी का सवाल है। देश के 52–54 प्रतिशत जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना सरकार की सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, सरकार का सामाजिक दायित्व है। चाहे कोई भी सरकार हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के सामने मैंने जिन दो–तीन बिन्दुओं का जिक्र किया है, सरकार उन बिन्दुओं पर जरूर गौर करे। हमारे देश में मैडिकल आदि में जो इमरजेन्सी सेवा है, उसमें कुछ वर्गों की मोनोपोली है। इसलिए कुछ वर्ग के लोग समूचे देश में इमरजेन्सी सेवा बंद कर देते हैं। इसलिए आरक्षण बहुत जरूरी है। ताकि मेडिकल और इंजीनियरिंग में इन लोगों की मोनोपोली नहीं हो सके और इमरजेन्सी सेवाएं बंद नहीं हो सकें। किसी भी हालत में सबके लिए इमरजेन्सी सेवा चालू रखने की जो सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है, वह तभी पूरी हो सकेगी, जब सर्व वर्ग का समानुपात प्रतिनिधित्व हो, सामाजिक बैलेन्स हो। इस सोशल बैलेन्स को कायम रखने के लिए राष्ट्र को मजबूत रखने के लिए ओबीसी को मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस में आपको रिजर्वेशन नहीं चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप संविधान चेंज मत करिये। संविधान में लिखा हुआ है, सबका राइट प्रोटैक्टेड है। ...*(व्यवधान)* आप हर चीज पर पालिटिक्स करते हैं।

श्री खारवेल स्वाईं : पालिटिक्स आप ही करते हैं, हम नहीं करते हैं। ...*(व्यवधान)* ऐसे ही बोलते भी रहेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरम्बुदूर) : द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी की ओर से मैं केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 का स्वागत करता हूं। इस विधेयक का पुरःस्थापन इस सम्माननीय सभा में एक ऐतिहासिक घटना है।

महोदय, मैं सामाजिक न्याय की भूमि से हूं जहां ई.वी.आर. पेरियार, पेरारिगर अन्ना, कर्मवीर कामराजर और हमारे तलैवर, डा. कलैग्नार पैदा हुए थे। ये सब सामाजिक न्याय के योद्धा और महारथी हैं।

आज, मैं अन्नाई सोनियाजी, अपने माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी और अपने मंत्री अर्जुन सिंह जी का यह ऐतिहासिक विधेयक लाने के लिए धन्यवाद करता हूं। हमें विशेष रूप से श्री अर्जुन सिंह का धन्यवाद करना है क्योंकि हर तरह की आलोचना और आंदोलन के बावजूद ये इस विधेयक को लाये।

जैसाकि हमारे नेता डा. कलैग्नार ने तमिल में कहा है : "चोन्ननताई चियम, चिकाती सोल्वम" और इसका तात्पर्य यह है कि हम जो कहते हैं वही करेंगे; हम जो कर सकते हैं वही कहेंगे।"... आज हमारी मैडम सोनिया जी और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंहजी केंद्र में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्य को पूरा कर रहे हैं।

तमिलनाडु राज्य में डा. कलैग्नार अवरगल के नेतृत्व में डीएमके सरकार की प्रवेश परीक्षा योजना को समाप्त कर दिया है जोकि दबे कुचले लोगों के लिए मददगार होगा और हमारे राज्य में सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।

आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आखिरकार भारत सरकार ने समाज के दबे कुचले वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की चिर प्रतीक्षित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने का निर्णय लिया। सरकार का यह प्रयास यद्यपि विलम्बित है परन्तु सच्चे अर्थों में यह सराहनीय है क्योंकि इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में अंतर्विष्ट प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सकेगा जिनसे राज्यों को सामाजिक अथवा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के उत्थान के लिए और कोई विशेष प्रावधान बनाये जाने की शक्तियां प्राप्त होती हैं।

हमारे राज्य में मेडिकल कालेज में सीट प्रदान करने के लिए 1951 में चम्बागम दुरैराजन बनाम तमिलनाडु राज्य का एक मामला आया था। उस समय हमारे पेराजिंट अन्ना, ई.वी.आर. पेरियार, कर्मवीरर कामराजार और डा. कलैग्नार ने हमारे राज्य में आंदोलन किया और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान करने के लिए 2.6.1951 को भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़कर पहला संविधान संशोधन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को सफलतापूर्वक समझाया।

यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुच्छेद 15(5) जोड़ने में बहुत अधिक समय बीत गया जो कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 जोकि निजी, गैर–सहायताप्राप्त संस्थाओं सहित तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए पहला संवैधानिक पृष्ठांकन है, के द्वारा 20.01.2006 से लागू हुआ। मैं पुनः अपने माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को इस सभा में यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

भारत के संविधान (मूल और असंशोधित प्रावधान) का अनुच्छेद 16(4), किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के नागरिकों, जिन्हें राज्य की नजर में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, के लिए नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्तियां प्रदान करता है। इस देश के अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. यह नहीं समझ पाये कि जब तक शैक्षिक संस्थाओं में उनके लिए पर्याप्त संख्या में सीटें आरक्षित नहीं होंगी, वे अपने लिए आरक्षित सीटें कैसे भर पायेंगे? इसका अर्थ है कि बिना सीढ़ी के पहले तल पर घर बनाना और शिक्षा यहां पर सीढ़ी है। इस तरह पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को उचित शिक्षा प्रदान किए बिना हम सरकारी सेवा में पद और नौकरी कैसे दे सकते हैं? यह सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों के साथ पिछले पचास वर्षों से हो रहा अन्याय है।

अ.पि.व., अ.जा., अ.ज.जा. के हितों का ध्यान रखने के लिए पहले शिक्षण संस्थाओं में सीटों का पर्याप्त आरक्षण किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अन्य वर्गों के बराबर समुचित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिले और फिर उनके लिए नियुक्तियों अथवा पदों में उचित आरक्षण दिया जाये।

अपनी पार्टी और स्वयं की ओर से मैं निम्नलिखित दो मुद्दों पर स्पष्ट विचार रखना चाहता हूं। हम अ.पि.व., अ.जा., और अ.ज.जा. के किसी भी वर्ग को मलाईदार तबके (क्रीमीलेयर) के नाम पर आरक्षण के लाभ से वंचित किये जाने के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम अ.पि.व. के लिए आरक्षण के लाभ तीन साल की अवधि में देने के विरुद्ध हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि पहले शिक्षा सत्र से ही पूरी तरह से हम आरक्षण को लागू करने पर पुनर्विचार करे और केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के लिए

एक ही बार में पहले वर्ष से ही 27 प्रतिशत सीटों की संख्या में आवश्यक वृद्धि करना अनिवार्य बनाए।

हमारे डा. कलैग्नार और पी एम के पार्टी के संस्थापक नेता डा. रामदास विधेयक के खंड 5 से अपरिहार्यता की स्थिति में अधिकतम तीन साल की अवधि में वार्षिक अनुमत्य संख्या बढ़ाने के लिए केन्द्रीय शैक्षिक संस्था शब्द का लोप करने के लिए जोर डाल रहे थे। इसका लोप किया जाना चाहिए। चूंकि हमारी पार्टी सरकार में है इसलिए हम कोई संशोधन नहीं ला सकते। हमारा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि खंड 5 में किसी अपरिहार्यता की स्थिति में अधिकतम तीन साल की अवधि शब्दों का लोप किया जाये।

मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हू। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में अवसर देने के लिए उचित कानून लाएं।

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 59 साल बीत जाने के बावजूद भी संविधान में जो इनके लिए प्रावधान किया गया था, उसमें इनकी बराबरी की भागीदारी नहीं बन पाई है। उनके साथ पक्षपात बरता गया। मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी सीटें नहीं बढ़ाई गईं। शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुस्तान के दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज के साथ बड़े पैमाने पर पक्षपात हुआ। आज माननीय मंत्री जी इस बिल को लाए हैं, मैं और मेरी पार्टी के लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। उच्च शिक्षा में आरक्षण मिल तो रहा है लेकिन प्राथमिक शिक्षा में अभी तक शिक्षा कम्पल्सरी नहीं हुई है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा में पिछड़ों, दलितों और माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत पड़ रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी कमजोर हालत माइनॉरिटीज की है। उनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सही कदम उठाएं और सर्वे कराएं तथा संविधान की भावना के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को इंसाफा दिलाएं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात यही समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक को सभा में लाने के लिए और सभा का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु, ताकि यह एक कानून बन जाए, और विशेषकर अ.पि.व. के लिए 27 प्रतिशत् आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मेरा कहना है कि मैं न तो वकील हूं और न ही विशेषज्ञ हूं। मैं गांव का एक साधारण आदमी हूं। जो बार–बार कहा गया है मैं उसे पढ़ रहा हूं परन्तु अपने ज्ञान के अनुसार मुझे इसमें कोई संगति नजर नहीं आती। विधेयक के पूर्व भाग में जो भी कहा गया है उसे मैं माननीय मंत्री के ध्यान में ला रहा हूं।

महोदय, खंड 2 (घ) में 'केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था' को परिभाषित किया गया है। अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है कि 'अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसे संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किया जाता है और जिसे संसद के अधिनियम अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यथाघोषित किया जाता है अथवा राष्ट्रीय अलसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित किया गया हो। इसका तात्पर्य है कि यह केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत है। इसका तात्पर्य है कि खंड 1, 2, 3 आदि में जो लिखा गया है वह केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है और वहां यह आरक्षण लागू होगा। मेरी जानकारी के अनुसार, जब यह विधेयक अधिनियम बनेगा तो अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. को आरक्षण दिया जायेगा।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान खंड 4(ग) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि "अधिनियम कतिपय मामलों में लागू नहीं होगा" और खंड 4(क) में कहा गया है कि: "अधिनियम कतिपय मामलों में लागू नहीं होगा।" दूसरी ओर, इस मामले में खंड 4(ग) में यह उल्लेख किया गया है कि : इस अधिनियम में यथापरिभाषित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान।" इसका तात्पर्य है कि इन विशेष अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण उपलब्ध नहीं होगा।

मैंने पहले ही कहा है कि मैं न तो कोई वकील हूं और न ही संविधान विशेषज्ञ हूं। मैं गांव का एक साधारण आदमी हूं। मैं विधेयक के पूर्व भाग और इस विधेयक के खंड 4(ग) में उल्लिखित बातों के बीच अंतर नहीं समझता। इसलिए, मेरा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध है कि हमें इस विषय से अवगत करायें ताकि मैं मामले को समझ सकूं और अपने क्षेत्र की जनता को बता सकूं कि पहले विधेयक का क्या अर्थ है और इस विधेयक का क्या अर्थ है?

मैं आरक्षण नीति के कतिपय पक्षों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

[श्री अर्जुन सेठी]

यह संविधान में ही है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं संविधान के अनुच्छेद 30(2) से उद्धृत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है आप इसे उद्धृत कर सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री सब कुछ जानते हैं परन्तु मैं अनुच्छेद 30(2) के बाद वाले भाग को उद्धृत करता हूं जिसमें कहा गया है कि:

> "शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस अवसर पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।"

यही मुख्य बात है जो मैं यहां बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो बात मैंने पहले कही है और अनुच्छेद 30(2) में संवैधानिक प्रावधान बिल्कुल विरोधाभासी है। जब यह न्यायालय में निर्णय के लिए आएगा तो यह न्यायालय में मददगार कैसे होगा?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बार–बार माननीय न्यायालय और विशेषकर माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अपने फैसले में कहते रहे हैं कि मलाईदार तबके अर्थात सम्पन्न वर्ग को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, आदि। सरकार अथवा माननीय मंत्री इस कानून को विशेषकर अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) और अनुसूचित जातियों (अ.जा.) के लिए आरक्षण संबंधी इस विशेष कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं लाते। हम जानते हैं कि संविधान में अ.जा. के लिए 15 प्रतिशत और अ.ज.जा. के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है और आजादी से अब तक 59 वर्षों में इसे निरंतर लागू किया जा रहा है। किंतु इस विशेष आरक्षण नीति पर न्यायालय में बहस हो रही है। कभी–कभी उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि सम्पन्न वर्गों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। भिन्न–भिन्न समय पर उन्होंने यह बात कही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इस विशेष अधिनियम को नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं ले आते? यदि ऐसा हो जाता है तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनिर्णयन से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें इस बात की भी गारंटी होगी कि कुछ प्रतिशत नौकरियां इन वर्गों यानी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाएंगी।

इसलिए, मेरा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विशेष कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करें ताकि समय–समय पर उठायी जाती रही इस बहस को विराम मिल सके और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिया जा रहा लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

2001 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति के कतिपय वर्गों का प्रतिशत बढ़ गया है। यह पहले 15 प्रतिशत था अब 16 प्रतिशत हो गया है। अभी अनुसूचित जातियों को दिया गया आरक्षण 15 प्रतिशत तक सीमित है। सरकार इस सभा के समक्ष एक संशोधन विधेयक लाने पर विचार क्यों नहीं करती ताकि आरक्षण कालम अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों के बढ़े हुए प्रतिशत के अनुपात से सुनिश्चित हो सके?

मैं सरकार के ध्यान में मोइली समिति द्वारा सुझाए गए अलग–अलग आरक्षण को कार्यान्वित करने की बात लाना चाहता हूं। ऐसे अलग–अलग आरक्षण को कार्यान्वित करने का अर्थ होगा कि प्रथम वर्ष अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा; द्वितीय वर्ष में भी कुछ विद्यार्थियों को आरक्षण के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। तब, यह सरकार कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि पिछड़े वर्गों के लिए जो लाभ दिए जाने का प्रावधान है वह उन्हें प्राप्त होगा?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इसे काफी पहले लाया जाना चाहिए था।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव से ही विभिन्न संस्थानों में कतिपय समस्याएं पैदा हो गई हैं। विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थी भी सड़कों पर उतर आये और इससे कई समस्याएं पैदा हुईं। यदि यह विधेयक पहले ही लाया गया होता तो ये सारी घटनाएं नहीं होतीं।

हमारे देश ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों पर हुए अन्याय को समाप्त करने के लिए आरक्षण नीति को स्वीकार किया है। लेकिन यह स्वीकृति पूर्वग्रह से मुक्त नहीं है। देश के प्रत्येक वर्ग, हरेक व्यक्ति ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

हमारे देश में जाति व्यवस्था अभी भी बरकरार है। एक प्रश्न है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण क्यों होना चाहिए? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है। लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य

पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग क्यों माना जाता है और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों किया जाना चाहिए? हमारे समाज में, हम वर्तमान पीढ़ी को दोष नहीं दे रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है लेकिन वर्तमान पीढ़ी बीते समय से पीछा नहीं छुड़ा सकती है। वे हमारे समाज की वर्तमान संरचना को, हमारे समाज के अन्याय को अस्वीकार नहीं कर सकते।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हमारे देश के दासों की तरह हैं। उनके साथ पूर्व में ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। हमारे देश के विभिन्न भागों में भी गुलामी के अलावा अस्पृश्यता भी विद्यमान थी। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग ऐसा वर्ग है जो मुख्यतः अस्पृश्यता का शिकार रही है। इसलिए, हमें अन्य पिछड़े वर्गों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पृथक करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव बहुत सही है। यह कोई नई बात नहीं है। यह संविधान में निहित है। यह बात इस सम्माननीय सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को मालूम है। 'राज्य नीति के निर्देशक तत्वों' में यह कहा गया है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगी। जहां तक इस विधेयक का संबंध है हम शिक्षा प्राप्त करने, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके आर्थिक पहलू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह स्पष्ट है और हम सभी को मालूम है कि 93वां (संशोधन) विधेयक इस सम्माननीय सभा में पारित हुआ है। इसे संसद की दोनों सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसे हमारे समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसलिए उन विशेष प्रावधानों का संबंध, निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित राज्य द्वारा सहायता प्राप्त और गैर–सहायता प्राप्त उन सभी शैक्षणिक संस्थानों में इन वर्गों के प्रवेश लेने से है। इस प्रकार का विधेयक उसका अनुपालन करने जा रहा है। उसका समर्थन करना और उसे पारित करना हमारी जिम्मेवारी है। यह हमारी जिम्मेवारी है और हम 93वें संशोधन का अनुपालन कर रहे हैं पर इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि निजी संस्थानों के बारे में क्या होगा? इसमें सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के बारे में ही कहा गया है। जहां तक केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों का संबंध है उस स्थिति में तो ठीक है पर राज्यों से सहायता प्राप्त संस्थानों के बारे में क्या विचार है? निजी संस्थानों के बारे में क्या विचार है? इसलिए ये सभी बातें यहां होनी चाहिए।

सभी बिंदुओं पर बहस की जा रही है। पहली बात यह कि यदि अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इस बात को नहीं समझा गया है। यह विधेयक उच्चशिक्षा प्राप्त करने के लिए है – केवल प्रवेश के लिए। ऐसा नहीं कि इससे शिक्षा का स्तर या किसी वर्ग का परिणाम या वर्ग प्रभावित होगा बल्कि यह उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए अवसर प्राप्त करने के लिए है।

इसलिए इसमें क्या हर्ज है? मैं नहीं जानता कि वे क्यों हिचक रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे कुछ पूर्वाग्रह से काम कर रहे हैं। उनका विचार ऐसा है कि वे सोचते हैं कि दलित परिवारों के बच्चों को उनके बच्चों के साथ उसी कक्षा में और उसी बेंच पर बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं कहूंगा कि यह पूर्वाग्रह से ग्रस्त विचार है। इसलिए, इस संदर्भ में सरकार को कुछ ठोस काम करना चाहिए।

दूसरा मुद्दा है मलाईदार परत के सवाल को उठाया जाना। जहां तक हमारी जनगणना का संबंध है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम नहीं जानते कि कौन मलाईदार परत है कौन नहीं। इसलिए मलाईदार परत का सवाल उठाना और कुछ नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया को मंद करना है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अन्य पिछड़े वर्गों को समग्रता से लेकर उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक को विचारार्थ और पारित करने हेतु इसे प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार पुनः इसका समर्थन करता हूं।

*श्रीमती परनजीत कौर गुलशन (भटिंडा) : महोदय, मैं केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 का समर्थन करती हूं जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की बात की गई है। तथापि, इस विधेयक में कई कमियां हैं।

भारत 1947 में आजाद हुआ। अंग्रेजी झंडा झुका दिया गया और तिरंगा फहरा दिया गया। भारत का विभाजन हो गया। कई चीजें बदल गयीं। फिर भी, दलितों के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष बाद भी दलित शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। देश में दलितों की दयनीय दशा के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिम्मेवार है जो करीब 50 वर्षों तक सत्ता में रही। कांग्रेस पार्टी ने दलितों की दुर्दशा को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसने खोखले दावे किए और झूठे आश्वासन दिऐ।

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्रीमती परमजीत कौर गुलशन]

मैं इस सम्माननीय सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। इससे इन वंचित लोगों के प्रति उनकी चिंता जाहिर होती है। देर आयद दुरूस्त आयद।

महोदय, हमें देश में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र को अवश्य मजबूती देनी चाहिए। तभी ये सुविधावंचित वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। देश में प्राथमिक शिक्षा नेटवर्क की स्थिति अच्छी नहीं है। बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ देने की दर 72 प्रतिशत हो गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के बीच यह दर 80 प्रतिशत है। बालिका विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ने की दर और भी ज्यादा है। 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं। कई विद्यालयों में सिर्फ एक या दो ही शिक्षक हैं। हम प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में जब तक आमूल–चूल परिवर्तन नहीं लाते तब तक उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायेगी।

सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा स्तर पर समान अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सभी शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम एक समान स्तर के होने चाहिए। केवल तभी इस विधेयक में रेखांकित किए गए आरक्षण का लाभ समाज के पददलित वर्गों के लोगों को मिल पायेगा। बच्चे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा तभी कर सकते हैं जब सभी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध हों। अन्यथा, समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के बच्चे शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में पिछड़ जायेंगे।

महोदय, अंग्रेजी की पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही शुरू की जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों और निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। 'सकारात्मक विभेद' समय की मांग है। सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय बुरी स्थिति में हैं। हमारे शैक्षणिक संस्थानों में 90 प्रतिशत भागेदारी निजी शिक्षण संस्थानों का है। गरीब, वंचित और सुविधा रहित लोग दुर्दशा ग्रस्त हैं। वे निजी और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के उच्च शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं होते। पंजाब में उच्च शिक्षा के सभी संस्थान निजी लोगों या अल्पसंख्यकों के हैं। इन संस्थानों को बिना सोचे विचारे आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। यदि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति को वाकई बेहतर करना चाहती है तो निजी और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए।

इस विधेयक में वैसे शैक्षिक संस्थानों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है जहां 'विशेष दक्षता' की जरूरत है। महोदय, मैं माननीय मंत्री से अपील करती हूं कि इसे भी आरक्षण के दायरे में लाया जाये। गरीब लोग इन संस्थानों में चन्दा देकर अपने बच्चों के लिए सीट नहीं ले सकते।

इस विधेयक में शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए सिर्फ 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए सिर्फ 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। पंजाब की 38 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग की है। जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। पंजाब में अनुसूचित जातियों के वर्ग में 33 उप जातियों को शामिल किया गया है। अनुसूचित जातियों में 50 प्रतिशत से अधिक 'मजहबी' और 'वाल्मिकी' समूहों की हैं। केवल 20 प्रतिशत अनुसूचित जातियां आरक्षण का फायदा उठा रही हैं जबकि कई अन्य उप समूह पिछड़ते जा रहे हैं। वे गरीबों में भी सबसे गरीब हैं और अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़े हैं।

जब स्व. ज्ञानी जैलसिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अनुसूचित जाति सीटों का 50 प्रतिशत 'मजहबी' और 'वाल्मिकी' समूहों के लिए ही आरक्षित कर दी थी। तथापि, बाद में इसे खत्म कर दिया गया। परिणामतः, इन समूहों की उपेक्षा हुई। आरक्षण संबंधी ज्ञानी जैलसिंह के फार्मूले को पुनः लागू किया जाना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्धनतम में से निर्धन और पिछड़ी जातियों में सबसे पिछड़े लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिले। इस विधेयक के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। दोषी शैक्षणिक संस्थानों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। हमने बहुत–सारे कानून बनाये हैं। लेकिन उनका क्रियान्वयन ढीला–ढाला रहा है और अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। 85वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण घटना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब में यह अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

महोदय, न्यायपालिका को भी आरक्षण के दायरे में लाना चाहिए। केवल गरीब ही जानते हैं कि असली मुसीबत क्या है। केवल वंचित और अभावग्रस्त ही अपने गरीब भाइयों के दर्द को समझ सकता है। इसलिए, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका और ऐसे अन्य संस्थानों को इसमें सम्मिलित किया जा सके। तभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा जैसा कि इस विधेयक में व्यवस्था है।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वास्तव में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब यह विधेयक संसद में रखा गया है। मैं समझता हूं कि हम सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। हमें एक उदाहरण बनाना चाहिए जैसा कि हमने संविधान में यथा परिभाषित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी गैर–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के मुद्दे पर 93वें संविधान संशोधन के समय लगभग ध्वनिमत से समर्थन किया था। इस मामले में भी लगभग सर्वसहमति से इसका समर्थन किया जाना चाहिए। मैं संसद के सभी विशिष्ट सदस्यों और समूहों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही मत व्यक्त करना चाहिए।

महोदय, मूलतः कुछ मामलों में शिक्षा के आरक्षण के अभाव में रोजगार में आरक्षण कमजोर पड़ जाता है। हमें याद होगा कि 90 के दशक के दौरान जब रोजगरा में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव लाया गया तब विरोधियों द्वारा एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया गया था कि शिक्षा में आरक्षण के बिना रोजगार में आरक्षण का क्या मतलब है। अब यह देखकर आश्चर्य होता है कि अब वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिसके कारण उनको अच्छी तरह ज्ञात है और यह बात किसी भी समझदार आदमी के समझ से परे है। वे मूलतः अपने ही उन तर्कों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने 90 के दशक में रोजगार में आरक्षण के विरुद्ध दिया था। मैं उनको अवश्य ही इस तथ्य को याद दिलाना चाहूंगा।

मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आकलित आबादी लगभग 52 प्रतिशत है। इस आंकड़े के बारे में चर्चा हो सकती है और विवाद हो सकता है। यहां 27 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रश्न है। इसका मतलब है कि अभी भी अन्य पिछड़े वर्ग के 2 व्यक्ति के लिए एक पद का आरक्षण है। इसलिए, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके लिए आरक्षण में हम उन्हें पूरी समानता दे रहे हैं। इसलिए, इस संबंध में उनके तर्क के विरोध के पक्ष में कोई ज्यादा दम नहीं है।

हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि आज की तारीख में कैपिटेशन फीस के नाम पर शिक्षण संस्थाओं में पहले से ही एक तरह का आरक्षण है। इसको कोई और क्या नाम दे सकता है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पैसे से नामांकन की सीटों को खरीदा जा सकता है? क्या समाज के सम्पन्न वर्गों के लिए शिक्षा में एक प्रकार का आरक्षण नहीं है? जो लोग इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वे लोग कैपिटेशन फीस के भुगतान की प्रणाली से उत्पन्न आरक्षण का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा सोचने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जो लोग सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं वे इस संस्थानों को चला रहे हैं जहां कैपिटेशन फीस लेकर छात्रों का नामांकन किया जाता है। इसलिए यह तर्क मान्य नहीं है।

महोदय, यह पूरा मसला किसी दूसरे कारण से पैदा हुआ है। संविधान में साफ शब्दों में कहा गया है कि सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी और यह व्यवस्था जहां तक संभव हो, प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक होगी। परिणाम क्या रहा है? अगर हमने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता तब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आजादी के 60 साल के बाद भी हम 'सबके लिए शिक्षा' के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं और इसीलिए, यह प्रश्न बार–बार उठ खड़ा होता है। नौकरियों में आरक्षण का भी मुद्दा ऐसा ही है। क्या यह उपलब्ध होगा या यह बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक होगा? मैं समझता हूं कि जो विरोध हो रहा है उसका दायरा उतना बड़ा नहीं होगा। हमें मूल बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें समाज को भी देखना चाहिए क्योंकि इसमें कई स्तरीय असमानताएं हैं। हमें, 'मात्रा, गुणवत्ता और समानता' के नारे को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम इस कदम को अपनाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा।

इस स्थिति में सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। सरकार को इसे बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कहना चाहिए। सीटों को बढ़ाने के साथ आरक्षण का मतलब होगा कि संख्या को बढ़ाकर सरकार सबको अवसर की समस्या तथा गुणवत्ता की समस्या का समाधान कर रही है। सीटों की संख्या को बढ़ाकर सरकार समाज के दूसरे वर्ग के छात्रों को अवसर दे रही है जिनके लिए उच्चतम शिक्षा में प्रवेश के लिए अवसर नहीं हैं। इसलिए यह गुणवत्ता के साथ समझौता करने की बात नहीं है। इसे सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए, सीटों की संख्या में वृद्धि के साथ ही समानता और गुणवत्ता के कारकों में भी मेल रखा जाएगा। भारत जैसे देश में यह बहुत ही आवश्यक है।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे दो या तीन आपत्तियां हैं। अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या 52 प्रतिशत है जबकि उनके लिए आरक्षण 27 प्रतिशत है। वास्तव में दबे हुए कुचले हुए हैं उनको अवसर क्यों नहीं दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो क्रीमी लेयर को हटाना अनिवार्य होगा। क्रीमीलेयर को शामिल करके तथा 52 प्रतिशत के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देकर हम उसी वर्ग के सबसे दबे हुए लोगों को अवसर से वंचित कर रहे हैं। अतः मैं सोचता हूं कि क्रीमीलेयर को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए और इस पूरे प्रयास में उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है। इसे पहले भी किया जा सकता था। 93वें

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

संशोधन ने अधिकार प्रदान कर दिया है कि इसे निजी संस्थानों में भी लागू किया जा सकता है। मैं जोरदार शब्दों में यह प्रस्ताव करता हूं कि क्रीमीलेयर को बाहर रखते हुए इसे निजी संस्थानों में भी लागू किया जाए। शिक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए कुल संख्या, निधियों का प्रावधान और उसकी व्यवस्था सावधानीपूर्वक इस प्रकार की जानी चाहिए कि हमारे देश के अंदर बहुत से वर्गों में वंचित रह जाने का भाव न पैदा हो। उसके लिए इसका समाधान किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि भारत जैसे देश में मूलतः जहां जाति और वर्ग विभाजन मौजूद है, इन समूहों में बहुत सी विभिन्नताएं हैं, सभी समूहों की समान भागीदारी आवश्यक है। ऐसा करते समय स्पष्ट तौर पर हमें गुणवत्ता के प्रश्न को ध्यान में रखना होगा और संख्या में वृद्धि एक समाधान हो सकता है। इस पूरे अभ्यास में गुणवत्ता और संख्या के बीच संतुलन रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि देश में पूर्ण विकास, जैसे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास में विधेयक का बड़ा योगदान होगा।

इसीलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में सबसे पहले दलित और पिछड़े वर्गों की चिन्ता करने वाले बहुत ही योग्य मानव संसाधन विकास मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चल रही मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा दलित वर्गों में शिक्षा का उत्थान करने के लिए दिए गए वायदे को इम्प्लीमेंट किया और सदन में महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आए। इसके लिए देश के समूचे दलित, पिछड़े और कुचले लोग आपकी भूरि–भूरि प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने छूटे हुए रिजर्वेशन की कमी को पूरा किया। यह बात सही है कि मंडल कमीशन या रिजर्वेशन को इस मुल्क में इम्प्लीमेंट करने में सदैव दिक्कत आई। जब–जब रिजर्वेशन चालू हुआ, तब–तब ऐसी सभ्यता और संस्कृति वाले लोगों ने इस देश के जीवन को प्रभावित किया। आप जिस दिन इस बिल की परिकल्पना लेकर आए, मंत्री जी के मुंह से निकला हुआ पहला स्टेटमैंट जब अखबार में आया, उसके दूसरे दिन से ही अपने आपको चिन्तक कहने वाले लोगों ने बखेड़ा करके नौजवान साथियों को गुमराह करने की कोशिश की। दिल्ली का ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट उसका एक केन्द्र बन गया। सारे देश में इस प्रकार की बात फैलाई जाने लगी जैसे देश में कोई बहुत बुरा काम किया जा रहा है। लेकिन सरकार की सूझ–बूझ से जो बिल आप लेकर आये हैं, निश्चित रूप से इन वंचित वर्ग के लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। यह सही है कि शिक्षण संस्थाओं में खासकर प्रदेशों में पहले से ही अनुसूचित जाति–जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की समुचित व्यवस्थाएं रही हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि पिछले 50 वर्षों में उस आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन सदैव खामियों से भरा रहा चाहे नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो या शिक्षण में आरक्षण देने की बात हो। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, संस्थाएं हैं जहां अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के फैसले, सरकार के मंत्रियों के फैसले के बारे में बहुत स्पष्ट है कि इन वर्गों के वे लोग जो जनरल मैरिट में आते हैं, उन लोगों को आरक्षण के दायरे में शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि वे अपनी मैरिट से आये हैं। उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ओबीसी के बचे हुए 27 परसेंट स्टूडैंट्स को आरक्षण दिया जायेगा। लेकिन आज भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर ओबीसी का कैंडीडेट यदि पहले नम्बर पर आता है, तो उसे रिजर्वेशन के 27 परसेंट कोटा में शामिल करके उसकी इतिश्री कर लेते हैं। उनको बोलने पर वे कहते हैं कि आपको 27 परसेंट दे तो दिया है जैसे कोई खैरात बांट दी हो। इसलिए जब आप इस बिल को लेकर आये हैं, तो मेरी चिन्ता इसकी इम्प्लीमेंटेशन की ओर है।

आज आप देखिये कि आईआईएम, आईआईटी और देश की राष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर जो लोग इन संस्थाओं को कंट्रोल करते हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, उन्होंने मीडिया के सामने बखेड़ा खड़ा किया जो कि हमारे पास आज इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। हम कैसे एक साथ सीटें बढ़ा देंगे? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इतना बड़ा संस्थान है। वहां प्रति 50 या 60 लड़कों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। अगर उनकी संख्या दुगुनी कर दी जाये, मैं स्वयं डॉक्टर रहा हूं, मैंने पेशे से मेडिकल कॉलेज में अध्ययन और अध्यापन किया है, मैं नहीं समझता कि आज वहां की संख्या को डेढ़ या दुगुना करने से उनके पास किसी हाल, लेक्चरार, थेयटर, साइंटिफिक लेबोरेटरीज की कमी है। जिस संस्था पर 300–400 रुपये हर वर्ष खर्च किया जाता है वहां पर थोड़ा बहुत छात्रावास की कमी हो सकती है।

इसलिए मैं समझता हूं कि आपने इस बिल में प्रावधान रखा है कि जिन संस्थाओं के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ऐकेडेमिक प्रॉपर नहीं है या उनकी कमी है, तो वे चाहें आने वाले तीन साल में जिसको आपने तीन चरणों में बनाने के लिए स्टेगर किया, उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन इसलिए जरूरी है कि जो टैक्नीकल एजुकेशन की काउंसिल हैं।

[अनुवाद]

चाहे यह बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान हो।

[हिन्दी]

इन सब काउंसिल्स में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मुझे आज इस बात का एप्रिहैन्शन है कि जिस दिन आप सीट बढ़ायेंगे, वे यह बात लेकर आ जायेंगे कि नहीं साहब, इससे एजुकेशन क्वालिटी डायलूट होगी। अभी तो यहां पर दो लेक्चरार, तीन एक्सरे मशीन और दो लेबोरेटरीज की कमी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस बात को आप सुनिश्चित करें। उनकी मॉनीटरिंग को आप फेज वाइज फेज वर्ष 2007 से चालू कर रहे हैं या नहीं? कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, जिनके पास बड़े-बड़े लम्बे चौड़े कैम्पस हैं, बहुत लम्बा-चौड़ा स्टाफ है। वे पहले साल में 27 परसेंट आरक्षण, 15 और 7.5 परसेंट करके इसको इम्पलीमैंट करें। मैं एक दो और बातें करके अपनी बात समाप्त करूंगा।

इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन को इस दायरे से बाहर कर दिया गया। हर चीज टुकड़ों में दी जा रही है। पहले आर्ट्स कॉलेज में दिया फिर साइंस कॉलेज में दिया। उसके बाद देश की अन्य संस्थाओं में दिया। अब सुपर स्पेशलाइजेशन को बाहर कर दिया है। हमारा कहना है कि जो लड़के एमबीबीएस करेंगे, वही आगे जाकर एमडी, एमएस करेंगे। वही लड़के आगे चलकर कार्डियो वैसकुलर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और अन्य विषयों में सुपर स्पेशलाइजेशन करें। आप यहां जो दे रहे हैं, वे क्वालीफाई करके आ रहे हैं। सुपर स्पेशलाइजेशन के नाम से फिर लोगों को वंचित किया जा रहा है।

बहुत सी संस्थाओं, जिनको इसमें राष्ट्रीय महत्व की और बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जा रहा है, उनके बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि इस देश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों में ऐसे दिमाग के लोग नहीं हैं जो इन संस्थाओं में जाकर रिसर्च कर रहे हों। आज भी बहुत से ऐसे लोग वहां रिसर्च कर रहे होंगे, आप उनको थोड़ा सा मौका और दीजिए। मेरा निवेदन है कि इन संस्थाओं को भी इस परिधि से बाहर निकलना होगा और इस मुल्क में इन वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण देना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा कि आईआईएम वगैरह ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें आज दो लाख-तीन लाख रुपये सालाना फीस देनी पड़ रही है। मैं समझता हूं कि एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है। इसलिए इस फी स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। कुछ क्रास-सब्सिडाइजेशन का मामला देखना पड़ेगा, जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं, उनसे ज्यादा फीस ली जाए और जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ छूट दी जाए। यद्यपि यह कहना आसान है कि आज देश में बैंक्स एजुकेशन के नाम पर ऋण दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सी बाधाएं हैं। बड़े लोन के लिए आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ गारन्टी देनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर भी विचार किया जाए कि इन वर्गों को जब आप बढ़ावा दे ही रहे हैं तो इस फी-स्ट्रक्चर में भी ऐसे परिवर्तन किए जाएं जिससे ये लोग आगे बढ़ सकें। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि सरकार इन संस्थाओं में सीटों को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में फण्ड्स में कहीं कोई कमी नहीं आने देगी और उनके लिए पूरी व्यवस्था की जायेगी। इसके साथ ही पेनल्टी क्लॉज जरूर होनी चाहिए। जो संस्थाएं इसे इंप्लीमैंट करने में जानबूझकर आना-कानी और लापरवाही करें, उनको चलाने वाले लोगों को किसी तरह का दण्ड देने का प्रावधान होना चाहिए। इस देश में रिजर्वेशन का इंप्लीमैंटेशन ठीक तरह से न हो पाने का एक कारण यह भी है कि उसके उसके पीछे कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं रहा है। आदमी नॉट फाउण्ड सूटेबल कैण्डीडेट करके कैण्डीडेट्स को रिजेक्ट कर देता है और पिछले दरवाजे से भर्ती कर ली जाती है। खासतौर पर जिन संस्थाओं को हम ऑटोनॉमस संस्थाएं कहना चाहते हैं, मैं मंत्री जी का ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहूंगा। मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आज एससी, एसटी और ओबीसी के 5 प्रतिशत भी शिक्षक नहीं हैं जबकि यह ऐसी संस्था है जहां पर लोगों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन वहां इस तरह के लोग बैठे हुए हैं कि पिछले रास्ते से एड-हॉक एप्वाइंटमेंट करते गए, कोर्ट से स्टे लेते गए। अगर आप सर्वे करवाकर देखें तो जिन संस्थाओं को आप ऑटोनॉमस मानकर चलाया गया है, वहां लोगों ने बहुत मनमानी की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन संस्थाओं पर जहां तक पॉलिसी मैटर्स का सवाल है, इस ऑटोनॉमी पर सरकार का शिकंजा कुछ कसा जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को, इस देश के दलितों, गरीबों, पिछड़ों की ओर से तहेदिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इन संस्थाओं में इन वर्गों को आरक्षण देने के लिए यह बिल लाए हैं। इसके लिए यह देश सदैव आपको याद रखेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास उन 25 से अधिक सदस्यों की सूची है जिन्हें अभी बोलना है। इसलिए, जो माननीय सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं। वे अपना लिखित भाषण दे सकते हैं। वह आज की कार्यवाही का हिस्सा होगा।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए लाए गए इस बिल का मैं और मेरी पार्टी समर्थन करती है।

महोदय, पिछले कई महीनों से एक विवाद चल रहा है कि क्या मेधा पर समझौता किया जा रहा है, क्या मेरिट पर कंप्रोमाइज किया जा रहा है। इस चर्चा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि क्या किसी ने भारत के इतिहास की समीक्षा की है, भारत की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है। इससे एक चीज उभरकर आती है कि देश में जाति व्यवस्था एक सत्य है, यह इस समाज में उपस्थित है और जाति को लेकर कई प्रकार के विभेद, विभिन्न प्रांतों में अलग–अलग हो सकते हैं।

अपराह्न 3.50 बजे

(श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए*)

कहीं जाति के आधार पर, कुछ जगहों पर भाषा के आधार पर यह है, लेकिन मैरिट किसी जाति विशेष की मोनोपॉली नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इसमें समझौता होगा। मैं इस संबंध में उदाहरण देना चाहता हूं। दक्षिण के कुछ प्रांतों में, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, वहां कई सालों से शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा रहा है, विशेषकर उच्च शिक्षा में दिया जा रहा है और कोई समझौता देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि यह सत्य है कि भारती समाज में जाति के आधार पर विभेद को मिटाने के लिए आरक्षण देना होगा। इस बारे में सरकार का यह एक सराहनीय कदम है और हम इसका समर्थन करते हैं।

इस बारे में मुझे आपत्ति है, जो मेरी असहमति है, उसे मैं जताना चाहूंगा। इस बिल में केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं के बारे में कहा गया है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों के बारे में क्या होगा? मंत्री जी जवाब देते समय इसे स्पष्ट करें। अगर वह ऐसा करेंगे तो अच्छी चीज कर पाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि इसे तीन चरणों में लागू किया जायेगा, जिसमें करीब सात–आठ साल लग जायेंगे और इस पर लगभग 16,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मेरी मांग है कि इसे इसकी अवधि इतनी लम्बी न करें। अगर देश की ऐतिहासिक भूल को सुधारना है, जिन लोगों को वर्षों से इस चीज के लिए वंचित किया गया है, उन्हें इसका लाभ देने के लिए आप फेजआउट न करें और एक बार में ही इस पर व्यय करके लागू करना चाहिए।

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों के बारे में जिक्र है, उन्हें इससे अलग रखा गया है, यह ठीक नहीं है और आपत्तिजनक है। आर्टिकल 30 यह अधिकार देता है कि चाहे लिंग्वेस्टिक माइनोरिटी हो या रिलीजियस माइनोरिटी हो, उन्हें अपने इंस्टीट्यूट्स चलाने का अधिकार है। इन अल्पसंख्यक संस्थाओं से जो आय होगी, उनसे ये संस्थान चलाए जाएंगे और जो उनके द्वारा अर्जित सम्पत्ति है, उसमें सरकार हस्तक्षेप न करे, यह प्रोटेक्शन दिया गया है। मेरा कहना है कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना हो, तो वह करना चाहिए और उन पर भी यह लागू करना चाहिए।

मैं इस संबंध में दो–तीन उदाहरण और देना चाहूंगा। दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज है। क्या वहां आदिवासी, हरिजन और पिछड़ी जाति के बच्चे नहीं पढ़ पायेंगे, हम जानते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आज उच्च शिक्षा व्यावसायिकता की ओर जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री आपत्ति करते हैं कि विदेशी युनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि एफडीआई उच्च शिक्षा में भी होना चाहिए। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि यह आज का विषय नहीं है। लेकिन जो गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनका क्या हाल है, यह आप देखें। जैसे मनिपाल युनिवर्सिटी है। कई राज्यों में उसे माइनोरिटी का दर्जा हासिल है, कई में नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए, ऐसा काम कुछ जगह करने की कोशिश की गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने शिक्षण संस्थानों में और अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी ने भी मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने की कोशिश की थी। देश की न्यायपालिका ने उसे ठुकराया है। मैं आपके माध्यम से सरकार की दृष्टि इस तरह आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जिस आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, इस आर्टिकल 31(ए) को संशोधन करके निजी तथा माइनोरिटी में भी लागू करिए, तो आपकी नीयत स्पष्ट हो जायेगी और हम आपका पूरा समर्थन करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : सभापति महोदय, पट्टालि मक्कल काच्ची और इसके संस्थापक अध्यक्ष डा. ऐय्या, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, की ओर से मैं दृढ़ प्रतिबद्धता सहित इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे संस्थापक अध्यक्ष, जो सामाजिक न्याय के संरक्षक के रूप में विख्यात हैं, ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं उनकी ओर से पुख्यात अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सं.प्र.ग. सरकार, जिसका कुशल मार्गदर्शन सं.प्र.ग. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी कर रही हैं, को सराहना और बधाई संदेश प्रेषित करूं; और साथ ही माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को भी जिन्होंने आज इस सम्मान्य सदन में यह महत्वपूर्ण विधान प्रस्तुत किया है।

आज 14 दिसम्बर, 2006 का दिन भारत के सामाजिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। यह हमारे और देश के लोकतंत्रप्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, खुशी और उत्साह का दिन है क्योंकि लगभग 60 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद, आज प्रथम बार हमने केन्द्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों के द्वार उन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए खोले हैं जो देश की जनसंख्या के 52 प्रतिशत हैं। यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलैग्नार और प.मा.कां. पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डा. ऐय्या जैसे समाज–सुधारकों की जीत है जो अनेक वर्षों से सामाजिक विकास के लिए काम करते रहे हैं। आज यदि तंताई पेरियार और डा. अम्बेडकर जीवित होते तो डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्वाधीन तथा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा मार्गदर्शित इस सं.प्र.ग. सरकार को दिल से आशीर्वचन देते क्योंकि आज उन नेताओं के स्वप्न साकार हो रहे हैं। इस सरकार ने सिद्ध कर दिया कि तंताई पेरियार और डा. अम्बेडकर मात्र स्वप्न दृष्टा नहीं थे बल्कि वे व्यावहारिक और यथार्थवादी रखने वाले जनप्रतिनिधि व व्यक्तित्व थे। अतः, आज सदन में यह विधेयक लाने पर हम इस सरकार को हार्दिक बधाई देते हैं।

महोदय, मैं इस विधेयक से जुड़ी कई बातों के लिए सरकार की सराहना करूंगा। प्रथम तो यह कि हमारा हमेशा से यह मानना रहा है कि सामाजिक न्याय के बिना कोई भी विकास–प्रक्रिया बेमानी है। आज हम 8 और 9 प्रतिशत विकास दर की बात करते हैं। लेकिन इसका लाभ समाज के निचले वर्गों तक समान रूप से वितरित होना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय कायम हो सके। इस विधेयक के माध्यम से इस सरकार ने दुनिया और देश को दिखा दिया है कि वह सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास के लिए काम कर रही है।

दूसरी बात, उच्च शैक्षिक संस्थानों में अवसरों के द्वार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए खोलकर इस सरकार ने इस देश में विगत 60 वर्षों से चली आ रही एक विसंगति या विरोधाभास को दूर कर दिया है। हमने रोजगार आधारित आरक्षण तो दिया, लेकिन जब तक समुदाय या वर्ग विशेष के जन शिक्षित न हों, वे रोजगार पाने में असफल रहेंगे। अतः यह विधेयक उच्च शिक्षा संस्थानों के द्वारा ऐसे जनों के लिए खोलेगा और यह उनकी रोजगार प्राप्ति में सहायक होगा। रोजगार से व्यक्ति का एक सामाजिक स्तर तय होता है, क्रयशक्ति आती है और आर्थिक बुनियाद बनती है और इसलिए हम सबको इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए।

महोदय, उच्च शिक्षा के विरुद्ध जो तर्क दिए जाते हैं उनमें से एक यह है कि हमारी आबादी के संबंधित आयु वर्गों में से केवल 6 से 7 प्रतिशत हिस्सा ही उच्च शिक्षा का अवसर पाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग की ओर देखें तो हम पायेंगे कि इसमें संबंधित आयु वर्ग के केवल 2–3 प्रतिशत जन ही उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लम्बे समय से शिक्षा के अवसर उपलब्ध ही नहीं हुए हैं। किन्तु इस विधेयक से यह अवसर मिलेगा और इस समुदाय के लोगों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ें।

अपराह्न 4.00 बजे

एक अन्य कारण से हम माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करते हैं। वह है: हमें यह आशंकायुक्त सूचना मिली थी कि इस विधेयक में संपन्न वर्ग को भी शामिल किया जायेगा और कहा गया था कि जिस स्थायी समिति ने इस विधेयक की समीक्षा की थी, उसका भी ऐसा सुझाव था। परन्तु हमें यह जानकार काफी राहत हुई कि संपन्न तबके को इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया। हम इस पर खुशी व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

माननीय मंत्री जी को इन सब बातों के लिए सराहना करते हुए हमने पाया कि इस विधेयक में अ.पि.व. के अल्प–प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान दिया गया है और इससे समतामूलक समाज बनाने की दिशा में मदद होगी क्योंकि जिन्हें हम चुनना चाहते हैं उनके लिए भी शिक्षा के समान अवसर अब उपलब्ध होंगे। यद्यपि हमारा माननीय मंत्री जी को इन सब बातों के लिए धन्यवाद है तथापि उनसे एक–दो प्रश्न पूछना चाहूंगा।

पहली बात, विधेयक के बारे में ही है। इस विधेयक की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि यह कतिपय शिक्षा संस्थानों के लिए ही लागू है। 'कतिपय' शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ है, यह स्पष्ट नहीं है। यदि आप यह 'कतिपय' शब्द रखेंगे तो नौकरशाहों को इसकी मनमानी व्याख्या करने की छूट मिलेगी। अतः हम समझते हैं कि केंद्रीय शिक्षा–संस्थानों में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. वर्गों के प्रवेश के समय आरक्षण देने के लिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. एम. रामदास : महोदय, कृपया दस मिनट और दीजिए। मुझे कई बातें कहनी हैं।

सभापति महोदय : जी, नहीं। समय सीमित है। आप समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास : महोदय, मैंने अभी केवल दो ही मिनट लिए हैं।

सभापति महोदय : जी, नहीं। समाप्त कीजिए। विधेयक पर चर्चा का समय बढ़ा लीजिए, तब मुझे आपत्ति नहीं। बस एक मिनट में खत्म कीजिए।

प्रो. एम. रामदास : महोदय, मैं इस सदन में समानता की बात कर रहा हूं और आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे।

मैं माननीय मंत्री जी से वहां से 'कतिपय' शब्द को हटाने का अनुरोध करता हूं। तत्पश्चात्, जब भी परिभाषिक वाक्य लिखे जाएं, सावधानीपूर्वक लिखे जाएं। खंड (ट) में विधेयक उन पाठ्यक्रमों का उल्लेख करता है जो कृषि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी और विधि क्षेत्रकों में उपलब्ध हैं और यहां केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों, विशेषतः केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को छोड़ दिया गया है। मेरी इच्छा है कि इस पर ध्यान दिया जाए।

खंड 4 के अनुसार, यह विधान कुछ उत्कृष्ट संस्थानों और अनुसूचित क्षेत्रों के कुछ संस्थानों पर लागू नहीं है, न ही पोस्ट–डॉक्टोरल स्तर पर। यहा खंड हटा दिया जाए और इस ओर ध्यान दिया जाए।

हमें इस विधेयक में जो सबसे आपत्तिजनक हिस्सा लगा वह है खंड 5, जिसमें कहा गया है कि सीटों की संख्या में वार्षिक रूप से वृद्धि की जायेगी। इस खंड का आशय यह निकलता है कि जब तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ती, अ.पि.व. को इन संस्थानों में एक भी सीट नहीं मिलेगी। उदाहरणार्थ, आज की स्थिति में यदि 100 सीटें हैं तो इनमें से अ.जा. और अ.ज.जा. को 23 और अन्य वर्ग को 77 सीटें मिलेंगी और इस तरह पूरी 100 सीटें ही उनमें बंट जायेंगी जबकि अ.पि.व. को कुछ नहीं मिलेगा।

इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् जब तक ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें।

प्रो. एम. रामदास : जब तक सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 154 नहीं की जातीं, अ.पि.व. को 27 प्रतिशत सीटें नहीं मिलेंगी। यह तो दायें हाथ से देकर बायें हाथ से वापस लेना हुआ और फिर यह भी कोई गारंटी नहीं कि सभी संस्थानों में सीटें बढ़ेंगी ही।

अब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए अन्य संस्थानों में सीटें बढ़ाने की आवश्यकता क्योंकर पड़ी। जब श्री वी.पी. सिंह ने नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था तब तो उन्होंने नौकरियों की संख्या कोई 100 से बढ़ाकर 154 तो नहीं की थी। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था। अतः यदि वाकई न्याय किया जाना है तो सीटों की वर्तमान संख्या के आधार पर ही आरक्षण मिले और अगले शैक्षिक सत्र से 100 में से 27 सीटें अ.पि.व. को मिले। मेरे विचार से, देशभर में या दुनिया में या किसी अदालत में यह सही नहीं ठहराया जा सकता कि विगत 60 वर्षों में आबादी के 52 प्रतिशत हिस्से, अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग, को एक भी सीट न मिले और 10 प्रतिशत लोग 77 प्रतिशत सीटों पर काबिज हो जाएं।

अब यदि आप फिर भी घटाने–बढ़ाने पर अड़े हैं और यदि आप यही स्थिति बनाये रखना चाहते हैं तो आप यह करें कि सीटों की संख्या 77 से घटाकर 50 कर दें और तब भी इन 10 फीसद लोगों को 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। पर यह अमानवीय, अन्यायपूर्ण है, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जहां शिक्षा के समान अवसरों की बात की जाती है, यह ठीक बात नहीं है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता की ही व्यवस्था है और यदि जनता को ही शिक्षा में सही मौके नहीं मिलते, आबादी के अनुपात में रोजगार नहीं मिलता तो समुचित लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करना कठिन होगा।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. एम. रामदास : अतः, जब तक ऐसा नहीं होगा अन्य पिछड़े वर्गों को कुछ नहीं मिलेगा। अतः, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सीटों की संख्या यथावत् रखते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रयास करें, भले ही इसमें सीट–संख्या स्थिर रहे। हम सीट–संख्या बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे न ही उन्हें घटाने–बढ़ाने की प्रक्रिया में लाने को कह रहे हैं बल्कि वर्तमान सीट–संख्या में ही ऐसा करने और इन लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास में योगदान करने को कह रहे हैं। और इसमें कुछ संस्थानों को छोड़ देना ठीक नहीं है। हमारे विचार से खंड 5 को पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए। तभी यह विधेयक 27 प्रतिशत आरक्षण देने के अपने कथित उद्देश्य में सफल हो सकेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि 27 प्रतिशत मिलेगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि इसमें तीन साल का समय लगेगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एल. गणेशन।

प्रो. एम. रामदास : अतः यह सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुकूल नहीं है। इसे हटा दिया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रो. रामदास, आप सहयोग कीजिए। आपकी बात ठीक है, पर समय कम है।

...(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : हमारी समझ में आप देश के समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में तत्काल यह 27 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू कीजिए। आज अधिकांश आई.आई.टी. संस्थानों में भी आप 27 प्रतिशत आरक्षण तो दे सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें। यह तो वही बात है।

...(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : हम 27 प्रतिशत आरक्षण एक बारगी चाहते हैं। इस तरह के सामाजिक न्याय की व्यवस्था में हम सरकार को पूरा–पूरा सहयोग देंगे। इसी से सामाजिक न्याय हासिल होगा। मैं इस सरकार से – जो सामाजिक न्याय और सामाजिक उद्देश्यों के लिए जानी जाती है – इस विधान पर सही ढंग से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री एल. गणेशन (तिरुचिरापल्ली) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको अपने विचार जो कि उत्तर भारत के लोगों के लिए कुछ अजीब लगेंगे, व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसे राज्य से हूं जो कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है। हम जब आरक्षण की बात करते हैं। 1927 में जब तमिलनाडु में पहला साम्प्रदायिक जी ओ (सरकारी आदेश) लाया गया था तब हममें से कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा। महोदय, इसलिए, जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मेरी बात थोड़ी सी अलग होगी। मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए संबंधित मंत्री श्री अर्जुन सिंह की प्रशंसा करता हूं। किंतु इसके साथ ही यदि मैं यह कहूं कि यह विलम्बित है और देर से आया है तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं बता सकता कि इसमें कितनी देरी हुई है, यह कितना विलम्बित है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह ने 1989–1990 के आसपास केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण लागू किया था। जब हम शैक्षिक रूप से तैयार नहीं हैं तो सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करने का क्या लाभ है? इसलिए शिक्षा में आरक्षण को सबसे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह 1990 में हुआ था और अब 2006 आ गया है। इतने वर्षों के पश्चात् आप यह कानून लाए हैं। जब हम कहते हैं कि यह विलम्बित है, तो इसका मतलब है कि यह देर से लाया गया है फिर भी देर आयद दुरूस्त आयद्। इसलिए उस सीमा तक मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके साथ–साथ मैं कुछ चीजों का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जहां तक इसका संबंध है बहुत से महान नेताओं ने सामाजिक न्याय के लिए बहुत कार्य किया है। आरक्षण आपने आप में लक्ष्य नहीं है बल्कि यह लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। लक्ष्य तो सामाजिक न्याय है। इस सिद्धांत के लिए हमारे महान नेता, हमारे तंताई पेरियार जैसा कि तमिल में कहा जाता है, ने बहुत कष्ट उठाये। पेरियार का तात्पर्य है – 'महान नेता'। उन्होंने त्याग किया और पवित्र सामाजिक न्याय हेतु एड़ी–चोटी का प्रयास किया। जब हमारे बहुत से लोगों ने सामाजिक न्याय के बारे में कभी सुना भी नहीं था तब हमारे अपने तंताई पेरियार ने सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू कर दिया था।

इसके अलावा अन्ना और दूसरे महान लोग भी थे। जब मैं यह बात कहता हूं तो कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों ने कुछ गर्व होना चाहिए कि 1927 में जब द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोगों ने कुछ अधिकारों के लिए संघर्ष किया तो आपको शर्माना नहीं चाहिए, आपको हमारी ही तरह गर्व महसूस करना चाहिए। जैसे ही 1950 में भारत का संविधन लागू हुआ उच्चतम न्यायालय द्वारा 1927 का साम्प्रदायिक जी ओ समाप्त कर दिया गया था और तमिलनाडु उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1927 का साम्प्रदायिक जी ओ अमान्य कर दिया गया है। फिर हमने संघर्ष आरम्भ किया। पेरियार और अन्ना ने आंदोलन किया। मैं स्पष्ट रूप से यह बात कहना चाहता हूं। मैं महान नेता कामराज को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध किया – यह कहने का बहुत मर्यादित तरीका है। उन्होंने लगभग पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि एशिया के प्रकाश पुंज, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एक महान नेता, भविष्यदृष्टा, दूरदृष्टि वाले नेता थे और जिनके बिना अब भारत एक लोकतंत्र नहीं होता से भीख मांगी थी। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने 1951 में पहला संविधान संशोधन किया था। कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र उस पर गर्व कर सकते हैं। उन्हें शर्म क्यों महसूस करनी चाहिए? *...(व्यवधान)* मैं जानता हूं। आप तमिलनाडु आइये, संसद में नहीं।

मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हुए गर्व हो रहा है। वह 1957 में संशोधन विधेयक लाने वाले पहले व्यक्ति थे। मानव संसाधन विकास मंत्री अब इस विधेयक को लाए हैं। मैं कहूंगा कि यह बहुत विलम्बित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 में संशोधन विधेयक लाये थे जिसके कारण आरक्षण नीति आज भी जीवित है। अन्यथा, आज इसका यह स्वरूप नहीं होता। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया एक या दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री एल. गणेशन : महोदय, मैं उस संकल्प को उद्धृत करता हूं

[श्री एल. गणेशन]

जो 1989 में तमिलनाडु सभा में पारित किया गया था। इसमें कहा गया है:

"यह सभा केन्द्र सरकार से भारत के संविधान के अनुच्छेदों 15(चार) और 16(चार) के अंतर्गत आरक्षण और विशेष प्रावधान करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में यथानिहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान में प्रमुख भूमिका का निवर्हन करने और केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त श्री मंडल की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग, 1980 की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों का उचित सम्मान करते हुए तेजी से सामाजिक न्याय के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने के लिए अनुरोध करने का संकल्प लेती है।"

यह संकल्प तमिलनाडु विधान सभा में 1989 में पारित किया गया था। इसका तात्पर्य है कि वह डा. क्लैग्नार द्वारा पारित कराया गया था। उसने कितना समय ले लिया है? यही नहीं, हमने इस उद्देश्य के लिए बहुत सा योगदान किया है। हमारे राज्य में डा. रामदास ने सबसे अधिक पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने संघर्ष किया था। निःसंदेह उन्होंने कष्ट उठाये। कुछ बहुमूल्य जिंदगियां भी समाप्त हुई थीं।

तत्पश्चात् जब 1989 में क्लैग्नार सत्ता में आए तो सबसे अधिक पिछड़े लोगों को 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए।

महोदय, अब मैं अपने भाषण के अंतिम भाग पर आ रहा हूं।

मंत्री महोदय, आज भी आप तेजी से कदम नहीं उठा रहे हैं। आप कछुए की चाल से चल रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों? उच्च शिक्षा में यानी खंड 4 में कुछ रियायतें क्यों दी गई हैं मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता कि यदि उन्हें कोई रियायतें न दी जाएं तो क्या नुकसान होगा ...*(व्यवधान)*

आपका कहने का मतलब यह है कि यह अनुभव है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री एल. गणेशन : उच्च शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने हेतु प्रवेश में रियायत के बारे में मुझे नहीं पता कि ऐसी रियायतें क्यों दी गई हैं। आपने संस्थाओं को यह आरक्षण लागू करने से छूट दी है। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसी छूट क्यों देते हैं। कृपया इसे समाप्त कीजिए।

अंत में, मंत्री महोदय मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसमें और सक्रियता दिखायें। आप सक्रिय हैं इसमें कोई संदेह नहीं और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परन्तु आप और अधिक सक्रियता दिखाइये।

महोदय, जैसा कि मेरे माननीय मित्र प्रो. रामदास ने कहा है आप खंड 5 को समाप्त करिये और खंड 4 को निकाल दीजिए और बाकी सब चीजें लागू कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री रतिलाल कालिदास वर्मा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी बात संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

मेरी सदन के सभी माननीय सदस्यों से दरख्वास्त है कि थोड़े समय में अपनी बात समाप्त करिए क्योंकि अभी और भी कई स्पीकर्स बाकी हैं। पता नहीं अभी कितना समय लगेगा?

[अनुवाद]

कृपया सहयोग दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जब भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, समय कम पड़ जाता है। यह बड़े दुःख की बात है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जनजाति का सवाल नहीं है। यह कोआपरेशन की बात है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि थोड़ा कोआपरेट करें।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, आजादी के 58 साल के बाद भी ...*(व्यवधान)* जब भी चर्चा का विषय आता है, समय कम है, बोलने के लिए कम समय मिलेगा। ...*(व्यवधान)* समय कब मिलेगा?

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : कल चर्चा चलाइए अगर आज नहीं होती है। ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : बिल्कुल ठीक बात है।

सभापति महोदय : यह तो बिजनैस एडवायजरी कमेटी ने डिसाइड किया है। वह तो उनसे बात करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लेकर आए हैं, सबसे पहले इसे लाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अभी शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात है, यह सवाल बहुत गहरा है और बहुत चिंतन करने वाला सवाल है। अभी मैं पार्लियामेंट्री, एससीएसटी कमेटी का चेयरमैन हूं, पहले भी चार साल रह चुका हूं। पूरे देश का हम लोग दौरा करते हैं, चाहे बैंक हों या ऑयल कंपनियां हों या प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हों, हर जगह अनुसूचित जाति के भाइयों का रोना ही रोना है। आज आप इसमें एडमिशन के लिए लाए हैं, लेकिन एडमिशन के अंदर काम होगा और जब एडमिशन मिलेगा तो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो भारत सरकार की ओर से एससी और एसटीज के लिए जो रिजर्वेशन निश्चित किया गया है, वह पूरा होगा लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 58 साल के बाद भी आज रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हुआ है। आज भी बैकलॉग है और उसे पूरा करने के बाद नयी पॉलिसी अपनाई जाने वाली थी। लेकिन उसे पूरा किये बगैर नयी पॉलिसी अपनाने लगे। आज सारे देश के अंदर कर्मचारी लोग इससे नाराज हैं।

दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो मुझे आंकड़े मिले थे, 1.1.1965 में एससी और एसटी का नौकरी में क्या प्रतिशत था।

[अनुवाद]

ए ग्रुप में यह 1.64 प्रतिशत था; बी ग्रुप में यह 2.82 प्रतिशत था; सी ग्रुप में यह 8.8 प्रतिशत था; और डी ग्रुप में यह 17.75 प्रतिशत था। यही वृद्धि शोध ने दर्शायी है।

[हिन्दी]

आज मेरे पास सन् 2003 के आंकड़े हैं। उसको देखने से आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी इंक्रीज हुई है। ए ग्रुप में 11.93, बी ग्रुप में 30.32 प्रतिशत, सी ग्रुप में 16.29 प्रतिशत और डी ग्रुप में 17.98 प्रतिशत ही इतने साल के बाद वृद्धि हुई है। अभी तो पूरा नहीं हुआ है और यह केवल एससी की बात है। एसटी की हालत और भी ज्यादा दयनीय है।

[अनुवाद]

1.1.1996 की स्थिति के अनुसार अ.ज.जा. के लिए आंकड़े इस प्रकार थे। ए ग्रुप में यह 0.75 प्रतिशत था; बी ग्रुप में यह 0.3 प्रतिशत था; सी ग्रुप में यह 1.14 था; और डी ग्रुप में यह 3.39 प्रतिशत था। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप तथा डी ग्रुप में यही वृद्धि हैं।

[हिन्दी]

सन् 2003 में ए ग्रुप में 4.18 प्रतिशत, बी ग्रुप में 4.32, सी ग्रुप में 6.54 तथा डी ग्रुप में 6.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह मैं आपके सामने 2003 के आंकड़े बता रहा हूं। क्या पोजीशन है, अभी तक रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसके पहले क्रीमीलेयर की बात हो रही है कि इसे हटाओ। इसके पहले रिजर्वेशन न करने देने के लिए सारे देश में आंदोलन चल रहा था इस बात का दुख है कि एससी, एसटी को जजमेंट से पहले ही जोड़ दिया गया है। यह इस प्रकार से एससी, एसटी के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं 1989 से लोकसभा में इस रिजर्वेशन के लिए मांग करता आ रहा हूं कि रिजर्वेशन को 9वें शेड्यूल में डाला जाये ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके और उसे रिव्यु न कर सकें। इसे 9वें शेड्यूल में नहीं डालने के कारण हमारे लिए दी गई सुविधा निकल रही है।

सभापति जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी कमेटी की ओर से पार्ट टाइम नौकरी देने के लिए कहा गया। कहा गया था कि स्वीपर को प्युन बनाया जाये, वाचमैन मैसेंजर बनाया जाए। मिनिस्ट्री ने सरकुलर निकाला लेकिन बादमें उसे रद्द कर दिया गया, जिससे सारे देश के चौथे वर्ग के कर्मचारी खासकर स्वीपर बहुत दुखी हैं। सरकार बार-बार कानून लायेगी लेकिन देश में ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। यह मानसिकता बदलने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जब हम किसी शहर या राज्य में जाते हैं तो यही स्थिति पाते हैं।

सभापति महोदय, अब मैं पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करता हूं। वर्ष 2004 के आंकड़ों के अनुसार ए-ग्रुप में एस.सी. के 12.61 प्रतिशत, एस.टी. के 3.39 प्रतिशत, ग्रुप-बी में एस.सी के 13.18 प्रतिशत, एस.टी. के 6.12 प्रतिशत और सी ग्रुप में एस.सी. के 19.74 प्रतिशत तथा एस.टी. के 9.77 प्रतिशत लोग थे। यह इतना कम है। जब प्राइवेटाइजेशन हो जायेगा, तब उनकी क्या हालत होगा, आप समझ सकते हैं। यह बात प्राइवेट वाले मानने को तैयार नहीं हैं। यह किस प्रकार का ब्लेम दिया जाता है कि अगर एस.सी./एस.टी. के अधिकारियों की भर्ती की जायेगी तो उसकी क्रेडिब्लिटी कम हो जायेगी, संस्था का काम खराब हो जायेगा। मैं पूछता हूं कि काम कैसे खराब हो जायेगा। समय-समय पर एस.सी./एस.टी. के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया, उनकी सी.आर. खराब कर दी जाती है और जब प्रमोशन का वक्त आता

[श्री रतिलाल कालिदास वर्मा]

है तो इनकी सी.आर. देखकर कहा जाता है कि आप इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हमें यह जवाब मिलता है। जब उसके बाद हम पूछते हैं तो कहा जाता है कि कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। कैसे सूटेबल कैंडीडेट नहीं मिलता? आज देश में लाखों दलित पढ़–लिखकर बेकार बैठे हुए हैं। वे बी.ए., एम.ए., पास हैं, बी.एड. हैं, टीचर्स हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्हें मात्र दो–दो हजार रुपये मिल रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि प्राइवेट संस्थाओं में उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, जब लघु उद्योगों में नौकरी न देने की बात आयी तो हम लोगों ने विरोध किया, धरने दिये और रैलियां निकालीं। हम किसी की दया पर नहीं जीते हैं, यह हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं है। हम लोग इस समाज में हजारों सालों से मुसीबतें झेल रहे हैं, इस समाज में हम लोगों पर अत्याचार हुए हैं, इस समाज ने अपमान सहा है, हमारी मां–बहनों के साथ बलात्कार किया है। जब डा. अम्बेडकर ने पूरे देश में ऐसा होते देखा तो उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों का उत्कर्ष करना है तो उनके लिए आरक्षण जरूरी है। यह उनका अधिकार है, कोई भीख नहीं है। एस.सी./एस.टी. किसी भीख के नाते यह अधिकार नहीं मांग रहा है। सरकार की ओर से इस का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सरकुलर निकलने से कुछ होने वाला नहीं है, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है।

सभापति जी, एस.सी./एस.टी. कमेटी की ओर से सदन के पटल पर हम जो रिपोर्ट रखते हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा है। बैंकिंग वाले नहीं मान रहे हैं, ऑयल कम्पनी वाले नहीं मान रहे हैं। अगर आप क्लास–1 और क्लास–2 में प्रमोशन नहीं देंगे तो वह वहां से आगे बढ़ेगा? निदेशक के पद के लिए कोई आरक्षण नहीं है। रिजर्वेशन क्यों नहीं है? इसी प्रकार ज्युडिशियरी में रिजर्वेशन होना चाहिए। हाई कोर्ट का सीनियर जज प्रमोशन के लायक था। उच्चतम न्यायालय में कोई आरक्षण नहीं है। जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, उसे न्याय नहीं मिलेगा। हमारी मांग है कि उनका हर क्षेत्र में रिजर्वेशन होना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि जैसा मैंने कल बच्चों के बारे में बोला था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग विदेशों में पढ़ने लायक हैं, उनका अच्छा प्रतिशत है। इस देश में 80–90 प्रतिशत तक लाने वाले अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं। मंत्री जी, आप हमारे बुजुर्ग एवं सीनियर नेता हैं, इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 80–90 प्रतिशत लाने वाले स्टूडेंट इस देश में हैं, अगर वे विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हर तरह की आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार की ओर से मिले और 50 प्रतिशत सहायता स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिले, क्योंकि वहां कोई रिजर्वेशन का विरोध नहीं करता है। आज विदेश में कोई नहीं पूछता।

[अनुवाद]

कि आप किस जाति में पैदा हुए थे। वे जाति के विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अ.जा. और अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन करने हेतु कुछ अनुदान स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं। ताकि अ.जा. तथा अ.ज.जा. के सभी विद्यार्थी आपको सदैव उसी प्रकार याद करें जैसे वे बाबासाहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं। यह आपसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है।

श्री ए. साई प्रताप (राजमपेट) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण देकर अ.पि.व. के परिवारों की सहायता करने के लिए पुरःस्थापित किए गए विधेयक का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। अ.जा. और अ.ज.जा. हेतु आरक्षण नीति केन्द्र सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा लागू की जा रही थी। वर्तमान विधेयक अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए सीटों के आरक्षण हेतु सांविधिक अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में पहली बार मंडल आयोग की निम्नलिखित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली और वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

"केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के विद्यार्थियों के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिएं। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत होगा और इसका परिणाम वही होना चाहिए जो सरकारी सेवाओं में है अर्थात् 27 प्रतिशत। वे राज्य जिन्होंने पहले ही अ.पि.व. के लिए 27 प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित कर रहे हैं वे इससे प्रभावित नहीं होंगे।"

यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई थी परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु ऐसा नहीं किया जा सका।

कांग्रेस पार्टी, जो कि अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और दलित वर्ग के हितों की प्रबल समर्थक रही है, ने पहले ही 29 जनवरी, 1953 को तत्कालीन संसद सदस्य काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में

पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया था। आयोग ने पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए सभी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 70 प्रतिशत सीटों की सिफारिश की थी। राज्य सरकारों को अपनी–अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग सूचियां खुद बनाने का जिम्मा देने का फैसला किया गया था। पुनश्च, कांग्रेस पार्टी ही है तो आरक्षण संबंधी यह विधेयक ला रही है। अ.पि.व. के परिवारों की ओर से मैं माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अन्य समुदायों के विद्यार्थी काफी असुविधा और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अपने राज्य का ही जिक्र करूंगा जहां कापू, बलीजा, वॉटारी, तेलगा और अन्य जातियों के वृहत् समुदाय स्वयं को पिछड़ा वर्ग घोषित करने की मांग को लेकर राज्य सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। राज्य ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है, और इस मामले को आयोग को भेज दिया गया है। आयोग ने भी अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। तब तक विद्यार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

इन परिस्थितियों में मैं माननीय मंत्री जी और उपस्थित सभी साथियों सहित केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे मामलों पर विचार किया जाए, खासकर जिन समुदायों का मैंने जिक्र किया – कापू, बलीजा, वॉटारी तेलगा पर। यदि इन समुदायों के विद्यार्थी भी आरक्षण की मुख्यधारा में आ जाएं तो उन्हें लाभ होता।

अ.पि.व. की छात्राओं को आश्रय देने का भी कोई प्रावधान नहीं है। मैं सरकार से इस पहलू को देखने और इस वर्ग की छात्राओं पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने के पूर्व मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आधारभूत संरचना के स्तर पर उन्हें संस्थाओं की ओर ध्यान देना होगा, खासकर नगरों और कस्बों के स्तर पर। सामान्यतः विद्यार्थी जिला मुख्यालयों में पढ़ाई करते हैं और फिर शहरों और महानगरों का रुख करते हैं। स्वाभाविकतः उनके और नगर–कस्बों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों – जो पहले सक्षम नहीं हैं – के बीच अंतर होगा। इस खाई को पाटने के लिहाज से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण कस्बों क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि दी जाए।

अंत में मैं हमारी संसद – जिसने शिक्षा–संस्थानों में प्रवेश के स्तर पर आरक्षण की नीति को वैध बनाने वाले 93वें संविधान (संशोधन) विधेयक के जनवरी मास में अधिनियमन हेतु अभूतपूर्व एकमतता प्रदर्शित की थी – से अनुरोध करूंगा कि वह यही भावना हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाखों विद्यार्थियों को लाभान्वित करने वाले ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने में भी दिखाए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, आरक्षण एक अधिकारगत विषय है। सांविधानिक उपबंधों के तहत यह अधिकार प्रदत्त है। दुर्भाग्य की बात है कि इस अधिकार को कोटे के बतौर पेश करने की प्रवृत्ति बन गई है। कोटे में तो रियायत दी जाती है पर यहां रियायत वाली बात ही नहीं है। हमने केरोसीन, खाद्य सामग्री आदि के कोटे के बारे में सुन रखा है, लेकिन यहां कोई रियायत की बात नहीं है। यह तो समाज के उन कमजोर वर्गों को मिला एक संवैधानिक अधिकार है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो, आप भले ही इसे कोटा–प्रणाली मानें, पर वास्तव में है यह अधिकार का विषय ही है। इसे समझने में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

मेरे पास काफी कुछ कहने के लिए है, पर मैं केवल दो ही मुद्दे उठाऊंगा – अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों और सम्पन्न वर्गों को इसके दायरे में न लाया जाना। ये दोनों ही बुनियादी मुद्दे हैं। इससे पूर्व कि मैं इन दोनों प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से कहूं, यह अवश्य कहना चाहूंगा कि ये दोनों ही मुद्दे आने वाले लंबे समय तक चर्चा का केन्द्र बने रहेंगे।

जब यह विधेयक सभा में पुरःस्थापित हुआ तो यह मामला जनहित याचिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर कुछ टिप्पणियां कीं जो इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं। मैं पहली टिप्पणी को लेता हूं। उच्चतम न्यायालय के फैसले को सावधानीपूर्ण अध्ययन पर हम पाते हैं कि उसका मत यह था कि सम्पन्न वर्ग की अवधारणा अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होनी चाहिए; न सिर्फ अ. पि.व. पर ही बल्कि अ.जा. और अ.ज.जा. वर्गों पर भी। यह था खण्डपीठ का निर्णय। पर सरकार का स्पष्टीकरण यह आया कि उच्चतम न्यायालय ने तो ऐसा आदेश नहीं दिया और अ.जा. व अ.ज.जा. वर्गों को संपन्न तबके के आधार पर इसके दायरे से बाहर नहीं रखा जा रहा। उसका कहना था कि संपन्न तबके वाला सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता। यह था उसका स्पष्टीकरण और वह इस पर अड़ी रही। उच्चतम न्यायालय को यह तक कहने पर बाध्य होना पड़ा कि यह उसके अधिकारों के साथ छेड़–छाड़ है।

पुनः, जब उच्चतम न्यायालय इस विधेयक की वैधता के बारे में एक याचिका की सुनवाई कर रहा था तो उसने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसने कहा कि वह आंकड़े लाइए जिनके

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

आधार पर सरकार ने उच्चशिक्षा संस्थानों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि इस मामले की जांच अभी संसद की एक स्थायी समिति के अधीन है। तब अदालत ने महान्यायवादी को कहा कि स्थायी समिति की रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में सत्यापनार्थ अदालत के समक्ष रखी जाये। यह थी उच्चतम न्यायालय की प्रथम टिप्पणी।

हमें यह समझना होगा कि जब कोई दस्तावेज सदन के समक्ष रख दिया जाता है तो वह एक लोक–दस्तावेज माना जाता है और उसे लेकर कोई गोपनीयता नहीं होती। तो, जब वह रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी जा चुकी है तब फिर मुहरबंद लिफाफे की बात करने का मतलब ही क्या? अदालत ने महान्यायवादी से रिपोर्ट मुहरबुद लिफाफे में पेश करने को क्यों कहा? बाद में इस मुद्दे पर सफाई दी गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय की मंशा यही थी कि वह रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने से पूर्व ही उसके समक्ष लाई जाती। अन्यथा फिर वह कहने की आवश्यकता ही नहीं थी कि इसे सीलबंद लिफाफे में लाया जाये। बाद में इस मुद्दे से कन्नी काट ली गई।

हम यहां से जनता को यह कहना चाहेंगे कि मंडल आयोग के मत को इस विषय में उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही स्वीकार किया गया है और इससे संविधान के बुनियादी स्वरूप का कहीं से उल्लंघन नहीं होता। यह एक अधिकार है जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है।

जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि संपन्न तबके के दायरे में अ.जा. और अ.ज.जा. वर्गों को भी लाया जाएगा कि नहीं, इस पर बाद में चर्चा हो सकती है। स्थायी समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि संपन्न वर्ग को इस 27 प्रतिशत आरक्षण से बाहर रखा जाए। परन्तु उच्चतम न्यायालय में मंडल आयोग के मामले की समीक्षा करते समय एक नया फार्मूला दे दिया – 'क्रीमी लेयर' अर्थात् संपन्न तबके वाला फार्मूला। वह अभी विद्यमान है। जब हम यह विधेयक पारित करेंगे तो फिर उस पर कितना ध्यान देना है, यह बाद में सोचना होगा। जो भी हो, हमारी पार्टी ने अ.पि.व. के संदर्भ में संपन्न वर्ग को बाहर रखने के मामले में एक निर्णय लिया है। यह चर्चा का विषय है, जो बाद मे हमारे समक्ष आयेगा। अतः, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। किन्तु, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया 'क्रीमी लेयर' फार्मूला अ.पि.व. पर लागू है – यही है इसकी वर्तमान कानूनी स्थिति। अभी मैं इसका निर्णय सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ देना चाहता हूं।

जहां तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को इससे बाहर रखने का संबंध है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है जो मेरे राज्य से सरोकार भी रखता है। वैसे तो ईसाई और मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की स्थिति में हैं लेकिन मेरे राज्य में 40 प्रतिशत आबादी इन्हीं दोनों वर्गों की है। यदि मुझे कहने की इजाज़त हो तो कहूं कि वहां के 80 प्रतिशत शैक्षणिक संस्थाओं पर इन्हीं 'अल्पसंख्यक' समुदायों का नियंत्रण है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री अर्जुन सिंह का कानून वहां के केवल शेष 20 प्रतिशत शैक्षणिक संस्थाओं पर ही लागू होगा – और यह अत्यंत गंभीर स्थिति बनेगी।

अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण कौन करेगा? खंड 2(च) में अल्पसंख्यक संस्थानों की परिभाषा दी गई है, किसी अल्पसंख्यक संस्थान को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। मुझे स्मरण है कि 2005 में जब 93वें वां संविधान संशोधन इस सदन में पुरःस्थापित किया गया था तो मैंने यह महत्वपूर्ण बात उठाई थी कि अल्पसंख्यक को पूर्णतः इसके दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आपने ऐसा किया। ऐसा करने का प्रयोजन क्या था? मैं यह इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यह काफी खतरनाक स्थिति है। केरल इसके कारण संत्रस्त है।

केरल सरकार ने एक नया शिक्षा अधिनियम तैयार किया है और अल्पसंख्यक संस्थानों की परिभाषा को लेकर उसको भी चुनौती दी जा रही है। यदि ऐसा होता है तो फिर मतलब ही क्या रहा? अतः, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा के बारे में एक स्पष्ट समझ रखें। अन्यथा, इससे खासकर मेरे राज्य के गरीब लोगों अ.जा. और अ.ज.जा. वर्गों सहित पिछड़े वर्ग को कोई लाभ नहीं होगा। इससे उनकी कोई मदद नहीं होगी क्योंकि उनका अनुपात वहां केवल 20 प्रतिशत ही है। यदि ऐसा है तो फिर आरक्षण देने का मतलब ही क्या? मेरा पूछना इसीलिए है क्योंकि इस स्थिति में सारा किया–कराया व्यर्थ हो जायेगा। हमने अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ा भारी संरक्षण देने की एक अबुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर लिया है जिसकी आवश्यकता नहीं थी, न ही इस मामले के परिप्रेक्ष्य में जिसकी प्रासंगिकता है।

जब सभा में संशोधन विधेयक पर चर्चा की जा रही थी तो मैंने विनम्रतापूर्वक सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया था। माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि "अल्पसंख्यक संस्थानों के बारे में निर्णय कौन करेगा।" राज्य सरकारों को अल्पसंख्यक संस्थान को परिभाषित करने की शक्ति दी जानी चाहिए। उन्हें किस तरह से परिभाषित किया जाता है? किसी संस्थान का प्रबंधन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया

जा सकता है परन्तु वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों में से 70–80 प्रतिशत विद्यार्थी गैर–अल्पसंख्यक समुदायों के होते हैं। इन तथाकथित अल्पसंख्यक संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुसंख्यक समुदाय के हाते हैं परन्तु प्रबंधन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाता है। यह स्थिति है। इस स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है? अल्पसंख्यक संस्थान को परिभाषित कौन करेगा? इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

अल्पसंख्यक आयोग सदैव कहता है कि यदि किसी संस्थान का संचालन किसी न्यास या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जा रहा है तो वह अल्पसंख्यक संस्थान कहलायेगा, इसे दूसरी तरह कहें तो इन संस्थानों में पढ़ रहे बहुसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समस्त हिन्दु समुदाय के विद्यार्थियों, जो लाखों रुपये कैपीटेशन फीस और ट्यूशन फीस के रूप में दे रहे हैं, का भविष्य भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है। हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं? मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य की स्थितियों को ध्यान में रखे बिना अल्पसंख्यक समुदायों को पूरी सुरक्षा देने का कार्य करके आपने एक बहुत गलत काम किया है।

यदि पूर्वोत्तर का मामला लिया जाए, वहां क्रिश्चियन समुदाय बहुसंख्यक हैं। अतः एक समुदाय किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्य में भी वह समुदाय अल्पसंख्यक हो। यह विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार पृथक–पृथक हो सकता है। क्रीमी लेयर और अल्पसंख्यक संस्थान ये दो प्रश्न चर्चा के मुद्दे होंगे, ईश्वर मंत्री महोदय अर्जुन सिंह जी की रक्षा करे। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को परिभाषित किये बिना केरल राज्य को सदैव समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस सम्माननीय सभा में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं सभा का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

सच्चर समिति की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की गई है। इसमें मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक पिछड़ेपन के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय में 39 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 0.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं।

मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करने वाले इस विधेयक का समर्थन करता हूं। तथापि, मैं यह जानना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने से मना करना कहां तक उचित है विशेषकर उस समय जब सरकार द्वारा इस सम्माननीय सभा में सच्चर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इस रिपोर्ट में हमारे समुदाय के खराब शैक्षणिक स्तर और परिस्थितियों के बारे में बताया गया है।

जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है मैं यहा एक बात उद्धृत करना चाहता हूं। सच्चर रिपोर्ट के 73वें पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है, "जहां तक मुस्लिम समुदाय का संबंध है, स्नातक तक शिक्षा प्राप्त लोगों की जनसंख्या 1.2 प्रतिशत है, और 16.3 प्रतिशत लोग स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं।" इसमें मुस्लिमों की संख्या दलितों से भी कम है। आप वहां अल्पसंख्यक विद्यालयों की स्थापना का कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। हमें इस लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्ष 1950 का राष्ट्रपति आदेश संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

हिन्दू, सिख और नव बौद्ध धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को ही आरक्षण का लाभ कैसे दिया जा रहा है? दलित क्रिश्चियनों और दलित मुस्लिमों को यह लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। महोदय, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि सरकार इस दिशा में पहल करे और यह सुनिश्चित करे कि वर्ष 1950 का राष्ट्रपति आदेश, अनुसूची–III में संशोधन किया जाए। इसमें कहा गया है कि हिन्दू, सिख और नव बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों का ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में वर्गीकरण किया जा सकता है। यह कैसे सम्भव है? आपकी इस रिपोर्ट में यह स्पष्टतः कहा गया है। मुस्लिमों और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस पर मत वैभिन्य है। इसमें इतना कम प्रतिशत क्यों है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

अंत में मैं, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की बात करना चाहता हूं; वर्तमान उपकुलपति इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में कैसे लागू करना चाहते हैं। उपकुलपति ने इतनी जल्दी स्थिति में परिवर्तन क्यों किया? हमें इन लाभों से क्यों वंचित किया जा रहा है? मेरा आपसे आग्रह है इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाये। उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग के लिए भी आवेदन किया है। यह आवेदन अभी लम्बित है। यदि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है तो कौन सा विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

[श्री असादूददीन ओवेसी]

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह संप्रग सरकार इस विषय पर सकारात्मक कार्यवाही करेगी और अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं करेगी। यदि लोग मुस्लिमों के लिए आरक्षण का विरोध करते हैं, तो उन्हें अनुच्छेद 16(4) का ऐतिहासिक प्ररिप्रेक्ष्य देखना चाहिए। सरकार वल्लभभाई पटेल ने स्वयं कहा था कि 'वर्ग' का तात्पर्य 'अल्पसंख्यकों' से है। वह परामर्शदात्री समिति के चेयरमैन थे। मुस्लिमों को केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। उन्हें देश भर में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है? उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। 13 प्रतिशत जनसंख्या में साक्षरता दर 59 है। इस स्थिति की कल्पना आसानी से की जा सकती है। साक्षर और शिक्षित व्यक्तियों में बहुत अंतर है। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि इस संबंध में एक प्रस्ताव लाया जाए और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय उत्तर देते समय मुद्दे का जवाब अवश्य देंगे या सरकार 1950 के राष्ट्रपति आदेश में संशोधन करेगी। उन्हें अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए?

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, हम केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण विधेयक), 2006 पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आईआईटी, आईआईएम आदि समकक्ष शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लागों को आरक्षण देना है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में रही है। अन्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने के पक्ष में रही है, अर्थात ओबीसी को भी आरक्षण देने के पक्ष में रही है। जहां–जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, वहां इस प्रकार के कानून भी हैं। ओबीसी में मुस्लिम ओबीसी भी हैं, जो वहां आरक्षण की सुविधा पा रहे हैं। एक गलतफहमी हमेशा फैलाई जाती है। यह मैंने इसलिए कहा ताकि यह गलतफहमी बहुत से माननीय सदस्यों के मन–मस्तिष्क से दूर हो जाए। विधेयक की धार 4(ग) – इस अधिनियम में यथापरिभाषित कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, अर्थात इसमें यह लागू नहीं होगा – मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी की कल्पना करने वालों ने कभी यह नहीं सोचा था कि इस देश में हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई को अलगाववाद की ओर ले जाने का काम होगा। परन्तु देश की आजादी के बाद लगातार जब–जब कांग्रेस सरकार को कानून बनाने का अवसर मिला, उन्होंने ऐसे ही कानून बनाए और इस देश में विशेषकर मुसलमानों को देश की राष्ट्रवादी मुख्यधारा में लाने का कभी कोई काम करने का प्रयास नहीं किया।

सच्चर कमेटी बनाई गई। उसकी रिपोर्ट आई। उसमें जो बिन्दु उठाए गए हैं, हमारी पार्टी भी इस बात से इंकार नहीं करती कि मुसलमानों की हालत आर्थिक दृष्टि से बहुत खराब है। उनकी खराब हालत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो देश और राज्यों में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिन्होंने 50 साल तक लगातार राज्य किया। आज वे 'नौ सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। इस बिल के जरिये मंत्री जी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने देने का प्रावधान नहीं कर रहे हैं। वे इसका कारण बता रहे हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि मुस्लिम संस्थाओं या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को संस्था स्थापित करने, प्रशासन चलाने, धन अर्जन करने, भाषायी और धार्मिक आधार पर शिक्षा देने का अधिकार है। हम कहना चाहते हैं कि इस बिल में अगर यह प्रावधान कर दिया जायेगा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जायेगा, तो उन तीनों बातों का, जो अनुच्छेद 30 में कहा गया है, उसका कहीं भी उल्लंघन नहीं होगा। संस्था उनकी होगी, स्थापना का अधिकार उनको मिल गया और प्रशासन भी उनका होगा। फिर धार्मिक और भाषीय आधार पर भी वे शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। जो संस्था वे चलायेंगे, उससे उनको धन अर्जन करने की भी पात्रता होगी क्योंकि एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता भी है, तो सरकार की ओर से आरक्षण से संबंधित जो सुख–सुविधा मिलती है, वह पैसा उन संस्थाओं को दिया जायेगा। यह परम्परागत व्यवस्था है कि वे पैसा देते हैं। उन तीनों बातों का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होगा। इससे एक अच्छी बात होगी कि हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई भी उन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने लगेंगे। वे आपस में एक–दूसरे के साथ रहेंगे। इससे उनका प्रेम भाव बढ़ेगा, अमन–चैन बढ़ेगा। इस देश में इस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उन संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था की जाये।

इस अवसर पर मैं पूर्व में जो विधेयक पारित किया गया है, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले जो विधेयक पारित किया गया, उसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पंजाब में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, वे सिख संस्थाएं चलाती हैं। गोवा में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, वे सामान्यतः ईसाई धर्म द्वारा संचालित होती हैं। केरल में मुस्लिम संस्थाओं की ओर से यूनिवर्सिटीज संचालित होती हैं।

अनुसूचित जाति–जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उन यूनिवर्सिटीज में छात्र–छात्राओं के रूप में पढ़ने से वंचित होना पड़ रहा है। उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि उन छात्रों को राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। कहीं–कहीं ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि कुछ छात्र–छात्राएं धर्म परिवर्तन करके उन संस्थाओं में प्रवेश ले रही हैं। मैं इस सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि वह इस प्रकार का प्रावधान करके धर्मांतरण को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह निंदनीय है और भारत के संविधान के खिलाफ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने संबंधी प्रावधान इस विधेयक में करें। माननीय मल्होत्रा जी और वीरेन्द्र जी ने जो संशोधन दिया है, उसे आप स्वीकार करें।

सभापति महोदय : तेजस्विनी जी, आप पांच–सात मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकापुरा) : पहली बार मुझे अध्यक्षपीठ से सहयोग करना कठिन लग रहा है परन्तु मैं अध्यक्षपीठ की टिप्पणी का सम्मान करने का प्रयास करूंगी। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मैं कहना चाहती हूं कि संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह न्याय कर रहे हैं। यह उनका दशकों पुराने अन्याय को ठीक करने का प्रयास है और इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के 60 प्रतिशत लोगों, जिन्हें अभी तक संविधान प्रदत्त गारंटी से वंचित रखा गया है, को न्याय देने का प्रयास है। हमें उनका नमन करना चाहिए।

मंडल आयोग ने कहा है कि देश में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की जनसंख्या 52 प्रतिशत है, पर वास्तव में यह 60 प्रतिशत है। जब देश की बाकी जनसंख्या स्वतंत्रता का फायदा ले रही है तो यह 60 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ी क्यों रहे। मेरे मित्र मुझे पहले इसका जवाब दें।

शब्द 'वर्ग' ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच विभाजन का द्योतक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक समानता और सभ्यता, ये सब समाज में संतुलन बनाये रखने के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

आज, यह असंतुलन क्यों है? अवसर का समाज को एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज ग्रामीण बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उन्हें उचित भोजन नहीं मिलता। इसीलिए हमें संविधन की भावना के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करना है यह 'अन्यपिछड़ा वर्ग' का अधिकार है। 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को दिये जाने वाला 27 प्रतिशत आरक्षण विशेषाधिकार नहीं है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डा. अम्बेडकर जैसे हमारे नेताओं ने 1951 में पहला संशोधन लाकर यह सुधारात्मक उपाय किया था। संविधान में प्रतिपादित राज्य के निर्देशक सिद्धान्तों में राज्यों को निदेश दिया गया है कि वे 'अन्य पिछड़ा वर्ग' सहित कमजोर वर्गों का ध्यान रखें और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचायें। इसी कारण यह विधेयक लाया गया है। इसका कारण यह भी है कि शिक्षा का जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है और यह एक साधन है। आज जागरूकता अभाव है। जब 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए आरक्षण का विधेयक लाया गया तो समाज के एक वर्ग की प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे कि आसमान गिरने लगा हो या एक बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा हो। यदि जनसंख्या का 60 प्रतिशत विरोध करेगा तो समाज में शान्ति कैसे रह सकेगी? यह उनकी अज्ञानता दर्शाता है। हमने समाज को विभाजित नहीं किया है। समाज के किसने विभाजित किया है? जब तक समाज रहेगा, जाति और धर्म भी रहेंगे। परन्तु इसके कारण ग्रामीण लोगों या गरीब लोगों या 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लोगों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में तत्काल सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। शिक्षा की मांग बढ़ रही है। हमारे बच्चों और युवाओं को उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित क्यों किया जाए? आखिरकार भारतभूमि में सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। एक बार मैंने सुना था कि इससे गुणवत्ता प्रभावित होगी। इस राष्ट्र को किसने बनाया है, बुनियादी ढांचे और भवनों का निर्माण किसने किया? सबने मिलकर इन्हें बनाया है। ये समाज के किसी एक वर्ग द्वारा नहीं बनाये गए।

जहां तक न्यायिक संघर्ष का संबंध है, मैं समझती हूं कि यह दशकों लम्बा संघर्ष है। इसका एक इतिहास है। हम संसद में क्यों आए हैं? हम संसद में इन गलतियों को ठीक करने के लिए आये हैं। हम संसद में समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें विभिन्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें समाज की इस असमानता को दूर करना है। आज इसकी आवश्यकता है, इसकी मांग है कि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को आरक्षण आवश्यक रूप से प्रदान किया जाए। आज इस समस्या के समाधान के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मंच हैं। क्या इस बात का जवाब दिया जा सकता है कि भारत की स्वतंत्रता के 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी सभ्य समाज में इस प्रकार सामाजिक अन्याय और छुआछूत विद्यमान है? जब

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

तक इन सामाजिक बुराईयों को दूर नहीं किया जायेगा तब तक हम उनके मूल अधिकारों की रक्षा नहीं कर पायेंगे। इसीलिए इस विधेयक को लाने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं। हमने अपने राज्य, कर्नाटक में इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, इसके लिए मैं कर्नाटक सरकार को बधाई देती हूं। मैं विभिन्न पार्टियों के अपने मित्रों से इसे स्वीकार करने का आग्रह करती हूं। हम 60 प्रतिशत जनसंख्या के लिए केवल 27 प्रशित आरक्षण मांग रहे हैं। अतः इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। हम सबको अपना सिर गर्व से ऊंचा करना चाहिए कि कम से कम आजादी के 60 वर्ष बाद हम इस विधेयक के माध्यम से न्याय प्रदान कर रहे हैं। मैं स्वतंत्र भारत में समानता देखना चाहती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, पीठासीन अधिकारी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। भारत के संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने से शुरू होती है। पंडित जी द्वारा प्रस्तावित प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा सामाजिक न्याय को अक्षरशः पुनः सुनिश्चित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े किसी भी वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत तत्कालीन सरकार द्वारा केलकर समिति और मंडल आयोग का गठन किया गया था।

अपराह्न 5.00 बजे

समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन उस समय सरकार ने उन्हें शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान नहीं किया था। वर्ष 1990 में श्री वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे और श्री राम विलास पासवान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। उस समय हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और इस मुद्दे पर हमारे दिमाग में कई सवाल कौंधते थे। हमने महसूस किया कि शिक्षा में आरक्षण के बिना रोजगार में आरक्षण का महत्व उतना नहीं रहेगा। अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण किए बगैर उच्च पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे पदों को भरने के लिए वे कैसे योग्य हो सकते हैं? तभी से प्रदर्शन होते रहे हैं, इसे लाने में देर हुई है पर फिर भी अब माननीय मंत्री जी ने इस विधान को प्रस्तुत किया है और इसके लिए मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए आश्वासनों में से एक यह भी था। संप्रग सरकार ने देश से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों से वादा किया था कि उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में बगैर किसी नियंत्रण के 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा। लेकिन इस विधेयक के अनुसार यदि धारा 4 और 5 को देखा जाए तो ऐसा दिखेगा कि सरकार का इरादा यह कहकर कुछ गतिरोध उत्पन्न करने का है कि कुछ कोटा प्रथम वर्ष में रहेगा और कुछ आगामी वर्षों में। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह ऐसे प्रतिबंध न लगाएं और इस विधेयक से धारा 4 और 5 के प्रावधानों को हटा दिया जाये। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सरकार द्वारा वादा किया गया था कि वह अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लोगों को 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण देगी। तब फिर सरकार ऐसे प्रतिबंध क्यों लगा रही है?

अपराह्न 5.02 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

यद्यपि मेरी पार्टी इन प्रयासों की सराहना करती है तथापि मैं सरकार से ऐसे अवरोधों को दूर करने का अनुरोध करूंगा। श्री हनुमंत राव के नेतृत्व में अन्य पिछड़े वर्गों के मंच ने माननीय मंत्री जी से मुलाकात की और माननीय मंत्री जी ने भी उनके प्रतिनिधित्व में कही गयी बातों पर ध्यान दिया। मेरी मांग है कि इस विधेयक की धारा 4 और 5 में किए गए प्रावधान को हटाया जाए और तभी अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग खुश होंगे। ये मेरे सुझाव हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रधान मंत्री और यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद इस विधेयक को यहां रखने का काम किया है। केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था विधेयक, 2006 का मैं तहेदिल से स्वागत और समर्थन करता हूं

आजादी के 59 वर्ष बाद जो अधिकार और हक गरीबों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, एस.सी. और एस.टी. के लोगों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। देश की आजादी के बाद चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सम्पत्ति रही, कला, संस्कृति और शिक्षा रही। आजादी

की लड़ाई में देश की इस 75 प्रतिशत आबादी ने जी–जान लगाकर काम किया था और यह सपना देखा था कि जब देश आजाद होगा तो हमें भी मुख्य धारा में जोड़ा जायेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने जितने अधिकार इन लोगों को देने चाहिए थे, वह नहीं दिए गए। इसका नतीजा यह है कि इन लोगों को उनके लिए लड़ना पड़ रहा है।

महोदय, आजादी के बाद यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। संवैधानिक अधिकारों में साफ तौर पर कहा गया है और इसका प्रावधान है। हम बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करना नहीं भूलेंगे जिन्होंने कहा था कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उन्हें विशेष अवसर मिले और उस विशेष अवसर के रूप में यह आरक्षण मिलने जा रहा है। पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण के लिए दो बार आयोग बनाया गया – पहली बार काका केललकर की अध्यक्षता में और दूसरा 1980 में श्री बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में आयोग बना था। 1980 में उस आयोग ने रिपोर्ट दे दी थी। लगातार 10 वर्षों के संघर्ष के बाद जब श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, तब उस मंडल आयोग को लागू करने का प्रयास उसमें किया गया। न्यायालय में मामला गया और न्यायालय ने भी निर्णय दिया और जो आरक्षण के प्रावधान थे, उन पर मुहर लगाई, जिससे 1993 में इन्हें नौकरियों में आरक्षण मिला।

अभी बीजेपी के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जब से जनसंघ बना है, तब से हम आरक्षण के पक्ष में हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बहाना कर उन्होंने कमंडल निकाल दिया और देश को जलाने का काम किया। अगर मंडल लागू नहीं होता तो कमंडल नहीं निकलता। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है – कहने को कुछ और, करने को कुछ और। ये लोग बहुत परेशान और बेचैन थे। बाद में जब इनकी सरकार बनी, तब ये आरक्षण लागू करने की हिम्मत जुटाते। ये समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, आज भी विरोध कर रहे हैं। कोई भी नीति नीयत से बनती है और यूपीए सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हैं, इसीलिए उसने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करके, विरोध करने वालों के मुंह पर कालिख पोती है। मुझे दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, मैं हमारे नेता लोहिया जी की चर्चा यहां करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह राजा का बेटा हो या रंक का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो। मैं उस व्यक्तित्व को नमन करना चाहता हूं। यदि हम सबको बराबरी पर लाना चाहते हैं और समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हर चीज में बराबरी प्रदान करनी पड़ेगी। यदि शिक्षा नहीं देंगे, तो ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। जब नौकरियों में आरक्षण दिया गया, तो कहा गया कि शिक्षा में आरक्षण दीजिए, नौकरियों में आरक्षण मत दीजिए, मेधा की कमी है। आप शिक्षा में बराबरी लाना चाहते हैं, एक तरफ बच्चे बड़ी–बड़ी इमारतों में पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कई स्कूलों में छप्पर तक नहीं है। एक तरफ बच्चे सनमाइका और महंगे बैंचों पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईंटों पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। एक तरफ स्कूलों में बच्चों को हलवा पूरी खाने को दे रहे हैं और दूसरी तरफ नमक के साथ रोटी खाने के लिए भी नहीं है। इस दो तरह की व्यवस्था में कैसे गरीब बच्चे आगे निकल सकते हैं। मैं दावा करना चाहता हूं कि एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों को समान रूप से अवसर प्रदान करें, अगर समान सुविधाएं बच्चों को दी जायेंगी तो इनकी मेधा दूसरे बच्चों से 20 गुना ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। लेकिन व्यवस्था ऐसी रही है, जिसके अंतर्गत हमने इन्हें बहिष्कृत करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। हम इन्हें पिछड़ा, ओबीसी और दलित कह कर अपमानित कर रहे हैं। गांवों में आज भी अपमान सहना पड़ रहा है। हमारा संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगी। आपने आरक्षण दिया, लेकिन उसमें 27 परसेंट कट कर दिया और धारा लगा दी फेज वाइज करेंगे। मॉयली रिपोर्ट को देखने के बाद हमें अफसोस हुआ। पता नहीं किस भावना से वह रिपोर्ट पेश की गई है। अगर आपकी मंशा सही है तो फिर किस लिए डरते हैं? आप उसे लागू कीजिए। पैसे का प्रावधान हो जायेगा। आपके पास हजारों करोड़ रुपये हैं। दूसरी चीजों से पैसा काटिए। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आगे बढ़ें, तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था कीजिए। यह कह कर कि जगह की कमी है, पैसा नहीं है, एक साथ कैसे हो जायेगा, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उनके साथ अन्याय होगा। जिस प्रावधान के अन्तर्गत आप फेजवाइज 27 परसेंट आरक्षण देना चाहते हैं, उस पर पुनर्विचार कीजिए। उनको एक साथ देने का काम कीजिए, यह मेरा निवेदन होगा। यूपीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सोशल जस्टिस की बाक कमिट की गई है। उसके अनुसार आरक्षण का लाभ उन्हें देने का काम करें। आप कुछ संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। आपने कैसे आकलन कर लिया कि पिछड़े वर्ग के बच्चे उन संस्थानों में जाकर ठीक काम नहीं कर पायेंगे? कौन से पैमाने से मापने का काम किया? यह अन्याय है। आप कुछ संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। केन्द्रीय स्तर के जो विद्यालय हैं, नवोदय तथा केन्द्रीय विद्यालय हैं, उनमें आरक्षण का प्रावधान किया है या नहीं, वह इस बिल में साफ नहीं होता है। मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा में आप रिजर्वेशन कीजिए।

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सच्चर कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस बात को स्वीकार किया गया है कि

[श्री राम कृपाल यादव]

मुसलमानों और अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति शिक्षा और दूसरे कई मामलों में अच्छी नहीं है। जिस वर्ग की आबादी 12–13 परसेंट है उनके उत्थान के लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की है? अगर आरक्षण की व्यवस्था होती तो उनके साथ न्याय होता। आप इसमें संशोधन करें। जिस वर्ग की सबसे अधिक आबादी है, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लेकर आयें। इसलिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इन कमियों को दूर करें। कहने वाले तो कहते रहेंगे, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, देश के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप उनकी आशा को साकार करें। वे लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से आज तक जुड़ नहीं पाए हैं। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय यूपीए चेयनपर्सन, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री खानधुना खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : आदरणीय सभापति महोदय, केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए जो विधेयक यहां पेश किया गया है और उस पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी, यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को बधाई देता हूं। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि स्वराज हमें 59 साल पहले मिला था, लेकिन इतने सालों बाद अभी भी हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को न्याय देने जा रहे हैं, इसमें बहुत विलम्ब हुआ है। मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोगों को आजादी के बाद जो मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया है। अपर क्लास के लोगों ने हमारी आजादी का हिस्सा बहुत खा लिया, बहुत हजम कर लिया, इसलिए अब हमें ज्यादा न्याय देने का समय आ गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि अभी सिर्फ साढ़े सात परसेंट एसटी को, 15 परसेंट एससी को और 27 परसेंट ओबीसी को देने से काम नहीं चलेगा। यदि जनरल कम्युनिटी की पॉपुलेशन आज बढ़ गई है तो जरूर एससी, एसटी और ओबीसी की पापुलेशन भी काफी बढ़ गई है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अब आरक्षण की मात्रा बढ़ाकर अनुसूचित जाति के लिए 20 परसेंट, अनुसूचिज जनजाति के लिए कम से कम 15 परसेंट और ओबीसी के लिए कम से कम 30 परसेंट रिजर्वेशन कोटे में वृद्धि करनी चाहिए तभी इस सोसायटी के लोगों को न्याय मिल सकेगा।

मैं एक और मांग करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जहां ज्यादातर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग हैं, वहां अलग से आईआईटी, आईआईएम, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने की जरूरत है। मैं खास तौर से बोडो लैंड के लिए अलग से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मांग करता हूं। मैं वहां के लिए एक आईआईटी, एक आईआईएम, एक सैंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और कुछ पॉलिटेक्नीक इंस्टीट्यूट्स खोलने की मांग करता हू। आज हमारे यहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट नहीं है। इसलिए बोडो लैंड में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एम्स की तरह का इंस्टीट्यूट खोलने की जरूरत है। हमारे प्रदेश में जितने बोडो लड़के और लड़कियां बोडो भाषा के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए अच्छे स्कूल का प्रबंध नहीं किया गया है, वे काफी संख्या में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और ऐसे सरकारी स्कूलों को कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जाता है।

[अनुवाद]

इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अपील करूंगा कि वह असम सरकार पर सभी गैर राज्यधिकारान्तर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को राज्यधिकारान्तर्गत लाने के लिए दबाव डालें।

[हिन्दी]

हमारे यहां शिलांग में नॉर्थ–ईस्टर्न इंदिरा गांधी मेमोरियल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ एंड मेडिकल साइंस है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन कोटा लागू नहीं होता है। अगर आरक्षण लागू नहीं होगा तो उस संस्थान में ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मौका कैसे मिलेगा? वहां भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए।

[अनुवाद]

इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों को इस प्रमुख स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में आरक्षण देने के लिए इस संस्थान को भी इस विधेयक के दायरे में लाया जाये।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री सानसुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : धन्यवाद, महोदय।

सभापति महोदय : श्री एस. के. खारवेनथन अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं। उन्हें अपना भाषण रखने की अनुमति दी जाती है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

***श्री एस. के. खारवेनथन** (पलानी) : मैं इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रस्तुत किए गए इस अभूतपूर्व विधेयक के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और माननीय महोदया सोनिया जी और हमारे माननीय मंत्री अर्जुन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं।

वर्ष 2005 के दौरान किए गए तीसरे संशोधन के अनुसार हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया था जिसमें राज्य सहायता प्राप्त या गैर राज्य सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की सहायता हेतु विशेष प्रावधान कर इन विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को बढ़ावा देने का उद्देश्य निहित था।

मूल रूप से हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। चम्पकम दोरइराज के मामले में, मद्रास राज्य ने तत्कालीन मद्रास सरकार और हमारे महान नेता, श्री के. कामराज द्वारा जाति और समुदाय के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध कराए गए आरक्षण को रद्द कर दिया। तब स्व. नेता श्री के. कामराज ने समाज में कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू से संविधान में संशोधन करने का अनुरोध किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन केन्द्रीय विधि मंत्री डा. बी.आर. अम्बेडकर से हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करने का अनुरोध किया। डा. बी.आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 15 में संशोधन किया और उसमें उपखंड 4 जोड़ दिया और इसमें स्पष्ट प्रावधान किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करने से राज्य को कोई भी नहीं रोक पायेगा।

देश की लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या और वर्तमान कार्यबल अभी भी ग्रामीण भारत में रहती है। कुल ग्रामीण कार्यबल का 39.50 प्रतिशत कृषक हैं और 33.20 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं। कृषि श्रमिकों को भी आरक्षण की आवश्यकता है पर कानून उन्हें यह सुविधा प्रदान नहीं कर रहा। उसी प्रकार उन कृषकों को भी, जो अर्द्ध मध्यम आकार की जमीन पर खेती करते हैं और जो कृषि तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों पर पूर्णतया निर्भर हैं, आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।

मंडल आयोग ने भी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की आवश्यकता का उल्लेख किया था। इस रिपोर्ट में दर्जनों सिफारिशें ऐसी हैं जो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को अकादमिक और सांस्कृतिक माहौल का उन्नयन करने हेतु तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को अलग से कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की बात करती हैं।

शिक्षा और लोक सेवा में आरक्षण की शुरूआत बहुत पहले 1831 में ही मद्रास प्रेसिडेंसी से शुरू हो गयी थी। अंग्रेज शासकों ने विभिन्न समूहों की मांग पर इसकी शुरूआत की थी। उसके बाद यह आंदोलन स्वर्गीय नेताओं श्री के. कामराज और श्री ई.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा आरम्भ किया गया था और इसकी प्राप्ति उन्हीं द्वारा की गई थी। तमिलनाडु में मंडल आयोग की सिफारिशों के बहुत पहले ही 69 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरूआत 1970 के दशक में हुई तो गुजरात और महाराष्ट्र में योजनएं 1980 और 1990 के दशकों में बनायी गईं। वर्तमान समय में कर्नाटक के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिसमें से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 32 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। सन 1992 से 2002 के बीच अन्य पिछड़े वर्गों के 25000 से अधिक विद्यार्थी कर्नाटक में व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने में समर्थ हुए थे। आंध्र प्रदेश में 49.5 प्रतिशत आरक्षण है जबकि केरल में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए करीब 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

वर्तमान विधेयक निर्धन ग्रामीण छात्रों को केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। अनेक दशकों में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण लागू करने से इनकी गुणवत्ता प्रभावित होगी? निःसंदेह नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों युवा पूरी दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग बहुत गरीब परिवारों से आए हैं और उन्होंने निगम विद्यालयों या पंचायत संघ विद्यालयों में पढ़ाई की है। कुछ आरक्षण विरोधी तर्क दे रहे हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय के लोग उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में उनका कोटा भरने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पूर्ति नहीं कर सकते। यह पूरी तरह गलत

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

है। यह मानते हुए कि हर वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 5000 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है तो इस हिसाब से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1350 सीटें आरक्षित होंगी। अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या करीब एक लाख हैं। यद्यपि बहुत से विख्यात विश्वविद्यालयों में आरक्षण विद्यमान है फिर भी इन विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता या ख्याति में गिरावट नहीं आई है।

अमेरिका में भी राष्ट्रपति लिंड्न जॉनसन ने 1974 में उन काले अमेरिकियों को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई शुरू की थी जो अधिकांश अवसरों से वंचित थे। जापान, पूर्व सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के पूर्ववर्ती समाजवादी देश तथा क्यूबा और वियतनाम में भी सकारात्मक कार्रवाई सफल रही थी।

क्रांति के तुरंत बाद लेनिन ने गैर–रूसी पिछड़ी जातीय समूहों और गरीब रूसी लोगों के लिए सकारात्मक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए 'कोरे निजात्सीस' के रूप में सकारात्मक कार्रवाई की घोषणा की थी।

संकट की इस घड़ी में रवीन्द्र नाथ टैगोर के शब्दों का उल्लेख करना चाहता हूं: "यदि हमारी राजनीतिक प्रगति को वास्तविक बनाना है तो हमारे समाज में निचले तबके के लोगों को अच्छे आदमी बनाने में मदद करनी होगी।

इस विधेयक द्वारा हमारी संप्रग सरकार ने गरीब छात्रों के उत्थान का निर्णय लिया है।

110 करोड़ की आबादी में से लगभग 90 करोड़ की आबादी अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति की है। सभी हमारे माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए धन्यवाद दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, बहुत से विद्वान वक्ताओं ने बहुत सी बातें यहां रखी हैं, परंतु लगता यह है कि कांग्रेस की सरकार को जब वोटों की चिंता होती है या लगता है कि किसी विशेष बिरादरी के वोट हमसे न निकल जाएं, तब ऐसी चीजें वे आधे–अधूरे मन से लेकर आते हैं। मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा कि आज सुबह ही लॉर्ड मेघनाथ साहा जी का एक लैक्चर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की प्रगति न होने का एकमात्र कारण यह है कि यहां की प्राथमिक शिक्षा उपयुक्त और दुरुस्त नहीं है। देश में छः लाख से अधिक गांव हैं। हम लोग जिस समाज की चिंता कर रहे हैं, उस समाज के सौ से 75–80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, लेकिन उसका लाभ उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है। स्कूलों में कोई व्यवस्था है या नहीं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं और गांव का व्यक्ति एक लाख रुपये देकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। जब आप शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च स्तर पर आरक्षण करेंगे तो निचले स्तर का व्यक्ति वहां तक कैसे आ पायेगा। मैं माननीय सदस्य, श्री राम कृपाल यादव और श्री रघुनाथ झा जी से पूछना चाहूंगा कि गांव के बच्चे कितने प्रतिशत आते हैं और कैसे जाते हैं और इस आरक्षण का उस बच्चे को कैसे लाभ मिलेगा। यह बात पूरे देश में सर्वविदित है कि अल्पसंख्यक चरित्र के जितने विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में सारे लोग लालायित रहते हैं कि उनके बच्चे का उसमें दाखिला हो जाए और हमें अपने बच्चे के लिए अच्छी दिशा मिल जाए। उसमें भी हम लोग अपने बच्चे का दाखिला नहीं करा सकते और गांव के स्कूल में पढ़ाकर हमारी वर्तमान सरकार ने पहले ही मान लिया कि 80 प्रतिशत बच्चों के पास दिमाग नहीं है। इसलिए आपने जो 17 उच्चस्तरीय संस्थाएं छांटी हैं, उनके लिए आरक्षण लागू नहीं रहेगा, जबकि विज्ञान यह कहता है कि सभ आदमियों के दिमाग का आई.क्यू. एक सा रहता है और हर अगली पीढ़ी का आई. क्यू. बढ़ता है। बच्चा चाहे गांव में पैदा हो या सबसे निचले स्तर पर पैदा हो, चाहे किसी बड़े परिवार में पैदा हो, परंतु दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार हमें बांटने का काम कर रही है और ये आरोप लगाते हैं कि हम विरोधी हैं। हम कहते हैं कि एन.डी.ए. सरकार में आरक्षण की सारी प्रक्रियाएं हमने बिना किसी भेदभाव के सही ढंग से लागू कीं, सब व्यवस्थाओं में हमने सही ढंग से काम किया, लेकिन उसके बाद भी जब लगता है कि फलां नाराज हो रहा है, इसलिए सच्चर समिति भी आ जाए, उसके हिसाब से भी आरक्षण हो। अब यदि सरकार में हिम्मत हो तो सच्चर समिति के ऊपर बहस करा ले। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में बहस कर ले, परंतु सरकार में बहस करने की इच्छा नहीं है और इस ढंग से आधे–अधूरे मन से इन बातों को लेकर आते हैं, जो इस बात को साफ जाहिर करता है कि हम राजनीतिक आधार पर फैसला कर रहे हैं। परंतु, इस राजनीतिक आधार के फैसले का लाभ इस समाज के दो–तिहाई तबके को कितना मिलता है। मैं गांव में रहता हूं और आप लोग भी गांवों में रहते हैं, आप जरा सर्वे करके देखिये कि गांव के अंदर कितने बच्चे आगे आकर सही ढंग से पढ़ पाते हैं। कहीं ऐसा है कि एक परिवार के सारे बेटे आई.ए.एस., डाक्टर और

इंजीनियर हैं और कहीं किसी परिवार में यदि दस बच्चे भी हैं तो उनमें से एक भी हाईस्कूल पास नहीं है। अब इस बात की ओर कौन ध्यान देगा। हम उन बच्चों को ही अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, हम उन बच्चों को ही आई.आई.एम. में एडमिशन देना चाहते हैं। हमारी सरकार ने जब आई.आई.एम. की फीस कम करने का काम किया तो पूरे देश में एक बवंडर मच गया। सब लोग कहने लगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, जबकि आपने उस फीस को कम करने का काम नहीं किया, बल्कि उसे बढ़ाने का काम किया। आप यह जरूर कहते रहे होंगे कि हम इसमें सहूलियतें देंगे, सहायता देंगे, सारे काम करेंगे, परंतु इसका वास्तव में लाभ कहां मिल रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसे इस ढंग से लाइये जिससे वास्तव में समाज के हर तबके को लाभ मिल सके। आप जो आरक्षण ला रहे हैं, इसमें किसी का विरोध नहीं है, परंतु इसका वास्तविक लाभ माननीय अर्जुन सिंह जी तभी मिल पायेगा कि जो अल्पसंख्यक चरित्र की शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आप उनमें आरक्षण नहीं देंगे, मैं जिस जिले में रहता हूं, वहां 15 विद्यालय ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक चरित्र के हैं और उनमें दाखिले के लिए लाइनें लगती हैं। ...*(व्यवधान)* दिल्ली के अंदर ऐसे सैंकड़ों विद्यालय हैं, जहां हमारे बच्चे का दाखिला नहीं हो सकता है, जहां आप एक–दो लाख रुपये जमा करें तो भी मुश्किल से दाखिला होगा। मेरा सुझाव यह है कि आप अपनी नीयत को साफ करिए और जब तक आप अपनी नीयत साफ नहीं करेंगे तब तक इस समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये केवल कोरी बातें हैं। अगर इन बातों के आधार पर हम चाहें कि समाज में बहुत भारी परिवर्तन कर दें, तो वह परिवर्तन संभव नहीं है। इस आधार पर ही बच्चे अपने आप कलेक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई कृपा की बात हो रही है। लेकिन कृपा की बात यह है कि सबको समान स्तर मिले, सभी को बराबरी का भाव मिले।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब कलेलकर जी की रिपोर्ट आई थी, उस समय ओबीसी की संख्या 2000 थी। बाद में ओबीसी की जातियां 6500 हो गईं – यह 6500 कैसे हो गई? क्या नई जातियां बन गईं? लोगों को लग रहा है कि हमें फायदा मिल रहा है, इसलिए हम अपनी जातियों को इसमें शामिल कर दें। इस बारे में आपकी राय बननी चाहिए कि वास्तव में कौन सी जातियां एससी, एसटी और ओबीसी के लिए योग्य हैं या योग्य नहीं हैं और उसके हिसाब से आपको फैसला करना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कत यह होती है कि जब हम आरक्षण देते हैं तो उसका फायदा वह लोग उठा लेते हैं जिन्हें वास्तव में सामान्य जाति में रहना चाहिए और जो वास्तव में पिछड़ी जाति के हैं, उनको वह लाभ नहीं मिल पाता है।

मैं यहां अधिक न बोलते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अमेंडमेंट में यह दिया है कि आप अल्पसंख्यक चरित्र की संस्थाओं को इसमें शामिल करें। शहर के अंदर पढ़ने वाला बच्चा, जो कम्प्यूटर ऑपरेट करना जानता है और कक्षा 6 का बच्चा जो गांव के स्कूल में पढ़ता है, उसकी आई.क्यू. क्या है, उसका समझने का सिलसिला क्या है, उसमें काफी अंतर है। जब तक इस अंतर को आप दूर नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा उद्देश्य है और जिस समाज को हम जो सुविधाएं तथा सहायता देना चाहते हैं, वह हम नहीं दे पायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल को आप इस रूप में प्रस्तुत करें ताकि वास्तव में समाज के व्यक्ति को जो समाज के आखिरी तबके का व्यक्ति है, पंडित दीनदयाल जी ने यह बात सर्वप्रथम कही थी कि हम समाज के उस तबके को उठाना चाहते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान यूपीए सरकार को उस तबके के बारे में कोई चिंता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी दूर नहीं हो रही है, गरीब दूर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस ओर सरकार चिंता करे और आम आदमी का हम कैसे हित कर सकते हैं, इस हिसाब से विचार करे।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : सभापति महोदय, जो विधेयक इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है, शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन का जो प्रावधान इस बिल में रखा गया है, मैं उसका समर्थन और स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आज श्रीमती सोनिया गांधी, जो हमारी यूपीए की अध्यक्ष हैं और डा. मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तथा श्री अर्जुन सिंह, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि बड़ी जद्दोजहद के बाद इस बिल को इस सदन में रखा गया और एक सिलेक्ट कमेटी ने इसके कुछ प्रावधान जो थे, उनको बड़े गौर से देखा और उसमें जो क्रीमी लेयर के लिए प्रावधान रखा गया था, उसको हटाया गया है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो इंदिरा साहनी वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया। उस वक्त श्री शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं वहां विधायक था। श्री शांता कुमार जी ने सरकारी खर्चे से एक वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया कि इंदिरा साहनी वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया में बैकवर्ड क्लासेज के जो लोग हैं, उनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेज के हक में फैसला दिया। इंदिरा साहनी वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया केस के निर्णय में कहा गया कि कांस्टीट्यूशन में इसका प्रावधान है, रिजर्वेशन का प्रावधान पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए – ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के हक में फैसला दिया। लेकिन उसमें भी क्रीमी लेयर का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में आया है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि

[प्रो. चन्द्र कुमार]

आपने इस बिल में जो क्रीमी लेयर को हटाया है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को रखा है। जब आप इस बिल को पास कर देंगे और जब इसके रूल्स फ्रेम होंगे तो उसमें यह देखना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसकी लाइमलाइट में आपको यह अमेंडमेंट दुबारा लाना पड़ेगा।

इस बिल के जरिये पार्लियामेंट में क्रीमीलेयर को वेव ऑफ किया जाये – आपने शेड्यूल में ऐसे प्रावधान रखे हैं, जिनमें ओ.बी.सी. के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं रखा गया है। जैसा जिक्र किया गया है कि रिमोट सैंसिंग डिपार्टमेंट में सैटेलाईट मेसेज्स आते हैं, उनके आधार पर इंटरप्रीटेशन किया जाता है और वह इंटरप्रीटेशन फील्ड में दिया जाता है। अगर सैंसिंग डिपार्टमेंट से कोई मैप आता है तो उसका भी इंटरप्रीटेशन किया जाता है। हमारे गांव में रहने वाले किसानों को उससे मालूम होता है कि मौसम कैसा है, मिट्टी किस प्रकार की है, एग्रीकल्चर बेस क्या है, किस प्रकार की टैक्नोलॉजी है, जो हमें गांवों में देनी है।

सभापति महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैक्शन–4बी में जो शेड्यूल रखा गया है, उसमें रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट में कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया। इसी तरह और कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें ओ.बी.सी. के पढ़े–लिखे लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सैक्शन–4बी में जो शेड्यूल रखा गया है, उसे ओपन कर देना चाहिए ताकि हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार वहां आ सकता है।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि बड़े–बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और मैडिकल इंस्टीट्यूट्स में सरमायेदार कैपिटेशन फीस देकर अपने बच्चे को एडमिशन करा देते हैं, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि कैपिटेशन फीस देने वाले बच्चे कितने कम्पीटैंट होते हैं? आज यूनिवर्सिटीज में घोटाले हो रहे हैं। सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है, क्या ओ.बी.सी. या एस.सी.एस.टी. का आदमी कर रहा है? इस सब के पीछे एक गैंग काम कर रहा है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जब भी वह यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन का प्रावधान रखें तो एक सिलैक्ट कमेटी होनी चाहिए जिसमें एस.सी.एस.टी. के एक मैम्बर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि जो भी सिलेक्शन हो, वह फेयर हो, ठीक हो और गरीब आदमी को इंसाफ मिले। यू.पी.एस.सी. और स्टेट सबोर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन बने हुए हैं। उनमें एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों को जब्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, उसके साथ पार्शिएल्टी की जाती है। इसके लिए एक मकैनिज्म होना चाहिए ताकि बोर्ड में उनके मैम्बर का रिक्रूटमेंट हो सके और उन्हें इंसाफ मिल सके, जो गरीब तबके से हैं, गरीब किसान और मजदूर हैं, उनके बच्चों को न्याय मिल सके।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बिल के जरिये एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कार्यसूची के अनुसार हम अपराह्न 5.30 बजे 'आधे घंटे की चर्चा' आरम्भ करेंगे। लेकिन मैं सभा की राय जानना चाहता हूं कि क्या हम विधेयक पर चर्चा जारी रखें या आधे घंटे की चर्चा शुरू करें।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, हम विधेयक पर चर्चा जारी रखें और यदि माननीय सदस्य को आपत्ति न हो तो आधे–घंटे की चर्चा को कल तक के लिए स्थगित किया जाये। माननीय मंत्री जी को भी एक काम है और सभा में वे भी उपस्थित नहीं होंगे यदि इसे इस विधेयक के पारित होने के बाद शुरू किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : कल शुक्रवार है और हमें गैर–सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य पर भी चर्चा करनी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम आधे–घंटे की चर्चा को कल तक के लिए स्थगित कर सकते हैं।

श्री वी.के. हान्डिक : गैर–सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य के बाद हम आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है। हम विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे और 'आधे घंटे की चर्चा' पर कल चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, माननीय श्री अर्जुन सिंह जी सदन में एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आये हैं। यह केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों को आरक्षण देने वाला बहुत ही क्रान्तिकारी बिल है।

सभापति महोदय, हमारे देश के जो एस.सी., एस.टी. और ओबीसी के लोग हैं, आजादी के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा में उन्हें जितना एडमिशन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अर्जुन सिंह साहब को मेरी सूचना है कि केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में तो आप आरक्षण दे रहे हैं, मगर जो प्राईमरी, हाई स्कूल एवं कॉलेज हैं, वहां भी आरक्षण होना चाहिए। कहीं ऐसा है, मगर हर संस्थान में

आरक्षण नहीं दिया जाता है। दूसरे प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देने के संबंध में हमें विचार करना चाहिए। जिस तरह एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए साढ़े सात प्रतिशत एवं ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, इस तरह कुल मिलाकर 49.5 प्रतिशत एडमिशन देने का प्रस्ताव है। मेरी सूचना एवं मांग है कि दूसरे उच्चवर्गीय लोगों में भी, समाज में भी इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास के काफी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी इसमें अमेंडमेंट करना चाहए। इसमें साढ़े दस प्रतिशत आरक्षण उन वर्गों के लिए भी होना चाहिए, जिस वर्ग में इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास के परिवार हैं। ऐसे परिवार के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए इसमें टोटल 60 प्रतिशत आरक्षण देने की आवश्यकता है। इसके लिए कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। आज तक बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, आज तक 105 अमेंडमेंट कांस्टीट्यूशन में हो चुके हैं।

अपराह्न 5.37 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, बाबासाहेब अम्बेडकर जी, जो संविधान के शिल्पकार थे, वे कहते थे कि जब वक्त आयेगा तब संविधान में उस समय की परिस्थिति के मुताबिक परिवर्तन होना चाहिए। पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का अधिकार है। अगर आज हम 50 प्रतिशत के आगे नहीं जा सकते, लेकिन 50 प्रतिशत से भी ज्यादा आरक्षण देने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। आरक्षण और समर्थन के विरोध में हमेशा संघर्ष चलता रहा है। उन लोगों को लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है और हमें लगता है कि उन्हें ज्यादा मिल रहा है। सदियों से वे लोग लेते रहे हैं, अब हमें थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है। इसलिए उन्हें भी मिलना चाहिए तथा हमें भी मिलना चाहिए। तुम भी खाओ और हमें भी खाने दो – लेकिन आज तक खाली आप ही खाने का प्रयत्न करते रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, आप तो जानते हैं, आप पंजाब से आए हैं और मैं महाराष्ट्र से आया हूं – हमें महाराष्ट्र की स्थिति मालूम है और पंजाब की स्थिति भी मालूम है। सभी लोग बातें करते हैं, लेकिन आज तक इन नीचे के वर्गों को ऊपर उठाने का काम हुआ है। मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि नीचे के लोगों को अगर ऊपर उठाना है तो ऊपर के लोगों को नीचे लाने की आवश्यकता है और जब तक ऊपर के लोग नीचे नहीं आते हैं, तब तक नीचे के लोग ऊपर नहीं जायेंगे। हम ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऊपर के लोग ऊपर जाने का प्रयत्न करते हैं और वे ऊपर जाते हैं, इसलिए हम नीचे जाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अगर नीचे के वर्गों को ऊपर उठाना है तो उन्हें ताकत देने की आवश्यकता है। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी हमारे साथ हैं। सब कुछ हमारे साथ है, लेकिन जब तक अटल जी और आडवाणी जी हमारे साथ नहीं आते हैं, तब तक हम ऊपर कैसे जायेंगे? ये लोग बोलते हैं कि हमें नीचे रहना चाहिए, मगर अब हम मल्होत्रा जी, नीचे रहने वाले नहीं हैं, हम ऊपर के लोगों को नीचे लाएंगे और नीचे के लोगों को ऊपर ले जायेंगे। इस तरह का काम हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अर्जुन सिंह जी का आरक्षण का जो प्रसताव है, यह बहुत अच्छा है। मैं कविता में कहता हूं – हमारे मनमोहन सिंह साहब का यूपीए सरकार बहुत है अच्छा, ये बहुत काम कर रहे हैं सच्चा, सोनिया गांधी जी को हर घर का बधाई दे रहा है दलित का बच्चा, लेकिन उनके लिए आपको बहुत काम करना होगा अच्छा – इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए, अर्जुन सिंह साहब द्वारा लाये गये विधेयक का हम पूरा समर्थन करते हैं। अगर हमारे स्टुडेंट्स को ज्यादा शिक्षा मिलेगी तो फिर हम मेरिट में आ पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि आप उपाध्यक्ष का पद नहीं संभाल सकते थे, लेकिन जब आपने उपाध्यक्ष का पद संभाल लिया तो लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे उपाध्यक्ष हैं।

महोदय, मेरे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले मुझे लोग बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं और इन लोगों की खटिया खड़ी करने का काम कर रहा हूं। हम यहां गरीबों को न्याय देने के लिए आये हैं। इसलिए हमें गरीबों के लिए सोचना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब किसी भी दल के लिए समय उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी अभी चार या पांच सदस्य इस विधेयक पर बोलने वाले हैं। इसलिए, उन सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि वे दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

अब श्री सत्पथी बोलेंगे।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं अपका आभारी हूं।

महोदय, मैं जानता हूं कि मानव का स्वभाव उसे किसी को भी कुछ देने की अनुमति नहीं देता और आपको हर चीज अपने दम पर प्राप्त

[श्री तथागत सत्पथी]

करनी होती है। यदि हम इस मान्यता को माने तो हम पाते हैं कि भारत में हिन्दू समाज में अगड़ी जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य को मलाईदार तबके (क्रीमी लेयर) के रूप में समझा गया है और इस प्रकार उन्हें आरक्षण से वंचित रखा गया है जिसका मैं पूरे मन से समर्थन करता हूं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वे अन्य लोगों से आगे है। लेकिन, महोदय, जब हम पिछले 60 वर्षों के दौरान दिए गए आरक्षण के प्रभावों को देखते हैं, चाहे वह अन्य पिछड़े वर्ग, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए हो, तो पाते हैं कि समाज के उस वर्ग के लोग जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ गए हैं, जिनता विकास हो चुका है और जिन्हें लाभ मिल चुका है, वे उन लाभों को, जिन्हें प्राप्त कर रहे हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए, हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि इस देश में पिछड़ा होने की दौड़ शुरू हो गई है। हर व्यक्ति पिछड़ा बनना चाहता है। जैसा कि श्री गंगवार जी ने पहले ही कहा है, 2000 संस्थागतकृत या पंजीकृत अन्य पिछड़े वर्ग जातियों की तुलना में अब इनकी संस्था 6,500 हो गई है। यह संस्था ही अपने आप में दर्शाता है कि हम एक बीमार स्थिति में जी रहे हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो गया है, हर कोई पिछड़ा बनना चाहता है। अपने को पिछड़ी जाति के रूप में दर्ज करने के लिए लोग इस प्रणाली को ही धोखा दे रहे हैं। जो लोग प्रणाली का दुरुपयोग कर सकते हैं और पिछड़ी जातियों में सम्मिलित हो सकते हैं वे अपने को पिछड़ा के रूप में इसलिए दर्ज करवाना चाहते हैं क्योंकि लाभ उठाना चाहते हैं। यह 'लूट मचाने वाली' स्थिति है। यहां हम सभी राजनीतिज्ञ हैं और इस अगस्त या सितम्बर या अक्टूबर सभा के सदस्य हैं, इस सच्चाई को बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। अब यह कोई सम्माननीय सभा नहीं रह गई है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए।

महोदया, हम सच्चाई बयान करने को तैयार नहीं हैं। जो सच है उसे हम कहने के लिए तैयार नहीं हैं और हम इस देश की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह एक दौड़ है। हर कोई पिछड़ों का मसीहा बनना चाहता है। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह मसीहा राजपूत या राजा या जमींदार हो। हमने देखा कि 1990 में श्री वी.पी. सिंह किस तरह सामने आए और उन्होंने मसीहा बनना चाहा। अब हमारे सामने कई मसीहा हैं लेकिन इस देश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति यह कहने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है:

[हिन्दी]

"बस भाई 10 वर्षों के लिए आरक्षण था।"

[अनुवाद]

इस देश के संविधान निर्माताओं ने कहा था कि 10 वर्षों के बाद इस आरक्षण से मुक्ति मिल जायेगी। आज हम पिछड़ा बनने की दौड़ में सम्मिलित हैं और हम और पिछड़ा बनना चाहते हैं ताकि हम इस देश में लाभ पा सके। महोदय, हम अपना यह सोचना कब बदलेंगे? क्या हम लोग ऐसा ही बने रहेंगे या हम लोग बदलेंगे? यही प्रश्न है।

महोदय, प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। मैं सभा के दोनों पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि वे लिखित में बताएं कि जब वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाए तो यह अनिवार्य किया जाए कि उन्हें उनके समुदाय या पिछड़ा वर्ग के डाक्टर ही उनकी जांच करें और वे ऐसे डाक्टर की मांग न करें जो योग्य हो।

यदि आप एक तरफ कहते हैं कि योग्यता नहीं है और कहते हैं कि योग्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी ओर आप वैश्वीकरण की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनना चाहते हैं। आप को योग्यता को मानना ही पड़ेगा। आपको योग्यता को तभी मानना होगा, जब आप निम्नतम, निर्धनतम लोगों में से अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को आगे लाते हैं। यदि उन्हें अच्छा भोजन मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छी शिक्षा मिले तो वे प्रतिस्पर्धात्मक बन सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, हम उनका वोट प्राप्त करना चाहते हैं, हम उनके पिछड़ेपन से लाभ उठाना चाहते हैं, और हम उनको सांत्वना देते हैं कि: "सुनो, आप पिछड़े हो, हम आपके लिए कुछ करेंगे।" ...*(व्यवधान)*

लेकिन वास्तव में हम उनका भला नहीं कर रहे हैं। हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव पर है, हमारा ध्यान पिछड़ों का मसीहा बनने पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, यह एक दमनकारी कदम है, यह एक बहुत ही प्रतिक्रियावादी सोच है, और मैं उम्मीद करता हूं और मेरा विश्वास है कि यह सरकार और जो लोग इस सभा में उपस्थित हैं, वास्तव में इस कदम को समझेंगे और राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, भारत के

भविष्य के बारे में सोचेंगे, और जाति, धर्म और अन्य संकीर्ण बातों में न पड़कर इन सबसे ऊपर उठेंगे। उन्हें व्यक्तिगत लोभ और दलगतहितों से ऊपर उठना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, मैं अपने दल सी.पी.आई. (एम) की ओर से इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के पिछड़े वर्ग के लाभ पहुंचाने वाला यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक है। आज तक हमने सब कुछ उल्टे काम देखते आए हैं। अब हम इस गलती को ठीक कर रहे हैं और कार्य सही ढंग से हो रहा है। अब सब कुछ ठीक हो गया है।

मंडल आयोग की सिफारिशों पर आधारित अन्य पिछड़े वर्ग को केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सेवाओं में आरक्षण का अधिकार मिल गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण के बाद हम उन्हें केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे रहे हैं।

इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद समाज का पिछड़ा वर्ग उच्च शिक्षा पाने में सक्षम हो जायेगा। इससे 59 वर्षों से चली आ रही प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। अब उच्चतर शिक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे समाज के वंचित वर्ग की भी पहुंच हो जायेगी। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक हमारे केवल 6 प्रतिशत बच्चे ही उच्चतर शिक्षा तक पहुंच पाएंगे। विद्यालयों में जाने वाले 100 लोगों में से केवल 6 लोग ही अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पायेंगे। पिछड़े वर्ग के अधिकांश बच्चे अपनी खराब पृष्ठभूमि, खराब जीवन स्तर, गरीबी वित्तीय अशक्तता और सामाजिक अक्षमता के कारण उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उनका रहन–सहन का स्तर, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा उनकी आर्थिक दशाएं उनके सामने समस्या बनकर खड़ी है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधाएं खड़ी कर रही है। इस विधेयक से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ओर अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए उनके लिए आरक्षित उच्च शिक्षा और नौकरी के अवसरों तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जायेगा।

आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं। हम एक सामाजिक विभाजन को देख रहे हैं जो पैदा हो रहा है। हम एक ओर तक कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त बच्चों को देख रहे हैं जो काफी पैसा कमा रहे हैं जबकि दूसरे वर्ग को कम्प्यूटर तक पहुंच ही नहीं है। यह वंचित स्थिति उन्हें आगे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बनाने की दिशा में ले जा रही है। एक बड़ा खतरा समाने दिख रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व भी सामाजिक न्याय का समर्थन करने वाला व्यक्ति तमिलनाडु से ही आया था और जिसने थंनथाई परियार जैसे व्यक्ति को विश्व में पैदा किया, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए गर्व महसूस करता हूं। अब जाकर सरकार इस संबंध में कानून बना रही है। इसे सही ढंग से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

वैश्वीकरण के इस युग में शिक्षा तेजी से व्यवसाय का रूप लेती जा रही है। यदि हमें इस विधेयक को पूर्ण रूप से लागू करना है तो हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा का आगे व्यावसायीकरण न हो। शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण को रोका जाना चाहिए। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जिसके लिए संप्रग सरकार सहमत हुई थी, के अनुरूप सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री को भी याद दिलाना चाहूंगा कि वे सुनिश्चित करें कि इस विधेयक के खंड 5 में भ्रम पैदा करने वाला शब्द "कुछ", जिससे लोगों के मन में आशंकाएं पैदा होती हैं और जैसा कि हमारे कुछ आदरणीय सहयोगियों ने मेरे से पूर्व कहा भी है, को हटा दिया जाए।

मैं एक सुझाव के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय का छात्र आई.आई.एम. या आई.आई.टी. जैसे केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, और यदि उसने आवेदन में इस बात का उल्लेख भी किया है, यदि वह अच्छे अंक लाता है और योग्यता सूची में उसका नाम आता है तो उसे सामान्य उम्मीदवार के रूप में समझा जाए। यह जरूरी है क्योंकि इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ और योग्य उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित सूची से लाभ उठा सकें।

यदि उन्हें 90 प्रतिशत अंक मिलते हैं तो वे स्वतः सामान्य श्रेणी की सूची में आ जाते हैं। तभी हम सामाजिक न्याय को पूर्णतः लागू करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से आने वाले मेघावी उम्मीदवारों को हम पुरस्कृत कर पायेंगे। इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं तथा इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : महोदय, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। मैं यहां कुछ मुद्दों के बारे में बताना चाहूंगा। भारतीय संविधान के निर्माता डाक्टर

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[प्रो. महादेवराव शिवनकर]

भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर, 1947 को भारत के राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को संविधान समर्पित करते हुए कहा था कि 26 जनवरी, 1950 को हम राजनीतिक समानता प्राप्त करेंगे, परन्तु सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में असमानता प्राप्त करेंगे। हमें इस विरोधाभास को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना होगा, वरना जो अपमान के शिकार होंगे, वे प्रजातंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देंगे, जिसे हमने बड़े परिश्रम से तैयार किया है। वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो पिछले साठ वर्षों के काल में हमने इस ढांचे को समानता में लाने का प्रयत्न नहीं किया। इस बिल में कुछ सुधर की आवश्यकता है।

हम देखें कि आखिर ओबीसीज कौन हैं? जो गांव में मूल रूप से रहने वाले किसान और मजदूर हैं, उनमें पचहत्तर प्रतिशत लोग ओबीसीज में हैं। मेरी पहली मांग है कि भारतीय संघटना में परिवर्तन करें और लोकसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन को देश में लागू करें। इसके साथ–साथ जो अल्पसंख्यक संस्थायें हैं, उनमें भी इस बिल को लागू करें, उनमें सुधार करें। इसके साथ ही उसमें आरक्षण की व्यवस्था करें। विशेष रूप से हमने उच्च संस्थाओं में तो ऐसा कर दिया, लेकिन जो मूल ढांचा है, जो हमारी और आपकी कल्पना थी कि राष्ट्रपति, कलेक्टर और सफाई कामगार का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा, वह अभी संभव नहीं हो रहा है। उसका कारण फीस है। स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा है। कलेक्टर अपने बेटे को ज्यादा फीस देकर सेंट्रल स्कूल या अन्य स्कूलों में पढ़ा लेता है, मगर सफाई कामगार का बेटा, नगर परिषद में और ग्राम पंचायतों या झोंपड़ी के स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए निचले तबके का बेटा ऊपर नहीं आ पा रहा है, यह सच बात है। ओबीसी की जनगणना अभी तक नहीं हुई है। हमारे देश में जैसे एससीज और एसटीज की जनगणना हुई, वैसे ही ओबीसी जनगणना शीघ्रातिशीघ्र कराने की आवश्यकता है।

महोदय, कुछ समय पहले एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था। उसमें जो संख्या सामने आई है, उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि 27 प्रतिशत आरक्षण केवल हमने कुछ संस्थाओं और आर्गनाइजेशंस में दिया, लेकिन इसका विस्तार लोकसंख्या के आधार पर करने की आवश्यकता है। नीचे जो एजूकेशन का ढांचा है, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक नीचे के ढांचे में सुधार नहीं होगा, तब तक इस देश में समानता असंभव है। अगर यह अभी नहीं हो सकता, तो आगे चलकर करें। लेकिन सरकार अपने दिमाग में रखे कि इस बिल को केवल वोटों की राजनीति की दृष्टि से नहीं, बल्कि देश में समानता लाने की दृष्टि से देखें।

महोदय, आप केवल घटना दुरुस्ती का कारण वगैरह बतायेंगे। यह इस देश का सर्वोच्च सभागृह है। घटना दुरुस्ती करनी होगी, तो वह हो सकती है। इसलिए इस पद्धति से घटना दुरुस्ती करके लोकसंख्या के आधार पर स्टडी करनी होगी। उनकी जनगणना करनी होगी। लोकसंख्या के आधार पर नीचे से ऊपर तक लोग कैसे जाएं, इसे ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करना होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बड़े–बड़े इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट कालेजेज, मेडिकल कालेजेज, इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, उनमें आज बहुत ज्यादा फीस है। पन्द्रह–पन्द्रह लाख रुपये केवल छोटे छोटे डेंटल कालेजेज में कैपिटेशन फीस लेते हैं, जो एवव रिकार्ड है। इसका मतलब है कि रिकार्ड में कुछ नहीं होता है। मेडिकल कालेज में तो साठ–साठ लाख रुपये लिये जाते हैं। क्या आपको इसका पता नहीं है? यह सब को पता है। इसलिए इसे रोकने की दृष्टि से कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता है, ताकि जो छोटे तबके के लोग हैं, जिन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है, वे नीचे से ऊपर पहुंच सकें। अगर आपने परिवर्तन नहीं किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि केवल किसान ही आत्महत्याएं नहीं कर रहे हैं। आज किसान के बेटे महाराष्ट्र में टैंक पर चढ़कर शोले फिल्म की तरह ढांचा ध्वस्त करने में लगे हुए हैं ...*(व्यवधान)* यह हो सकता है कि वे हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर आ जाएं ...*(व्यवधान)* उनके हाथ में मशाल लेकर सड़क पर आने से पहले, इस सारे ढांचे को सुधारें। इस दृष्टि से इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, मेरी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है।

श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण विधेयक) 2006 के समर्थन में बालने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधयेक आज सदन के समक्ष बहुत सारे चिन्तन, मनन, समर्थन और प्रतिकार के बाद इस रूप में उपस्थित हुआ है। इस दौरान काफी चर्चा हुई और उसमें हर तरह के विचार सामने आये। हम आदि काल से देख रहे हैं कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, जो बहुसंख्यक जनता को अपनी कूटनीति, रणनीति से हमेशा सताने, दबाने और शोषण करने का काम करते रहे हैं। इस चर्चा में बहुत ज्यादा मेघा, यानी मैरिट की चर्चा हुई। इसमें दलितों, पिछड़ों और डाउनट्रॉडन लोगों के ऊपर, उनकी मैरिट के ऊपर, योग्यता के ऊपर अंगुली उठाने का काम हुआ। मैं कहना चाहता हूं, कि ऐसी चर्चा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने अतीत में इस देश की जिम्मेवारी ली थी, इस देश पर शासन करने, इस देश को आगे बढ़ाने का काम लिया, इस देश की रक्षा करने

का काम लिया, इस देश के आवाम को खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ाकर, उन्हें तरक्की की राह पर ले जाने का वायदा किया, लेकिन वे उन्हें तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सके और न ही उनका विकास करा सके, बल्कि इस देश की अस्मिता को भी नहीं बचा सके। जो लोग अपनी काबलियत और योग्यता का दम्भ भरते हैं, जब उनके कंधों पर इस देश को बचाने का काम था, तब उन्होंने इस देश को गुलाम बनाने का काम किया। जब यहां सिकन्दर आया तो उसने इस देश को रौंद डालने का काम किया। मुगलों ने आकर इस देश को गुलाम बनाया। ...*(व्यवधान)* सुलतानों ने आकर इस देश को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने यहां आकर काफी वर्षों तक शासन किया। ...*(व्यवधान)* तब इनकी काबलियत और योग्यता कहीं थी? ...*(व्यवधान)* आज जब यह योग्यता की बात करते हैं, मैरिट की बात करते हैं, तब हमारे लोगों के मन में बड़ी हलचल होती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नया मैम्बर हूं। मुझे उम्मीद है कि आसन से मुझे सहयोग मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं हो रहा है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बात कहने का यह रास्ता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तापिर गाव। आप दो मिनट बोल सकते हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप समय बर्बाद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : छः बज गये हैं। हाउस चाहे, तो जब तक यह बिल और जीरो ऑवर खत्म नहीं होता तब तक के लिए हम हाउस को एक्सटैंड कर देते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं हो रहा है। आप समय बर्बाद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : गाव जी, आप बोलना चाहते हैं या नहीं?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री तापिर गाव : सर, वे भी अपने दलित भाई हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तापिर गाव, आप केवल दो मिनट बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव : उपाध्यक्ष महोदय, आप उन्हें पहले बैठने के लिए कहिये। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप पहले बोल चुके हैं, इसलिए बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री तापिर गाव बोलेंगे। आप केवल दो मिनट बोल सकते हैं।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने के लिए केवल दो मिनट का समय दे रहे हैं लेकिन संवैधानिक रूप से, एक जनजाति होने के नाते, मेरा हक 7.5 प्रतिशत का है। इसलिए, मैं इसे मिनटों में बदल कर देख रहा हूं। ...*(व्यवधान)* महोदय, इस विधेयक पर बोलने वाला मैं अंतिम सदस्य हूं। वास्तव में इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की ओर से मैं माननीय मंत्री, श्री अर्जुन सिंह का अभिवादन करता हूं। वे वास्तव में इस देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं उन्हें कलयुग का अर्जुन कह सकता हूं लेकिन, कभी-कभी मैं पाता हूं कि अर्जुन सिंह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इस युद्धक्षेत्र में निःशस्त्र और बिना गोलाबारूद के खड़े हैं। इसलिए, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपने को शस्त्र और गोलाबारूद से सुसज्जित करें ताकि इस युद्ध क्षेत्र में इस देश के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के हितों के लिए वास्तव में लड़ाई लड़ सकें।

सर्वप्रथम, मैं कहना चाहूंगा कि आप केन्द्रीय सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण दे रहे हैं लेकिन मेरा अनुरोध है कि संस्थानों के विचारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

यह इस अर्थ में सुरक्षण कि

[हिन्दी]

पहले उस इंस्टीट्यूशन के नियम को ठीक करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

संस्थानों के मंशा को ठीक करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश लेने के बाद मानसिक रूप से परेशान किया जाता है और संस्थानों में उनके स्थान को निर्धारित करते समय भी उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए, संस्थानों में उन्हें 'कुल कलंक' समझा जाने लगता है।

हम जानते हैं कि क्रूरता के विरुद्ध एक कानून है। इन संस्थानों के विरुद्ध हम इस कानून को कैसे लागू करेंगे? इस विधेयक में इसे भी सम्मिलित किया जाए ताकि यह संस्थानों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचितजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विरुद्ध हो रही क्रूरता को रोकने के लिए एक हथियार, एक सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मुझे खुशी होती और इस देश के लोगों को और ज्यादा खुशी होती यदि निजी संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दिया जाता। तब यह एक बेहतर विधेयक होता। इसलिए मैं आपको निःशस्त्र योद्धा कह रहा हूं क्योंकि इससे एक सामाजिक असंतुलन पैदा हो रहा है। जहां निजी संस्थाएं अच्छा शैक्षिक प्रदर्शन कर रही हैं हमें वहां उच्चवर्गीय लोगों के साथ अल्पसंख्यकों को मिलाने की जरूरत है। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बोलने के लिए आपको 5 मिनट का समय और देना मेरे लिए संभव नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव : निजी संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों को भी कोटा आरक्षित किया जा सकता था। फिर यह सामाजिक विकास तथा देश के चहुंमुखी विकास के लिए एक अच्छा विधेयक बन जाता।

आप इस दृष्टि से एक अच्छे ज्योतिषी हैं क्योंकि आप यह तय कर सकते हैं कि जनजातीय लड़के/लड़कियां और अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे वैज्ञानिक नहीं बन सकते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि

आपने देश के अच्छे संस्थानों को इससे बाहर रखा है। लगभग 18 संस्थान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को आरक्षण से वंचित कर दिया है। आपको भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र जैसे संस्थान की तलाश करनी होगी जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों को वैज्ञानिक, डॉक्टर, उच्चतम दर्जे का मानव आदि बनाने का अवसर मिल सके। लेकिन आपने इन संस्थानों को इस विधेयक से बाहर रखा है।

अंत में, मैं माननीय मंत्री से इस मुद्दे पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अन्य मंत्रियों की तरह नहीं, बल्कि आप उत्तर देने के लिए कम समय लेंगे और इस अल्प समय में मैं अल्पसंख्यकों के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या इसमें भाषायी अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक का उल्लेख है? इस विधेयक में यह बात स्पष्ट नहीं है। इसलिए, मैं इस मुद्दे पर आप से स्पष्टीकरण चाहता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि आप इस लघु चर्चा के दौरान इसे स्पष्ट करेंगे।

एक सदस्य ने कहा कि भाजपा ने कुछ नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गाव, बहुत–बहुत धन्यवाद। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री तापिर गाव : लेकिन 1997 में श्री आई.के. गुजराल ने पांच सरकारी ज्ञापनों के जरिए आरक्षण को अनारक्षण कर दिया था लेकिन भाजपा ने उन पांचों ज्ञापनों को पुनः बहाल कर दिया था। इस देश में भाजपा का ऐसा ही रिकार्ड है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री से इस चर्चा का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्री तापिर गाव : इसके अतिरिक्त, भाजपा द्वारा इस सभा में भी राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। इसलिए भाजपा को इसका दोष नहीं दिया जाना चाहिए। भाजपा आरक्षण का समर्थन करती है इसके अलावा भाजपा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का भी समर्थन करती है। इस मुद्दे पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं माननीय मंत्री से चर्चा का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं आपसे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए दो मिनट का समय देने का अनुरोध करता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, लेकिन माननीय मंत्री से इस मुद्दे पर उत्तर देने का अनुरोध कर चुका हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल के बारे में हमने अमेंडमेंट्स दिये हैं, जब अमेंडमेंट्स मूव करेंगे, उसके बारे में कह दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप उस समय बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं इस मुद्दे पर बोलने के लिए आपसे दो मिनट का समय मांगता हूं और मैं इसका पालन भी करूंगा। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, कृपया दो मिनट के लिए बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र पासवान जी का नाम किसी वजह से छूट गया है, पहले कृपया उनको बोलने दीजिए।

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में यह सदन सर्वोच्च है और आज हम इस सदन में देश के दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के हित का काम करने जा रहे हैं। आजादी के सैंकड़ों साल के बाद भी दलितों को आरक्षण का मुद्दा अभी तक चल रहा है, क्योंकि अभी तक इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। आज देश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सका है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन वर्गों के लोगों का जो बैकलॉग है, उसे कब तक भरा जायेगा और , कब इनका कल्याण होगा? यह कहने की बात नहीं है और न ही भाषण देने का समय है।

हमें एक मिनट का समय मुश्किल से मिला है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू। सरकार की ओर

[श्री रामचन्द्र पासवान]

से क्रीमी लेयर के बारे में कहा गया है और कोर्ट ने भी अपनी बात रखी है। मैं सदन से मांग करता हूं कि न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है इसलिए पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को न्यायपालिका में भी आरक्षण मिलना चाहिए।

हमारा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है इसलिए वहां भी आरक्षण होना चाहिए। जब पब्लिक सेक्टर में आरक्षण था और अब जबकि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, वहां इन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये लोग कहां जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर चर्चा करते हुए कई माननीय सदस्यों ने अपनी–अपनी बातें कही हैं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका सम्मान करते हुए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में भी दलितों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, सरकार को उस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह जी, जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में केवल एक ही मुद्दा लाना चाहूंगा। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ऐसे बहुत से समुदाय हैं जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें यह दर्जा नहीं मिल रहा है। इसलिए, इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले, माननीय मंत्री कृपया इस मांग पर विचार करें और देखें कि इन क्षेत्रों में रहने वाली ओरांव, मुंडा, किरिया को यह दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने आज की चर्चा में भाग लिया और मैं उन लोगों का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि यह प्रस्ताव 93वें संविधान संशोधन का परिणाम है। उस संशोधन की भावना को अक्षुण रखा गया है और इस बात को ध्यान में रखने का प्रयास किया गया है कि इस पर यथासंभव सहमति हो।

सर्वप्रथम, मैं यह बताना चाहता हूं कि हिन्दी संस्करण में जो गलती बताई गई है उसका विधायी विभाग ने शुद्धिपत्र जारी कर किया है और उस शुद्धिपत्र को वितरित भी कर दिया गया है लेकिन फिर भी, इससे सदस्यों को जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

सबसे पहले, मैं गैर–सहायता प्राप्त संस्थाओं के बारे में स्पष्टरूप से बताना चाहता हूं क्योंकि जो भाषण दिये गये हैं उनमें इस बात को लेकर थोड़ा सा भ्रम है कि क्या यह आरक्षण गैर–सहायता प्राप्त संस्थाओं में भी लागू होगा। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि एक विधेयक तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे सभा के समक्ष लाया जाएगा जिसमें इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा।

कई मुद्दे उठाये गए हैं मैं उन्हें अलग–अलग श्रेणियों में रखता हूं। प्रथमतः, इस कानून के क्रियान्वयन के बारे में सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों का अत्यंत स्वागत है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि क्रियान्वयन के समय हम इस सभा के सभी सदस्यों से कई तरह के परामर्श करेंगे ताकि इस अधिनियम के क्रियान्वयन पर भी यथासंभव सहमति बन सके।

ऐसा लगता है कि अल्पसंख्या से संबंधित मुद्दे पर सभा के कुछ सदस्यों का ध्यान कुछ ज्यादा ही केन्द्रित रहा है। इस संबंध में मेरा यह कहना है कि इस मुद्दे का समाधान संवैधानिक संशोधन से ही हो गया है इसलिए, यह कानून स्पष्ट रूप से उस संशोधन के दायरे में आ गया है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए मैं इससे आगे नहीं जा सकता। इसलिए, मेरे साथ–साथ आप भी इसे स्वीकार करें क्योंकि यह मेरे अधिकार में नहीं है। संविधान संशोधन के बारे में यह निर्णय इस सभा द्वारा ही लिया गया इसलिए जहां तक हमारा संबंध है, हमारी ओर से यह अंतिम शब्द हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : केवल यही एक समर्थकारी खंड था। आप 'अल्पसंख्यक' शब्द का आसानी से लोप कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सिंह : यह एक संविधान संशोधन था और जब संविधान में संशोधन हो चुका है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे इसके अतिरिक्त और कोई कार्यवाही करने का अधिकार है।

दूसरी बात अनुसूची के बारे में है, ऐसा समझा जा रहा है कि सरकार ने इन संस्थाओं के बीच विभेद किया है। इस अनुसूची को इसलिए पुरःस्थापित नहीं किया गया था कि सरकार इन संस्थाओं में विभेद करना चाहती है बल्कि यह अनुसूची *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : आप केवल संस्थाओं का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को बांट रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सिंह : इस विचार को भूल जाइये कि हम सभी को बांट रहे हैं। प्रत्येक को सम्मिलित करने के बारे में सोचिए। यह भावना होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : आप उन निजी संस्थाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर जिनके संचालक ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह : मैं इस चर्चा में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि इससे किसी को लाभ नहीं होगा। जहां तक इन संस्थाओं का संबंध है, उन्हें इस अनुसूची में शामिल किया गया है क्योंकि मूलतः ये ऐसे स्थान नहीं हैं जहां छात्रों का प्रवेश अध्ययन के लिए किया जाता है। ये मूल रूप से अनुसंधान संस्थान हैं। उन्हें इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से अलग रखना होगा ताकि किस प्रकार के संशय की स्थिति पैदा न हो। और जब ये संस्थाएं शिक्षण संस्थान बन जायेंगी छात्रों को सामान्य रूप से प्रवेश देंगी तब उन्हें भी इस विधेयक में सम्मिलित किया जाएगा।

इस समय ऐसा नहीं है। संसद की अनुमति से इनमें संशोधन किया जा सकता है क्योंकि इनमें से कुछ भी इस सम्माननीय सभा से परे नहीं जा सकता। ये सभी संस्थान अनुसंधान आधारित हैं और इसमें हम कोई भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है।

जहां तक पूर्वोत्तर में छठी अनुसूची का प्रश्न है, वहां हमने छठी अनुसूची के सभी संस्थानों को इससे बाहर रखा है क्योंकि यह प्रमुखतया आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहां हम इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते। अतः यह समझ–बूझ कर लिया गया निर्णय है और स्थायी समिति ने भी इस निर्णय पर सहमति व्यक्त की है।

वस्तुतः, बहुत से राज्यों ने इस बारे में पहले ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है और उन्होंने संविधान संशोधन के उद्देश्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में कुछ कानून भी बनाये हैं। परन्तु उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि केन्द्रीय संस्थान जो केन्द्र सरकार के अधीन हैं, को सभी केन्द्रीय संस्थानों में विद्यार्थियों को आरक्षण देने हेतु पात्र बनाना होगा और संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते समय हमने इसका वचन दिया था।

महोदय, इसे अलग–अलग करने के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है और इसे एक बार में ही क्यों नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि जो संस्थान इसे एक ही बार में कार्यान्वित करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कानून के अंतर्गत यह अनुमत्य है। इसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है। परन्तु यह सही है और माननीय सदस्यों को भी मेरे साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें संकाय और अन्य बातों से संबंधित कई व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। अतः सिद्धांततः संस्थानों की सुविधा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। यदि वे ऐसा चाहें और यदि ऐसा आवश्यक हो तो वे ऐसा तीन वर्षों के भीतर कर सकते हैं। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, वह यह सुनिश्चित करने में इन संस्थानों की सहायता करेगी कि अंततः सभी केन्द्रीय संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था बिना किसी विफलता के मूर्त रूप ले।

जहां तक अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण का प्रश्न है, मैं यह बताना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के मामलों में ऐसा केवल अल्पसंख्यक संस्थानों पर ही ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सिंह : यदि आपको मंडल आयोग की मूल सिफारिशों की जानकारी हो, तो उस सूची में स्पष्ट रूप से पहले ही यह बताया गया है कि जिन व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग समझा जाता है, चाहे वे मुस्लिम हों, ईसाई हों या हिन्दू वहां उन्हें प्रवेश क्यों नहीं दिया जा सकता जहां सबको प्रवेश मिलता है? वे जो करना चाहते हैं, वह निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक संस्थानों पर निर्भर करता है। यदि अल्पसंख्यक संस्थान स्वतः उनमें से किसी व्यक्ति को प्रवेश देना चाहते हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : क्या किसी ईसाई संस्थान में अन्य पिछड़े वर्ग के किसी मुस्लिम व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा?

श्री अर्जुन सिंह : यदि कोई संस्थान ऐसा करना चाहे तो उसे कौन रोक रहा है?

श्री खारवेल स्वाईं : परन्तु कानून के अनुसार, उसे प्रवेश नहीं मिलेगा।

श्री अर्जुन सिंह : इस कानून के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति केन्द्रीय संस्थानों में प्रवेश के पात्र हैं। ऐसा किसी एक संस्थान के लिए नहीं अपितु केन्द्रीय संस्थानों के लिए है। यदि कहीं कोई चूक होती है तो हमें बतायें, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। महोदय, मैं समझता हूं कि ये ही कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो उठाये गए थे।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अर्जुन सिंह]

मैं एक अन्य बात बताना चाहूंगा। वस्तुतः आरक्षण का समूचा प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान के पहले संशोधन के साथ प्रारम्भ हुआ, जिसमें अंततः भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले सभी आंदोलनों पर विचार किया गया था। वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था। यह एक सामाजिक आंदोलन भी था जिसमें समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया और ब्रिटिश राज का डटकर विरोध किया कि उनके पास वापिस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वे सभी सामाजिक आंदोलन, चाहे वे दक्षिण में या महाराष्ट्र में या देश के किसी भी अन्य भाग में चलाये गए हों, वे हमारे राष्ट्रीय लोकनीति के अत्यंत सशक्त घटक बने। अतएव मैं यह कहना चाहूंगा कि जब पंडित जी ने पहला संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो घटित हुआ था, उसी पर ध्यान दे रहे थे जिसके कारण हमें अंततः स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिली। इसीलिए तिरानवेवां संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और अब इस संशोधन प्रस्ताव के अंतर्गत पहली बार एक कानून बनाया जा रहा है ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाले सभी अधिकार एक सांविधिक कानून बन सके जिसे कि लागू किया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह इस संसद की इच्छा है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस संसद ने संविधान में यह संशोधन करने और अब आपकी सहायता से कानून में संशोधन और यह कानून बनाने का निर्णय किया है जो कि संसद की इच्छा होगी और हम इस कानून का समर्थन करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस माननीय सभा से कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाये। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या लोक संख्या की जनगणना करेंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण तथा उनसे संबंधित, या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड-2 परिभाषाएं

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 25 और 26 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:–

'(ङ) "संकाय" से केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था का संकाय अभिप्रेत है;' (1)

पृष्ठ 3, पंक्ति 6 से 11 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:–

(ञ) "अध्ययन की किसी शाखा में शिक्षण या शिक्षा" से बैचलर (स्नातक पूर्व), मास्टर (स्नातकोत्तर) और डाक्टरेट की अर्हताओं के तीन मुख्य स्तरों पर अध्ययन की किसी शाखा में शिक्षण या शिक्षा अभिप्रेत है।' (2)

(श्री अर्जुन सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

अधिनियम का कतिपय दशाओं में लागू न होना

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3,...

पंक्ति 27 का लोप किया जाए (3)

उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 4 में पृष्ठ 3 पर 12वीं पंक्ति में लिखा है "इस अधिनियम के खंड 3 के प्रावधान लागू नहीं होंगे" और लिखा है "इस अधिनियम में यथापरिभाषित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था।"

[हिन्दी]

मैं चाहता हूं कि इसे रिमूव कर दिया जाये और सभी माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां यह मिल रहा है जैसे केरल में 70 से 80 परसेंट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास को दाखिला मिलता है, लेकिन इसके बाद दाखिला मिलना बंद हो जायेगा। इसी तरह से दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में जो दाखिला मिलता है, उसमें भी दाखिला मिलना बंद हो जायेगा। हिन्दू कॉलेज में दाखिला मिलेगा, लेकिन सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। सेंट स्टीफन में 99 परसैन्ट हिन्दू पढ़ते हैं, वहां पर टीचर्स भी 99 परसेंट हिन्दू हैं। परन्तु उसके बावजूद भी क्योंकि इसका प्रबंधन ईसाईयों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए वहां पर जो दाखिला आज मिल रहा है, वह मिलना बंद हो जायेगा। लेडी श्रीराम कालेज में दाखिला मिलेगा, लेकिन क्वीन मैरी कालेज में नहीं मिलेगा। क्वीन मैरी कालेज में इसके बाद दाखिला मिलना बंद हो जायेगा, जो आज मिल रहा है। आज वहां कम्पलसरी शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स का एडमिशन होता है। इसी तरह से देश भर में और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी दाखिला मिलना बंद हो जायेगा।

सभापति महोदय, इस पर विचार करने की जरूरत है कि पंजाब के अंदर हायर एजूकेशन के जितने भी कालेजेज हैं, उनमें से कोई क्रिश्चियन मैनेज्ड हैं, कोई सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा मैनेज्ड हैं और कोई आर्य समाज द्वारा मैनेज्ड हैं। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटी भी है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति ने गाजियाबाद में एक डैंटल कालेज खोला है, यह अल्पसंख्यक संस्थान बन जाता है। उसमें भी एससी, एसटी और ओबीसी को दाखिला मिलना बंद हो जायेगा। इसी तरह से अगर पंजाब का आदमी तमिलनाडु में चला जाए तो वहां भी वह लिंग्विस्टिक माइनोरिटी की वजह से माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन बन जायेगा। मैं समझता हूं कि यह जो आप करने जा रहे हैं, इसमें नम्बर कम हो जायेंगे। आज लोगों को जो दाखिले मिल रहे हैं, वे 50–60 परसेंट बंद हो जायेंगे और जो बढ़ेगा, उससे भी वह कम्पैनसेट नहीं होगा। यह बहुत गलत स्टैप है और इसलिए मैं इस अमैंडमेंट को मूव करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस अमैंडमेंट को स्वीकार किया जायेगा कि ओ. बी.सी. और एस.सी. एस.टी. का रिजर्वेशन माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस में भी लागू होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : सर, मैं भी एक मिनट बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एसोसिएट कर लीजिए।

श्री खारवेल स्वाईं : हमने अलग–अलग अमैन्डमेंट दिये थे, एक साथ नहीं दिये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके एक साथ हैं।

श्री खारवेल स्वाईं : हमारे एक साथ नहीं हैं। मैंने अलग दिया था। ...*(व्यवधान)* हमने अलग–अलग दिये हैं, एक साथ नहीं दिये हैं। इसमें लिखा है, लेकिन जब हमने दिये थे, अलग–अलग दिये थे। आप हमारे नोटिस देखिये, हम तीनों ने अलग–अलग दिये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका तीन नम्बर पर है।

श्री खारवेल स्वाईं : वह हो सकता है, लेकिन हम तीनों का क्लब कर दिया गया है। लेकिन हमारे नोटिस अलग–अलग थे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलिये।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि संवैधानिक संशोधन के कारण उनके हाथ बंधे हुए हैं ...*(व्यवधान)* अल्पसंख्यक संस्थानों को अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के दायरे से बाहर क्यों रखा जाना चाहिए। क्या इसका अर्थ यह है कि इस देश में अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान की जिम्मेदारी केवल हिन्दुओं की है, अल्पसंख्यकों की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही मेरा प्रमुख प्रश्न है। क्या इसका अर्थ यह है कि अल्पसंख्यकों का केवल संसाधनों में ही हिस्सा है, जिम्मेदारियों में नहीं? इसीलिए मैं यह पूछ रहा हूं। हर कोई कहता है कि वह देशभक्त है। लोग यह भी कहते हैं कि देश सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। यदि ऐसा है, तो अल्पसंख्यकों को भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उत्थान की जिम्मेदारियां उठाने दें। यह मेरी अपील है यदि ऐसा है तो इसकी बारहवीं पंक्ति का लोप किया जाये।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी बात छोड़ दी गई है, इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आरक्षण को नहीं जोड़ा गया है। इसके कारण समाज में जो आर्थिक, सामाजिक समरसता की जो खाई है, वह बड़ी होगी। इन वर्ग के लोगों को इन संस्थाओं में एडमिशन नहीं मिलने के कारण वे अपनी शिक्षा से वंचित होंगे और इन वर्गों के लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि ये लोग लम्बी-चौड़ी राशि देकर, लम्बा चौड़ा-पैसा देकर या डोनेशन देकर इन बड़ी संस्थाओं में प्रवेश ले सकें। अतः माननीय मल्होत्रा जी ने जो अमेंडमंट रखा है, मैं उसे मूव करता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको भी कुछ कहना है।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, कृपया मुझे बोलने का अवसर दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने इसके लिए नोटिस नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : महोदय, उन्होंने नोटिस नहीं दिया है। वे कैसे बोल सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : खेद होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सिंह : खेद तो है ही। आपके कारण। ...*(व्यवधान)* यह अमेंडमेंट लाकर जो हमने पहले ही संवैधानिक प्रबंध किया है, उसका उल्लंघन करने का प्रयास तो यह है ही लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत साफ तौर से कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जो आज बहुत से इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, बिना इस संशोधन के भी उनमें ओबीसी, हरिजन तथा आदिवासियों का एडमिशन हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अब बंद हो जायगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सिंह : क्यों बंद हो जायेगा? ...*(व्यवधान)* सुन तो लीजिए। अब आप बोल चुके हैं। क्या बार-बार आप ही खड़े होकर बोलते रहेंगे? हम किसलिए है? ...*(व्यवधान)*

प्रो. राजा सिंह रावत : मंत्री जी को गुस्सा नहीं करना चाहिए।

श्री अर्जुन सिंह : गुस्सा मुझे नहीं आता है। एक मजबूरी है। ..*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आया है, यह सेन्टर से एडेड सेन्ट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए आया है। जो ऑलरेडी आज माइनॉरिटी से चलाये जाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लोगों को तो फक्र होना चाहिए कि उनमें से करीब-करीब अधिकांश ही देश में ओबीसी, हरिजन और आदिवासियों को एडमिशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अब बंद हो जायेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सिंह : बंद कैसे हो जायेगा? क्या आपके कहने से बंद हो जाएगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों के लाख कहने के बाद भी ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस अपने दरवाजे इस देश के उन लोगों के लिए बंद नहीं करेंगे जिनको वे सदियों से अपने साथ रखते आये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री वीरेन्द्र कुमार और श्री खारवेल स्वाईं द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खंड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी नियम मुझे यह अनुमति नहीं देता कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मुझे बोलने का अधिकार है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बिल पास होने से पहले आपको टाइम दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री अर्जुन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, इस महत्वपूर्ण और निर्णायक विधेयक को पारित करने से पूर्व मुझे एक टिप्पणी करनी है। यह देखने के लिए कि आरक्षण उचित रूप से क्रियान्वित किया गया है या नहीं अन्य पिछड़े वर्ग संबंधी कोई संसदीय समिति नहीं है। हम नौकरियों में आरक्षण लागू किया जाना सुनिश्चित करते आ रहे हैं। अब हम शैक्षिक संस्थाओं में भी आरक्षण सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इसे लागू करने की समीक्षा करने के लिए एक अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) संबंधी एक संसदीय समिति गठित करे। मेरा यही अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.42 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

" (एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे, राज्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 13 दिसम्बर, 2006 को राज्य सभा द्वारा यथा पारित सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006, त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 और राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से शहरी विकास मंत्री का ध्यान बड़े-बड़े धनपतियों द्वारा अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। एन. एच.-8 पर शिवमूर्ति के नजदीक वेस्टैंड एंड मोटल और अशोका कंट्री रिसोर्ट समालखा गांव के नजदीक, पूरा का पूरा अवैध निर्माण किये हुए

हैं। ये बड़े–बड़े धनपतियों द्वारा खड़े किये गये हैं, इसलिए इन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है लेकिन गरीब–गुरबे की झुग्गी–झोंपड़ी को तोड़ दिया जाता है क्योंकि वह सरकारी जमीन पर होता है।

सायं 6.44 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

सरकारी अधिकारी द्वारा एम.सी.डी. के पब्लिक पार्क पर बने होटल वसंत कांटिनैंटल का स्वीमिंग पूल को तोड़ने की हिम्मत नहीं करते है क्योंकि वह किसी बड़े ग्रुप का है। छतरपुर में टिवोली गार्डन भी पूरा का पूरा अवैध निर्माण है। वसंत कुंज के होटल ग्रांड में बेसमैंट का अवैध रूप से दुरुपयोग हो रहा है। हयात इंटरनैशनल, वैलस्ट वैस्टर्न सूर्या भी इसी श्रेणी में आते हैं। क्या हमारी यू.पी.ए. सरकार की नीति गरीब–गुरबे की झुग्गी–झोंपड़ी को हटाना एवं बड़े–बड़े घरानों व धनपतियों के अवैध निर्माण से बने होटल तथा सरकारी जमीन पर कब्जे को संरक्षण देना है? उपरोक्त उदाहरण इसका ज्वलंत प्रमाण है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री से मांग करता हूं कि इन सभी अवैध निर्माण तथा सरकारी जमीन पर कब्जे की तुरंत जांच करवायें तथा यथाशीघ्र इस पर कार्यवाही करें।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, बिहार की पोद्दार जाति कमला वर्ण और वैश्य सभी केन्द्र की ओ.बी.सी. की सूची में शामिल हैं। पोद्दार जाति बिहार में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी है। खास कर अन्य वैश्य जातियों की अपेक्षा बिहार के पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की खंडपीठ ने भी यह महसूस किया है कि इस जाति को केन्द्र में पिछड़ी जाति के अनुच्छेद–टू में अवश्य होना चाहिए। साथ ही बिहार सरकार ने इस जाति को केन्द्र सरकार की अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा भी की है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि बिहार की पोद्दार जाति को केन्द्र की पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करें।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : सभापति महोदय, नागपुर–नागभीड़ नैरोगेज़ रेल लाइन का ब्राडगेज में रूपांतरित करने बाबद एवं गोंदिया–नागभीड़ रेल लाइन के प्लेटफार्म ऊंचे करें। नागपुर–नागभीड़ रेल लाइन अभी तक नैरोगेज है। इस रेल लाइन को ब्राडगेज में रूपांतरित करने की आवश्यकता है। लगभग 114 कि.मी. इस रेल लाइन को 114 करोड़ रुपये लगेंगे, ऐसा इसके पहले बताया गया है। नागपुर से नागभीड़ तक नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चन्द्रपुर जिलों को जोड़ने वाली यह रेल लाइन महत्वपूर्ण है। राइस मिलें और खनिज संपदा इस रेल लाइन पर बहुत हैं। फोरेस्ट के बास और सागवान के जंगल भी बहुत हैं। गोंदिया से चन्द्रपुर तथा नागपुर से नागभीड़, इन दोनों रेल लाइनों का नागभीड़ में जंक्शन है। गोंदिया चन्द्रपुर ब्रोडगेज हो गई, मगर नागपुर–नागभीड़ रेल लाइन का ब्रॉडगेज करने का काम बाकी है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि नागपुर–नागभीड़ रेल लाइन को ब्रॉडगेज में रूपांतरित करें और इसके साथ ही गोंदिया–नागभीड़ रेल लाइन के प्लेटफार्म ऊंचे करें। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इसकी आवश्यकता को ध्यान में रख कर इसे आने वाले बजट में शामिल करें।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश में मानव अंगों का अवैध व्यापार की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। अवैध मानव अंगों का व्यापार देश के विभिन्न भागों में काफी पनप रहा है। निजी क्लीनिकों के बेईमान डाक्टर गरीब लोगों को बहुत कम धनराशि का लालच देकर उनके अंग निकाल लेते हैं।

देश में मानव अंग व्यापार का एक नियोजित नेटवर्क है। इन अंगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च मूल्यों पर बेचा जाता है और बिचौलिए काफी मुनाफा कमाते हैं। कानून को अधिक प्रभावी बनाये जाने की अविलम्ब आवश्यकता है, ताकि इस धन्धे में लिप्त लोगों का भंडाभोड़ किया जाए और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह देश में मानव अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये।

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, मैं ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम और पिछड़ा जिला अनुदान निधि के अंतर्गत जिलों के चयन की प्रक्रिया के मामले को उठाना चाहता हूं।

अरुणाचल प्रदेश में 16 जिले हैं और इनमें से अरुणाचल प्रदेश के दो जिले शिक्षा, साक्षरता और विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हुए हैं। लेकिन मुझे अत्यंत खेद है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए 200 जिलों में से इन दो जिलों को छोड़ दिया है। 16 जिलों में से केवल एक जिले का ही चयन किया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिलों के गलत चयन के लिए कौन जिम्मेदार है। मैडम सोनिया जी यहां बैठी हुई हैं। इस्ट कमांग और कूरंग–कयूमें नामक इन दो अति पिछड़े जिलों को छोड़ दिया गया है। इन दोनों अत्यंत पिछड़े जिलों को इस कार्यक्रम में तुरन्त सम्मिलित किया जाए। केवल एक जिले अर्थात

अपर सुबनश्री का ही चयन किया गया है। कुछ अन्य ऐसे राज्य भी हैं जिनमें केवल छः या सात जिले ही हैं। उनके तीन चार जिलों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन मेरे राज्य के 16 जिलों में से केवल एक जिले को ही इसमें शामिल किया गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आवश्यक कदम उठाए और देखे यह योजना आयोग की गलती है अथवा ग्रामीण विकास मंत्रालय की। कृपया कार्यवाही कीजिए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ एवं अनेक राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत के पूल में कटौती की जा रही है। यदि मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में 300 मेगावाट बिजली की कटौती की जा रही है जिससे वहां के नागरिकों को बहुत कठिनाई हो रही है। राजस्थान एवं अन्य प्रदेशों में भी ऐसा ही किया गया है जिससे वहां के नागरिकों को तीन–चार घंटे तक बिजली से वंचित रहना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को तीन–चार घंटे तक बिजली नहीं मिलने से बहुत परेशानी हो रही है जिससे वे केन्द्र सरकार से अत्यधिक नाराज हैं। वहां के जो उद्योग हैं वे बिजली की कमी के कारण नहीं चल रहे हैं और उद्योगपतियों को अरबों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। गांवों में रहने वाले लोग रात में अंधेरे में काटते हैं और वहां के किसानों को भी अपने ट्यूबवैलों को चलाने के लिए चार–पांच घंटे बिजली नहीं मिल रही है जिससे उनकी खेती बर्बाद हो रही है। वहां किसानों ने कहीं सब्जी बो रखी है, कहीं गेहूं, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है।

महोदय, छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों भी अकाल की स्थिति थी और बिजली नहीं होने के कारण किसानों को अपनी खेती हेतु सिंचाई का पानी नहीं मिल सका जिसके कारण उन्हें बहुत आर्थिक घाटा उठाना पड़ा। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ को केन्द्रीय पूल से दी जा रही बिजली में जो कटौती की जा रही है, उसे तुरन्त बंद करें और पूरी विद्युत सप्लाई करें जिससे वहां के आम नागरिक, किसान और उद्योगपतियों को कठिनाई न हो, उनका आर्थिक घाटा पूरा हो और वहां का अंधेरा दूर हो सके। मैं आशा करूंगा कि केन्द्रीय मंत्री महोदय से मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे और तत्काल वहां बिजली की पूरी आपूर्ति कराएंगे।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति जी, मैं अपने प्रदेश की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को सदन में उठाना चाहता हूं। मैं इस मामले को वर्षों से उठाता आ रहा हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर तक नैशनल टैरीटरी यानी एन.सी.आर.टी. बनाया गया है। दिल्ली आने वाली हर रेलगाड़ी हरियाणा की धरती से गुजरती है। चूंकि बाहर से आने वाली रेलगाड़ियां मेल और एक्सप्रेस होती हैं इसलिए उनका कोई स्टॉपेज इस रीजन में नहीं है और जहां हैं वे नाममात्र के हैं। नई रेलगाड़ियां चलाई नहीं जा रही हैं और अन्य गाड़ियों को स्टॉपेज नहीं दिए जा रहे हैं। इससे वहां बहुत कठिनाई हो रही है। दिल्ली नेशनल कैपीटल रीजन होने के कारण, यह स्वाभाविक है कि आसपास के लोगों का दिल्ली आना–जाना बढ़ेगा और काफी संख्या में प्रति दिन यात्री रेल से दिल्ली आते हैं।

महोदय, दिल्ली–रोहतक सैक्शन, दिल्ली के चारों तरफ एक अकेला ऐसा सेक्शन बचा है, जो अभी तक इलैक्ट्रीफाइड नहीं हो पाया है। हमारे द्वारा बार–बार मांग उठाने के बाद भी अभी तक उसे इलैक्ट्रीफाइड नहीं किया गया है। दिल्ली के चारों तरफ मैट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्रॉवीजन चल रहे हैं। इसलिए हमने मांग रखी थी कि दिल्ली से सोनीपत की रेल लाइन और दिल्ली से रोहतक रेल लाइन पर मैट्रो रेल के प्रोजैक्ट को धीरे–धीरे डेवलप किया जाए, जिससे समस्या का कुछ तो समाधान हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

महोदय, दिल्ली को एन.सी.आर.टी. इसीलिए बनाया गया था ताकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की परिवहन व्यवस्था को भी इस प्रकार से विकसित किया जा सके ताकि प्रति दिन दिल्ली आने वाले रेल यात्री शाम को वापस जा सकें, लेकिन दिल्ली के आसपास से दिल्ली के लिए कोई नई ई.एम.यू. ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, न कोई सब–अर्बन ट्रेन की फेसिलिटी दी जा रही है और न दिल्ली–रोहतक खंड को इलैक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि दिल्ली–रोहतक खंड को इलैक्ट्रीफाइड किया जाये, ई.एम.यू. चलाई जाये और दिल्ली–रोहतक तथा दिल्ली–सोनीपत लाइनों पर मैट्रो रेल के प्रोजैक्ट को धीरे–धीरे डेवलप किया जाये।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अभी हाल ही में दोहा एशियाड खेलों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यह सम्मानयोग्य है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। यदि मैं अपने पड़ोसी देश चीन से भारत को मिले पदकों की तुलना करूं तो हमारी स्थिति बहुत पीछे है। भारत को स्वर्ण पदक 6 मिले जबकि चीन को 103, भारत को रजत पदक 11 मिले जबकि चीन को 60 और हमें कांस्य पदक 11 मिले जबकि चीन को 32 मिले। यदि

कुल संख्या देखी जाए तो भारत को कुल 28 पदक मिले और चीन को 195 पदक।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों का उचित सम्मान होना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और उन्हें अच्छे प्रकार से सहयोग मिलना चाहिए, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़े। आप जानते हैं कि श्री जसपाल राणा ने अच्छे खिलाड़ी के रूप में पिस्तौल–चालन में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता है। उनका सम्मान उत्तरांचल सरकार द्वारा हो रहा है। उत्तरांचल सरकार द्वारा श्री धोनी का भी सम्मान होने वाला है। मैं आपके माध्यम से देश के अन्य राज्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे श्रेष्ठ खिलाड़ियों को अपने राज्य में बुलाकर उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि उन राज्यों के खिलाड़ियों को भी लगे कि हम भी देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करें।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, देश के वे सभी रेलवे फाटक, जो बड़ी संख्या में रेलों के आवागमन तथा यातायात के अत्यधिक ट्रैफिक होने से अक्सर बंद रहते हैं, इस कारण लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बीना नगर से स्टेशन की तरफ जाने में पड़ने वाला सागर रेलवे गेट ट्रेनों के अत्यधिक संख्या में आवागमन से अक्सर बंद रहता है। उसके दूसरी तरफ कान्वेंट स्कूल, कालेज एवं स्टेशन होने से छात्रों को तथा बाहर से जाने–आने वाले यात्रियों को काफी कठिनाई होती है। गेट बन्द होने से कई बार यात्री ट्रेन पकड़ने से संचित रह जाते हैं तथा समय पर भोपाल नहीं पहुंच पाने से कई गम्भीर रूप से पीड़ित मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीना से स्टेशन की तरफ जाने वाले सागर फाटक पर तथा झांसी फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनवाने का सहयोग करें।

श्रीमती गीता पटैरिया (सिवनी) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि महिलाओं की सहभागिता के लिए यू.पी.ए. सरकार प्रत्येक सत्र के पहले, सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व महिला आरक्षण विधेयक लोक सभा में पास कराने की बात कहती है, पर पूरा सत्र समाप्त हो जाता है, उसमें कहीं भी महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा तक नहीं होती। लगातार देश की महिलाओं के साथ यू.पी.ए. सरकार के द्वारा छलावा किया जा रहा है। जैसे बच्चों का मन बहलाने के लिए कह दिया जाता है कि चन्दा मामा आ रहे हैं, खिलौना ला रहे हैं, ऐसे ही महिलाओं के साथ छलावा किया जा रहा है और उन्हें धोखा दिया जाता है। बार–बार उन्हें यह कहकर कि बस अगले सत्र में आरक्षण विधेयक आने वाला है, अगले सत्र में आरक्षण विधेयक आने वाला है, पर लगभग ढाई साल बीत गये, कई सत्र समाप्त हो गये और यह सत्र भी समाप्त होने जा रहा है, पर महिला आरक्षण की बात लोक सभा में कभी नहीं आई।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि महिला आरक्षण बिल लाये और महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं को 33 प्रतिशत से भी ज्यादा आरक्षण दे, क्योंकि समाज में महिलाएं लगभग 50 प्रतिशत है, इसलिए उनकी भूमिका भी समाज में 50 परसेंट होनी चाहिए। आप महिला बिल लायें और महिलाओं को उनका अधिकार और सहभागिता का अवसर दें।

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सभागृह में एक महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूं। देश में कुछ ऐसी कम्पनियां हैं, जो अपने उत्पाद को जनता की भावुकता का और अज्ञान का लाभ उठाकर उत्पादन की लागत से कई गुना अधिक मूल्य पर बाजार में बेचने हेतु विज्ञापनों द्वारा खोखले दावे पेश कर अपने एजेंट, फार्मेसी सैंटर्स तथा कुछ डाक्टर्स इत्यादि के सहारे लगी हैं।

जॉन्सन एंड जॉन्सन नामक कम्पनी अपने उत्पादन में सोप, ऑयल, बेबी पाउडर, टैलकम पाउडर, शैम्पू आदि बनाती है। नवजात शिशु की त्वचा को साफ, मुलायम करने हेतु जॉन्सन बेबी सोप, बेबी पाउडर आदि सरेआम बाजार में झूठे विज्ञापन देकर बेचे जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि बच्चों के सिर में बाल उगाने हेतु जॉन्सन ऑयल लगाइये, ऐसे ही नहलाने के लिए जॉन्सन शैम्पू लगाइये, वह उसकी आंखों को दुष्प्रभाव से बचाएगा इत्यादि, बहुत सी बातें विज्ञापनों में दिखाकर सामान्य ग्राहकों को फुसलाकर जो 15 रुपये की सोप होती है, उसे 40–45 रुपये में, जो ऑयल की बॉटल 10 रुपये की होती है, उसे 35–40 रुपये में बेचा जाता है। पाउडर और शैम्पू इत्यादि भी दुगने चौगुने दाम पर बेचने का अभियान चलाकर, बड़े–बड़े विज्ञापन देने वाली ये कम्पनियां सामान्य जनता, गरीब परिवारों को, कुछ मैटरनिटी हॉस्पिटल्स, कुछ डॉक्टर्स, दवाई की दुकानों का सहारा लेकर लूटती हैं।

मैं जॉन्सन एंड जॉन्सन कम्पनी के इन सारे उत्पादों की लागत व बिक्री के अन्तर की जांच हेतु तथा विज्ञापनों की सत्यता जानने हेतु, जो जनता को, बालकों के अभिभावकों की भावनाओं का लाभ उठाकर लूट मचाती हैं, इसकी सी.बी.आई. द्वारा जांच कराने और जॉन्सन एंड जॉन्सन कम्पनी की लूट तुरन्त रोकने हेतु सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर पहल करे।

सायं 7.00 बजे

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान हुबली विमानपत्तन के विस्तार और आधुनिकीकरण तथा बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को पूरा करने के संबंध में कार्य में तेजी लाने की ओर दिलाना चाहता हूं।

हुबली कर्नाटक में दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उत्तर कर्नाटक का प्रमुख शहर है। यह मुम्बई गोवा, हम्पी और बंगलौर के काफी नजदीक है। इसमें कर्नाटक के भाग के रूप में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूपमें विकसित किए जाने की काफी गुंजाइश है। हम्पी अब पर्यटक स्थल बन गया है और काफी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दिन–प्रतिदिन इस स्थान का भ्रमण करने आते हैं। हुबली विमानपत्तन की लम्बाई और चौड़ाई का विस्तार किए जाने की नितांत आवश्यकता है और इसे सुदृढ़ भी किया जाना चाहिए। अभी एकमात्र एयर डेकन उड़ान सुविधा भी उपलब्ध है। इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज जैसी अन्य उड़ान सेवाओं को भी इस क्षेत्र के व्यापक हित में लोगों और पर्यटकों को अपनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिएं।

अनेक औद्योगिक और आईटी क्षेत्र की कम्पनियां यहां आने को तैयार हैं, लेकिन विमानपत्तन सुविधा के अभाव में यहां नहीं आ रही हैं।

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री मंजुनाथ कुन्नुर : अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस विमानपत्तन का उन्नयन किया जाये। भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। कर्नाटक सरकार ने 400 एकड़ भूमि दी है और लोगों के व्यापक हित में कुछ घर तोड़ने पड़ेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल मामले में हस्तक्षेप करें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गौवंश रक्षा राष्ट्र रक्षा है। किसानों की समृद्धि भी पशुधन रक्षा एवं विकास पर निर्भर है। देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय गौवंश धन को ही जाता है। केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने आजादी के तुरंत बाद 19.11.1947 को अपने प्रस्ताव संख्या–एफ–25–8/47–डी द्वारा केटल प्रजिवेशन एंड डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया था। उस समिति की राय थी कि "भारत में किसी भी परिस्थिति में गौ हत्या वांछनीय नहीं है और उस पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है।" बहुत हद तक देश की समृद्धि गौवंश पर आधारित है। देश की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक गौ हत्या पर पूर्णतया पाबंदी न लग जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि देश के कोने–कोने में गौसदन तथा गौशालाओं का निर्माण किया जाए, जिसमें बूढ़े, बेसहारा गौवंश की रक्षा हो सके तथा उनके रख–रखाव हेतु संसाधन जुट सकें। संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार सरकार कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था आधुनिक एवं वैज्ञानिक रीति से करेगी तथा विशेष रूप से गौवंश का संरक्षण एवं विकास और गौवंश तथा अन्य दूध देने वाले तथा कृषि एवं परिवहन के उपयोग में आने वाले पशुओं के वध के प्रतिबंध के लिए कदम उठाये जायेंगे। संविधान की धारा 51 – ए(जी) के अनुसार देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण एवं वन संपदा की रक्षा एवं विकास करे तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखे।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि जब संविधान कह रहा है तथा राष्ट्रीय गौवंश आयोग ने भी सिफारिश की थी और देश के अंदर किसान आत्महत्या करने पर उतारू हैं, ऐसे समय में आवश्यकता इस बात की है कि सरकार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को अवैध रूप से की जा रही गौवंश की तस्करी को रोके और गौ वध पर रोक लगा करके, संपूर्ण देश में किसानों की समृद्धि एवं श्वेत क्रांति को जारी रखने के लिए देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु अविलंब कार्यवाही की जाये।

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। रायपुर रेलवे भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों की उपेक्षा से राज्य के बेरोजगार युवक आहत हैं और अपनी उपेक्षा के कारण रायपुर रेलवे मंडल के कार्यालय में पहुंचकर डीआरएम को इस संबंध में ज्ञापन देना चाहते थे। हजारों की संख्या में युवक एवं युवतियां वहां उपस्थित थे। उन्होंने घंटों अपने धैर्य का परिचय दिया, किंतु कोई रेलवे का अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया और न ही उनका ज्ञापन लिया। अचानक आरपीएफ के जवानों ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दीं और डंडे से घातक प्रहार किये। जिससे अनेक महिलाओं के सिर फट गये, हाथ हड्डी टूट गई तथा युवकों को भी सिर, पैर और हाथों में चोटें आईं और वे अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना से छत्तीसगढ़ के युवक, युवतियों में आक्रोश व्याप्त है।

माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि घटना के जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर घटना की निष्पक्ष जांच करायें। अगर यह नहीं हुआ, तो वहां निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन खड़ा

हो जाएगा और आरपीएफ के जवानों ने जिस तरह से बर्बरता का परिचय दिया उससे हजारों युवक–युवतियों में आक्रोश व्याप्त है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2006 के परिणाम 10 अगस्त, 2006 को संघ सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया (7766)। किन्तु सैंकड़ों परीक्षार्थी इस परिणाम से असंतुष्ट थे। वे संघर्ष भी कर रहे हैं। इसका कारण था – स्वयं के टेक्स्ट बुक से मिलाए गए उत्तरों की संख्या अधिक वाले छात्र असफल सूची में किन्तु कम सही करने वाले सफल सूची (7766) में सम्मिलित। उपर्युक्त विपरीत स्थिति के आलोक में छात्रों ने आयोग से गुहार की एवं सूचना के अधिकार कानून, 2005, जो हाल में ही पास हुआ, के परिप्रेक्ष्य में कुछ सूचनाएं मांगी जो निम्नलिखित हैं – विषयवार एवं समुदाय आधारित कट्–ऑफ मार्क्स, स्वयं का प्राप्तांक, वैकल्पिक विषय एवं सामान्य अध्ययन का मॉडल उत्तर, स्केलिंग पद्धति क्या है? इसका प्रयोग यूपीएससी कैसे करती है? लोक प्रशासन का प्रश्न पत्र क्यों निरस्त किया गया? किन्तु आयोग ने एक माह बाद उपरोक्त मांगों को नहीं माना एवं तर्क दिया कि यह क्रूशियल सिक्रेट एक्ट, बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं लोकहित के अंतर्गत नहीं है। अतः उपर्युक्त सूचनाएं छात्रों को नहीं दी जा सकती है।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय सूचना अधिकारी के उपर्युक्त तर्कों के विरोध में ट्रांसपेरैंसी सीकर्स के द्वार अपीलीय प्राधिकरण में आवेदन किया गया। वहां से भी उपर्युक्त तर्क प्राप्त हुए तथा परीक्षा की प्रकृति को अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मेथोलोडॉजी बताया गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी डिमांड क्या है?

श्री राम कृपाल यादव : मैं बता रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आप सुन लीजिए।

इन निर्णयों के खिलाफ असंतुष्ट छात्रों ने केन्द्रीय सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाई, जैसा कि आर टी आई एक्ट, 2005 में वर्णित है।

केन्द्रीय सूचना आयोग की पूर्ण खंडपीठ ने क्रमशः 16 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 3 नवम्बर के बीच यूपीएससी के तर्क और असंतुष्ट छात्रों के तर्कों को सुना और 13 नवम्बर को अपना निर्णय सुनाया, जो निम्नलिखित है:–

– यूपीएससी दो सप्ताह के भीतर छात्रों के प्राप्तांक बताए।

– यूपीएससी दो सप्ताह के भीतर छात्रों का कट–ऑफ मार्क्स बताए और अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो सफल छात्रों का कट–ऑफ मार्क्स बताए।

– एक माह के भीतर समिति के माध्यम से विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत करे।

लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्रीय सूचना आयोग के फैसले को अस्वीकार करते हुए 27 नवम्बर को दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम राहत के लिए आवेदन दिया जहां उसे 16 जनवरी तक के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने समय दे दिया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस संदर्भ में संज्ञान लिया जाये। उपर्युक्त मांगों के आधार पर ही इस परीक्षा का परिणाम प्रकाशित हुआ है, लेकिन 4 महीने पूरे होने के बाद भी छात्र संघर्षरत हैं।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्यों की राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक संस्थाएं हैं। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सूचना के अधिकार कानून से पूर्व सफल एवं असफल परीक्षार्थियों का प्राप्तांक बताया जाता रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : उदाहरण के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पन्न राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा, 1999 से ही प्रति वर्ष आयोजित परीक्षा के प्राप्तांक, स्केलिंग पद्धति विस्तृत ढंग से बताया जा रहा है। इस वर्ष कर्नाटक लोक सेवा आयोग को कर्नाटक राज्य सूचना आयोग ने यह निर्देश दिया है कि वह प्राप्तांक तथा उत्तर पत्र भी प्रत्येक परीक्षार्थी को दिखाया जाए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा भी प्राप्तांक बताए जा रहे हैं। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यूपीएससी यह काम नहीं कर रहा है। बड़े पैमाने पर एजीटेशन है क्योंकि ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। जो परिणाम प्रकाशित हुआ है, उसमें उनकी हकमारी हुई है। आरटीआई एक्ट के माध्यम से सूचना नहीं दी जा रही है। इसमें कहीं न कहीं घपला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसमें अविलंब हस्तक्षेप करे और संघर्षरत छात्रों के साथ न्याय करे जो ओबीसी, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र हैं। ...*(व्यवधान)* इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें अविलंब न्याय दिलाने का काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी) : महोदय, मैं माननीय वित्त

मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी का ध्यान विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेल्लारी और बेल्लारी जिले के किसानों द्वारा झेली जा रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

हममें से बहुत से लोग किसानों को हमारे देश की रीढ़ की हड्डी और अन्नदाता भोजनादाता कहते हैं लेकिन बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र में किसान भारी कठिनाई में हैं और वे आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों से किसान भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। इस वर्ष भी राज्य सरकार ने बेल्लारी को सूखाप्रवण क्षेत्र घोषित कर दिया है। किसानों की स्थिति काफी गम्भीर है। बेल्लारी जिले में लगभग 50 किसानों ने और पूरे कर्नाटक में लगभग 700 किसानों ने आत्महत्या की है।

संघ सरकार को मेरे बेल्लारी जिले और निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की मदद करने के लिए बढ़-चढ़कर आगे आना होगा। अतः मैं संघ सरकार से मांग करता हूं कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी बैंकों से बेल्लारी जिले के किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को ब्याज सहित माफ कर दें।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण विकास मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि कुछ राज्यों में जो योजनाएं दिल्ली से भेजी जा रही हैं, उनका सही ढंग से कार्यान्वयन न हो कर दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश इसका जीता-जागता उदाहरण है। वहां पर केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिए धन दिया गया है। लेकिन उसके लिए मैचिंग ग्रांट, जो राज्य सरकार को देनी है, वह तो दी ही नहीं गयी, ऊपर से जो धन दिया गया है, उसका दुरुपयोग हुआ है। वह धन अन्य कार्यों में प्रयोग किया गया है खासतौर से वे कार्य जैसे साड़ी बांटना, कन्या विद्या धन, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देना आदि। वास्तविक क्षेत्र में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम होने थे, उन सारे कामों पर रोकथाम हो गयी है। अब एपीसी द्वारा जो बैठकें आयोजित की जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो पहली किश्त आ गयी है, उसको ही अंतिम किश्त मान लो। यह भी मान लो कि अब आगे पैसा नहीं आयेगा। यह गंभीर बात है।

मैं आपके माध्यम द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार एक मौनीटरिंग सेल बनाये। वह मौनीटरिंग सेल उत्तर प्रदेश जाकर केन्द्र सरकार द्वारा जो धन इन योजनाओं में लागू करने के लिए दिया गया है, उसकी समीक्षा करे कि वास्तव में कितना किस रूप में व्यय हुआ है? यदि नहीं हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ क्या कदम और कार्रवाई की गयी है? मैं चाहूंगा कि सरकार इसे गंभीरता से संज्ञान में ले।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। रीवा संभाग के तीन जिले – रीवा, सतना और सीधी जिसमें 22 विधान सभा क्षेत्र आते हैं, उनके लिए केवल एक रेलगाड़ी रीवा-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती है। उसका टाइमिंग बहुत गलत है। उस गाड़ी का टाइम वहां से साढ़े दस बजे चलकर यहां ढाई बजे पहुंचने का था। लेकिन वह यहां से पौने बारह चलती है और वहां साढ़े तीन बजे पहुंचती है। इस बारे में बार-बार मांग की गई कि इसके टाइम में सुधार किया जाये क्योंकि तीन-चार घंटे तक वह गाड़ी लेट रहती है। इसी तरह जबलपुर से चलने वाली गाड़ी महाकौशल एक्सप्रेस का समय भी परिवर्तन कर दिया गया है। पहले वह गाड़ी सात बजे चलकर ग्यारह बजे दिल्ली पहुंचती थी। लेकिन अब वह गाड़ी साढ़े नौ बजे चलती है और यहां तीन-चार बजे पहुंचती है। यह गाड़ी भी लगातार लेट हो रही है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि रीवा-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और महाकौशल एक्सप्रेस, जो जबलपुर से निजामुद्दीन आती है, उनके समय में परिवर्तन किया जाये ताकि वहां के व्यापारी, विद्यार्थी, कर्मचारी और राजनेता समय से पहुंचकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अपने पुराने मित्र रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सुपरफास्ट एक्सप्रेस रीवा-दिल्ली का समय परिवर्तित करें और महाकौशल एक्सप्रेस जिस समय चलती थी, उसको उसी समय चलने दिया जाये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री राम स्वरूप प्रसाद जी, आपका विषय आज नहीं लिया जा सकता है। कृपया आप कल प्रातः 9.30 बजे से पहले नोटिस दें, तब आपका विषय लिया जायेगा।

अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2006/24 अग्रहायण 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री अजय चक्रवर्ती	322
2.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी डा. सिबैस्टियन पॉल	323
3.	श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	324
4.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	325
5.	श्री संतोष गंगवार श्री रघुनाथ झा	326
6.	श्री वी. के. थुम्मर श्री एम. अंजनकुमार यादव	327
7.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे श्री श्रीचन्द कृपलानी	328
8.	डा. वल्लभभाई कथीरिया श्री हरिन पाठक	329
9.	श्री पुन्नूलाल मोहले श्री अविनाश राय खन्ना	330
10.	डा. एम. जगन्नाथ	331
11.	श्री राकेश सिंह	332
12.	श्री सुनील खां	333
13.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री मोहन जेना	334
14.	श्री रामदास आठवले	335
15.	श्री हरिभाऊ राठौड़	336
16.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री हरिसिंह चावड़ा	337
17.	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन श्री तुकाराम गंगाधर गदाख	338
18.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	339
19.	श्री महेश कनोडीया श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी	340
20.	श्री मोहन सिंह श्री के.सी. पल्लानी शामी	341

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3240, 3258
2.	आदित्यनाथ, योगी	3222, 3303
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3200, 3227, 3236, 3334
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3218, 3297
5.	अजय कुमार, श्री एस.	3358
6.	अंसारी, श्री फुरकान	3181, 3285, 3342, 3374
7.	आठवले, श्री रामदास	3308, 3381
8.	बैठा, श्री कैलाश	3363
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3230, 3305
10.	बर्मन, श्री हितेन	3180, 3235, 3293
11.	बर्मन, श्री रनेन	3235
12.	बखला, श्री जोवाकिम	3157
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3179, 3277, 3354, 3379
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	3242, 3324
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3203, 3328
16.	बिश्नाई, श्री कुलदीप	3159
17.	बोस, श्री सुब्रत	3212
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3236, 3247
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3189, 3298
20.	चक्रवर्ती, डा. सुजान	3359, 3298
21.	चटर्जी, श्री सांताश्री	3215
22.	चोरे, श्री बापू हरी	3220
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3241, 3323
24.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3217
25.	चौधरी, श्री अधीर	3192, 3198, 3287

1	2	3
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	3160, 3267, 3345
27.	धनराजू, डा. के.	3253, 3365
28.	धोत्रे, श्री संजय	3220
29.	दत्त, श्रीमती प्रिया	3185
30.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	3244
31.	फर्नांडीज, श्री जार्ज	3254, 3332
32.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3326
33.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3258, 3305, 3333
34.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3201, 3296, 3349
35.	गमांग, श्री गिरिधर	3191
36.	गंगवार, श्री संतोष	3300, 3375
37.	गहलोत, श्री थावरचन्द	3355
38.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	3238, 3319, 3325
39.	गोहेन, श्री राजेन	3207
40.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3258
41.	हसन, चौधरी मुनव्वर	3211, 3331, 3378
42.	जगन्नाथ, डा. एम.	3306, 3353
43.	जयाप्रदा, श्रीमती	3163
44.	जेना, श्री मोहन	3368
45.	झा, श्री रघुनाथ	3166, 3284
46.	जिन्दल, श्री नवीन	3182, 3329
47.	जोगी, श्री अजीत	3236, 3318
48.	कलमाडी, श्री सुरेश	3228
49.	करूणाकरन, श्री पी.	3206
50.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3305
51.	कौर, श्रीमती परनीत	3192
52.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3357
53.	खां, श्री सुनील	3269, 3354, 3379
54.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	3155
55.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3173, 3273, 3312, 3339
56.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3171, 3272
57.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3315
58.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	3356
59.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	3216
60.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3262
61.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3219
62.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3221, 3301, 3351
63.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3249, 3310, 3370
64.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3247
65.	महतो, श्री टेक लाल	3205, 3320
66.	मंडल, श्री सनत कुमार	3195, 3288, 3343
67.	माने, श्रीमती निवेदिता	3201, 3296, 3349
68.	मसूद, श्री रशीद	3263, 3335
69.	मैक्लोड, सुश्री इग्रिड	3359
70.	मेघवाल, श्री कैलाश	3175, 3275
71.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3252, 3318
72.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3202, 3265, 3337, 3350
73.	मोहन, श्री पी.	3229, 3369
74.	मूर्ति, श्री ए.के.	3162, 3270
75.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3207
76.	नाईक, श्री श्रीपाद येस्सो	3164, 3348
77.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3302
78.	निखिल कुमार, श्री	3246

1	2	3
79.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	3188
80.	ओराम, श्री जुएल	3261, 3364
81.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3243
82.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3282, 3323, 3341
83.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3239, 3322
84.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3170
85.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3226, 3263, 3312, 3349
86.	पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई	3184, 3241, 3327
87.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3290, 3295, 3344
88.	पटैरिया, श्रीमती गीता	3167, 3294, 3346
89.	पाठक, श्री ब्रजेश	3234, 3317
90.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3158
91.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3257, 3260, 3371
92.	पिंगले, श्री देविदास	3300
93.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3281, 3380
94.	राजगोपाल, श्री एल.	3174, 3274, 3376
95.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3187, 3283
96.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3177, 3321
97.	रामकृष्णा, श्री वाडिगा	3279, 3350
98.	राणा, श्री काशीराम	3290
99.	रंजन, श्रीमती रंजीत	3194
100.	राव, श्री के.एस.	3156, 3313, 3383
101.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3232
102.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3280
103.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	3256
104.	रावत, प्रो. रासा सिंह	3169
105.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3176, 3276, 3340
106.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3231
107.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3204
108.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	3214
109.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3225, 3380, 3382
110.	रिजीजू, श्री कीरेन	3161, 3268, 3384
111.	साई प्रताप, श्री ए.	3247
112.	सांगवान, श्री किशन सिंह	3186
113.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3264, 3336, 3377
114.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3193, 3366
115.	सरोज, श्री तूफानी	3183, 3307
116.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3202, 3227, 3236, 3309
117.	सेनथिल, डा. आर.	3255, 3362
118.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3208
119.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3189, 3316
120.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3200, 3227, 3236, 3334
121.	शिवन्ना, श्री एम.	3223, 3304, 3352
122.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3257, 3259, 3291, 3373
123.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3350
124.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	3199
125.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3225, 3310, 3382
126.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3237
127.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3224
128.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3213, 3296, 3349
129.	सिंह, श्री मोहन	3314

1	2	3
130.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3196, 3372
131.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3190
132.	सिंह, श्री राकेश	3291, 3346
133.	सिंह, श्री रेवती रमन	3233
134.	सिंह, श्री सीताराम	3248
135.	सिंह, श्री सुग्रीव	3290, 3344
136.	सिंह, श्री उदय	3197, 3286
137.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3165, 3311
138.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3168, 3215, 3271, 3338
139.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	3209
140.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3278, 3347
141.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3266
142.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3292
143.	तोपदार, श्री तरित बरण	3210
144.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3250, 3374
145.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3251, 3330
146.	वल्लभनेनी, श्री बालोसोवरी	3299
147.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3245, 3367
148.	वर्मा, श्री प्रकाश	3200, 3227, 3236, 3289, 3334
149.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3292, 3380
150.	यादव, श्री बालेश्वर	3178, 3361
151.	यादव, श्री गिरिधारी	3380
152.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3259, 3260, 3371, 3373
153.	यादव, श्री राम कृपाल	3172

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	323
संस्कृति	:	324, 328, 334, 341
रक्षा	:	326
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	333
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	329, 330, 338
रेल	:	322, 331, 332, 335, 337, 339
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	325, 336
पर्यटन	:	327, 340

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	3155, 3164, 3167, 3199, 3203, 3208, 3213, 3228, 3234, 3240, 3246, 3258, 3268, 3273, 3282, 3285, 3290, 3292, 3296, 3302, 3304, 3306, 3309, 3311, 3312, 3315, 3316, 3317, 3318, 3322, 3323, 3328, 3332, 3333, 3344, 3345, 3348, 3376, 3382
संस्कृति		3158, 3173, 3188, 3193, 3216, 3232, 3251, 3305, 3340, 3384
रक्षा		3159, 3160, 3182, 3184, 3189, 3204, 3214, 3217, 3218, 3236, 3244, 3254, 3256, 3257, 3264, 3265, 3266, 3267, 3279, 3284, 3291, 3294, 3297, 3299, 3300, 3319, 3331, 3338, 3346, 3349, 3352, 3355, 3356, 3360, 3371, 3373, 3381
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		3157, 3180, 3195, 3235, 3255, 3288, 3293, 3330, 3377, 3383
भारी उद्योग और लोक उद्यम		3181, 3187, 3196, 3210, 3215, 3269, 3270, 3295, 3334, 3354, 3357, 3379
अल्पसंख्यक मामले		3161, 3200, 3207, 3325, 3361
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		3156, 3163, 3166, 3168, 3174, 3178, 3186, 3190, 3197, 3198, 3201, 3202, 3205, 3211, 3212, 3220, 3221, 3222, 3224, 3231, 3233, 3243, 3245, 3247, 3250, 3263, 3283, 3286, 3287, 3289, 3321, 3343, 3347, 3367
रेल		3165, 3169, 3170, 3171, 3175, 3177, 3179, 3183, 3185, 3191, 3192, 3194, 3209, 3219, 3225, 3229, 3230, 3237, 3239, 3241, 3248, 3249, 3252, 3253, 3259, 3261, 3262, 3272, 3274, 3276, 3277, 3278, 3281, 3298, 3301, 3303, 3307, 3310, 3313, 3314, 3320, 3324, 3326, 3329, 3335, 3336, 3339, 3341, 3342, 3351, 3353, 3358, 3360, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3368, 3369, 3370, 3372, 3374, 3375, 3378
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		3206, 3223, 3227, 3260, 3275, 3280, 3308, 3337, 3350, 3380
पर्यटन	:	3162, 3172, 3176, 3226, 3238, 3242, 3271, 3327

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रका
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।